खण्ड-366, अंक-10
मंगलवार, 14 चैत्र, शक संवत् 1906
(3 अप्रैल, 1984 ई0)

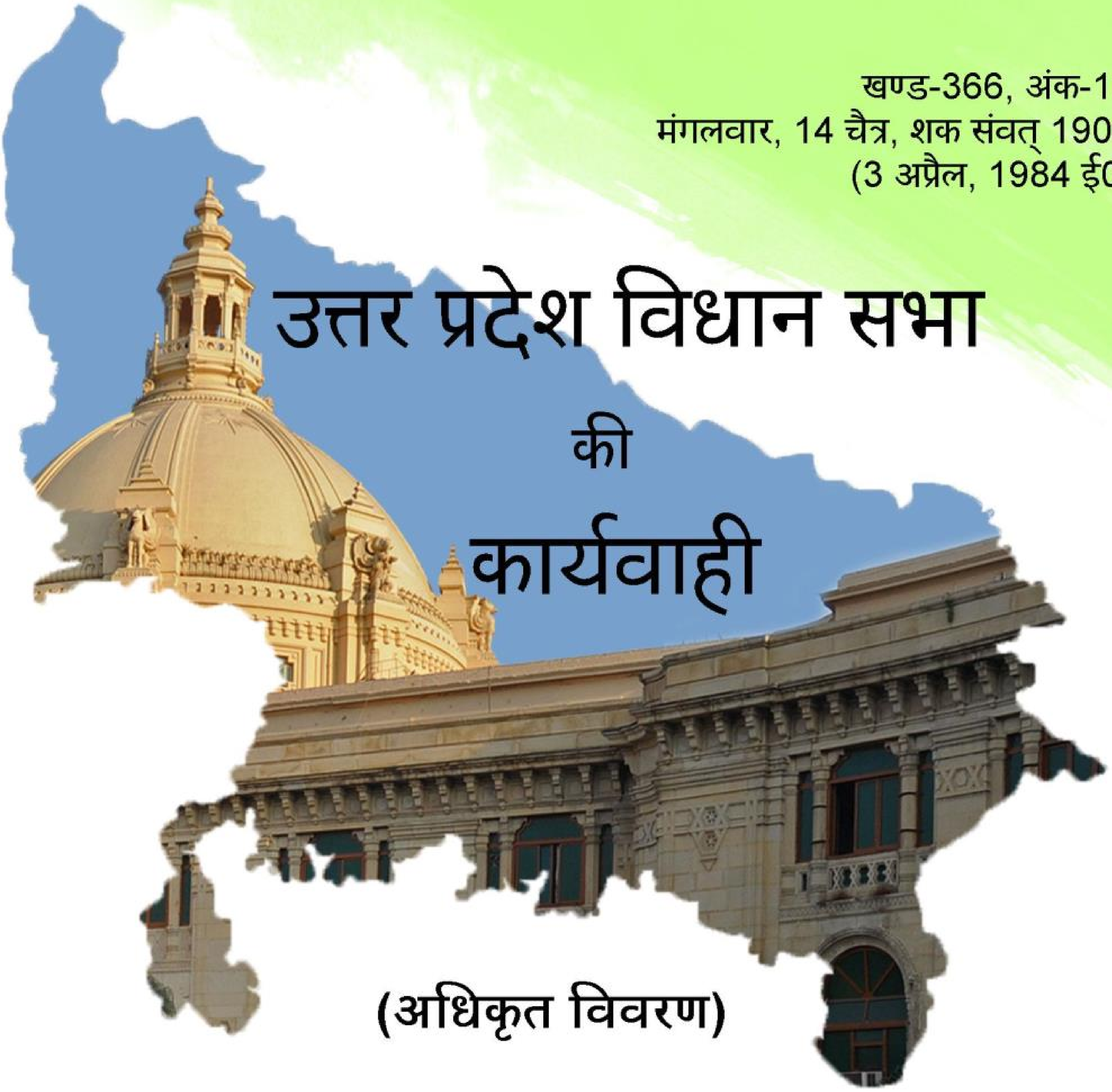

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 366 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1984

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1–5
प्रश्नोत्तर	7–83
प्रश्नों के उत्तर स्थगित होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	83–84
बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जूनियर हाई स्कूल के प्रमाण-पत्र अभी तक न दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	84
इन्दिरा नगर योजनान्तर्गत अधिग्रहीत की गयी भूमि के प्रतिकर भुगतान में घूस लिए जाने की शिकायत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	84–85
सहारनपुर टैक्सी स्टैन्ड की नीलामी में भाग लेने वाले श्री शफीक अहमद को एस0ओ0 श्री हरदेव सिंह द्वारा पीटे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	85
तार प्रणाली के कार्य न करने से लोअर गंगा नहर भोगनीपुर डिवीजन (कानपुर) में पानी न मिलने से फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	85–86
राजकीय निर्माण निगम शाखा जयन्त (युनिट) (मध्य प्रदेश) द्वारा श्री घुरभारी सिंह को ईंटों का भुगतान न किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	86
काशी विश्वविद्यालय, वाराणसी के प्रशासक द्वारा अध्यापकों एवं छात्रों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	86–87
मिर्जापुर में जनता पार्टी के कार्यकर्त्ता श्री प्रताप नारायण सिंह आदि को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	87
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	87–88
बलरामपुर तहसील, जिला गोंडा में एक नया विकास खण्ड स्थापित करने के सम्बन्ध में याचिका (प्रस्तुत की गई)	88
श्री जयदीप सिंह बरार द्वारा प्रश्नों के उत्तर न दिए जाने के सम्बन्ध में उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	88–90
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	90–105
1984-85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 18—ग्राम्य विकास विभाग, अनुदान संख्या 30—पंचायती राज विभाग तथा अनुदान संख्या 82—क्षेत्रीय विकास विभाग (स्वीकृत)	105–143
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	146
बसन्तपुर, थाना तुलसीपुर, जिला गोंडा के गोमती नामक हरिजन पर थाना- [illegible] षड्यन्त्र से प्राणघातक हमला किए जाने के सम्बन्ध में [illegible]	146–149
[illegible]	[illegible]

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 3 अप्रैल, 1984

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजकर 2 मिनट पर दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 312

अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अकबाल हुसैन, श्री	गोंडा
अजहर इमाम, श्री	मिर्जापुर
अजीत कुमार सिंह, श्री	कानपुर
अनवार मुहम्मद खां, श्री	फर्रूखाबाद
अबुल कलाम, श्री	आजमगढ़
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह)	फतेहपुर
अमर सिंह, श्री	सहारनपुर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती
अम्मार रिजवी, श्री	सीतापुर
अलमेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री	इलाहाबाद
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री	इलाहाबाद
उदयवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री	गोंडा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी	एटा
ऊदल, श्री	वाराणसी
ए0 सी0 ग्राइस, श्री	नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री	लखनऊ
कमला दरियाबादी, श्रीमती	कानपुर
कमला प्रसाद सिंह, श्री	जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती	बस्ती
कल्लू राम रत्नाकर, श्री	मिर्जापुर
किरनपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशोरी शुक्ला, श्रीमती	गोरखपुर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री	हमीरपुर
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)	हरदोई
कुबेर भण्डारी, श्री	देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री	रायबरेली
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)	फतेहपुर
कृष्ण मगन सिंह, श्री	बाराबंकी
कृष्णवीर सिंह, श्री	बदायूं
केदार सिंह, श्री	आजमगढ़
केदार नाथ सिंह, श्री	गोरखपुर
केशरी प्रसाद, श्री	जौनपुर
केशोराम, श्री	बदायूं
कैलाश टण्डन, श्री	वाराणसी
कैलाश प्रसाद, श्री	गोरखपुर
खरपत, श्री	वाराणसी
खुर्शीद अहमद अंसारी, श्री	मुरादाबाद
खुर्शेद अहमद, श्री	बहराइच
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री	टिहरी गढ़वाल
खैरुल बशर, श्री	आजमगढ़
गंगा सागर शंखवार, श्री	कानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	इटावा
गजेन्द्र सिंह, श्री	बाराबंकी
गया सिंह, श्री	उन्नाव
गुलाब सिंह, श्री	देहरादून
गुलाम नबी, श्री	आगरा
गेंदा देवी, श्रीमती	बस्ती
गोपाल राम दास, श्री	अल्मोड़ा
गोपीनाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव
गोपीनाथ वर्मा, श्री	फैजाबाद
गोरे लाल शाक्य, श्री	इटावा
गोवर्धन तिवारी, श्री	अल्मोड़ा
गौरी देवी, श्रीमती	गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	इटावा
गौरी शंकर भैय्या, श्री	बलिया
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो0	बांदा
चन्द्र भान सिंह, श्री	बांदा

चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री लखनऊ
चारु चन्द्र आभा, श्री पिथौरागढ़
चेतराम गंगवार, श्री बरेली
छत्तर सिंह, श्री बुलन्दशहर
छेदा लाल चौधरी, श्री खीरी
छेदी लाल, श्री गोंडा
जंग बहादुर, श्री जौनपुर
जगदीश नरायन, श्री फतेहपुर
जगदीश प्रसाद, श्री इलाहाबाद
जगदीश सिंह, श्री शाहजहांपुर
जगदीश सिंह यादव, श्री मैनपुरी
जटाशंकर सिंह, श्री बहराइच
जनार्दन प्रसाद आभा, श्री गोरखपुर
जफर अली नकवी, श्री खीरी
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री अल्मोड़ा
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री मुरादाबाद
जितेन्द्र शाह, श्री जालौन
जीराज सिंह मौर्य, श्री मुरादाबाद
जैराज गौतम, श्री सुल्तानपुर
तपेश्वर, श्री आजमगढ़
तेज बहादुर गंगवार, श्री पीलीभीत
तेज बहादुर सिंह, श्री जौनपुर
दलजीत सिंह, श्री रामपुर
दलसिंगार, श्री आजमगढ़
दामोदर शर्मा, श्री मेरठ
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री बस्ती
दीनानाथ, श्री बस्ती
दीप नरायन वन महन्थ, श्री गोंडा
दीपू उर्फ दीपनारायण, श्री आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री देवरिया
दूधनाथ राजभर, श्री आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री कानपुर
द्वारिका नाथ धवन, श्री देहरादून
धनेश्वरी देवी, श्रीमती वाराणसी
धरमपाल, श्री बहराइच
धर्मपाल सिंह, डाक्टर अलीगढ़
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री मुजफ्फरनगर
धर्म सिंह, श्री, बुलन्दशहर

ध्रुव प्रसाद राय, श्री देवरिया
नकली सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
नत्थू लाल, श्री हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री देवरिया
नन्द राम, श्री बरेली
नरेन्द्र सिंह, श्री मेरठ
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री पिथौरागढ़
नाजिर अली, श्री शाहजहांपुर
नियाज हसन खां, श्री प्रतापगढ़
नौनिहाल सिंह, चौधरी इलाहाबाद
नेत्रपाल सिंह, श्री एटा
पंचानन राय, श्री आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री गोरखपुर
परमाई लाल, श्री हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री बस्ती
परागी लाल चौधरी, श्री सीतापुर
पारवती देवी, श्रीमती बाराबंकी
पूरन चन्द्र, श्री अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री प्रतापगढ़
प्रभू नारायण सिंह, श्री जौनपुर
प्रभोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
प्रियदर्शी जेतली, श्री फैजाबाद
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती लखनऊ
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री गोरखपुर
बंशीधर राज, श्री खीरी
बच्चा पाठक, श्री बलिया
बदन सिंह, श्री आगरा
बनवारी राम, श्री वाराणसी
बब्बन सिंह, श्री बलिया
बलराम सिंह यादव, श्री इटावा
बलबीर सिंह, श्री फर्रुखाबाद
बल्देव सिंह आर्य, श्री उत्तरकाशी
बाबू राम, श्री पीलीभीत
बाबू लाल, श्री गोंडा
बाबू लाल, श्री हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री अलीगढ़
बिहारी लाल, श्री नैनीताल
बिहारी लाल दोहरे, श्री फर्रुखाबाद

बुद्धपाल सिंह	बुलन्दशहर
"खुर्जेवाला", श्री	
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर	देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती	झांसी
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री	इलाहाबाद
ब्रह्मदत्त, श्री	देहरादून
भगवती सिंह विशारद, श्री	उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा, श्री	कानपुर
भागीरथ, श्री	झांसी
भास्कर पाण्डेय, श्री	देवरिया
भीखा लाल, श्री	उन्नाव
भूप सिंह केन, श्री	गाजियाबाद
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री	गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री	बलिया
मन्जूर अहमद, श्री	मेरठ
मसरूर जाफरी, श्री	गोंडा
(उर्फ शबराज)	
महाबीर सिंह, श्री	सहारनपुर
महारानी दोहरे, श्रीमती	इटावा
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा	आगरा
महेश चन्द्र, श्री	मेरठ
महेश प्रसाद, श्री	देवरिया
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री	वाराणसी
माधव प्रसाद, श्री	फैजाबाद
मान बहादुर, श्री	गोंडा
मीर मजहर अली, श्री	बदायूं
मुईद अहमद, श्री	सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुरलीधर मुनीम, श्री	गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मेहदी असगर, श्री	मुजफ्फरनगर
मोतीलाल देहलवी, श्री	कानपुर
मोहन लाल, श्री	हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री	देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री	बदायूं
मोहम्मद अमीन, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद उमर, डा0	गोंडा
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री	लखनऊ
मोहम्मद वसीम, हाजी	रायबरेली
मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी, श्री	वाराणसी

यदुनाथ सिंह, श्री	मिर्जापुर
यमुना प्रसाद, श्री	बाराबंकी
यशपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद
रईसउद्दीन वारसी, श्री	मुरादाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री	गोंडा
रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी
रमाकान्त मिश्रा, श्री	इलाहाबाद
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री	रायबरेली
रवीन्द्र, श्री	आजमगढ़
राज किशोर राव, श्री	बहराइच
राज कुमार राय, श्री	आजमगढ़
राजमंगल पाण्डेय, श्री	देवरिया
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री	झांसी
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री	सीतापुर
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री	इलाहाबाद
राधेश्याम वर्मा, श्री	फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री	बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री	हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री	हरदोई
राम करन, श्री	वाराणसी
राम कुमार भार्गव, श्री	सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डा0	जौनपुर
राम चन्द्र, श्री	वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री	मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री	वाराणसी
रामजी राम, श्री	फैजाबाद
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम नरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
राम प्यारे पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री	जालौन
राम प्रसाद, श्री	मुजफ्फरनगर
राम भजन लाल, श्री	खीरी
राम यश सिंह, श्री	सहारनपुर
राम लाल, श्री	सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री	हरदोई

राम शिरोमणि, श्री — जौनपुर
राम समुझावन, श्री — जौनपुर
राम सागर, श्री — बाराबंकी
राम सिंह, श्री — सुल्तानपुर
राम सिंह खन्ना, श्री — बरेली
राम सिंह रावल, श्री — एटा
राम सेवक, श्री — सुल्तानपुर
राम स्वरूप निम, श्री — सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री — कानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री — बहराइच
राम हर्ष राय, श्री — गाजीपुर
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री — बरेली
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री — बाराबंकी
रियाज अहमद, श्री — पीलीभीत
रियासत हुसैन, श्री — मुरादाबाद
रुद्र प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
रूप राम, श्री — शाहजहांपुर
रूल्हा सिंह, श्री — सहारनपुर
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणिजी) — इलाहाबाद
लल्लू सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री — प्रतापगढ़
लालसा, श्री — आजमगढ़
लोकपति, श्री — मिर्जापुर
लोकमणि शर्मा, श्री — मथुरा
वासुदेव सिंह, श्री — प्रतापगढ़
विजय कुमार, श्री — लखनऊ
विजय पाल सिंह, श्री — गाजियाबाद
विजय शंकर सिंह, श्री — गाजीपुर
विजय सिंह, श्री — मिर्जापुर
विद्या सागर नौटियाल, श्री — टिहरी गढ़वाल
विनोद कुमार तिवारी, डा0 — पीलीभीत
विमल प्रसाद तिवारी, श्री — फर्रुखाबाद
विमला राकेश, श्रीमती — सहारनपुर
विशन लाल, श्री — बिजनौर
विश्वनाथ, श्री — देवरिया
विश्राम दास, श्री — इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री — मैनपुरी

वीर बहादुर सिंह, श्री — गोरखपुर
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री — सीतापुर
शम्भू नाथ, श्री — आजमगढ़
शरीयतुल्ला, श्री — मुरादाबाद
शिरोमणि, श्री — बांदा
शिव दर्शन, श्री — रायबरेली
शिव नरेश, श्री — बांदा
शिवनाथ सिंह — कानपुर
कुशवाहा, कुंवर
शिव नारायण सिंह नेगी — नैनीताल
शिव बालक, श्री — रायबरेली
शिव मंगल सिंह, श्री — मैनपुरी
शेर बहादुर, श्री — फैजाबाद
शैनाथ सिंह, श्री — बिजनौर
श्याम नरायन तिवारी, श्री — गोरखपुर
श्याम लाल बाजपेयी, श्री — बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री — बिजनौर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री — इलाहाबाद
श्रीकृष्ण गोयल, श्री — बदायूं
श्रीनाथ सिंह, श्री — वाराणसी
श्रीपति मिश्र, श्री — सुल्तानपुर
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री — वाराणसी
सईदुल हसन, श्री — बुलन्दशहर
सच्चिदानन्द, श्री — उन्नाव
सतीश अजमानी, श्री — खीरी
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री — नैनीताल
सन्त बख्श रावत, श्री — लखनऊ
सन्तोष कुमारी, श्रीमती — बदायूं
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री — प्रतापगढ़
सरदार सिंह, श्री — मथुरा
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री — शाहजहांपुर
सुग्रीव सिंह, श्री — देवरिया
सुनीता चौहान, श्रीमती — रायबरेली
सुनील शास्त्री, श्री — गोरखपुर
सुन्दर सिंह, श्री — बहराइच
सुमन लता, श्रीमती — कानपुर
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) — गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री — बस्ती

सुरेन्द्र सिंह, श्री गाजीपुर
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री अलीगढ़
सुल्तान सिंह, श्री मुरादाबाद
सूबेदार सिंह, श्री मैनपुरी
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री जौनपुर
सोमांश प्रकाश, श्री मुजफ्फरनगर
स्वरूप कुमारी, बख्शी, श्रीमती लखनऊ
स्वामी नेमपाल, श्री बुलन्दशहर
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री हमीरपुर
हंसराज सिंह वर्मा, श्री एटा
हरदेव, श्री बलिया
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री बांदा
हरिद्वार पाण्डेय, श्री गोरखपुर
हरि प्रसाद कुरील, श्री उन्नाव
हरिवंश सहाय, श्री देवरिया
हरि सिंह, श्री बुलन्दशहर
हरीशंकर, श्री हरदोई
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री मुरादाबाद
हुकुम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर

नोट :—ग्राम्य विकास मंत्री श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, वित्त एवं संस्थागत वित्त राज्य मंत्री श्रीमती इन्द्र मोहिनी तथा ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री श्री राम सजीवन सिंह, भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मंडल

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

मान्यवर, आज के इस हरे बार्डर के परिधान के लिए हार्दिक बधाई।

श्री अध्यक्ष–

हाउस का कन्टेम्प्ट तो नहीं कर रहे हैं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

हाउस का सम्मान तो सर्वोपरि है, और उससे बड़ा आपका है। आप जिस आदर्श रूप में आते हैं, उसका सम्मान करना मेरा नैतिक कर्तव्य है।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 3 अप्रैल, 1984

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

श्री मती अन्जू खण्डेलवाल की हत्या की जांच

**1–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि 7 जुलाई, 1983 को आगरा के थाना हरिपर्वत में श्री वीरेन्द्र कुमार खण्डेलवाल ने कोई प्रथम सूचना लिखाई कि श्रीमती अन्जू खण्डेलवाल (22 वर्ष) की हत्या आग लगाकर उनके पति तथा सास ने कर दी? यदि हां, तो अभी तक अभियुक्तों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है?

गृह राज्य मंत्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)–

जी हां। दिनांक 7 जुलाई, 1983 को श्रीमती अन्जू खण्डेलवाल की मृत्यु के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र कुमार खण्डेलवाल निवासी 1410, कूचा उस्ताद, हीरा बाजार गलियान दहेली-6 की रिपोर्ट पर थाना हरीपर्वत पर अपराध अन्तर्गत धारा 306 भा0 द0 वि0 पंजीकृत हुआ। इस अभियोग की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है। विवेचना पूर्ण होने पर यथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब प्रथम रिपोर्ट लिखायी गयी, उस समय हत्या करने वाले लोगों के नाम दिये गये और साक्षियों के नाम भी दिये गए, तो मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने दहेज के कारण उस युवती को मार डाला, उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है, सी0 आई0 डी0 जांच की क्या आवश्यकता थी?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

मान्यवर, गुप्ता जी ने जो पूछा, एफ0 आई0 आर0 में लिखाया गया कि उसकी बहन को उसकी सास जो दहेज के लिए लालची थी और ससुर ने उसको जला दिया। श्रीमती अन्जू खन्डेलवाल ने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में पहले बताया कि मेरी साड़ी में मोमबत्ती से आग लग गयी, इसलिए जल गयी और बाद में जब सफदर गंज हास्पिटल, दिल्ली में दुबारा डाइंग डिक्लेरेशन लिया गया तो बताया कि मिट्टी का तेल पड़ा था, उससे मेरी साड़ी में आग लग गयी और फिर कहा कि मेरे पति मुझसे ठीक से व्यवहार नहीं करते थे और कई महीने से बात नहीं कर रहे थे, इसलिए विवाद हो गया।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जब श्रीमती अन्जू का पोस्टमार्टम हुआ, उस के पहले उसके शरीर पर जो कपड़े थे, उन जले हुए कपड़ों को ठीक से पुलिस ने क्यों नहीं रखा? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने धुआं उड़ते हुए और आग जलते हुए देखा, तो पुलिस ने उनकी गवाही क्यों नहीं ली? तीसरी चीज मैं यह जानना चाहता

है कि जैसा कि कहा जाता है कि आगरा के कुछ महत्वपूर्ण राजनैतिक लोगों के दबाव में आकर पुलिस ने इस अमानवीय कृत्य पर परदा डालने का प्रयास किया है क्या माननीय मंत्री जी हमारे इन प्रश्नों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

माननीय वाजपेयी जी ने, 3 प्रश्न किए हैं, ऐसा कोई तथ्य नहीं निकला कि किसी राजनैतिक दबाव के कारण कपड़ों को छिपाया गया हो, जो सही स्थिति थी वह गुप्त जी को बता दी गयी है। पहले जो डाइंग डिक्लेरेशन में कहा और बाद में जो कहा, उसको बता दिया गया है। ससुराल वालों के साथ क्या हुआ, जिससे यह घटना हुई, इन सारी चीजों की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा की जा रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो इस लड़की के भाई ने एफ0 आई0 आर0 के माध्यम से दरख्वास्त दी और फिर एक एप्लीकेशन भी दी जिसमें मेरा कवरिंग लेटर लगा हुआ है जिसके जरिये उन सारे तथ्यों से शासन का ध्यान आकर्षित किया गया है, कौन-कौन लोग पुलिस से मिलने के लिये गये और जैसा कि वाजपेयी जी ने बताया कि उस लड़की के जले हुए कपड़े इकट्ठा नहीं किये गये और लोगों को गवाही नहीं देने दी और अन्त में सारे तथ्यों को बदला गया। इन सारे तथ्यों पर क्या आपने जांच करने की कोशिश की है?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

श्रीमन्, उनके भाई का कोई पत्र नहीं है जिसमें किसी राजनीतिक व्यक्ति का नाम हो।

श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, डाइंग डिक्लरेशन वह माना जाता है जो मरते वक्त का बयान होता है, उसकी इम्पार्टेन्स होती है क्योंकि वह उस समय झूठ नहीं बोलता है इसलिये उसका वेट होता है। तो उसका जो अंतिम बयान है उसको देखते हुए जिसमें यह कहा गया है कि मेरे पति का व्यवहार ठीक नहीं था और दूसरे यह कि कोई काउन्टर एप्लिकेशन भी नहीं है जिसमें एफ0 आई0 आर0 में कोई नामजद रिपोर्ट लिखाई गयी हो या डाउटफुल हो। तो किसलिये आपने सी0 आई0 डी0 को इन्क्वायरी दी है? इन दोनों चीजों को देखते हुए इस केस को सी0 आई0 डी0 से वापस लेकर उनके खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

माननीय सदस्य सी0 आई0 डी0 से इन्क्वायरी चाहते थे।

श्री रियासत हुसैन–

नहीं श्रीमान्, सी0 आई0 डी0 की इन्क्वायरी का केस भी नहीं है। मैंने निवेदन किया कि डाइंग डिक्लरेशन वही सही माना जाता है जो मरते वक्त उसने दिया हो क्योंकि मरते वक्त वह झूठ नहीं बोलता है। इसलिये उसकी इम्पार्टेन्स होती है। उसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि मेरे पति का व्यवहार अच्छा नहीं था और दूसरी तरफ कोई काउन्टर एप्लीकेशन भी नहीं है। कोई नाम भी एफ0 आई0 आर0 में नहीं है तो फिर सी0 आई0 डी0 को भेजने का यह केस नहीं बनता। इसलिए क्या आप सी0 आई0 डी0 से वापस लेकर केस की सीरियसनेस को देखते हुये उसके आधार पर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

मान्यवर, सी0 आई0 डी0 से केस वापस नहीं लिया जा सकता लेकिन सी0 आई0

डी0 से केस का जो असलियत है वह सामने आ जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस घटना के कितने दिन बाद यह मामला सी0 आई0 डी0 को संदर्भित किया गया था और कब तक उसकी रिपोर्ट आ जायेगी?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

श्रीमन्, यह मामला 10-10-83 को सी0 आई0 डी0 को दिया गया था और आदेश दिया गया था कि जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट दी जाय क्योंकि सरकार दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिये कटिबद्ध है।

श्री श्याम लाल वाजपेयी–

मैं आपके माध्यम से अपने प्यारे मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मामला बिल्कुल स्पष्ट है, मृत्यु के पहले का बयान स्पष्ट है और प्रथम सूचना रिपोर्ट भी स्पष्ट है तो माननीय मंत्री जी के सामने वह कौन सी विशेष परिस्थितियां आई जिसके कारण इस मामले को सी0 आई0 डी0 को संदर्भित किया गया, उन कारणों के ऊपर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

हमारे बड़े भाई माननीय सदस्य ने पूछा, मैं उन्हें यह बता दूं कि यह मामला मेरे गृह मंत्री बनने से पहले सी0आई0डी0 को दे दिया गया था। मेरे सामने की बात होती तो . . .

श्री अध्यक्ष–

यह कोई बात नहीं है, आप हों या आपके पहले के हों . . .

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

माननीय सदस्य ने पूछा कि किन परिस्थितियों में गृह मंत्री ने दिया। तब मैंने बताया।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

आप मेरी बात गलत समझे। वह कुर्सी खाली नहीं रहती . . .

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आपको बिना आज्ञा नहीं बोलना चाहिए। पहले आप बैठिये। फिर बोलिये।

श्री श्याम लाल वाजपेयी–

मेरी धृष्टता को क्षमा करें मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी जिस पद पर आसीन हैं वह पद खाली नहीं रहता। होम मिनिस्टर की कुर्सी खाली नहीं रहती। मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन सी विशेष परिस्थितियां थीं कि हर चीज दर्पण की तरफ स्पष्ट है, प्रथम सूचना रिपोर्ट स्पष्ट है, मृत्यु के पूर्व का बयान स्पष्ट है तो वह कौन से विशेष कारण थे पुलिस अधिकारियों के पास, ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास जो उन्होंने अपराध अनुसंधान शाखा से जांच करने के निर्णय लिये?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

मान्यवर, डाइंग डिक्लिरेशन उन्होंने दो बार दिये उससे कुछ भ्रम हुआ और जब उनका दाह संस्कार हुआ तो उस समय उनके सास ससुर भी नहीं आये तो उचित समझा गया कि सी0 आई0 डी0 से जांच के आदेश दिये जांय इसलिए सी0 आई0डी0 को मामला दिया गया ताकि सत्यता सामने आ जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने समाचार पत्रों में भी पढ़ा और कल किसी एक मामले में मैं मंत्री जी से बात कर रहा था, उस समय भी मेरी जानकारी की पुष्टि हुई कि जब दहेज से संबंधित मामले में मृत्यु होती है तो उसकी जांच करने के लिए विशेष सैल की व्यवस्था हो रही है, माननीय मंत्री जी ने कहा था और

जब तक उस सैल का गठन नहीं होता तब तक हम ऐसे मामलों में हरिजन सैल से जांच कराते हैं। तो हरिजन सैल से इस मामले में जांच न कराकर सी0 आई0 डी0 को क्यों दिया गया ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

उस वक्त श्रीमन्, सी0 आई0 डी0 से जांच कराना ज्यादा उचित समझा गया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने एक स्पैसिफिक सवाल पूछा। पूरा सदन और माननीय बाजपेयी और माननीय अन्य सदस्य इससे संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। मेरे पास इसके प्रमाण हैं कि राजनीतिक दबाव के कारण इसे अपराध अनुसंधान शाखा को दिया गया। शासन की निहित प्रक्रिया है कि जब दहेज के मामले में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जांच विशेष सैल से कराई जाती है और मंत्री जी ने अपने चेम्बर में बताया था कि वह सैल अभी गठित नहीं हुआ है और तब तक ऐसे मामलों में जांच हरिजन सैल से कराते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि उस सैल से जांच की प्रक्रिया को लांघ कर सी0 आई0 डी0 को क्यों दिया गया क्या स्पैसिफिक कारण उसके रहे?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

मान्यवर, जहां तक राजनीतिक दबाव का प्रश्न है मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि माननीय श्रीपति मिश्र की सरकार में कोई गलत बात राजनीतिक दबाव में आकर नहीं मानी जाती है। जहां तक दहेज संबंधी मामलों में मृत्यु की बात है उसके लिए मैंने माननीय सदस्य को कहा था कि हम एक नया सैल इस प्रकार के मामलों के लिए बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। जो दहेज न देने के कारण जलायी जाती हैं लड़कियां, उनकी अलग से जांच करायेंगे। लेकिन इसमें सी0 आई0 डी0 ही उचित समझी गयी, हरिजन सैल और सी0 आई0 डी0 में ज्यादा फर्क नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसमें जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जायेगी। जितनी चिंता आपको है उतनी ही चिंता मुझे को भी है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

गांव लंगलेसरा, जिला उन्नाव में रामगोपाल एवं परिवार के लोगों को रामबाबू तथा देवेन्द्र द्वारा की गयी मारपीट तथा पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही

*1–श्री रामस्वरूप निगम–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 17-1-84 को गांव लंगलेसरा थाना असीवन, जिला उन्नाव में रामगोपाल एवं परिवार के लोगों को रामबाबू देवेन्द्र (कांस्टेबिल लखीमपुर) व अन्य ने मारपीट की, जिसमें चार आदमी, बच्चे बुरी तरह घायल हुए जिनका मेडिकल सदर अस्पताल उन्नाव में कराया गया, किन्तु पुलिस ने न तो रिपोर्ट लिखी और न ही मुकदमा कायम किया, जिसके भय से वे लोग गांव छोड़कर जाने पर मजबूर हो गये? यदि हां, तो प्रार्थीगण द्वारा जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक को समय-समय पर दिये गये प्रार्थना पत्रों के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी एवं थाना असीवन एवं अन्य पुलिस कर्मियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं की गयी तो कार्यवाही कब तक पूरी कर दी जायेगी?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 17-1-84 को रामबाबू तथा देवेन्द्र (का0 लखीमपुर) की रामगोपाल एवं परिवार के लोगों से कोई मारपीट नहीं हुई और न ही इस आशय की कोई रिपोर्ट राम गोपाल द्वारा दर्ज कराई गई है। अतः श्री रामगोपाल की रिपोर्ट का मुकदमा दर्ज किये जाने का प्रश्न नहीं उठता। दिनांक 16-1-84 को लगभग 5 बजे शाम सिंचाई के पानी के विषय में राम गोपाल एवं अन्य ने गांव लंगलेसरा के रामबाबू से झगड़ा फसाद किया जिसमें मारपीट भी हुई। इसका मुकदमा रामबाबू ने दिनांक 17-1-84 को थाना असोथर में पंजीकृत कराया। ग्राम में कोई ऐसा भय व्याप्त नहीं है जिससे किसी को गांव छोड़ने की आवशयकता हो। प्रार्थीगण द्वारा जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक को समय-समय पर दिये गये प्रार्थना पत्रों की जांच क्षेत्राधिकारी हसनगंज द्वारा की गयी। जांच से पाया गया कि थाना असोथर के दो सिपाहियों ने अभियुक्तों को पकड़ने में हिंसा का आचरण किया जिससे उन्हें लाइन हाजिर कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित है।

श्री राम स्वरूप निम–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के पहले भाग में स्वीकार किया है कि 17-1-84 को रामबाबू तथा देवेन्द्र (का0 लखीमपुर) की राम गोपाल एवं परिवार के लोगों से कोई मारपीट नहीं हुई और न ही इस आशय की कोई रिपोर्ट राम गोपाल द्वारा दर्ज कराई गयी है। अतः श्री राम गोपाल की रिपोर्ट का मुकदमा दर्ज किये जाने का प्रश्न नहीं उठता। फिर आगे कहा है 16-1-84 को लगभग 5 बजे शाम सिंचाई के पानी के विषय में राम गोपाल एवं अन्य ने गांव लंगलेसरा के राम बाबू से झगड़ा फसाद किया

श्री अध्यक्ष–

आप तो उत्तर पढ़ रहे हैं, प्रश्न करिये।

श्री रामा स्वरूप निम–

मेरा सवाल यह था कि क्या 17-1-84 को रामबाबू ने कोई रिपोर्ट दर्ज करायी, पहले इन्होंने इंकार किया फिर कहा कि 16-1-84 को झगड़ा हुआ और उसकी रामबाबू ने 17-1-84 को रिपोर्ट दर्ज कराई गयी?

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने पहले इंकार किया कि कोई रिपोर्ट नहीं लिखायी गयी। फिर आगे जवाब में कहा है कि रिपोर्ट लिखाई गयी और दो सिपाहियों को उसके बारे में दोषी पाया गया और उनको लाईन हाजिर किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि लाईन हाजिर करने की कोई प्रक्रिया है या कोई दंडात्मक कार्यवाही है। दूसरे इन सिपाहियों के खिलाफ जो कार्यवाही की गयी। तो वह दोषी थे और रामबाबू की रिपोर्ट सही थी। दो सिपाही दोषी थे तो एस0 ओ0 के कहने से कार्यवाही उन्होंने किया होगा, इसलिये एस0 ओ0 के खिलाफ कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

मान्यवर, इस गांव में रामगोपाल और रामबाबू के बीच में झगड़ा हुआ। रामगोपाल हिस्ट्रीशीटर है और जब पुलिस वहां गयी, एक एस0 आई0 और दो कांस्टेबिल गये थे, जिनको रामगोपाल ने पीटा, और जिसकी हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट है, और जब वह थाने वापस गये और फोर्स लेकर आये तो रामगोपाल भाग गये थे। रास्ते में पुलिस को सुधीर कुमार मिल गये

और वह पुलिस को देखकर भागे लेकिन पुलिस ने उनको पकड़ लिया और मार-पीट किया। सुधीर के पिता ने इसकी रिपोर्ट किया और जब यह पाया गया कि सुधीर का रामगोपाल से कोई संबंध नहीं था तो उन सिपाहियों को लाईन हाजिर किया गया।

श्री भीखा लाल–

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया कि रामगोपाल पुराना हिस्ट्रीशीटर है, उसकी 80 साल की उम्र है, जवानी में रहा होगा, इधर वह चलने में मजबूर है। मान्यवर, स्थिति यह है कि रामगोपाल और रामबाबू पुलिस के दो दल हैं। वहां प्रधानी के इलेक्शन में इनमें अनबन हुई थी। रामगोपाल का आदमी प्रधानी में जीत गया और रामबाबू का हार गया। इसलिये रामबाबू ने पुलिस से मिलकर रामगोपाल को बेइज्जत किया और झूठी रिपोर्ट लिखायी उस बूढ़े रामगोपाल ने इनके आदमियों को मारा पीटा और जो रिपोर्ट आपके पास है, वह सही नहीं है, तो क्या इस मसले की गम्भीरता को देखते हुए आप कोई उच्च स्तरीय या सी0 आई0 डी0 जांच कराने की कृपा करेंगे ? यों आपके पास दीक्षित (श्री गोपीनाथ दीक्षित) बैठे हैं, उनसे आप पूरी बात पूछ लीजिए?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

मैंने इस बात को स्वयं भी देखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है और आप स्वयं मानते हैं कि वह हिस्ट्री शीटर था और 80 साल का यह मतलब नहीं है कि वह स्वयं जाकर कोई बदमाशी करे बल्कि गलत काम का करवाना भी इसमें आता है। जहां झगड़ा इस बात का है कि राम बाबू और रामगोपाल का झगड़ा था और रामगोपाल और उसके साथियों ने पुलिस के साथ मारपीट की, जिसकी हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट भी है। इस कारण से यह एक्शन लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया।

श्री राम स्वरूप निम–

जो रिपोर्ट पुलिस द्वारा और रामबाबू द्वारा लिखायी गयी है वह क्या है?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

रामबाबू ने जो रिपोर्ट लिखाई है, वह दिनांक 16-1-84 की लिखायी है और उसमें समय है करीब 5 बजे, कहें तो मैं पढ़े देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

क्या बहुत बड़ी है, आप संक्षेप में बता दीजिए।

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

रिपोर्ट में दफा 147, 452, 323 और 504 लगायी गयी है।

कृषि अभियन्त्रण डिप्लोमा धारक एवं छात्र समिति के प्रतिनिधियों द्वारा अनशन तथा मांगें

***2–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, तथा श्री जटाशंकर सिंह–**

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री को इसकी जानकारी है कि विधान भवन के समक्ष कृषि अभियंत्रण डिप्लोमा धारक एवं छात्र समिति की ओर से उनके प्रतिनिधियों ने दिनांक 23-2-84 से आमरण अनशन प्रारम्भ रखा? यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगे क्या हैं तथा उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम एवं प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)–

जी हां। उनकी मुख्य मांगे विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु

विचार किये जाने के सम्बन्ध में है। कृषि अभियंत्रण में डिप्लोमाधारकों को शासन के विभिन्न विभागों में सेवायोजन के लिए अर्हता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में विचार किये जाने हेतु माननीय राज्य मंत्री प्राविधिक शिक्षा की अध्यक्षता में दिनांक 23-2-84 को स्टेट गेस्ट हाउस लखनऊ में विभिन्न विभागों के सचिवों एवं विभागाध्यक्षों की एक उच्च-स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में कुछ विभागों जैसे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा आदि विभागों के प्रतिनिधियों का मत था कि कृषि अभियंत्रण में डिप्लोमा धारियों के लिये उनके विभाग में कोई उपयुक्त पद नहीं है। कृषि विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग द्वारा कृषि अभियंत्रण डिप्लोमाधारकों को उपयुक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं। यू0पी0स्टेट एग्रो तथा पशुपालन विभाग द्वारा उनके विभाग के अन्तर्गत कतिपय पदों के लिए कृषि अभियंत्रण डिप्लोमाधारियों को अर्ह माने जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मंत्री जी को इस बात का स्मरण है कि जिस समय इनका अनशन समाप्त कराया गया था, उस समय उनकी वार्ता मंत्री जी से हुई थी, मैं भी उस समय मौजूद था। उस समय मंत्री जी ने उनको कुछ आश्वासन दिये थे कि इनका कोई रेफ्रेशर कोर्स चलाया जाएगा और विभाग में इनके हेतु स्थान बनाए जायेंगे, तो क्या उनके कार्यान्वयन हेतु कोई कार्यवाही की गई है, क्या मंत्री जी उसकी जानकारी देने की कृपा करेंगे?

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, मेरे द्वारा चार प्रमुख अभियन्ताओं को पत्र लिखे गये हैं और उनसे कहा गया है कि जब तक हम उनकी विशेष ट्रेनिंग का कार्यक्रम नहीं बना लेते तब तक उनकी नियुक्ति की कुछ अर्हता रखें, लेकिन प्राविधिक शिक्षा विभाग में तेजी से कार्य किया जा रहा है और सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद् ने अपना एक प्रस्ताव शासन को भेजा है कि 3 या 6 महीने का कोई प्रशिक्षण देकर उनको इस लायक बना दिया जाए कि जहां भी इस प्रकार के पद हों, उनको नियुक्त कर लिया जाए।

श्री माधव प्रसाद–

मंत्री जी उन्हें कौन सा प्रशिक्षण देंगे, क्योंकि एक प्रशिक्षण तो वह पहले कर चुके हैं और वह कितने दिन में यह 3 महीने का प्रशिक्षण दिलाने का कष्ट करेंगे?

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, इसके सम्बन्ध में मैंने अभी बताया है कि प्रस्ताव आया है, जो शासन के विचाराधीन है। अब शासन निर्णय लेगा कि यह प्रशिक्षण 3 महीने का होगा या 6 महीने का होगा। कृषि क्षेत्र में उनको प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके साथ साथ यह भी दिया जाएगा, ताकि उसको ग्रहण करने के बाद नियुक्तियों के मामले में उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

क्या माननीय मंत्री जी जिन जिन विभाग ने इनको मान्यता दी है, उनको यह निर्देश देने की कृपा करेंगे कि इन डिप्लोमा धारकों को प्रथम वरीयता देकर नियुक्ति की जाये?

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, जब पद रिक्त होंगे तो वहां पर ये लोग भी अपने प्रार्थना-पत्र दे सकेंगे और उस समय उनकी नियुक्ति पर भी विचार कर लिया जायेगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

1983 में प्रदेश में कुल राजपत्रित अधिकारी तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़े वर्ग के अधिकारियों की संख्या

*1—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या राष्ट्रीय एकीकरण मंत्री कृपया बतायेंगे कि 31 दिसम्बर, 1983 को उत्तर प्रदेश में कुल कितने राजपत्रित अधिकारी थे, उनमें से कितने अनुसूचित जाति के एवं कितने जनजाति के, कितने पिछड़े वर्ग के और कितने अल्पसंख्यक वर्ग के थे?

श्री सुनील शास्त्री—

आय-व्ययक में दिये गये विवरण के अनुसार 1 अप्रैल, 1983 को प्रदेश में स्वीकृत राजपत्रित पदों की कुल संख्या 40,042 थी। इसके विपरीत विभाग में अब तक केवल 21,305 कार्यरत राजपत्रित अधिकारियों के सम्बन्ध में 31 दिसम्बर, 1983 तक के जो आंकड़े उपलब्ध हुए हैं, उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के राजपत्रित अधिकारियों की संख्या निम्नवत् है:—

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	पिछड़ा वर्ग
1,187	43	1,423

अल्प संख्यक वर्ग के सम्बन्ध में स्थिति दिनांक 28 फरवरी, 1984 को दिये गये उत्तर में स्पष्ट की जा चुकी है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

मान्यवर, मैंने 31 दिसम्बर, 1983 तक की स्थिति पूछी थी और माननीय मंत्री जी 1 अप्रैल, 1983 तक जो कुल संख्या लगभग 40 हजार थी, उसमें से लगभग 21 हजार के बारे में 31 दिसम्बर, 1983 तक की जानकारी बता पाये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इनके ताजे आंकड़े आपके पास क्यों नहीं हैं?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 30 सचिव और करीब 136 विभागाध्यक्ष हैं। उन सभी के यहां से सूचना एकत्र करने में समय लग जाता है। इसी तरह का एक प्रश्न पहले भी आया है जिसे आपने प्रश्न समिति के सुपुर्द कर दिया है और वहां पर भी हमें यह सूचना देना है। कुछ समय में यह सारी आख्या प्रस्तुत कर दी जायेगी।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

जो आपने एक अप्रैल, 1983 की सूचना दी है वह तो बजट में है ही, आपको इसके सालाना आंकड़े तैयार करने में क्या कठिनाई है? अगर यह हर वर्ष के तैयार कराये जायें तो दिक्कत ही न हो?

श्री सुनील शास्त्री—

इस संबंध में मंत्रि परिषद् की भी एक उप समिति गठित की गयी थी, साथ ही साथ सभी विभागों के अध्यक्षों की भी एक बैठक हुई थी और यह निर्देश दिये गये हैं कि सूचना शीघ्र प्रस्तुत की जाय। जब यह सवाल पहले उठा था तो दो माह का समय मांगा गया था, अभी दो माह नहीं हुए हैं, मैं प्रयास कर रहा हूं कि सूचना शीघ्र प्राप्त हो जाय।

श्री भीखा लाल—

माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के अन्तिम भाग में यह बताया है कि अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में 28 फरवरी, को किसी प्रश्न के उत्तर में स्थिति बतायी जा चुकी है तो उसको आप दोबारा बताने का कष्ट करेंगे?

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, जहां तक अल्पसंख्यक वर्ग का प्रश्न है उनके लिये राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण नहीं है। अतः इनके बारे में सूचना एकत्रित नहीं की जा रही है।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि जिस प्रकार से सलाना बजट में आंकड़े प्रकाशित किये जाते हैं तो उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारियों कर्मचारियों के लिये उनके आरक्षण के सम्बन्ध में सूचना देने के लिए एक कालम बढ़ाने की व्यवस्था करेंगे ताकि विधायकों को और सारे प्रदेश को सूचना मिल सके?

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, जहां तक आंकड़ों के प्रकाशित करने का सवाल है, शासन इसमें विश्वास रखता है कि सही आंकड़े प्रकाशित किये जायं। चूंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के पूरे आंकड़े एकत्रित करने में काफी समय लगता है और प्रकाशन तुरन्त ही करना होता है इसलिये समय लगता है। लेकिन पिछले वर्ष के जो आंकड़े उपलब्ध होंगे वह जरूर उसमें प्रस्तुत कर देंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि आपका बजट प्रकाशित होता है। कितने आदमी होते हैं उसमें लिखा रहता है। कितना रिजर्वेशन होता है उसमें लिखा होता है। आप कह रहे हैं कि अप्रैल, 83 तक की सूचना दी है। आप ऐसा करें कि इस प्रश्न के उत्तर में जो और कमी रह गयी है वह आंकड़े जो अप्रैल, 84 तक के प्राप्त हो जाने वाले हैं वह माननीय सदस्य को सूचित कर दें और मुझे भी सूचित कर दें।

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)–

मान्यवर, यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है जिसमें आंकड़े दिये गये हैं तो यह बजट 1984-85 का है। इसमें जो आधारभूत आंकड़े होंगे वह अप्रैल, 83 के होंगे। तो मान्यवर, इस वर्ष के आंकड़े अगले वर्ष आयेंगे।

श्री अध्यक्ष–

अगर संभव हो तो इस पर विचार कर लें, न हो तो कोई बात नहीं।

श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, क्या मंत्री जी को यह ज्ञात है कि यह जी0 ओ0 है कि आरक्षण के सम्बन्ध में जिला स्तर से 1 अप्रैल तक सूचना आ जानी चाहिए। 1 अप्रैल को आरक्षण की क्या स्थिति है इसकी सूचना हेडक्वार्टर तक आ जानी चाहिए। यह भी व्यवस्था है कि जो अधिकारी इसको कैरी आउट नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आंकड़े इकट्ठे करने का ग्राउंड नहीं बनता, वह तो आलरेडी आपके पास होने चाहिये। अगर नहीं है तो क्या उन डिपार्टमेंट के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

श्री सुनील शास्त्री–

मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है कि आंकड़े एकत्रित कर लिए जांय। जिन विभागों के आंकड़े समय से नहीं पहुंचते हैं और विलम्ब होता है और उसके लिये कोई अधिकारी दोषी होता है तो कार्यवाही करने में शासन कोई कमी नहीं रखता है।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से एक बहुत स्पष्ट सवाल पूछना चाहता हूं कि खंड 6 में, जितने राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारी हैं उनकी संख्या आप छाप रहे हैं। अब जब आरक्षण है तो क्या एक कालम और बढ़ायेंगे कि कुल पदों में से इस विभाग में इतने राजपत्रित और इतने अराजपत्रित अधिकारी हैं उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की संख्या इतनी है क्या आप भविष्य में इसको लागू करेंगे ताकि जानकारी मिल सके ?

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, इस पर विचार कर लिया जायगा।

प्रदेश की पश्चिमी तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी मजदूरों की मजदूरी में भिन्नता

*2–श्रीमती गौरी देवी–

क्या श्रम मंत्री जी बतायेंगे कि प्रदेश की पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र की चीनी मिलों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी मजदूरों को प्रतिदिन 19 रुपये तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र की चीनी मिलों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी मजदूरों को प्रतिदिन 7 रुपये मात्र मजदूरी दी जाती है? यदि हां, तो इसका कारण क्या है? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उचित कार्यवाही करेगी?

श्री सुनील शास्त्री–

प्रदेश के पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्र की वैकुअम पैन चीनी मिलों में कार्यरत अकुशल श्रमिकों के लिये शासन द्वारा समान न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है।

प्रदेश की पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्र की चीनी मिलों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी मजदूरों को प्रतिदिन दी जा रही मजदूरी की सूचना एकत्र की जा रही है।

श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, इसके पहले दिनांक 20-3-84 को मुझे उत्तर मिला था कि सूचना एकत्र की जा रही है। आज पुनः मंत्री जी ने अपने उत्तर के दूसरे पैराग्राफ में बताया कि पेमेंट की सूचना एकत्र की जा रही है। तो मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि कारणों की सूचना एकत्र की जा रही है या कार्यवाही की सूचना एकत्र की जा रही है? किस बात की सूचना एकत्र की जा रही है? माननीय मंत्री जी इसको स्पष्ट बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

इस वक्त जो उत्तर दिया है, उसके आधार पर आप पूछें।

श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, उसी के आधार पर तो पूछ रही हूं। मान्यवर, आप इसमें देखें कि पहले 20-3-84 को माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि सूचना एकत्र की जा रही है, आज भी पुनः मंत्री जी ने बताया, दूसरे पैराग्राफ में देखें कि सूचना एकत्र की जा रही है। तो क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि कारणों की सूचना एकत्र की जा रही है या कार्यवाही की सूचना एकत्र की जा रही है? किस बात की सूचना एकत्र की जा रही है? इसको माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री–

मान्यवर, भारत सरकार ने एक वेतन मण्डल गठित किया था, उसके माध्यम से 71 में चीनी मिल श्रमिकों का वेतन

निर्धारित किया गया था। चूंकि उसके बाद त्रिदलीय सम्मेलन उत्तर प्रदेश शासन ने आयोजित किया और उसमें समय-समय पर वेतन पुनरीक्षित किया गया और उनका तदर्थ वेतन बढ़ता गया, उसी के आधार पर जो वेतन कुशल, अर्द्ध कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए निर्धारित किया गया था, उसी के आधार पर श्रम विभाग के अधिकारी देखते हैं कि उन्हें वह मिल रहा है कि नहीं। लेकिन अगर माननीय सदस्या शासन को अवगत करायेंगी कि किसी विशेष मिल में वहां पर जो न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है, वह वहां के अकुशल श्रमिकों को नहीं मिल रहा है, या जो दैनिक वेतन भोगी श्रमिक हैं, उनको नहीं मिल रहा है, तो शासन उस पर पूर्ण रूप से कार्यवाही करेगा और श्रम विभाग के अधिकारी जाकर वहां पर जांच करेंगे ।

श्री पन्ने लाल–

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि पूरब और पश्चिम में ऐसा भेद नहीं है, 23 मार्च को माननीय मंत्री जी सरैय्या शुगर मिल में गये थे, हमारे सरदार नगर शुगर मिल में 200 नियमित कर्मचारियों को निकाल दिया गया उनकी जगह पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को रख लिया गया । क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करा कर इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी आज्ञा नहीं देता हूं । इससे यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री जनार्दन प्रसाद आझा–

मान्यवर, शुगर वेज बोर्ड में कहीं भी दैनिक वेतन भोगी लेबर के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, वहां या तो परमानेंट लेबर या सीजनल परमानेंट लेबर हुआ करते हैं, वेज बोर्ड में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए कोई स्थान नहीं है। स्थिति यह है कि जैसा कि पूर्वी जिलों में परमानेंट मजदूरों को निकाल कर डेली वेजेज मजदूरों को भर्ती करके कागज में बाउचर पेमेंट करते हैं, मैं अभी इसी इतवार को छितौनी चीनी मिल में गया था, वहां पर 250 मजदूर कैजुअल लेबर के रूप में काम कर रहे हैं, वहां पर 21 रु0 का बाउचर बनवाया जा रहा है, 5 रु0 उनको पेमेंट कर रहे हैं यानि 16 रु0 उनको कम दिया जा रहा है। वहां का जो रेसीवर है, 1 महीने में 96 रु0 लेकर अपना पाकेट भर रहा है । क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि वेज बोर्ड के तहत कोई डेली वेजेज में काम नहीं करेंगे और जो काम कर रहे हैं, उनको सीजनल परमानेंट या परमानेंट कर्मचारी के रूप में बनवायेंगे तथा छितौनी के रिसीवर के विरुद्ध माननीय मंत्री जी जांच करायेंगे ?

श्री सुनील शास्त्री–

जहां तक श्रम विभाग का सवाल है । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि चीनी मिलों में जो वेतन निर्धारित किया गया था, चीनी मिलों में मासिक वेतन दिया जाता है । दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की बात नहीं है । माननीय सदस्य कोई जानकारी शासन को देंगे कि फलां-जगह दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी काम कर रहे हैं, जैसा छितौनी चीनी मिल के संबंध में कहा है, तो वहां पर जांच करा ली जायेगी ।

श्री भीखालाल–

माननीया सदस्या ने पूछा कि जो पूरब के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, उनको 7 रुपया और जो पश्चिम के हैं, उनको

9 रुपया मिलता है। मंत्री जी ने उत्तर में बताया कि शासन ने पश्चिम और पूरब की समान मजदूरी तय की है । इसकी सूचना एकत्रित की जा रही है कि मिलती है या नहीं मिलती है । शासन ने क्या मजदूरी निश्चित की है, इसको बता दें और दूसरा क्या इस सूचना को एकत्रित करके सदन के चलते तक उपलब्ध करा देंगे या नहीं ?

श्री सुनील शास्त्री–

जहां तक पहले प्रश्न का सवाल है 326 रुपया बेसिक भत्ता है, 52 रुपया महंगाई भत्ता है, 1-35 पैसा प्राईस इन्डेक्स के हिसाब से अतिरिक्त धनराशि मिलती है। जहां तक दूसरे प्रश्न का संबंध है। मैंने कहा कि श्रम विभाग हर जगह इसका निरीक्षण कर रहा है और इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं दैनिक भोगी कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं । जहां पाया जा रहा है, वहां कार्यवाही की जा रही है। इसकी सूचना एकत्रित करने में समय लगेगा कि किस जगह दैनिक भोगी कर्मचारी हैं, कहां नहीं हैं, यदि कहीं पर हैं, तो वहां कार्यवाही की जायेगी ।

ओबरा ताप विद्युत गृह का उत्पादन अधिकतम करने हेतु गठित उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट

*3–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग) के कार्यालय ज्ञाप संख्या 10/2-81 ए0 एस0 डी0 दिनांक 1-4-81 द्वारा ओबरा ताप विद्युत का उत्पादन अधिकतम करने हेतु उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की अन्तिम रिपोर्ट राज्य विद्युत परिषद् को प्राप्त हो गयी है तथा इसकी संस्तुतियों के आधार पर महाप्रबंधक ओबरा ने रसायन विभाग को सशक्त बनाने हेतु इसे पुनर्गठित करने का प्रस्ताव परिषद् को 17-6-82 को ही भेज दिया है ? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)–

ओबरा ताप विद्युत गृह का उत्पादन अधिकतम करने हेतु गठित उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट राज्य विद्युत परिषद् को प्राप्त हो गयी है व महाप्रबन्धक ओबरा का प्रस्ताव भी प्राप्त हो गया है। चूंकि रसायन विभाग का कार्य प्रत्येक तापीय विद्युत उत्पादन गृह से संबंधित है अतः इस पर समग्रता से विचार किया जा रहा है और उसी के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें कि उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जो विद्युत परिषद् को प्राप्त हुई है, वह क्या है और महाप्रबन्धक ओबरा का प्रस्ताव क्या है ?

श्री ब्रह्म दत्त–

उच्चाधिकार समिति की रिपोर्ट बहुत लम्बी है । रिपोर्ट में वित्तीय प्रबन्ध के बारे में, प्रशासनिक प्रबंध के बारे में, रखरखाव के बारे में बहुत विस्तृत सुझाव दिए गए हैं । जिस चीज से यह प्रश्न संबंधित है, इसमें सिफारिश की गयी है कि जनरल मैनेजर को यह अनुमति दी जाय कि केमिस्ट और दूसरी श्रेणी के पदों को 3 महीने के अन्दर भर लें और चीफ केमिस्ट के पद को अधीक्षण अभियन्ता के समकक्ष बना दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने जो प्रश्न किया था उसके पहले भाग का उत्तर मंत्री जी ने दिया । मैं यह

जानना चाहता हूं कि महाप्रबन्धक ओबरा का क्या प्रस्ताव है ?

श्री ब्रह्म दत्त–

ओबरा की सामान्य प्रबंधक ने 280 नए पदों की मांग की है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि महाप्रबंधक का प्रस्ताव रसायन विभाग के पुनर्गठन के बारे में है ?

श्री ब्रह्मदत्त–

280 पदों की मांग की गयी है । ओबरा के साथ-साथ पनकी और हरदुआगंज के बारे में भी विचार करना होगा । ओबरा के पास सिंगरौली में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन का ताप विद्युत गृह है, वहां पर क्या व्यवस्था है, इसको भी देखना होगा । इसमें बहुत शीघ्र निर्णय करेंगे ।

[मंगलवार, 3 अप्रैल, 1984 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1–श्री मोहन सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

आजमगढ़ के भूतपूर्व विधायक, श्री श्याम लाल कनौजिया पर मुहम्मदाबाद थाने की पुलिस द्वारा प्राणघातक हमला

*2–श्री गोपीनाथ वर्मा (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 13 जनवरी, 1983 को आजमगढ़ के भूतपूर्व विधायक, श्री श्यामलाल कनौजिया पर मुहम्मदाबाद थाने की पुलिस द्वारा प्राणघातक हमला किया गया था ? यदि हां, तो उक्त मामले में विधायक द्वारा कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है? यदि हां, तो अब तक रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री श्याम लाल कन्नौजिया द्वारा 13-1-83 को थाना मुबारकपुर पर थाना मुहम्मदाबाद की पुलिस के एक उपनिरीक्षक, एक सिपाही तथा तीन चार अन्य लोगों के विरुद्ध प्रश्नगत आशय का मु0 अ0 सं0 11 धारा 147/324/323 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत कराया गया । इसको संबंधित थाना मुहम्मदाबाद को स्थानान्तरित कर विवेचना की गयी । विवेचना के समय साक्ष्य लेने पर यह तथ्य पाए गए कि वादी व साक्षीगण न तो पुलिस के समक्ष साक्ष्य देना चाहते हैं और न ही मौके का निरीक्षण कराना चाहते हैं क्योंकि इन लोगों का कथन है कि उन्हें पुलिस पर विश्वास नहीं है । इसी कारण से उन लोगों द्वारा न्यायालय में एक इस्तगासा दायर किया गया है । उक्त कारणों से मामले में पुलिस द्वारा अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गयी ।

थाना सिविल लाइन, मुरादाबाद में लिखाई गई रिपोर्ट तथा मुलजिमानों की गिरफ्तारी

*3–श्री रियासत हुसैन–

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक 26-2-81 को समय 4-30 बजे शाम, धारा 147, 148, 149, 307, 452 के अन्तर्गत थाना सिविल लाइन, मुरादाबाद में जो संख्या 157 में रिपोर्ट लिखायी गयी उसके मुलजिमान अभी तक गिरफ्तार न किए जाने के क्या कारण हैं?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

प्रश्न में उल्लिखित रिपोर्ट थाना सिविल लाइन पर लिखायी गयी थी । परन्तु प्रश्नगत घटना का संबंध थाना भगतपुर से होने के कारण थाना भगतपुर पर अ0सं0 39ए/81 कायम हुआ । इस अभियोग का एक अभियुक्त दिनांक 26-2-81 को बंदी बनाया गया और शेष 15 अभियुक्तों ने

न्यायालय में आत्मसमर्पण किया । अभियोग की विवेचना पूर्ण करके सभी अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 147/148/149/307/323/452 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत आरोप-पत्र दिनांक 16-6-81 को न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, इसमें और भी फैसले हुए हैं । इस घटना की रिपोर्ट सिविल लाइन थाने में हुई। इस वाकये का संबंध भगतपुर में होने के कारण इसे भगतपुर थाने में भेज दिया गया । तो मैं जानना चाहूंगा क्या जमानत की एप्लीकेशन के संबंध में जो पुलिस से रिपोर्ट मांगी गयी उसमें 452 धारा को अपनी रिपोर्ट से निकाल दिया ? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि एक मुल्जिम की जमानत हो गयी तो बाकी ने भी जमानत ले लिया, मंत्री जी कृपया यह बतायें कि एस0 ओ0 भगतपुर ने अपनी रिपोर्ट से 452 धारा को क्यों निकाला, जिसकी वजह से मुल्जिमान को मदद मिल गयी ? क्या उसने जानबूझ कर उसे अपनी रिपोर्ट से निकाला कि मुल्जिम को मदद मिल जाय?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

इसकी जांच करा लेंगे। वैसे यह प्रश्न न्यायालय के विचाराधीन है ।

जनपद हरदोई के थाना कोतवाली (नगर) में श्रीमती नन्हीं देवी, निवासिनी ग्राम तत्योरा द्वारा दर्ज मुकदमा

*4–श्री राम आसरे वर्मा (अनुपस्थित)–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के थाना कोतवाली (नगर) में श्रीमती नन्हीं देवी, निवासनी ग्राम तत्योरा द्वारा एक मुकदमा अपराध संख्या 226-ए धारा 147/148/436, दिनांक 12 मार्च, 1981 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कराया गया? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई? क्या यह भी सही है कि उक्त श्रीमती नन्हीं देवी के परिवार की सुरक्षा हेतु 17 मार्च, 1981 से 2 दिसम्बर, 1981 तक सरकारी खर्चे पर पुलिस गार्ड भी दी गई थी? यदि हां, तो उक्त गम्भीर मुकदमें के प्रति प्रशासन द्वारा तत्परता से कार्य न किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री श्रीपति मिश्र–

जी हां।

इस मुकदमें की विवेचना पुलिस उप महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र द्वारा विशेष अनुसंधान प्रकोष्ठ, लखनऊ से करवाई गई। साक्ष्य के अभाव में मामले में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई है।

गांव में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु उक्त अवधि में दो सशस्त्र आरक्षी सरकारी खर्चे पर रखे गये थे जो पूरे ग्राम तत्योरा की सुरक्षा हेतु नियुक्त थे जिसमें श्रीमती नन्ही देवी की सुरक्षा भी शामिल थी।

मुकदमें की जटिलता के कारण ही विवेचना पूर्ण किये जाने में समय लगा है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न संख्या–4 में वर्मा जी ने प्रार्थना की है कि इसको स्थगित कर दिया जाए मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं, नियम-40 के अन्तर्गत ।

ग्राम परसपुर सथरा, फैजाबाद के निवासी श्री बहादुर धोबी की हत्या की जांच

*5–श्री मित्रसेन (अनुपस्थित)–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम परसपुर सथरा, थाना इनायतनगर,

फैजाबाद के निवासी बहादुर धोबी (हरिजन) भूतपूर्व सैनिक की दिनांक 4/5-12-82 को ग्राम प्रधान की साजिश से हत्या कर दी गयी है और उक्त हरिजन परिवार की भूमि एवं मकान पर ब्रह्मबाबा के चबूतरे और मंदिर की स्थापना की जा रही है ? यदि हां, तो इस घटना का पूर्ण, विवरण क्या है? इसमें स्थानीय पुलिस ने क्या कार्यवाही की?

श्री श्रीपति मिश्र–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री बहादुर धोबी की हत्या दिनांक 4/5-12-82 को ग्राम प्रधान की साजिश से नहीं अपितु ग्राम-परसुपुर थाना-इनायतनगर के राधेश्याम पुत्र दुखी कहार द्वारा की गयी थी।

यह सही है कि उक्त श्री बहादुर धोबी की भूमि पर ब्रह्मबाबा के चबूतरे का निर्माण किया जा रहा था। जिसे परगना मजिस्ट्रेट, बीकापुर के आदेश से स्थानीय पुलिस ने रोक दिया और निर्माण कार्य तुड़वा कर स्थान को साफ करा दिया है घटना का विवरण पीछे अंकित है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 150 पर।)

ग्राम मंगलपुर में श्री हरि नारायण बाजपेयी द्वारा आत्मदाह तथा रोकने हेतु कृत कार्यवाही

*6–श्री कुंवर सिंह नेगी (अनुपस्थित)–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 11 मई, 1983 को जिला कानपुर देहात के ग्राम मंगलपुर में हरिनारायण बाजपेयी नामक व्यक्ति ने आत्मदाह किया है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और प्रशासन ने आत्मदाह रोकने हेतु क्या कार्यवाही की?

श्री श्रीपति मिश्र–

जी हां। प्राप्त सूचनानुसार श्री हरि नारायण वाजपेयी ने दिनांक 11-5-83 को नील गायों का अवैध शिकार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अपेक्षित कार्यवाही न किए जाने के कारण आत्मदाह किया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार थानाध्यक्ष, मंगलपुर अन्य कर्मचारियों के साथ आत्मदाह को रोकने के लिए मौके पर पहुंचे थे।

मंत्रियों के जिलों के भ्रमण कार्यक्रम मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्षों के पास भेजने पर विचार

*7–श्री सरदार सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मंत्रियों के जिलों के भ्रमण कार्यक्रम जिला अधिकारियों द्वारा केवल सांसदों, विधायकों एवं सत्तारूढ़ दल के अध्यक्षों के पास ही भेजे जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्षों के पास मंत्रियों एवं अन्य वी0आई0पी0 के कार्यक्रम भेजने पर शासन विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

राज्य सरकार के मंत्रियों/राज्य मंत्रियों के जिलों में औपचारिक दौरों पर बरते जाने वाले शिष्टाचार आदि के संबंध में शासन द्वारा जारी हिदायतों में मंत्रिगण के निजी सचिवों द्वारा अधिकारियों को सूचना भेजे जाने विषयक हिदायतें हैं । मंत्रियों के निर्देशानुसार, जिला अधिकारी द्वारा सांसदों, विधायकों व अन्य व्यक्तियों को सूचनाएं भेजी जाती हैं, जो दौरों के उद्देश्य, स्थान व स्थानीय समस्याओं आदि की भिन्नताओं के कारण अलग-अलग अवसरों पर अलग-अलग होती हैं । अतएव प्रत्येक दौरे की सूचना

सांसदों, विधायकों एवं सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को देना व्यावहारिक व उचित न होगा ।

श्री सरदार सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री-गण जब जिले के दौरे पर जाते हैं तो सब लोग चाहते हैं वह अपने-अपने जिलों की समस्याओं को बतायें और उनको हल करायें । लेकिन हमारे जिले में पिछले चार वर्षों से यह हो रहा है कि जब कोई मंत्री जी जाते हैं तो राजनीतिक दलों को सूचना नहीं दी जाती है । जिससे उनकी आपत्ति बराबर आती रहती है । तो मैं निवेदन करूंगा कि क्या कोई ऐसे निर्देश निकालेंगे कि जब कोई मंत्री जिले के दौरे पर जाएं तो हर मान्यता प्राप्त दल के अध्यक्ष या महामंत्री को सूचित किया जाए ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

मान्यवर, जब कोई मंत्री जिले में जाता है तो उसका विज्ञापन अखबारों में निकलता है । दूसरी बात विरोधी पक्ष में इतने दल हैं कि उनको गिना जाए तो गिन नहीं सकते हैं कहां-कहां सूचना भेजें ?

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, कभी-कभी विज्ञापन नहीं भी निकलता है इसमें हमें भी सूचना कभी-कभी नहीं मिलती है कभी विधायकों को भी छोड़ दिया जाता है तो इसमें मान्यवर, हर्ज क्या है कि अगर माननीय मंत्री जी जाते हैं तो जहां तक सम्भव हो सके, हर राजनीतिक दल के अध्यक्षों को सूचित कर दिया जाया करे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

श्रीमन्, जहां तक विधायकों और सांसदों का प्रश्न है, उनको अवश्य जानकारी भेजी जायेगी। लेकिन यह सम्भव नहीं है कि जो और अनेकों दल हैं, उनका नाम पता तो ज्ञात नहीं रहता कि कहां दफ्तर है और कहां रहते हैं, यह पता नहीं रहता । अतः उनको सूचना कैसे भेजी जा सकती है ।

श्री विद्यासागर नौटियाल–

मान्यवर, जब संयुक्त विधायक दल की सरकार यहां थी, तब यह नियम यहां लागू किया गया था जब कभी मंत्री गण जिलों के अन्दर जाएं, तो जिलों के अन्दर जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के मुखिया हैं, उनके अध्यक्ष और महामंत्री को विधिवत सूचना दी जाय । और यह पद्यति जनता पार्टी के शासन काल तक जारी रही । लेकिन जब सन् 80 से यह नयी सरकार चुन कर आयी, इन्होंने नयी पद्यति बना ली और जो उस जिले के चुने हुए विधायक हैं, उनको भी सूचना नहीं देते हैं । यह केवल विरोध पक्ष के लिये है । मैं श्रीमन्, बताता हूं कि मेरे जिले के अन्दर जिस व्यक्ति को मैंने हराया था उस तक को सूचना देते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं, आप प्रश्न करें ।

श्री विद्यासागर नौटियाल–

मान्यवर, मैं प्रश्न कर रहा हूं । क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी और यह आश्वासन देगी कि समस्त विधायकों और सांसदों को चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल के हों, या किसी भी राजनीतिक दल से सम्बन्ध रखते हों, उनको सूचना दी जायगी और उस जिले के अन्दर जितने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, उन समस्त

राजनीतिक दलों को सूचना विधिवत तौर पर दिये जाने का आश्वासन देंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त–

श्रीमन्, जिलों में कोई मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं होते । माननीय सदस्य ने जिस समय का जिक्र किया उस समय पांच पार्टियां मिलकर एक बनी थीं, लेकिन अब तो 7-8 टुकड़े हो गये हैं और उनका नाम पता नहीं होता और जब नाम पता ही नहीं है तो कैसे सूचना दें।

श्री जनार्दन प्रसाद झा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो पार्टियां हैं उनके टुकड़े-टुकड़े हैं । मान्यवर, मैं सुनिश्चित रूप से पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि जैसे जिलों में कोई मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं है, उसी तरह मंत्री भी एक जिले के मंत्री नहीं हैं । तो प्रदेश के जितने मान्यता प्राप्त दल हैं, जिनकी जानकारी मंत्री जी को है, क्या मंत्री जी यह साबित करने के लिये कि वह छोटे-मोटे मामलों में दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस (आई) के माइनारिटीज गैर माइनारिटीज, 100 से अधिक जो सेल हैं, उनको सूचना देते हैं, लेकिन इन 5 मान्यता प्राप्त दलों को सूचना नहीं देते हैं, तो क्या मंत्री जी उनको भी सूचना देंगे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

मान्यवर, जो विधायक और सांसद हैं उनको अवश्य सूचना दी जायगी । जहां तक मंत्रियों के जिलों में दौरे की बात है, अखबारों में पहले से ही सूचना दी जायगी और जो अन्य दल के लोग मंत्री जी से मिलना चाहते हैं, अखबारों की सूचना पढ़कर मंत्री जी से मिलना चाहें तो मिल सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा और कोई इधर ।

श्री हुकुम सिंह–

कोई टुकड़ा आपके पास है ?

श्री अध्यक्ष–

वह तो इधर और उधर ही है ।

(हंसी)

अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल द्वारा दिल्ली की फर्म से कांटेदार तार का क्रय एवं दोष पूर्ण सामग्री की पूर्ति स्वीकार करने हेतु उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

***8–श्री पंचानन राय (अनुपस्थित)–**

क्या वन मंत्री बतायेंगे कि क्या अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल (योजना) ने दिल्ली की एक फर्म से 7,500 रुपया प्रति मीट्रिक टन की दर से कांटेदार तारों के 12 वनखंडों हेतु आपूर्ति का आदेश जनवरी, 1981 में दिया था ? यदि हां, तो इस फर्म के द्वारा पूर्ति किये गये तार की विशेषताओं की जांच कर ली गयी थी ? यदि नहीं, तो क्या यह सत्य है कि रीजनल लेबोरेटरी श्रृंखला द्वारा नमूने की जांच करने पर तार को विशिष्टताओं से घटिया पाया गया जिसके कारण उस पर शीघ्र ही जंग लग गया ? उक्त आपूर्ति सप्लाई के प्रति कितने धन का भुगतान हुआ तथा दोषपूर्ण सामग्री की पूर्ति स्वीकार करने के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

वन एवं पशुधन राज्य मंत्री (श्री संजय सिंह)–

जी हां, उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश कानपुर द्वारा मेसर्स रोहित स्टील एवं फारजिन पक्ष में कांटेदार तार के क्रय हेतु प्रति मी0 टन दर रु0 7,500 निर्धारित किया गया था। उक्त आधार पर अपर मुख्य वन संरक्षक (नियोजन) उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने जनवरी, 1981 में 12 वन प्रभागों के लिए कांटेदार तार की आपूर्ति हेतु उपरोक्त फर्म को आदेश निर्गत किया। 7 वन प्रभागों में कांटेदार तार की आपूर्ति संतोषजनक रही तथा 5 वन प्रभागों अर्थात् (1) अलीगढ़, (2) उरई, (3) हमीरपुर, (4) उत्तरी पीलीभीत, व (5) सीतापुर में तार दोषपूर्ण पाया गया। उप वन संरक्षक अलीगढ़ द्वारा इसकी जांच रीजनल टेस्टिंग सेन्टर (उत्तरी) आखला से करायी गयी। जांच कराने पर उसे घटिया पाया। अलीगढ़ वन प्रभाग को फर्म द्वारा आपूर्ति किया गया दोषपूर्ण तार पूर्ण रूप से बदल दिया गयी है। उप वन संरक्षक, उरई को आपूर्ति किया गया 10 मी0 टन दोषपूर्ण तार फर्म द्वारा अभी तक नहीं बदला गया है जो कि अभी उनके भण्डार में उपलब्ध है, फर्म ने दिनांक 4-6-83 को अपने पत्र द्वारा माल बदलने का आश्वासन दिया था। फर्म को दिनांक 6-2-84 को पन्द्रह दिनों का अन्तिम नोटिस दिया गया था कि जो माल निर्धारित मानक के अनुसार नहीं है उसका मूल्य विभाग के पास जमा कर दें और अनुपयुक्त माल उठा लें अन्यथा उक्त माल के विपरीत भुगतान की गयी धनराशि विभाग के पास उनकी जमा धनराशि से समायोजित कर ली जायेगी। उक्त धनराशि समायोजित करने के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं। उप वन संरक्षक हमीरपुर वन प्रभाग ने आपूर्ति किये गये तार का उपयोग बिना जांच कराये कर लिया था जो कि निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं था अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। उत्तरी पीलीभीत वन प्रभाग की फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये 20 मी0 टन तार में से केवल 73 किग्रा0 तार निर्धारित मानक का नहीं था जिसका मूल्य फर्म के बिल से काट लिया गया। उप वन संरक्षक, सीतापुर ने उक्त फर्म से प्राप्त तार का एक नमूना प्रोटोटाईप विकास तथा प्रशिक्षण केन्द्र, आखला, नई दिल्ली को जांच हेतु भेजा था। उक्त केन्द्र की जांच रिपोर्ट के अधार पर वह नमूना निर्धारित मानक का था। बाद में क्षेत्रीय निदेशक, अवध क्षेत्र ने अपने निरीक्षण के दौरान पाया कि तार में जंग लग गया है। क्षेत्रिय निदेशक, अवध क्षेत्र की रिपोर्ट के आधार पर उप वन संरक्षक, सीतापुर के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

उक्त फर्म ने कुल 240 मी0 टन तार की आपूर्ति वास्तव में किया जिसका मूल्य रु0 22,24,169 था जिसमें से रु0 18,00,000 का भुगतान किया गया है। इस प्रकार विभाग के पास फर्म का रु0 4,24,169 अभी अवशेष है। फर्म को काली सूची में दर्ज करवाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री छुन्नी लाल को थाना सुभाषनगर की पुलिस द्वारा निर्गम पिटाई से मृत्यु के सम्बन्ध में पत्र तथा उस पर जांच

*9–श्री भीखालाल –

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती गोमती पत्नी छुन्नी, निवासी

ग्राम कुंडरा, थाना केन्ट, जिला बरेली ने दिनांक 13-1-83 व 17-1-83 व 21-1-83 और 31-1-83 को एस0 एस0 पी0 बरेली को इस आशय के प्रार्थना पत्र दिये हैं कि उसके पति छुन्नी को थाना सुभाषनगर की पुलिस ने 8-9 जनवरी, 1983 की रात को घर से ले जाकर थाने में पिटाई की और मरणासन्न हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गयी और उसकी लाश भी घर वालों को वापस नहीं की? यदि हां, तो इसकी जांच किसके माध्यम से कराई गई और दोषी पुलिस कर्मियों को क्या सजा दी गई ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव –

प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती गोमती पत्नी छुन्नी लाल के दिनांक रहित केवल दो प्रार्थना पत्र, क्रमशः दिनांक 15-1-83 तथा 19-1-83 को प्राप्त हुए हैं, जिनकी जांच उप निरीक्षक से कराई गई ।

जांच से ज्ञात हुआ कि दिनांक 7-1-83 को थाना सुभाषनगर में श्री ब्रह्मस्वरूप मिश्र ने अपनी एक भैंस तथा गाय के गुम होने की लिखित सूचना दी थी ।

दिनांक 10-1-83 को पुलिस द्वारा बदायूं रोड पर चुंगी के पास छुन्ना उर्फ छुन्ना लाल को मय चोरी के भैंस के गिरफ्तार किया गया ।

दिनांक 11-1-83 को प्रातः 10-10 बजे अभियुक्त द्वारा तबियत खराब होने की शिकायत करने पर उसे इलाज हेतु जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां दिनांक 16-1-83 को उसकी मृत्यु हो गई ।

पुलिस द्वारा लाश को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया तथा मृतक के घरवालों को सूचित किया गया। पोस्टमार्टम के बाद काफी समय तक प्रतीक्षा के बाद भी मृतक के घर से कोई नहीं आया तब नियमानुसार मृतक का अन्तिम संस्कार करवा दिया गया।

जांच से पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हुई ।

श्री भीखा लाल –

मान्यवर, 10 तारीख को इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और दिनांक 11-1-1983 को उसकी तबियत कुछ खराब हो गयी, जिसकी वजह से उसे अस्पताल में दाखिल करा दिया गया, जहां दिनांक 16-1-1983 को उसकी मृत्यु हो गई । क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डाक्टर की रिपोर्ट क्या है और उसकी बीमारी क्या थी और पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत का क्या कारण लिखा हुआ है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव –

मान्यवर, पोस्ट-मार्टम में कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है कि उसकी मृत्यु मार-पीट से हुई हो ।

श्री अध्यक्ष –

माननीय मंत्री जी, आपके पास पोस्ट-मार्टम की रिपोर्ट है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव –

मान्यवर, रिपोर्ट तो है, परन्तु डाक्टर ने उसमें क्या लिखा है, यह पढ़ना बहुत मुश्किल है ।

श्री भीखा लाल –

मान्यवर, अगर पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट में मौत का कोई कारण नहीं है तो कौन बीमारी के कारण उसे अस्पताल में दाखिल किया गया ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव –

मान्यवर, उन्हें एनीमिया था । लैक आफ ब्लड, अर्थात खून की कमी को ही एनीमिया कहते हैं ।

श्री भीखा लाल –

मान्यवर, जिस व्यक्ति को पकड़ा गया, उसकी पत्नी ने दिनांक 8/9 जनवरी को दरख्वास्त दी कि उसके पति को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है, परन्तु माननीय मंत्री जी कहते हैं कि उसे दिनांक 10-1-83 को गिरफतार किया गया है। मान्यवर, थाने में इस व्यक्ति की काफी पिटाई हुई, जब उसकी मरणासन्न हालत हो गई तो उसे अस्पताल में दाखिल कर दिया उसकी पत्नी ने उससे मिलने की कोशिश की, परन्तु उसे मिलने नहीं दिया गया। उसकी पत्नी ने दिनांक 13-1-1983 और 17-1-1983 को अपने पति से मिलने हेतु प्रार्थना-पत्र भी दिये, इसके बावजूद भी उसे अपने पति से नहीं मिलने दिया। यह कहना बिलकुल गलत है कि उसकी मृत्यु के बाद उसे कोई लेने नहीं आया। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उसके मौत के क्या कारण थे और उसकी लाश वापस क्यों नहीं की गई और उसकी पत्नी को उसके पति से क्यों नहीं मिलने दिया आदि सभी मुद्दों पर उच्च स्तरीय जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

श्रीमन्, माननीय सदस्य के कुछ तथ्यों से मैं सहमत हूं। जहां तक इस व्यक्ति का प्रश्न है, यह खुद भी हिस्ट्रीशीटर था। हिस्ट्रीशीटर होने के बावजूद भी यह अधिकार नहीं है कि उसे थाने में मारा-पीटा जाय। दिनांक 25-3-1984 को इसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। जब मैंने इस केस को पढ़ा तो मुझे भी ऐसा लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। मैं इस मामले में उच्च स्तरीय जांच हेतु आदेश कर दूंगा क्योंकि यह एक हरिजन का मामला है और मैं स्वयं भी इस केस को देखूंगा।

सीतापुर जिले के थाना संधवा के थानाध्यक्ष श्री पी0 एन0 चतुर्वेदी के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अनियमितता संबंधी शिकायती पत्र

*10–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह जनवरी, 1981 से जून, 81 के बीच सीतापुर जिले के थाना संधवा के थानाध्यक्ष श्री पी0 एन0 चतुर्वेदी के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अनियमितता संबंधी कितने शिकायती पत्र आई0 जी0 पुलिस को मिले? मुख्य शिकायतें क्या थीं, तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

प्राप्त सूचना के अनुसार माह जनवरी, 1981 से जून 81 के बीच श्री पी0 एन0 चतुर्वेदी थानाध्यक्ष संधव जनपद सीतापुर के विरुद्ध आरोपों के संबंध में श्री सुन्दर लाल निवासी संधवा जनपद सीतापुर के दो शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांकित 2-6-81 एवं दिनांकित 4-6-81 पुलिस महा निरीक्षक कार्यालय से अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग को जांच हेतु भेजे गये। उक्त शिकायती पत्रों में मुख्य आरोप यह लगाये गये थे कि श्री पी0 एन0 चतुर्वेदी थानाध्यक्ष संधवा, जनपद सीतापुर को उधार सामान देने से मना करने पर श्री चतुर्वेदी ने श्री सुन्दर लाल को अभियोग अन्तर्गत धारा 457/380 भा0 द0 वि0 एवं सुन्दर लाल तथा उसके परिवार को धारा 147/148/149/452/364/342/323 भा0 दं0 वि0 के अभियोग में झूठा फंसा दिया। शिकायती पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि दिनांक 24-5-81 को घर में घुसकर श्री चतुर्वेदी तथा उनके साथी पुलिस वालों द्वारा सुन्दर लाल तथा

उसके परिवार को मारा पीटा गया एवं कैश बाक्स से 1700 रु0 निकाल लिये गये तथा झूठा मुकदमा दर्ज करके चालान कर दिया गया।

इस सम्बन्ध में अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच कराई गई। जांच से उक्त दोनों अभियोगों में सुन्दर लाल तथा उसके परिवार वालों को झूठा फंसाया जाना प्रमाणित हुआ। श्री सुन्दर लाल के प्रार्थना पत्र के आधार पर श्री पी0 एन0 चतुर्वेदी थानाध्यक्ष तथा अन्य 13 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभियोग अन्तर्गत धारा 395/397/342/211 भा0द0वि0 पंजीकृत करके अपराध शाखा द्वारा विवेचना की जा रही है। विवेचना प्रचलित है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप देखें, यह सुन्दर लाल कितना सामान्य आदमी है, लेकिन इसका लड़का केन्द्रीय सरकार में विभागाध्यक्ष है। इस संभ्रात व्यक्ति को पुलिस ने फर्जी फंसाया है कितनी धाराओं में। सी0आई0डी0 की रिपोर्ट आयी, रिपोर्ट से साबित हो जाता है कि थानाध्यक्ष श्री चतुर्वेदी ने उनको फर्जी फसांया। यह रिपोर्ट भी आ गयी। मैं यह जानना चाहता हूं कि दरोगा श्री चतुर्वेदी के खिलाफ, जब यह आरोप साबित हो गया कि उन्होंने एक संभ्रात व्यक्ति को मुकदमें में फर्जी फंसाया, तो उस दरोगा के खिलाफ विभागीय कार्यवाही क्या की गयी?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

श्रीमन्, जो संबंधित अधिकारी ने एक आरोप भेजा था तो न्यायालय में जब भेज रहे थे, तो उसी वक्त उसे रोक लिया गया दूसरे की बाबत न्यायालय को लिखा भी गया है कि इसमें गलत आरोप निकला है, उसको वापस लेने की कार्यवाही कर रहे हैं। जहां तक उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, उन्होंने जो अनियमितताएं बरती हैं। विभागीय कार्यवाही हो जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने साफ कहा कि यह रिपोर्ट सरकार के समक्ष आ गयी थी। मैं जानना चाहूंगा, यह बात भी सही है कि हमारे सीतापुर जनपद के कुछ राजनीतिक प्रभावशाली लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यह मुझे जानकारी है और, मेरे आरोप की पुष्टि हो रही है। मैं साफ-साफ जानना चाहता था और जानना चाहता हूं कि उन दरोगा जी, जिनके खिलाफ यह आरोप साबित हो गया कि एक संभ्रात व्यक्ति, जिनका लड़का केन्द्रीय सरकार में विभागाध्यक्ष है, फर्जी फंसाया, यह आरोप साबित हो गया तो अभी तक उनके विरुद्ध कार्यवाही न करने का क्या कारण है और क्या कार्यवाही की जायेगी? दूसरा सवाल यह है कि जब सरकार को इस बात की जानकारी मिल गयी कि श्री सुन्दर लाल को बेगुनाह फंसाया गया। सुन्दर लाल के विरुद्ध मुकदमा चल रहा है, जो कोर्ट में चार्जशीट हो चुकी है, उनको तत्काल वापस न लेने के क्या कारण हैं?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

विभागीय कार्यवाही हो रही है चतुर्वेदी के खिलाफ। मुकदमा वापस लेने की बाबत आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों की बातें आपस में इस तरह से करनी चाहिए कि मेरे तक

उनकी आवाजें न आयें। आप लोग धीरे-धीरे बात करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपसे संररक्षण की प्रार्थना करता हूं। मैंने सवाल इतना सीधा पूछा है कि अब तक उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं और क्या कार्यवाही प्रस्तावित है? मेरी जानकारी है कि एक साल हुआ है, श्री चतुर्वेदी नामक इस दरोगा ने केवल यही नहीं, और न जाने तमाम इस तरह के कितने कारनामे किये हैं निर्दोष हरिजनों, निर्बल वर्ग के लोगों को फंसवाकर पीड़ित किया गया और जानकारी ऐसी है कि कुछ लोग हत्या के मामले में फसें उन्हें साफ छोड़ दिया उसके बाद मेरे प्रार्थना पत्र पर मान्यवर, लड़की का शव बरामद हुआ तब उनके ऊपर मुकदमा हुआ। ऐसे इनके बहुत कारनामे हैं। जहां तक इस मामले की बाबत बात है, इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि जानबूझकर उसने उस व्यक्ति को फर्जी फंसाया क्योंकि उनके यहां से नाजायज तरीके से सामान लिया करते थे अभी तक उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

विभागीय कार्यवाही हो रही है उनके खिलाफ आप विश्वास करें।

कल्याण नामक पत्रिका में कार्यरत कर्मचारियों व पत्रकारों को पालेकर एवार्ड प्रदान किये जाने की मांग

*11–श्रीमती गौरी देवी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होने वाली "कल्याण" नामक पत्रिका के सेवा-योजकों द्वारा पालेकर एवार्ड "कल्याण" में कार्यरत कर्मचारियों व पत्रकारों को नहीं प्रदान किया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार यहां भी पालेकर एवार्ड लागू करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां।

प्रश्नगत पत्रिका पर पालेकर एवार्ड लागू नहीं होता क्योंकि वह समाचार पत्र की श्रेणी में नहीं आती है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती गौरा देवी–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या इस संस्था के कर्मचारियों का उनकी समस्याओं के बारे में कोई मांग-पत्र मिला है? यदि हां, तो समस्या क्या है? यह न भी लागू होता तो भी उनकी समस्याओं के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री सुनील शास्त्री–

वहां के कार्यरत श्रमिकों की मांग है कि 'कल्याण' पत्रिका पर पालेकर एवार्ड लगाया जाय। मैं माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि चूंकि यह एक धार्मिक पत्रिका है, इसमें कोई समाचार का प्रकाशन नहीं होता है, इसलिये पालेकर एवार्ड लागू नहीं किया जा सकता। जो वेतन निर्धारित है, वह मिल रहा है, अगर उसके सम्बन्ध में कोई शिकायत हो तो उस पर कार्यवाही की जायगी।

गांव बैरिया के प्रधान एवं उप प्रधान तथा पंचायत के अन्य सदस्यों को थाना-ध्यक्ष द्वारा कथित पिटाई

*12–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि गांव बैरिया थाना श्याम देउरवा

(गोरखपुर) के प्रधान एवं उप प्रधान तथा पंचायत के अन्य सदस्यों की पिटाई थानाध्यक्ष द्वारा गत 19 जून, 1983 को की गई, प्रधान की दाढ़ी नोची तथा एक अन्य मुसलमान, पंच को गंदा पानी पीलाकर उसका रोजा तोड़-वाया गया ? यदि हां, तो शासन दोषी व्यक्ति के फिलाफ क्या कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

प्राप्त सूचना के अनुसार जांच से प्रधान एवं उप प्रधान तथा पंचायत के अन्य सदस्यों की पिटाई, प्रधान की दाढ़ी नोचने तथा मुसलमान पंच को गंदा पानी पिलाकर रोजा तोड़वाने की बात सही नहीं पायी गयी है और चूंकि आरोप सत्य नहीं पाये गये अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पायी गयी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

माननीय मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट हो गया कि यह सरकार कोरे भाषण देती है । जो उत्तर आया, सत्यता से परे है । मैं जानना चाहता हूं कि उनको किस सूत्र से घटना की जानकारी हुई और किस अधिकारी ने जांच की? जांच जब हुई तो कौन-कौन लोग मौजूद थे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

वहां के ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जांच की थी, लेकिन माननीय सदस्य को बता दूं परसों ही मैंने वहां से ट्रांसफर के आर्डर दे दिये हैं और वे जल्द से जल्द वहां से हट जायेंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

प्रश्न स्थानान्तरण का नहीं है । इस देश में लोगों के विचार और मन धर्म से जुड़ा हुआ है । जो हमारे अल्प संख्यक हैं, वे इस मामले में ज्यादा जजबाती हुआ करते हैं । इस सम्बन्ध में जिला कांग्रेस कमेटी (कांग्रेस-आई) श्री लाल चन्द्र मिश्र का पहला पत्र शासन को मिला श्री रफी अहमद खान भी इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, उनका भी पत्र आया। भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री जार्ज फर्नांडीज भी इस गांव पर गये । इतनी स्थिति भयावह हो रही है कि मुसलमान की दाढ़ी नोची गयी, हरिजन के हाथ-पैर तोड़ दिये गये । जिस तरह से जानवरों को खदेड़ कर मारा जाता है, उसी तरह से खदेड़ कर मारा गया । ऐसी स्थिति में मेरी सूचना को सही मान-कर, जिसको अंशतः यह स्वीकार करते हैं, उस दरोगा को निलम्बित करके सारे मामले की मैजिस्टेरियल जांच का आश्वासन देंगे? पुलिस के अधिकारी इस जांच पर परदा डाल रहे हैं। मुझे भी धमकी दी गयी थी कि यदि इस मामले को उठाऊंगा तो ठीक नहीं होगा। मैं पहली चीज तो यह जानना चाहता हूं कि क्या दरोगा और संबंधित सिपाही को लाइन हाजिर मुअत्तल करेंगे? और दूसरा यह है कि सारे मामले की मैजिस्टेरियल जांच कर 15 दिन के अन्दर रिपोर्ट मंगाकर सूचित करने की कृपा करेंगे?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

माननीय सदस्य की भावना को ध्यान में रखते हुए मैंने उस दरोगा को वहां से हटाने के आदेश दे दिये हैं और इस मामले की जांच में जिलाधि-कारी से करवा दूंगा ।

उत्तर व पूर्वोत्तर रेलवे स्टेशन, चारबाग, लखनऊ में जहरीला पदार्थ खिलाकर यात्रियों को बेहोश करके सामान लूटने का पंजीकृत अभियोग

*13–श्री प्रदीप कुमार यादव–

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि क्या शासन को पता है कि जहरीली पदार्थ खिलाकर पिलाकर/सुंघाकर यात्रियों को बेहोश करके तथा हत्या करके उनका सामान लूटने वाले अपराध कर्मियों का गिरोह उत्तर व पूर्वोत्तर रेलवे स्टेशन चारबाग, लखनऊ में लम्बी अवधि से सरगर्म है? यदि हां, तो उस गिरोह ने पहली जनवरी, 1981 से 15 अगस्त, 1983 तक कितनी वारदातें की ? इन वारदातों में कितनी जानें गयीं और ऐसी वारदातों के न रुकने के क्या कारण हैं ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

प्राप्त सूचनानुसार उत्तर व पूर्वोत्तर रेलवे स्टेशन चारबाग, लखनऊ में प्रश्नगत अपराध कर्मियों का कोई गिरोह सक्रिय नहीं है। पहली जनवरी, 1981 से 15 अगस्त, 1983 तक उक्त अधिक्षेत्र में जहरीली पदार्थ खिलाकर यात्रियों को बेहोश करके सामान चुराने के कुल 35 अभियोग पंजीकृत किये गये । प्रश्नगत अवधि में विषैले पदार्थ के सेवन के फलस्वरूप दो व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है । इस प्रकार की घटना की रोकथाम के लिए जी0 आर0-पी0 में एक विशेष दल का गठन किया गया है तथा यात्रियों को सचेत करने के लिये प्रचार किया जा रहा है ।

श्री प्रदीप कुमार यादव–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित यह जानना चाहता हूं कि लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को जो विषैली चीजें सुंघाकर लूटा जा रहा है, इसकी जानकारी शासन को सबसे पहली बार कब हुयी? और दूसरी बात यह है कि जो 35 लोगों के मुकदमें पंजीकृत करने के बारे में बताया गया है तो उन मुकदमों में से कितने मुकदमों में फायनल लगा और कितने मुकदमों में चार्टशीट लगी और कितने मुकदमों में अभी जांच चल रही है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

मान्यवर, मा0 सदस्य ने जो सूचना मांगी है, इस सूचना की मुझे आवश्यकता है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

मान्यवर, क्या माननीय रियासत साहब किसी मोह में आकर कांग्रेस (आई) ज्वाइन कर लिये हैं ? (हंसी)

श्री अध्यक्ष–

(श्री रियासत हुसैन के किसी महिला सदस्य से बात करते देखकर)

यह कैसा संगम हो रहा है ? (घोर हंसी)

श्री प्रदीप कुमार यादव–

मान्यवर, हमने जो दो प्रश्न किये थे मंत्री जी ने उनमें से किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, कृपया उत्तर दिलवा दीजिए, मैं अपना प्रश्न पुनः दोहरा रहा हूं कि जिन 35 लोगों के मुकदमें दर्ज हुए हैं, उनमें से कितने मुकदमों में फायनल लगा और कितनों में चार्जशीट तथा अभी कितनों में जांच चल रही है?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

इसके लिए मुझे सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री प्रदीप कुमार यादव–

तो मान्यवर, फिर इस मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दीजिये कि जिन दो व्यक्तियों की मृत्यु स्वीकार की गयी है विषैले पदार्थ सुंघाकर, उन दोनों व्यक्तियों के नाम और पते क्या हैं और

इन दोनों की मृत्यु किन तारीखों में हुयी ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

मान्यवर, इस प्रश्न की सूचना भी मेरे पास इस समय पूर्ण रूप से नहीं है ।

श्री प्रदीप कुमार यादव–

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से इस समय जितने भी प्रश्न किये उनमें से किसी एक का भी उत्तर प्राप्त नहीं हो सका । हरेक में यह उत्तर दिया कि इस समय सूचना की आवश्यकता है, तो मान्यवर, इस प्रश्न को आप स्थगित करवा दें ताकि माननीय मंत्री जी पूरी सूचना एकत्र कर सकें।

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

ठीक है, इसे स्थगित ही करा दें।

प्रदेश में कुल मेगावाट बिजली का उत्पादन

*14–श्री रेवती रमण सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में कुल कितनी मेगावाट बिजली का उत्पादन इस समय (वर्ष 83-84) में हो रहा है और प्रदेश में कितनी बिजली की आवश्यकता है और यह कमी कब तक दूर होने की योजना है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

वर्ष 84 में जनवरी माह में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषदीय उत्पादन गृहों से औसतन 1360 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हुआ है । इस अवधि में औसतन 290 मेगावाट विद्युत निकटवर्ती राज्यों व केन्द्रीय विद्युत गृहों से प्राप्त हुई अतः विद्युत की उपलब्धता लगभग 1650 मेगावाट रही। इस माह विद्युत की धति-बन्धित उच्चतम मांग लगभग 2000 मेगावाट रही। 11वें वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1987-88 तक प्रदेश में विद्युत की आवश्यकता व आपूर्ति में अन्तर लगभग समाप्त हो जाने की सम्भावना है ।

श्री रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह तापीय विद्युत की कुल क्षमता हमारे प्रदेश में कितनी है और इससे कितने प्रतिशत उत्पादन हो रहा है और 1987-88 तक कौन-कौन सी तापीय विद्युत इकाई आ जायेंगी और उससे कितना उत्पादन होगा जिससे कि प्रदेश में बिजली की कमी को पूरा किया जा सके ?

श्री ब्रह्म दत्त–

इस समय तक प्रदेश के राज्य विद्युत गृहों से औसतन 1360 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हुआ है । इस माह विद्युत की उच्चतम मांग लगभग 2000 मेगावाट रही । कुल तापीय विद्युत 30 या 32 मिलियन यूनिट हमें रोज मिलती है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कोटद्वार में राज्य विद्युत परिषद का खंड खोलने का प्रस्ताव

*15–डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–
(अनुपस्थित)

क्या ऊर्जा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल में जो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का खंड खोलने का प्रस्ताव था वह कब तक खोल दिया जायेगा और अब तक उसके न खोले जाने के क्या कारण हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कोटद्वार में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का खंड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । अस्तु अब तक उसके न खोले जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोंडा में तहसील उतरौला के परगना अधिकारी के विरुद्ध श्री मसरूर जाफरी का आरोप पत्र

*16—श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री धर्मवीर सिंह, श्री यमुना प्रसाद तथा श्री मसरूर जाफरी—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में तहसील उतरौला के परगना अधिकारी के विरुद्ध श्री मसरूर जाफरी ने दिनांक 8-11-83 को कोई आरोप पत्र सतर्कता विभाग द्वारा जांच के लिए उन्हें दिया है? यदि हां, तो वह आरोप क्या है और उसकी जांच क्या सतर्कता विभाग द्वारा की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

जी हां, श्री मसरूर जाफरी का परगनाधिकारी उतरौला, जनपद गोण्डा के विरुद्ध शिकातों की सतर्कता जांच कराने सम्बन्धित पत्र दिनांक 8-11-83 प्राप्त हुआ था जिसमें परगनाधिकारी उतरौला जनपद गोंडा के विरुद्ध भूमि आवंटन, तालाबों के पट्टे तथा सीलिंग भूमि के फर्जी आवंटन, अस्थायी नियुक्तियां कर धनोपार्जन व भ्रष्टाचार आदि अनियमितताओं सम्बन्धी आरोप लगाये गये हैं।

जी नहीं। इस मामले में शासन द्वारा राजस्व परिषद के माध्यम से सतर्कता जांच के पूर्व विभागीय जांच करायी जा रही है। अंतिम जांच आख्या प्रतिक्षित है।

श्री मसरूर जाफरी—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 28-11-83 का यह आरोप-पत्र है जिसकी मैंने 2-12-83 को सर्तकता विभाग द्वारा जांच कराये जाने की मांग की थी तो किन कारणों से इसकी जांच सतर्कता विभाग के जरिये से क्यों नहीं कराई जा रही है ?

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, हम सतर्कता विभाग से जरूर कराने को मना नहीं कर रहे हैं परन्तु उसकी एक निश्चित प्रक्रिया होती है, उसका पालन किया जा रहा है। अभी तो हम प्रथम चरण में हैं।

*17—श्री राज कुमार राय—

—[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

श्री राजकुमार एडवोकेट, जिला विवाह अधिकारी, अलीगढ़ के विरुद्ध गम्भीर आरोपों की जांच

*18—श्री श्याम लाल वाजपेयी—

क्या न्याय मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता ने 9-11-83 को न्याय सचिव को अलीगढ़ से प्रकाशित साप्ताहिक 'ब्रह्मयुग' रविवार 2 अक्टूबर, की एक प्रति के सहित पत्र प्रेषित किया था? यदि हां, तो पत्र में वर्णित श्री राजकुमार एडवोकेट, जिला विवाह अधिकारी, अलीगढ़ के विरुद्ध गम्भीर आरोपों की जांच करायी गयी? यदि हां, तो जांच किससे करायी गयी तथा उसके क्या परिणाम निकले ? यदि नहीं, तो क्यों?

न्याय एवं विधायिका राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)—

दिनांक 9-11-1983 का पत्र तथा 'साप्ताहिक ब्रह्मयुग' की प्रति प्राप्त हुई थी। आरोपों की जांच जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ ने परगना मजिस्ट्रेट, खैर द्वारा करायी गयी है। जांच आख्या के अनुसार आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह

जानना चाहता हूं कि मेरी जानकारी को सत्य मानकर कि जिलाधिकारी, श्री राजकुमार एडवोकेट और परगनाधिधिकारी, खैर की सांठगांठ से यह दबा दिया है। तो क्या इसकी जांच आप सी0 आई0 डी0 के द्वारा कराने की कृपा करेंगे ?

श्री राम नरेश शुक्ल–

आरोपों की जांच सी0 आई0 डी0 से नहीं बल्कि जिला मजिस्ट्रेट से करायी गयी जो कि समाप्त हो गयी है। इसके नवीनीकरण का मामला विचाराधीन है। मैजिस्ट्रेट की जांच में एक जगह यह भी लिखा है कि कानूनी तौर पर यह बात सिद्ध नहीं होती है। परन्तु यह नैतिकता के विरुद्ध है। नवीनीकरण करते समय परगनाधिकारी की इस बात पर भी विचार कर लिया जायेगा।

*19–श्री ऊदल–

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

उपनिरीक्षक से स्थानापन्न निरीक्षक पद पर प्रोन्नति हेतु साक्षात्कार

*20–श्री जगदीश सिंह–

क्या सरकार इस विषय पर विचार करने की कृपा करेगी कि जिन थानेदारों की सेवा 10 वर्ष की हो चुकी है और उन पर तीन वर्ष चार्ज रहा है उन सबको इन्स्पेक्टरों के चुनाव के वक्त इण्टरव्यू में बुलाया जाया करें तथा जिले के एस0 पी0 से व डी0 आई0 जी0 रेंज से केवल चरित्र पंजिका ही इण्टरव्यू के वक्त मांगी जाया करें? क्या 15 वर्ष की सेवा वालों का एस0 पी0 से नाम मांगने की पद्धति को समाप्त करने पर शासन विचार करने की कृपा करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र–

वर्तमान पद्धति के अनुसार उप निरीक्षक से स्थानापन्न निरीक्षक पद पर प्रोन्नति हेतु परिक्षेत्रों के पुलिस उप महानिरीक्षक ज्येष्ठता क्रम में पात्रता के आधार पर अनुभवी एवं योग्य उप निरीक्षकों की सूची तथा ऐसे उप निरीक्षकों की सूची जो प्रोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं समझे जाते पुलिस मुख्यालय को भेजते हैं तथा पुलिस मुख्यालय द्वारा जितने स्थानापन्न निरीक्षकों के पद पर रिक्तियां होती हैं उससे चौगुनी संख्या में ज्येष्ठतानुसार उपयुक्त उप निरीक्षकों को साक्षात्कार हेतु चयन समिति के समक्ष बुलाया जाता है।

निरीक्षक के पद पर अनुभवी एवं योग्य व्यक्ति का कार्यरत होना आवश्यक है अतः इस पद के लिये चयन हेतु मात्र 10 वर्ष की सेवावधि के आधार पर समस्त उप निरीक्षकों को साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने आदि का प्रश्नगत प्रस्ताव को स्वीकार करना उचित न होगा।

उक्त चयन के लिए पात्रता हेतु निर्धारित सेवावधि मात्र 10 वर्ष है। अतः 15 वर्ष की सेवा वालों के नाम मांगने की पद्धति को समाप्त करने पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

1–श्री प्रताप नारायण द्विवेदी–

[10वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

*नोट –तारांकित प्रश्न संख्या 18 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

2—श्री ऊदल—

[दिनांक 21-3-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या-47 द्वारा उत्तरित]

थाना कोतवाली, जनपद बिजनौर पर एक्सप्लोसिव एक्ट के सम्बन्ध में शिकायत की जांच

3—श्री धम्मन सिंह गहलौत—

प्रथम सत्र 1984 के पहले मंगलवार के प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न संख्या—13 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपराध संदिग्ध होने का तथा अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित किये जाने का क्या आधार है? जिसके घर में बम, तमंचे पाये गये उनके विरुद्ध शासन द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रश्नगत मामले में थाना कोतवाली, जनपद बिजनौर पर पंजीकृत अ0 सं0 1/81, अन्तर्गत धारा 5 एक्सप्लोसिव एक्ट के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत की जांच क्षेत्राधिकारी द्वारा की गई। क्षेत्राधिकारी की जांच तथा मामले में की गई विवेचना से प्रश्नगत मामले में उल्लिखित आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। अतः मामले में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई।

4—श्री शेर बहादुर तथा श्री प्रियदर्शी जेतली—

[10वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

अकबरपुर, जिला फैजाबाद में फैजाबाद-अकबरपुर रोड से अकबरपुर—आजमगढ़ मार्ग को जोड़ने के प्रश्न पर विचार

5—श्री जियाराम शुक्ल विकल साकेती तथा श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जिला फैजाबाद में नगरपालिका के बाहर से फैजाबाद—अकबरपुर रोड से अकबरपुर—आजमगढ़ मार्ग को जोड़ने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उस पर कितनी लागत आयेगी तथा कब तक उक्त सड़क का कार्य प्रारम्भ होगा, यदि नहीं, तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री विद्याभूषण)—

सूचना एकत्र की जा रही है।

उत्तर प्रदेश सचिवालय के सिंचाई विभाग के अनुभाग अधिकारी का स्थानान्तरण

6—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग में कितने अनुभाग अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें एक ही अनुभाग में कार्यरत लगभग पांच वर्ष से अधिक अवधि हो गयी है? उन्हें अन्यत्र अनुभागों में स्थानान्तरित न किये जाने का क्या कारण है?

श्री श्रीपति मिश्र—

उत्तर प्रदेश सचिवालय के सिंचाई विभाग में केवल दो ऐसे अनुभाग अधिकारी हैं जिन्हें एक ही अनुभाग में कार्यरत पांच वर्ष से अधिक अवधि हो गयी है। प्रशासनिक औचित्य एवं जनहित में स्थानान्तरण किया जाता है।

थाना भदोही, जिला वाराणसी के कतिपय पुलिस कर्मियों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग तथा कृत कार्यवाही

7—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 78 में राम झलक राय, एस0 आई0 हरवंश सिंह, हेड कांस्टेबुल एवं धर्मदेव सिंह, ऋणदेव चौबे, राम वृक्ष यादव, कान्स्टेबुल, थाना भदोही जिला वाराणसी में तैनात थे? क्या यह सत्य है

कि इनके खिलाफ अभियोग संख्या 20 धारा 409भा0द0वि0, 218/467, 220/120 बी0भा0 द0 वि0 का थाना भदोही वाराणसी में दिनांक 8-8-80 को लिखा गया है? क्या यह भी सही है कि इस अभियोग की विवेचना करके रिपोर्ट जुडिशियल अफसर ज्ञानपुर वाराणसी को 8-8-81 को दे दी गयी जिसको उन्होंने 15-10-81 को स्वीकार किया है? यदि हां, तो उपरोक्त व्यक्ति कहां है इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र–

प्रश्नगत पुलिस कर्मी वर्ष 1978 में थाना भदोही जिला वाराणसी में तैनात थे। उनके विरुद्ध थाना भदोही पर दिनांक 8-8-80 को नहीं बल्कि दिनांक 8-2-80 को प्रश्नगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग सं0 20 पंजीकृत किया गया था। यह सही नहीं है कि इस अभियोग की विवेचना कर के रिपोर्ट जुडिशियल अफसर ज्ञानपुर वाराणसी को दी गयी जिसे उन्होंने स्वीकार किया। इस अभियोग की विवेचना अभी प्रचलित है। सम्बन्धित कर्मचारीगण पुलिस विभाग में ही कार्यरत हैं तथा जब तक विवेचना पूर्ण नहीं हो जाती उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई औचित्य नहीं है।

8–श्री ऊदल–

[10वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

9–श्री छत्तर सिंह–

[10वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

कार्यालय मुख्य परियोजना प्रबन्धक टाण्डा तापीय द्वारा अधीक्षण अभियन्ता विद्युत निर्माण मण्डल टाण्डा के भेजे गये पत्र पर कृत कार्यवाही

10–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि कार्यालय मुख्य परियोजना प्रबन्धक टाण्डा तापीय, शक्ति परियोजना, उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद्, नवीन जिला परिषद्, भवन सिविल लाइन फैजाबाद एस0ए0 श्रीवास्तव वैयक्तिक सहायक, कृते मुख्य परियोजना प्रबन्धक द्वारा पत्र संख्या 4014 मु0परि0प्र0/टी0ता0प्र0/(खण्ड)/एल-1, दिनांक नवम्बर, 10, 1981 को अधीक्षण अभियन्ता विद्युत जनपद निर्माण मण्डल, टाण्डा, तापीय शक्ति परियोजना, पो0 मखदूमनगर, टाण्डा फैजाबाद को भेजा गया है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त–

जी हां।

सम्बन्धित व्यक्ति को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रेषित मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया गया है। प्रश्न नहीं उठता।

11–श्री गोपीनाथ वर्मा–

[10वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

श्री सभापति वर्मा, ग्राम सलाहपुर, फैजाबाद द्वारा टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना से प्रभावित नलकूप, मकान, कृषि यंत्रों आदि के प्रति भुगतान से सम्बन्धित पत्र

12–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सभापति वर्मा, ग्राम सलाहपुर, रजौर टाण्डा फैजाबाद द्वारा रजिस्टर्ड डा0 संख्या 2594 दिनांक 1-7-82 को टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना से प्रभावित नलकूप, मकान, कृषि यंत्रों आदि के प्रति भुगतान से सम्बन्धित कोई पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र का पूर्ण विवरण क्या है और क्या जांच कराने से सम्बन्धित व्यक्ति को प्रतिकर भुगतान करा दिया गया, कुल भुगतान धनराशि क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त–

जी हां। प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है। श्री सभापति वर्मा के नलकूप तथा कृषि यंत्रों का मूल्यांकन सा0नि0वि0 द्वारा सं0 68,355रु0 85 किया गया है, जिसमें से अध्याप्ति निकाय से प्राप्त धनराशि में से रु0 45,706·85 का भुगतान भी श्री वर्मा को दिनांक 27-12-83 को ही कर दिया गया था। शेष प्रतिकर की धनराशि का भुगतान अध्याप्ति निकाय से प्राप्त होने पर कर दिया जायेगा।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 151 पर)

भूमि अध्याप्ति अधिकारी, फैजाबाद द्वारा अधिशासी अभियन्ता विद्युत जनपद निर्माण खण्ड, प्रथम टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना को भेजा गया पत्र

13–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, फैजाबाद द्वारा पत्र संख्या 775/एस0एल0ए0ओ0 दिनांक 10-9-82 को अधिशासी अभियन्ता विद्युत जनपद निर्माण खण्ड, प्रथम टाण्डा, तापीय शक्ति परियोजना, डा0 मखदूमनगर, टाण्डा फैजाबाद को भेजा है? यदि हां, तो पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री ब्रह्मदत्त–

जी हां। मामले में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

14–श्री गोपीनाथ वर्मा–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

उ0 प्र0 सचिवालय में 1978 में वैयक्तिक सहायकों की अंग्रेजी में ली गयी आशुलिपि की परीक्षा

15–श्री हरिवंश सहाय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में वर्ष 1978 में ली गई वैयक्तिक सहायकों की परीक्षा अंग्रेजी आशुलिपि में भी ली गयी थी? यदि हां, तो उसमें कितने व्यक्ति उत्तीर्ण हुये? वर्तमान में उक्त परीक्षा में अंग्रेजी आशुलिपि की परीक्षा लेने का क्या औचित्य है? जबकि शासन की नीति हिन्दी भाषा में समस्त सरकारी काम काज करने की है?

श्री श्रीपति मिश्र–

जी हां। उक्त परीक्षा में 111 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था जिसमें से 4 अभ्यर्थी अंग्रेजी आशुलिपि में भी सफल घोषित किये गये थे। उत्तर प्रदेश सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1942 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार दोनों अंग्रेजी तथा हिन्दी आशुलिपि की परीक्षा ली गयी थी।

भाषा विभाग द्वारा प्रशिक्षित आशुलिपिकों को सचिवालय में वैयक्तिक सहायकों के पदों पर नियुक्ति

16–श्री हरिवंश सहाय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के भाषा विभाग द्वारा प्रशिक्षित आशुलिपिकों को सचिवालय में वर्ष 1978 से अब तक वैयक्तिक सहायकों के पदों पर नियुक्ति प्रदान की गयी है? यदि नहीं, तो भाषा विभाग द्वारा उक्त प्रशिक्षण केन्द्र को संचालित करने और शासन द्वारा उक्त प्रशिक्षण केन्द्र पर व्यय किये जाने का क्या औचित्य है?

श्री श्रीपति मिश्र–

वर्ष 1978 से अब तक मात्र भाषा विभाग से प्राप्त प्रशिक्षण के आधार पर किसी आशुलिपिक को नियुक्ति नहीं दी गई है। उत्तर प्रदेश सचिवालय लिपिक वर्गीय नियमावली, 1942 के प्राविधानों के अनुसार प्रतियोगितात्मक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों, जिसमें भाषा विभाग द्वारा प्रशिक्षित आशुलिपिक भी सम्मिलित हैं, को नियुक्ति प्रदान की जाती

है। भाषा विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्र राजकीय कर्मचारियों को हिन्दी आशुलिपि तथा टंकण सीखने तथा गति बढ़ाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।

17—श्री धनीराम वर्मा—

[दिनांक 20-3-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या-12 द्वारा उत्तरित।]

स्व0 श्री लक्ष्मी नारायण मेहरोत्रा उप अर्थ नियंत्रक, पशुपालन महाविद्यालय मथुरा की मृत्यु तथा पारिवारिक पेंशन मंजूर न होने के कारण

18—19—श्री ऊदल—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 श्री लक्ष्मी नारायण मेहरोत्रा उप अर्थ नियंत्रक, पशुपालन, महाविद्यालय, मथुरा की मृत्यु सन् 81 में हो गयी थी? यदि हां, तो उनकी पारिवारिक पेंशन अब तक मंजूर न करने का क्या कारण है?

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महालेखाकार तृतीय, उत्तर प्रदेश के पेंशन आडिट विभाग पी0 आर0-4 अनुभाग इलाहाबाद ने अपने पत्रांक पी0आर0 4/111/मिस, 1246, दिनांक 1-5-83 के द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को लिखा है कि स्व0 लक्ष्मी नारायण मेहरोत्रा की मृत्यु 81 में हो गयी? दो वर्ष का समय व्यतीत हो गया दिवंगत अधिकारी का प्रकरण (पेंशन के कागजात) ए0जी0 आफिस में प्राप्त नहीं हुए जबकि नियमानुसार मृत्यु के एक माह बाद ही प्राप्त होना चाहिए इसको जल्दी भेजवा दें? यदि हां, तो निदेशक, पशुपालन ने अब तक क्या कार्यवाही की है? पेंशन के प्रकरण ए0जी0 आफिस को भेजे गए कि नहीं?

श्री संजय सिंह—

जी हां। अपूर्ण सेवा-पुस्तिका को पूर्ण करने में समय लगा। पारिवारिक पेंशन के कागजात महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को दिसम्बर, 1983 में प्रेषित कर दिये गये हैं। शीघ्रता करने हेतु शासन स्तर से महालेखाकार को अनुस्मारक भेजे गये हैं।

20—श्री ऊदल—

क्या पशुधान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ए0जी0 कार्यालय के उपरोक्त पत्र की प्रतिलिपि प्रधानाचार्य पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा व पेंशन अधिकारी, उ0प्र0 शासन लखनऊ को भी भेजी गयी है? यदि हां, तो उक्त प्रकरण को अब तक न भेजने का कारण क्या है? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि दो वर्ष मृत्यु के बाद भी पेंशन के कागजात ए0जी0 आफिस को न भेजने के लिए कौन-कौन लोग जिम्मेदार हैं?

श्री संजय सिंह—

अपूर्ण सेवा-पुस्तिका को पूर्ण कराने में समय लगा जिसके लिए किसी व्यक्ति विशेष को उत्तरदायी ठहराया जाना उचित नहीं है। पेंशन के कागजात महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को दिसम्बर, 83 में प्रेषित किये जा चुके हैं। शासन की ओर से अनुस्मारक भी भेजे गये हैं।

राज्य विद्युत परिषद् में दैनिक श्रेणी के पद पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया

21—श्री ऊदल—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के पहले मंगलवार के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या-8 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में नियुक्ति दैनिक श्रेणी लिपिक के पद पर नियमित नियुक्ति विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है? यदि हां, तो मुख्य अभियन्ता, जल विद्युत लखनऊ, उत्तर प्रदेश के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5621/

अनु0-6-एम-आजमगढ़/परीक्षा, दिनांक 8-10-82 द्वारा 15 लिपिकों की नियुक्ति अनपरा तापीय परियोजना, मिर्जापुर में की गयी है? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि 26 लिपिक श्रमिक आपूर्ति में कार्यरत हैं जिनमें पांच मस्टर रोल के हैं, तो इनमें से क्यों नहीं लिया गया?

श्री ब्रह्मदत्त–

सूचना एकत्र की जा रही है।

स्थान दरूनहां, जिला वाराणसी में पशु चिकित्सालय की इमारत के निर्माण की मांग

22–श्री उदल–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थान दरूनहां, ब्लाक भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी में एक पशु चिकित्सालय अर्सा 10-12 वर्ष से है? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त चिकित्सालय के पास कोई इमारत नहीं है और अस्पताल एक स्कूल की इमारत में चल रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिए शीघ्र भवन की व्यवस्था करेगी?

श्री संजय सिंह–

जी हां।

इस वर्ष 1984-85 में इस हेतु जनपद की जिला योजना में परिव्यय उपलब्ध न होने के कारण भवन निर्माण संभव नहीं है।

अनपरा तापीय परियोजना, मिर्जापुर के कतिपय कर्मचारियों द्वारा दायर कथित वाद

23–श्री उदल–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनपरा तापीय परियोजना अनपरा, मिर्जापुर के दैनिक वेतन भोगी लिपिकों एवं ट्रेसरों, लेख पालों, सरवेयर स्टेनोग्राफरों जिनकी संख्या तीस के ऊपर है अतिरिक्त प्रादेशिक संराधन अधिकारी पिपरी तुर्रा, मिर्जापुर के यहां वाद प्रेषित किया है? यदि हां, तो उस पर अब तक सुनवाई क्यों नहीं हो पाई? क्या यह सत्य है कि ये कर्मचारी तीन वर्ष तथा उससे ऊपर कार्य करते चले आ रहे हैं?

श्री सुनील शास्त्री–

अनपरा तापीय परियोजना अनपरा मिर्जापुर के दैनिक वेतन भोगी लिपिकों एवं ट्रेसरों, लेखपालों, सर्वेयर, स्टेनोग्राफरों जिनकी संख्या तीस के उपर है ने प्रादेशिक संराधन अधिकारी पिपरी तुर्रा, मिर्जापुर के यहां कोई वाद दायर नहीं किया है। अतः सुनवाई का प्रश्न नहीं उठता। जांच से पता चला है कि ये कर्मचारी तीन वर्ष या उससे अधिक समय से कार्य करते चले आ रहे हैं।

श्री प्रकाश नारायण शुक्ल, ट्रक ड्राइवर को ए0आर0टी0ओ0 एवं उसके सिपाहियों द्वारा मारने के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग

24–श्री उदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रकाश नारायण शुक्ल, ट्रक ड्राइवर, को उसके कागजात ठीक रहने के बाद भी जनवरी, 83 के आखिरी सप्ताह में करीब 9-10 बजे रात ए0आर0टी0ओ0 एवं उसके सिपाहियों ने कैन्ट थाना, वाराणसी के अन्तर्गत बुरी तरह से मार कर अधमरा कर दिया था जिसकी नामजद रिपोर्ट थाना कैन्ट, वाराणसी में 10 बजे रात की गयी है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री श्रीपति मिश्र–

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 30-1-83 को कान्स्टेबिल भीम शंकर त्रिवेदी, प्रवर्त्तन चालाक प्रथम दल वाराणसी से प्रश्न में उल्लिखित ट्रक ड्राइवर के विरूद्ध सड़क जाम करने व मारपीट करने आदि

की लिखित सूचना थाना कैन्ट, वाराणसी में प्राप्त होने पर एक अभियोग अंतर्गत धारा 323/352 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया इसी सम्बन्ध में श्री प्रकाश नरायन शुक्ल ट्रक ड्राइवर की लिखित सूचना पर थाना कैन्ट में सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एवं उनके सिपाहियों के विरूद्ध एक प्रतिवाद अन्तर्गत धारा 147/323/379 भा0 दं0वि0 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। विवेचना से प्रकाश नरायन शुक्ल द्वारा पंजीकृत कराए गए अभियोग में साक्ष्याभाव के कारण अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी तथा प्रकाश नरायन शुक्ल के विरूद्ध आरोप सिद्ध होने पर उसके विरूद्ध पंजीकृत अभियोग में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

श्री शुक्ल को हंगामा गिरफ्तारी में चोटें आयी थीं।

25—श्री उदल—

[10वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

तहसील औरैया, जिला इटावा में दिवियापुर बेला तथा विधूना बेला में क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनें तथा उन्हें ठीक कराये जाने की मांग

26—श्री उदल—

क्या उर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील औरैया जिला इटावा की विद्युत लाइनें दिवियापुर बेला व विधूना बेला तथा दिवियापुर सहायक कई वर्षों से एक दम नष्ट हो गयी हैं? यदि हां, तो इसको अब तक ठीक न कराने का क्या कारण हैं? इन लाइनों पर कितने उपभोक्ता थे?

श्री ब्रह्म दत्त—

जी हां, तहसील औरैया जिला इटावा संदर्भित विद्युत लाइनें तारों की अनेक चोरी की घटनाओं के कारण क्षतिग्रस्त हैं। इन लाइनों पर तार इसलिए नहीं बदले गये हैं कि इन पर उपभोक्ताओं के न होने के कारण तारों के पुनः चोरी हो जाने का खतरा था। प्रत्येक लाइन की स्थिति निम्न प्रकार है :—

1—दिदियापुर बेला:

इस लाइन पर सहार ग्राम तक उपभोक्ता हैं। वहां तक तार बदल दिए गये हैं और लाइन चालू है। सहार ग्राम से बेला तक कोई उपभोक्ता उपलब्ध नहीं है अतः तार नहीं बदले गये हैं।

2—विधूना बेला—

इस लाइन पर 5 किमी0 तक उपभोक्ता हैं और वहां तक तार बदल दिए गए हैं और लाइन चालू है। शेष भाग में न कोई उपभोक्ता हैं और न किसी ने कनेक्शन लेने सम्बन्धी औपचारिकतायें पूर्ण की हैं। अतः तार नहीं बदले गये हैं।

3—दिबियापुर सहायल:

इस लाइन पर अभी तक कोई उपभोक्ता नहीं था अतः लाइन के तार नहीं बदले गये। कुछ समय पूर्व दो निजी नलकूप के उपभोक्ताओं ने कनेक्शन लेने सम्बन्धी औपचारिकताएं पूर्ण की हैं। अतः वहां तक तार बदलने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

श्री मोलहे, थाना देवां, जिला बाराबंकी द्वारा थानेदार शिवमंगल सिंह के विरूद्ध दिये गये पत्र पर जांच

27—श्री उदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोलहे पुत्र पांचू, गांव जनवासी, थाना देवां, जिला बाराबंकी ने एक प्रार्थना पत्र एस0 पी0 बाराबंकी को ता0 15-2-83 को दिया है कि थाना देवां, जिला बाराबंकी के थानेदार शिवमंगल सिंह ने 10-2-82 को मारा और दो-तीन सादे कागजों पर जबरदस्ती दस्तखत अंगूठा निशान ले लिया? यदि हां, तो एस0पी0 बाराबंकी ने क्या कार्यवाही की?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। प्रश्नगत शिकायतीपत्र की जांच करायी गयी। जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

गांव टिकरिया, जिला बाराबंकी के ख्याली पुत्र जोधी द्वारा दिया गया शिकायती पत्र

28—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव टिकरिया, थाना कोतवाली देवां, जिला बाराबंकी के ख्याली पुत्र जोधी ने एक प्रार्थना-पत्र 12-2-83 को एस0 पी0, बाराबंकी को दिया है कि कोतवाल, देवा 6-2-83 को उसको घर से ले गये और मारा तथा 50 रु0 ले लिए और रात को छोड़ा? यदि हां, तो एस0 पी0, बाराबंकी ने क्या कार्यवाही की है?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत शिकायती-पत्र दिनांक 15-2-83 न कि 12-2-83 प्राप्त हुआ। उक्त शिकायती पत्र की जांच करायी गयी। जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

गांव पदमनाथपुर, थाना सकलडीहा, जिला वाराणसी के व्यक्तियों की पुलिस द्वारा कथित गिरफ्तारी तथा पिटाई

29—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव पदमनाथपुर, थाना सकलडीहा जिला वाराणसी के 15 व्यक्तियों को पुलिस ने 12 फरवरी, 83 को गिरफ्तार किया है और उनकी बुरी तरह से पिटाई की है? क्या यह सही है कि गिरफ्तार किए गये तथा मार खाए हुए लोगों ने एस0 एस0 पी0, वाराणसी को प्रार्थना-पत्र देकर पुलिस की शिकायत की है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या सरकार गिरफ्तार लोगों का नाम बतायेगी? क्या यह सही है कि गिरफ्तार लोगों की मंडई भी फूंक दी गयी थी?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं, दिनांक 12 फरवरी, 1983 को प्रश्नगत ग्राम के किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की गयी।

अतः अन्य प्रश्न नहीं उठता।

थाना भदोही, जिला वाराणसी में श्री मोती लाल द्वारा दर्ज मुकदमें की अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा जांच तथा थानाध्यक्ष तथा उपनिरीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही

30—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मु0 अ0 संख्या 272/78 धारा 380 भा0 दं0 वि0 का थाना भदोही, जिला वाराणसी में 28-9-78 को दर्ज किया गया था? क्या यह सही है कि इस मुकदमें के सम्बन्ध में प्रतिवादी मोती लाल ने प्रार्थना-पत्र तत्कालीन मुख्य मंत्री को दिया था, जिसे अपराध शाखा अनुसन्धान विभाग, उत्तर प्रदेश से विवेचना हेतु 24-4-79 को दिया गया था?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। इस सम्बन्ध में श्री मोती लाल का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर इस मामले की जांच शासन द्वारा दिनांक 5-5-79 को अपराध अनुसंधान विभाग को सौंपी गयी थी।

31—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराध अनुसंधान शाखा ने अपनी रिपोर्ट जांच करके शासन को सन् 81 में भेज दिया है? क्या यह भी सत्य है कि अपराध अनुसन्धान शाखा ने अपनी रिपोर्ट की एक प्रति चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट, ज्ञानपुर, जिला वाराणसी को भी दी थी जिसको मजिस्ट्रेट ने

15-10-81 को स्वीकार कर लिया है? यदि हां, तो थाना भदोही के एस0 ओ0, एस0 आई0 एवं कांस्टेबिलों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र–

जी हां। अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा अपनी रिपोर्ट शासन को सितम्बर, 1981 में भेजी गई थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अंतिम रिपोर्ट दिनांक 15-10-81 को स्वीकार की गयी।

अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा विवेचना के फलस्वरूप थानाध्यक्ष तथा उप निरीक्षक को शिथिल नियंत्रण तथा अनियमितता के लिए दोषी पाया गया जिसके लिए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है।

32–33–श्री ऊदल–

[10वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

रेउतीपुर गहमर मार्ग, जिला गाजीपुर में मिट्टी के कार्य की स्वीकृति तथा धन के हड़पने के आरोप की जांच

34–श्री ऊदल–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि रेउतीपुर गहमर मार्ग, जिला गाजीपुर के लिए 42 हजार रुपया की मिट्टी का कार्य स्वीकृत था लेकिन उस मार्ग पर 76 हजार रुपए का कार्य दिखाकर रुपया हड़प लिया गया? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि जब कार्य करना दिखाया गया था, उस वक्त बाढ़ आई थी?

श्री विद्या भूषण–

प्रश्नगत सड़क पर मिट्टी के कार्य की स्वीकृति दी गयी थी। काफी कार्य हो भी चुका है। धन हड़पने के आरोप की जांच की जा रही है।

श्री कालिका प्रसाद पुत्र मथुरा, गांव सुगुलपुर, जिला जौनपुर का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन के बारे में दिया गया प्रार्थना पत्र तथा जांच रिपोर्ट

35–श्री ऊदल–

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वीरेन्द्र सिंह गुसाईं, अनुसचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह सामान्य अनुभाग–1 ने अपने पत्र संख्या 309 जेड0 के0 /6-82-108 सी0 पी0/82, दिनांक 8 जुलाई, 1982 द्वारा कालिका प्रसाद पुत्र मथुरा गांव सुगुलपुर पो0 गुतवन, थाना मड़ियाहूं, जिला जौनपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन के बारे में जिलाधीश, जौनपुर को लिखा था कि इनके बारे में जांच कराकर रिपोर्ट भेज दें? यदि हां, तो जिलाधीश जौनपुर ने कोई रिपोर्ट भेजी कि नहीं?

नियोजन एवं राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)–

जी हां।

जिलाधिकारी, जौनपुर की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है।

36–श्री ऊदल–

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कालिका प्रसाद पुत्र श्री मथुरा गांव सुगुलपुर, पो0 गुतवन, मड़ियाहूं, जिला जौनपुर राजनैतिक पेंशन हेतु कई प्रार्थना-पत्र वर्षों से देते चले आ रहे हैं? यदि हां, तो इनको राजनैतिक पेंशन अब तक न मन्जूर करने का कारण क्या है?

श्री राम सिंह खन्ना–

श्री कालिका प्रसाद पुत्र श्री मथुरा के केन्द्रीय स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन विषयक आवेदन-पत्र क्रमशः दिनांक 4-8-81, 23-2-83 एवं 2-7-83 को शासन को प्राप्त हुए थे। आवश्यक जांच

के पश्चात् राज्य सरकार की आख्या भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है तथा मा0 विधायक को भी दिनांक 11-10-83 को तद्नुसार सूचित कर दिया गया था।

श्री कालिका प्रसाद का राज्य स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन हेतु एक आवेदन-पत्र दिनांक 13-5-82 को शासन को प्राप्त हुआ था किन्तु उनका मामला राज्य पेंशन की पात्रता के अन्तर्गत ग्राह्य न होने के कारण उनकी प्रश्नगत प्रार्थना अस्वीकार की जा चुकी है। श्री कालिका प्रसाद को तद्नुसार सूचित कर दिया गया है।

थाना फूलपुर, जिला वाराणसी में आयुध अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत मामले तथा उनकी जांच

37—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना फूलपुर, जिला वाराणसी के थानाध्यक्ष ने कितने मामले आर्म्स एक्ट के अक्तूबर, 82 से 25 जून, 83 तक कायम किए हैं? क्या सरकार को ज्ञात है कि सभी मामले आर्म्स एक्ट के फर्जी हैं? यदि हां, तो सबकी जांच कराने पर क्या सरकार विचार करेगी?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित अवधि में थाना फूलपुर में आयुध अधिनियम के अन्तर्गत कुल 47 मामले पंजीकृत किए गए हैं। सभी मामलों में विवेचनोपरान्त आरोप प्रमाणित होने पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। अतः किसी अन्य जांच की आवश्यकता नहीं है।

श्री लालता पुत्र जमुना गांव दवेराई, थाना फूलपुर, वाराणसी द्वारा रास्ते में नाद गाड़ने के सम्बन्ध में पत्र पर जांच

38—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थानाध्यक्ष फूलपुर, जिला वाराणसी को लालता पुत्र जमुना गांव दवेराई, थाना फूलपुर, वाराणसी द्वारा आबादी के रास्ते में तीन बैलों की चन्दी गाड़ने के सम्बन्ध में लिखित पत्र ता0 20, 21, 25 जून, 83 को प्रश्नकर्ता ने दिया था? क्या यह सही है कि थानाध्यक्ष, फूलपुर, वाराणसी द्वारा कुछ न किये जाने पर प्रश्नकर्ता ने एस0 एस0 पी0, वाराणसी को 26-6-83 को एक पत्र कई आरोपों के साथ मन्थली मीटिंग में दिया है? यदि हां, तो एस0 एस0 पी0, वाराणसी ने क्या किया?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। प्रश्न में उल्लिखित मामले की जांच की गयी। जांच से यह ज्ञात हुआ कि नाद गाड़ने से रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी फिर भी उनको और पीछे करा दिया गया। मा0 विधायक के पत्र दिनांक 26-6-83 में लगाए गए अन्य आरोपों की जांच करायी जा रही है।

गांव सिंगारपुर, जिला गाजीपुर के डकैत बाबूराम की थाना चोलापुर, वाराणसी में पुलिस से हुई मुठभेड़ में हत्या की दर्ज रिपोर्ट तथा जांच

39—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव महगांव (गरथमा) थाना चोलापुर, जिला वाराणसी में 31 मई, 1 जून, 1983 की रात में गांव सिंगारपुर, थाना खानपुर, जिला गाजीपुर के

निवासी बाबू राम की थाना चोलापुर, वाराणसी के एस0 ओ0, सी0 पी0 एन0 त्रिपाठी तथा अन्य पुलिस कर्मियों ने हत्या कर दी और इस हत्या को डाकू पुलिस मुठभेड़ दिखाया है? यदि हां, तो इस घटना के बारे में जो रिपोर्ट थाने में दर्ज की गयी है, वह क्या है?

श्री श्रीपति मिश्र–

प्राप्त सूचनानुसार थाना चोलापुर (वाराणसी) में दिनांक 2-6-83 को दर्ज रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 1-6-83 को डकैत बाबूराम अपने 6-7 साथी डकैतों के साथ डकैती की योजना बनाते समय पुलिस से हुई मुठभेड़ में घटनास्थल पर ही मारा गया था। इस सम्बन्ध में थाना चोलापुर पर एक अभियोग अन्तर्गत धारा 399/402/307 भा0 दं0 वि0/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना से मृतक डकैत बाबूराम के विरुद्ध उक्त अभियोग पूर्णतया प्रमाणित पाया गया। अभियुक्त बाबूराम की घटना स्थल पर ही मृत्यु होने तथा शेष डकैतों के विरुद्ध साक्ष्याभाव के कारण मामले में अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित की जा चुकी है।

40–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त घटना की जांच करायी गयी है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और कितने डाकू अन्धेरे का लाभ उठाकर भाग गये?

श्री श्रीपति मिश्र–

जी हां। विवेचना से मृतक डकैत बाबू राम के विरुद्ध उपरोक्त अभियोग पूर्णतया सिद्ध पाया गया। 6-7 डकैत अन्धेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे।

41–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबूराम जो गांव सिंगारपुर, थाना खानपुर, जिला गाजीपुर का रहने वाला था, के विरुद्ध थाना चोलापुर, वाराणसी में कितनी रिपोर्ट इसके पूर्व की दर्ज थीं? क्या सरकार सी0 आई0 डी0 जांच करायेगी कि बाबू राम को दो दिन पूर्व से ही चोलापुर पुलिस अपने कब्जे में रखे हुई थी और रात को ले जाकर महगांव के पास उसकी हत्या करके फर्जी डकैती डालने की योजना को मुठभेड़ दिखाया है?

श्री श्रीपति मिश्र–

मृतक बाबूराम के विरुद्ध थाना चोलापुर वाराणसी में पूर्व में 3 रिपोर्टें दर्ज की गयी थीं। मृतक डकैत को चोलापुर पुलिस द्वारा दो दिन पूर्व से अपने कब्जे में रखने तथा रात को फर्जी मुठभेड़ में मार देने का आरोप सही नहीं है। अतः सी0 आई0 डी0 जांच का कोई औचित्य नहीं है।

स्थान रोहनियां, जिला वाराणसी में पुलिस-डाकू मुठभेड़ में मंगरू की कथित हत्या, डकैतों द्वारा चलाये गये शस्त्रों की बरामदगी की दर्ज रिपोर्ट की जांच

42–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ता0 2-6-83 की रात में स्थान गंगापुर, थाना रोहनिया, जिला वाराणसी में पुलिस-डाकू मुठभेड़ में मंगरू को रोहनियां की पुलिस ने गोली से उड़ा दिया है? यदि हां, तो मंगरू कहां का रहने वाला था और इसके ऊपर किन-किन दफाओं में कहां-कहां कितने मुकदमें दर्ज हैं?

श्री श्रीपति मिश्र–

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 2-6-83 को थाना रोहनिया, जिला वाराणसी की

पुलिस के साथ किसी मुठभेड़ में मंगरू नामक व्यक्ति नहीं मारा गया। अतः अन्य प्रश्न नहीं उठता।

43—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मुठभेड़ में डाकुओं ने कितने राउन्ड गोलियां पुलिस के ऊपर चलायीं उसमें कितने पुलिस वालों को कितनी चोटें आयीं हैं?

श्री श्रीपति मिश्र—

उक्त मुठभेड़ में डाकुओं ने कितने चक्र गोलियां चलायीं यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। घटनास्थल से डकैतों द्वारा चलाए गये शस्त्रों से 12 बोर के 4 व 32 बोर के 2 खाकी कारतूस बरामद किए गये थे।

डकैतों द्वारा चलायी गयी गोलियों से कोई भी पुलिस-कर्मी घायल नहीं हुआ था।

44—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त डकैती की योजना बनाने की रिपोर्ट थाना रोहनियां, जिला वाराणसी में लिखी गयी है? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। दिनांक 3-6-83 को थाना रोहनिया में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि डकैतों का एक गिरोह जिसमें 7-8 आदमी हैं, गंगापुर डिग्री कालेज के पूरब भीटा के नीचे बैठे हैं तथा कहीं वारदात करने के लिए अपने साथियों की इन्तजारी में हैं। इस सूचना पर पुलिस दल नियत स्थान पर पहुंचा। पुलिस दल के पहुंचते ही डाकुओं ने गोली चलाना शुरू कर दिया। आत्मरक्षा में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी जिसके फलस्वरूप एक डकैत मारा गया।

45—श्री ऊदल

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस फर्जी मुठभेड़ को दिखाकर हत्या करने के सम्बन्ध में सरकार सी0 आई0 डी0 से जांच करायेगी?

श्री श्रीपति मिश्र—

उक्त मुठभेड़ के संबंध में थाना रोहनिया पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 147/148/149/307 भा0 दं0 वि0 व 25 आर्म्स एक्ट में विवेचनोपरान्त अंतिम रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित की जा चुकी है। अतः अब इस घटना की जांच सी0 आई0 डी0 से कराने का कोई औचित्य नहीं है।

गांव गंजारी, थाना चोलापुर, जिला वाराणसी में डकैती की कथित घटना

46—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, 83 के प्रथम सप्ताह में गांव गंजारी, थाना चोलापुर, जिला वाराणसी में, डाकुओं ने कई घरों को लूट लिया और कइयों को घायल कर दिया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित अवधि में गांव गंजारी, थाना चोलापुर, जिला वाराणसी में डकैती की कोई घटना नहीं हुई और न ही इस संबंध में कोई रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। अतः अन्य प्रश्न नहीं उठता।

गांव अहरक, थाना बड़गांव, जिला वाराणसी में डकैती की घटना का पंजीकृत अभियोग तथा कृत कार्यवाही

47—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव अहरक, थाना बड़गांव, जिला वाराणसी में 8 व 9 जून, 83 को डाकुओं ने कई घरों को लूट लिया तथा

कई लोगों को घायल कर दिया? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री श्रीपति मिश्र–

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 9/10-6-83 की रात्रि में ग्राम अहरक में अज्ञात डकैतों द्वारा तीन व्यक्तियों के घरों में डकैती डाली गयी जिसमें दो व्यक्ति घायल हुए। घटना के सम्बन्ध में एक अभियोग अन्तर्गत धारा 395/397 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया। विवेचना से 14 डकैत प्रकाश में आए जिनमें से 5 डकैत गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं तथा 3 डकैतों द्वारा न्यायालय में आत्म-समर्पण किया गया। शेष फरार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82/83 दं0 प्र0 सं0 की कार्यवाही की जा चुकी है।

गांव बरवां, थाना फूलपुर, जिला वाराणसी के श्री देवराज की पुलिस द्वारा पिटाई के संबंध में दिये गये प्रार्थना-पत्र की जांच

48–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव बरवां, थाना फूलपुर, जिला वाराणसी के देवराज को फूलपुर की पुलिस ने बहुत मारा था? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि इसकी दरख्वास्त मय डाक्टरी मुआयना के एस0 एस0 पी0, वाराणसी को फरवरी, 83 में दी गयी थी और प्रश्नकर्ता ने भी पत्र के साथ एस0 एस0 पी0 को भेजा था? उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री श्रीपति मिश्र–

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ श्री देवराज निवासी, ग्राम बरवां, थाना फूलपुर का प्रार्थना-पत्र चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट सहित दिनांक 3-3-83 को प्राप्त हुआ था। प्रार्थना-पत्र की जांच संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही है।

गांव अजईपुर, थाना फूलपुर, वाराणसी में डकैती डालने की योजना बनाते हुए दस्युओं की गिरफ्तारी

49–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना फूलपुर, जिला वाराणसी में दो फर्जी मुकदमें में गांव अजईपुर, थाना फूलपुर, वाराणसी में डकैती डालने की योजना बनाने में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था? यदि हां, तो क्या प्रश्नकर्ता ने मुख्य मंत्री को दोनों मुकदमों की रिपोर्ट को अपने पत्र के साथ दिनांक 17-2-83 को दिया था? उस पर क्या कार्यवाही की गयी और उसकी जांच किस अधिकारी से करायी गयी? क्या सरकार इस फर्जी मामले की जांच सी0 आई0 डी0 से कराने की कृपा करेगी?

श्री श्रीपति मिश्र–

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 18/19-1-83 की रात्रि में ग्राम अजईपुर के निकट डकैती की योजना बनाते हुए 5 दस्यु मौके पर गिरफ्तार किये गये थे तथा शेष 2 घटनास्थल से भाग गये जिन्हें दिनांक 21-1-83 को गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 1983 में डकैती की योजना बनाये जाने की कोई घटना प्रकाश में नहीं आयी न इस संबंध में किसी को गिरफ्तार ही किया गया है।

प्रश्नकर्ता का प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी जांच पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) से करायी गयी।

उक्त अभियोग में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। अतः

अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है।

50—श्री ऊदल—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

जैसिरी मुसहर, गांव रतनपुर, थाना फूलपुर, जिला वाराणसी के प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

51—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जैसिरी मुसहर, गांव रतनपुर, थाना फूलपुर, जिला वाराणसी का एक प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 9-7-83 के साथ एस0 पी0, वाराणसी को दिया था? यदि हां, तो उस पर एस0 पी0 (रूरल) ने क्या कार्यवाही की?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

गांव करिखियांव, थाना फूलपुर के ईंट, के भट्ठे पर डकैती डालने की योजना बनाने के सम्बन्ध में पंजीकृत अपराध तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी

52—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रतनपुर, थाना फूलपुर, जिला वाराणसी के पकड़े गए तीन मुसहरों के विरुद्ध थाना फूलपुर के एस0 ओ0 ने करिखियांव गांव थाना फूलपुर के ईंट के भट्ठे पर दिनांक 9-7-83 की रात में डकैती डालने की योजना बनाने के सम्बन्ध में मुकदमा कायम किया है? क्या यह सही है कि 12-7-83 को एस0 एस0 पी0, वाराणसी को एक पत्र लिखकर प्रश्नकर्ता ने इस फर्जी मुकदमें की शिकायत की है? यदि हां, तो एस0 एस0 पी0 ने क्या कार्यवाही की है?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 9/10-7-83 की रात्रि में डकैती डालने की योजना बनाने के संबंध में पंजीकृत अपराध से संबंधित गिरफ्तार 5 अभियुक्तों में से ग्राम रतनपुर के 2 अभियुक्त लोचन तथा पारस थे।

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-7-83 प्राप्त नहीं हुआ है अतः अन्य प्रश्न नहीं उठता।

53—श्री ऊदल—

[दिनांक 6-9-83 को तारांकित प्रश्न संख्या—5 द्वारा उत्तरित।]

54—श्री ऊदल—

[दिनांक 6-9-83 को तारांकित प्रश्न संख्या—5 द्वारा उत्तरित।]

55—श्री ऊदल—

-[10वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

56—श्री ऊदल—

-[पुनर्विचार पर निरस्त।]

57—58—श्री ऊदल—

-[10वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

श्रीमती सुमित्रा देवी, हरिजन गांव करधना, जिला वाराणसी द्वारा परिवार के लोगों को गलत तरीके से कत्ल के मुकदमों में फंसाये जाने के संबंध में पत्र

59—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सुमित्रा देवी हरिजन गांव करधना, थाना मिर्जामुराद, जिला वाराणसी ने कई प्रार्थना-पत्र जनवरी, 83 से लेकर जुलाई, 83 तक मुख्यमंत्री, गृह सचिव, डी0 आई0 जी0 वाराणसी, एस0 एस0 पी0 वाराणसी को दिए हैं कि उसके परिवार के लोगों को गलत तरीके से कत्ल के मुकदमें में फंसाया गया है, इसकी जांच सी0

आई0 डी0 से करायी जाय? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री श्रीपति मिश्र–

जी हां। अनुरोध के अनुसार इस मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गयी।

श्री एन0 एन0 सिन्हा, अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत यांत्रिक सार्वजनिक निर्माण विभाग, वाराणसी का प्रत्यावर्तन तथा उच्च न्यायालय में दायर की गयी याचिका, एवं लगाये गये आरोपों की जांच

60–श्री ऊदल–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एन0 एन0 सिन्हा, अधीक्षण अभियंता, विद्युत यांत्रिक सार्वजनिक निर्माण विभाग, वाराणसी में रिवर्ट होकर जाने कार्यालय से सम्बद्ध किए गये हैं? क्या यह सही है कि इन्हें अधीक्षण अभियंता का चार्ज दिया जा रहा है जबकि इनके खिलाफ बीसों जांच चल रही हैं, चार्जशीट लगी है और विजीलेंस भी जांच कर रहा है और मुख्य मंत्री का आदेश भी उन्हें कोई चार्ज न देने का है? यदि हां, तो कैसे इन्हें 44वें वृत्त वाराणसी का चार्ज दिया जा रहा है, इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने एक टेलीग्राम मुख्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जुलाई, 83 में दिया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विद्या भूषण–

जी हां। श्री सिन्हा ने अपने प्रत्यावर्तन के विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिट-पिटीशन दाखिल करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था। मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का समादर करते हुए उन्हें मुख्य अभियंता (पूर्वी क्षेत्र) वाराणसी के कार्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया है।

उक्त स्थिति में इन्हें किसी भी वृत्त का चार्ज नहीं दिया गया है।

61–श्री ऊदल–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि (श्री एन0 एन0 सिन्हा) सा0 नि0 वि0, यांत्रिक खण्ड, इलाहाबाद में जब सहायक अभियंता, यांत्रिक के पद पर थे, तो इन्होंने टेंडर में हेराफेरी की और अधिक दरों पर फिटिंग का क्रय कराया था? क्या यह सही है कि इन्हें इलाहाबाद में ही अधिशासी अभियंता, यांत्रिक बनाया गया तो इन्होंने 15 हजार के रद्दी केबुल की खरीद कराई? क्या यह सही है कि इसकी जांच 44वां वृत्त के द्वारा कराई जा रही है और 20 हजार का और केबिल खराब है? क्या यह सही है कि दोनों केबिल प्रतापगढ़ के अधिशासी अभियंता के यहां पड़े थे? उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री विद्या भूषण–

यान्त्रिक खण्ड, इलाहाबाद में इस प्रकार का कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं है जिस से श्री एन0 एन0 सिन्हा द्वारा टेण्डरों में हेरा फेरी किये जाने की बात की पुष्टि की जा सके।

फिटिंग के अधिक दरों पर क्रय कराये जाने के विषय में संबंधित खण्ड में उपलब्ध किसी भी अभिलेख से जानकारी नहीं मिलती।

विद्युत यांत्रिक खण्ड इलाहाबाद में श्री एन0एन0 सिन्हा, सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने श्री जे0 एन0 कपूर अधिशासी अभियंता वि0/यां0 खण्ड इलाहाबाद के सेवा निवृत्त होने पर अपने

पद के साथ-साथ 14-7-74 को अधिशासी अभियंता का अतिरिक्त कार्यभार भी ग्रहण किया था। उस अवधि में श्री एन0 एन0 सिन्हा ने रु0 72460.49 के कई प्रकार के केबिल का आई0 टी0 आई0 प्रतापगढ़ के लिये क्रय कराया था। ये केबिल रद्दी नहीं थे।

जी हां, इसकी जांच 44वां वृत्त वि0/यां0 के अधीक्षण अभियंता से कराई गयी। वर्ष 1974 से कुछ केबिल का प्रयोग न हो पाने के कारण यह अनुपयोगी हो गया जिसके लिये जिम्मेदारी तय करने की कार्यवाही हो रही है। रु0 7,2460.49 पैसे के केबिल में से रु0 9,720/- का केबिल खराब है।

जी हां, 1300 स्क्वा0 एम0 एम0-3 कोर का 40 मीटर लम्बाई में हाई टेंशन केबिल प्रा0 खण्ड प्रतापगढ़ तथा 300 स्क्वायर एम0 एम0 साढ़े तीन कोर 110 मीटर लम्बाई के केबिल वि0/यां0 खण्ड प्रतापगढ़ में हैं। 300 स्क्वायर एम0 एम0 तीन कोर के रु0 9720/- केबिल जो बेकार हो गया है। इस विषय में जिम्मेदारी निर्धारित की जा रही है। दूसरे 300 स्क्वायर एम0 एम0 साढ़े तीन कोर के 110 मीटर लम्बाई के केबिल के उपयोग की कोशिश की जा रही है।

62—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एन0 एम0 सिन्हा, अधिशासी अभियंता, यांत्रिक सार्वजनिक निर्माण विभाग को 20-10-81 को शासन ने रिवर्सन आदेश दिया था? क्या यह सही है कि इनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चल रहा था ? यदि हां, तो विभाग ने पैरवी क्यों नहीं की? क्या सरकारी वकील हाजिर थे? क्या यह भी सही है कि सरकारी वकील डी0 जी0 सी0, वाराणसी ने 44वां वृत्त, वाराणसी में अधीक्षण अभियंता के चार्ज की संस्तुति भी की है? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी?

श्री विद्या भूषण—

श्री एन0एन0 सिन्हा को शासन के आदेश दिनांक 26-9-81 के द्वारा अधिशासी अभियंता के पद पर प्रत्यावर्तित किया गया था जिसके विरुद्ध श्री सिन्हा ने उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन दाखिल करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था। उक्त परिपेक्ष्य में उन्हें मुख्य अभियंता सा0 नि0 वि0 वाराणसी के कार्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया।

उक्त रिट पिटीशन का शासन द्वारा प्रतिवाद किया जा रहा है। अतः शेष प्रश्न नहीं उठते हैं।

वाराणसी नगर में विद्युत आपूर्ति

63—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर में 28-6-83 से 7-7-83 तक विद्युत आपूर्ति ठीक नहीं रही है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है, क्या सरकार इसकी जांच करायेगी?

श्री ब्रह्मदत्त—

प्रश्नगत समय में वाराणसी नगर के चौक क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में कुछ व्यवधान था। चौक क्षेत्र में 6.6 के0 वी0 भूमिगत लाईन पावर हाउस से आती है। जिसका ब्रेक डाउन हो गया था तथा फाल्ट न मिलने के कारण केबिल निर्जीव रखना पड़ा था एवं उस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति 11/6.6 के0 वी0 टाउनहाल उपकेन्द्र से की जा रही थी, जिसकी सीमित क्षमता थी। उक्त उपकेन्द्र पर लोड अधिक हो जाने के कारण सायंकाल आवश्यक रोस्टरिंग की आवश्यकता पड़ रही थी। उन्हीं दिनों में 400 के0 वी0 ए0 का पठानीटोला का ट्रांसफरमर जल जाने के कारण उसके स्थान में 250 के0 वी0 ए0 का ट्रांसफरमर

लगाना पड़ा, क्योंकि कि उस समय 400 के0 वी0 ए0 का ट्रांसफारमर उपलब्ध नहीं था, जिससे मच्छोदरी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था। उस समय दोनों क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति में कमी कर दी गयी थी। अन्य क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति साधारणतया सामान्य थी।

इस तरह के फाल्ट होना स्वाभाविक है। अतः जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है।

गांव रमदत्तपुर, थाना जन्सा, जिला वाराणसी में सशस्त्र डकैती तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी

64—श्री ऊदल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव रमदत्तपुर (तिवारीपुर), थाना जन्सा, जिला वाराणसी में दिनांक 6-7-83 की रात में सशस्त्र डकैती पड़ी और शंकर यादव को गोली से उड़ा दिया और डकैत हजारों की सम्पत्ति लूट ले गए? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। इस संबंध में एक अभियोग अन्तर्गत धारा 396 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया। विवेचना से दो नामांकित अभियुक्तों के अतिरिक्त 11 अन्य अभियुक्त प्रकाश में आये जिनमें से दो अभियुक्त गिरफ्तार किये गये, 1 पर न्यायालय के माध्यम से वारन्ट तामिल कराया गया तथा 10 ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया। विवेचनोपरान्त 10 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

गांव अहरक, थाना बड़ागांव, जिला वाराणसी में डकैती सहित हत्या

65—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव अहरक, थाना बड़ागांव, जिला वाराणसी में 3 व 4 जुलाई, 83 की रात में सशस्त्र डकैती पड़ी और एक व्यक्ति को गोली मार कर हत्या कर दी तथा एक लड़की तथा एक महिला को बम से घायल कर दिया गया? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां। प्रश्न में उल्लिखित घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु के अतिरिक्त एक लड़की तथा एक और अन्य व्यक्ति घायल हुए थे। घटना के संबंध में एक अभियोग अन्तर्गत धारा 396 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया। इस अभियोग में 2 नामांकित अभियुक्तों के अतिरिक्त प्रकाश में आये 16 अन्य अभियुक्तों में से 10 के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

66—श्री ऊदल—

[दिनांक 21-2-84 को तारांकित प्रश्न संख्या-7 द्वारा उत्तरित।]

खाद्यान्न योजना में प्राथमिकता के आधार पर डामर लेपन का कार्य तथा मार्गों को पक्का करने के प्रस्तावों पर विचार

67—श्री ऊदल—

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के छठें मंगलवार के अता0 प्र0 सं0 99, 100 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सा0 नि0 मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद्यान्न योजना नं0 3, 4 व 5 पर प्राथमिकता के आधार पर डामर लेपन का कार्य थोड़ा-थोड़ा कराने पर विचार सरकार करेगी और उक्त योजनाओं में बनी सड़कों को धन स्वीकृत करने पर विचार करेगी?

श्री विद्या भूषण—

जैसा कि प्रश्न संख्या-99 के उत्तर में बताया जा चुका है, केवल खाद्यान्न योजना नं0-3 ही लेपन स्तर तक स्वीकृत है। उसके अन्तर्गत स्वीकृत मार्गों के लिये उपलब्धता के अनुसार धन की व्यवस्था की जा

रही है। खाद्यान्न योजना 4 और 5 के अंतर्गत बने मार्ग अब जिला योजना के अंतर्गत आते हैं और उनको पक्का करने के प्रस्तावों पर विचार सम्बन्धित जिला समितियों द्वारा किया जाता है।

पिंडरा दवेराई सराय मार्ग, वाराणसी में कुटाई कराकर डामर मार्ग बनाने की स्वीकृति

68—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री अता0 प्र0 सं0 110 दिनांक 15-3-83 के उत्तर के सन्दर्भ में कृपया बतायेंगे कि उक्त पिंडरा, दवेराई सराय मार्ग, वाराणसी को डामर लेपन करा दिया जायगा? क्या यह भी सही है कि प्रश्नकर्त्ता ने मंत्री जी को उक्त मार्ग को डामर लेपन हेतु एक पत्र फरवरी, 83 में दिया था? क्या उक्त मार्ग पर प्रश्नकर्त्ता का गांव दवेराई पड़ता है? यदि हां, तो सरकार प्राथमिकता देकर इस मार्ग को बनवाने की व्यवस्था करेगी?

श्री विद्या भूषण—

सूचना एकत्र की जा रही है।

69—श्री ऊदल—

[10 वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

थाना फूलपुर चौलापुर, रोहनिया, मिर्जामुराद, जिला वाराणसी में डकैती डालने की योजना में दर्ज किये गये मुकदमों पर कृत कार्यवाही

70-71—श्री ऊदल—

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 7वें मंगलवार के अता0 प्र0 सं0 44 के उत्तर के संदर्भ में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना फूलपुर, चौलापुर, रोहनिया, मिर्जामुराद जिला वाराणसी में डकैती डालने की योजना में रजिस्टर्ड किये गये मुकदमों में क्या कार्यवाही की गयी है?

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डकैती डालने की योजना में थाने में दर्ज किये गये सभी मुकदमों के मजमून एक ही प्रकार के हैं? क्या सरकार इस बात की जांच करायेंगी?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रश्न के स्वरूप, विषय तथा प्रश्नगत विवरण के विस्तार और इसे तैयार करने में लगने वाले समय, श्रम तथा व्यय को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न का उत्तर दिया जाना जनहित में नहीं है।

कस्बा मड़ियाहूं, जिला जौनपुर में सर्वदलीय कार्यकर्त्ताओं द्वारा प्रदर्शन तथा लाउड स्पीकर प्रयोग करने की अनुमति।

72—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ता0 16-3-83 को कस्बा मड़ियाहूं, जिला जौनपुर में धारा 144 लगा दी गयी थी तो क्या यह सत्य है कि लाउडस्पीकर लगाकर मड़ियाहूं तहसील के अंतर्गत 17-3-83 को प्रशासन व पुलिस के पक्ष में एक सभा की गयी? यदि हां, तो इस संबंध में एक दरख्वास्त परगनाधीश मड़ियाहूं को 17-3-83 को दो बजे दिन तथा दूसरी दरख्वास्त 4 बजे दिन श्री गौरी शंकर यादव ने दी और एक टेलीग्राम जिलाधीश जौनपुर को 17-3-83 को दिया गया? यदि हां, तो इन अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं। दिनांक 17-3-83 को कस्बा मड़ियाहूं जिला जौनपुर में धारा 144 लगाई गई थी तथा उसी दिन सर्वदलीय कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया किन्तु उसमें लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं किया गया। प्रश्न में उल्लिखित दो प्रार्थना-पत्र दिनांक 17-3-83 को प्राप्त

हुए जिनमें लाउड स्पीकर का प्रयोग करने की अनुमति मांगी गई थी। इसी प्रकार एक तार भी प्राप्त हुआ किन्तु शान्ति व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लाउड स्पीकर प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी गयी।

ग्राम हिलन्दरपुर, थाना जमानियां, जिला गाजीपुर की औरतों को थानाध्यक्ष द्वारा कथित पिटाई

73—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि गांव हिलन्दरपुर, थाना जमानियां, जिला गाजीपुर की अनेक औरतों को थानाध्यक्ष जमानियां ने हवालात में बंद करके पिटाई की है? जिसकी रिपोर्ट अप्रैल के आखिरी व मई, 83 के प्रथम सप्ताह में एस0 पी0 व जिलाधीश गाजीपुर को दी गयी? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी? क्या सरकार इस घटना की जांच सी0 आई0 डी0 से करायेगी?

श्री श्रीपति मिश्र—

ग्राम हिलन्दरपुर नाम का कोई भी ग्राम थाना जमानियां, जिला गाजीपुर क्षेत्र में नहीं है। अन्य प्रश्न नहीं उठता।

बाला उर्फ बालकिसुन व किशुनचान्दर की पुलिस एवं डकैतों के बीच हुई मुठभेड़ में मृत्यु

74—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सिंगारपुर, थाना सैदपुर, जिला गाजीपुर की श्रीमती कलावती देवी स्त्री बाला उर्फ बालकिसुन ने एक टेलीग्राम 1-8-81 को डी0 आई0 जी0 पुलिस वाराणसी को दिया है कि दिनांक 31-7-81 को समय 8 बजे रात को पुलिस उनके पति बाल किसुन व बड़ेलाल बिशुनचन्दर को उनके घर से पकड़ कर ले गयी जिसका अभी तक पता नहीं है? यदि हां, तो इस पर डी0 आई0 जी0 ने क्या कार्यवाही की? क्या यह सही है कि इस घटना के बारे में टेलीग्राम एस0 पी0 गाजीपुर व मुख्य मंत्री को भी कलावती ने 3-8-81 को दिया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या यह सही है कि बाला उर्फ बाल किशुन व विशुनचन्दर पुत्र हरी की हत्या फर्जी पुलिस डाकू मुठभेड़ दिखाकर उस वक्त थानाध्यक्ष सैदपुर जिला गाजीपुर ने कर दी? इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत तार पुलिस उप महानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र के कार्यालय में दिनांक 3-8-81 को प्राप्त हुआ था जिसे पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर के यहां जांच हेतु भेज दिया गया।

श्रीमती कलावती देवी द्वारा पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर को संबोधित पत्र दिनांक 3-8-81 की प्रति शासन को भी प्राप्त हुई थी जिसे पुलिस उप महानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र को जांच हेतु भेज दिया गया था किन्तु जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

जी नहीं। प्राप्त सूचनानुसार बाला उर्फ बालकिसुन व किशुनचन्दर दिनांक 1/2-8-81 की रात्रि में थाना सैदपुर की पुलिस एवं डकैतों के बीच हुए मुठभेड़ में मारे गये थे तथा यह घटना सही है। अतः इस संबंध में थानाध्यक्ष के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

76—श्री ऊदल—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

थाना जमानियां जिला गाजीपुर में दस्यु पुलिस मुठभेड़, मृत व्यक्तियों के नाम तथा विभिन्न राजनैतिक दलों के व्यक्तियों द्वारा अधीक्षक, गाजीपुर को दिया गया पत्र

77–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना जमानियां जिला गाजीपुर में जनवरी, फरवरी तथा 15 मार्च, 83 में कितनी पुलिस-डाकू मुठभेड़ हुई और कौन-कौन लोग मारे गये, उनके नाम व पते क्या हैं?

श्री श्रीपति मिश्र–

प्राप्त सूचनानुसार थाना जमानियां, जिला गाजीपुर में प्रश्नगत अवधि में दस्यु-पुलिस मुठभेड़ की 3 घटनाएं हुई जिनमें मृत तीन दस्युओं के नाम व पते निम्नलिखित हैं:–

(1) भैरो भर पुत्र भगेलू भर, निवासी वसुका, थाना गहमर, जनपद गाजीपुर।

(2) राम गहन पुत्र चरित्तर निवासी ग्राम तेलरा, थाना शिव सागर, जिला रोहतास (बिहार)।

(3) मर्याद यादव पुत्र राम नन्दन यादव, निवासी सब्बलपुर खुर्द, थाना जमनियां, जिला गाजीपुर।

78–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राजनैतिक दलों के सर्वश्री अवधेश नारायण सिंह, अभयनारायण सिंह, सीताराम पाण्डेय, असगर अली आदि 10 मार्च से लेकर 17 मार्च तक एस0 पी0 गाजीपुर से प्रतिनिधि मंडल के रूप में मिले और पत्रक दिया है? क्या यह सही है कि उस पत्र में थाना जमानियां के थानाध्यक्ष एन0 पी0 त्रिपाठी के खिलाफ फर्जी इनकाउन्टर करने एवं कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव, सह सचिव क्रमशः विश्वनाथ शास्त्री व लक्ष्मण यादव को थानाध्यक्ष द्वारा जान से मारने का आरोप लगाया है? यदि हां, तो एस0 पी0 ने क्या कार्यवाही की?

श्री श्रीपति मिश्र–

प्रश्न में विभिन्न राजनैतिक दलों के विभिन्न व्यक्तियों द्वारा पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर से मिलने और पत्र देने की तिथि 10 मार्च से 17 मार्च तक का उल्लेख है। वर्ष विशेष का उल्लेख न होने के कारण उत्तर देना संभव नहीं है।

अन्य प्रश्न नहीं उठते।

गांव खजुही, थाना पैकोलिया, जिला बस्ती की पुलिस के विरुद्ध डकैती व मारपीट की घटना का पंजीकृत अपराध

79–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव खजुही, थाना पैकोलिया जिला बस्ती में मई, 83 के प्रथम या दूसरे सप्ताह में थानाध्यक्ष तथा सिपाहियों ने कई युवतियों का शीलहरण किया और एक व्यक्ति को हिरासत में बंद करके पीट-पीट कर हत्या कर दी है? क्या यह भी सही है कि तीन व्यक्तियों को जबरदस्ती खींच कर पुलिस थाने ले गयी? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री श्रीपति मिश्र–

जी नहीं। अपितु दिनांक 30 अप्रैल, 1983 को ग्राम खजुहा में कथित घटना के सम्बन्ध में श्रीमती देवश्री देवी द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी जिसका विस्तृत विवरण प्रश्न संख्या-80 के उत्तर में अंकित है।

80—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना पैकोलिया, जिला बस्ती की पुलिस उक्त गांव में डकैती डालने गयी थी? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी से करायी जा रही है? क्या पुलिस के खिलाफ हत्या, डकैती, मारपीट करने का मुकदमा कायम किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती देवश्री देवी पत्नी श्री कोका सिंह ग्राम खजुहा, थाना-पैकोलिया के शिकायती पत्र दिनांक 30-4-83 के आधार पर थाना-पैकोलियां के पुलिस कर्मियों के विरुद्ध एक अपराध भा0 द0 वि0 की धारा 147/395/323/325/427/504/506 के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ है जिसकी विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा करायी जा रही है। उक्त अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट में पुलिस के विरुद्ध हत्या का आरोप न होने के कारण पुलिस के विरुद्ध डकैती व मारपीट आदि का अपराध पंजीकृत किया गया है परन्तु हत्या का अपराध नहीं कायम किया गया है।

एन0 टी0 पी0 सी0 परियोजना की इकाई रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बीजपुर हेतु ग्राम बीजपुर के काश्तकारों की अध्याप्त की गई भूमि एवं प्रतिकर का भुगतान

81—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव बीजपुर तहसील दुद्धी जिला मिर्जापुर को एन0 टी0 पी0 सी0 परियोजना की इकाई में ले लिया गया है और पी0 के0 रमैया कम्पनी के द्वारा उक्त गांव एवं क्षेत्र का समतलीकरण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है? यदि हां, तो किसानों की ली गई जमीन आदि का मुआवजा अब तक क्यों नहीं दिया गया और बीजपुर के ग्रामीणों को दूसरे स्थान पर बसाने के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री ब्रह्म दत्त—

एन0 टी0 पी0 सी0 परियोजना की इकाई रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बीजपुर के लिए ग्राम बीजपुर तहसील दुद्धी जिला मिर्जापुर के काश्तकारों की कृषि भूमि 301-609 एकड़ एवं आबादी भूमि 5-406 486 एकड़ भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अन्तर्गत अध्याप्ति की गयी। इस भूमि को मालिकों को निर्विवाद भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का मुआवजा वितरित कर दिया गया है। अब केवल न्यायालय में विवादित भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्ति का प्रतिकर देना अवशेष है अथवा जो कास्तकार प्रतिकर लेने नहीं आये। विस्थापित कास्तकारों को मकान के लिए एन0 टी0 पी0 सी0 द्वारा भूमि आवंटित कर दी गयी है और संबंधित कास्तकार अपने-अपने रहने के लिए मकान बना रहे हैं।

82—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 10 फरवरी, 83 को उक्त पी0 के0 रमैया कम्पनी ने मा0 राम प्यारे पनिका एम0 पी0 व अतिरिक्त जिला अधिकारी के सामने 20 मार्च, 83 तक मुआवजा देने की घोषणा की थी? यदि हां, तो घोषणा के अनुसार मुआवजा अब तक क्यों नहीं दिया गया?

श्री ब्रह्मदत्त—

यह पता नहीं कि 20 मार्च, 83 तक प्रतिकर भुगतान का कोई आश्वासन पी0 के0 रामैया कम्पनी द्वारा दिया गया, पी0 के0 रामैया कम्पनी द्वारा आश्वासन देने का प्रश्न नहीं उठता

क्योंकि प्रतिकर का वितरण भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा किया जाता है।

मौजा कूटाताली सिवाल में पुलिस डाकू मुठभेड़ में डकैत बाला उर्फ बाल किशुन तथा किशुन चन्द्र की मृत्यु पर परगना मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच

83—श्री ऊदल—

क्या प्रश्नकर्ता को भेजे गये अ0 शा0 प0 सं0 2739 टी/आठ-11 (2) एक्यू/83 उ0 प्र0 सरकार गृह (पुलिस) अनुभाग—11 दिनांक 6 मई, 1983 के संबंध में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1/2-8-81 की रात्रि में मौजा कूटाताली सिवाला में पुलिस डाकू मुठभेड़ में जो बाला उर्फ बाल-किशुन तथा किशुन चन्द मारे गये थे उनके संबंध में जो रिपोर्ट थाने में लिखी गयी थी वह क्या है?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रश्नगत मुठभेड़ के संबंध में दिनांक 2-8-81 को थानाध्यक्ष, सैदपुर ने अभियोग संख्या-155/156/157 तथा 158/81 अन्तर्गत धारा 339/402/307 भा0 दं0 वि0 एवं 25 आर्म्स एक्ट थाना सैदपुर में पंजीकृत कराया।

84—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त डकैतों के विरुद्ध क्रमशः 14 एवं 7 अपराध कहां-कहां और किन-किन थानों में किन दफाओं में पंजीकृत किये गये थे और किन-किन मुकदमों में कठोर कारावास की सजा मिली थी? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त मुठभेड़ में जिसमें उपरोक्त डकैत मारे गये थे कोई जांच मजिस्ट्रेट की करायी गयी थी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रश्नगत दस्युओं के विरुद्ध पंजीकृत अपराधों तथा उनमें दिए गए कारावास की सजा का विवरण संलग्न है।

उक्त मुठभेड़ की जांच परगना मजिस्ट्रेट, सैदपुर द्वारा की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 152 पर।)

ग्राम मठसरैया, थाना सैदपुर में पुलिस डाकू मुठभेड़ में दस्यु किशोरी की मृत्यु तथा उसकी मैजिस्टीरियल जांच

85—श्री ऊदल—

प्रश्नकर्ता को भेजे गए अ0 शा0 प0 सं0 2739 टी/आठ 11-(2)-एक्यू/83 उ0 प्र0 सरकार गृह (पुलिस) अनुभाग—11 दिनांक 6 मई, 1983 के क्रम में क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 24/25-10-81 की रात्रि में ग्राम मठसरैया, थाना सैदपुर में जो पुलिस डाकू मुठभेड़ में किशोरी मारा गया था उसके सम्बन्ध में जो रिपोर्ट थाने में अंकित की गयी है, वह क्या है?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्रश्नगत मुठभेड़ के सम्बन्ध में दिनांक 25-10-81 को थानाध्यक्ष सैदपुर ने अभियोग संख्या—242 अन्तर्गत धारा 399/402/307 भा0 दं0 वि0 व 25 आयुध अधिनियम थाना सैदपुर में पंजीकृत कराया।

86—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 24/25-10-81 की मुठभेड़ के अलावा किशोरी के खिलाफ जो 24 अभियोग पंजीकृत है वह कब-कब कहां-कहां किन-किन धाराओं में थे और उनमें क्या कार्यवाही हुई थी? क्या सरकार इस फर्जी मुठभेड़ की जांच सी0 आई0 डी0 से कराने की कृपा करेगी?

श्री श्रीपति मिश्र–

मृतक दस्यु किशोरी के विरुद्ध पंजीकृत अपराधों का विवरण संलग्न है। उक्त पुलिस डकैत मुठभेड़ की घटना की मजिस्टीरियल जांच की जा रही है। इस मामले की अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा जांच किए जाने का कोई औचित्य नहीं है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 153 पर।)

ग्राम कनकपुर में हुई मुठभेड़ में मृत दस्यु सरजू यादव के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरण

87–श्री ऊदल–

प्रश्नकर्ता को संबोधित अ0 शा0 प0 सं0 2739/आठ-11 (2)/एक्यू/83 गृह (पुलिस) अनुभाग–11 दिनांक 6 मई, 1983 के क्रम में क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि 2/3-1-82 की रात्रि में ग्राम कनकपुर में हुई मुठभेड़ में डकैती सरजू यादव को थानाध्यक्ष, जमानियां ने मारा था उसके विरुद्ध 10 अभियोग कहां-कहां किन-किन दफाओं में पंजीकृत किये गये थे और उनमें क्या कार्यवाही की गयी थी? क्या सरकार ने इसकी जांच मैजिस्ट्रेट से करवायी थी? यदि हां, तो जांच क्या है?

श्री श्रीपति मिश्र–

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत मुठभेड़ में मृत दस्यु सरजू यादव के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों आदि का विवरण संलग्न है।

उक्त घटना की जांच परगना मजिस्ट्रेट जमानिया द्वारा की जा रही है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 154 पर।)

मौजा राजपुर शाह, कस्बा जमानिया के निकट हुई दस्यु पुलिस मुठभेड़ में राम जियावन राय व बूटन राय की मृत्यु तथा पंजीकृत अभियोगों का विवरण

88–श्री ऊदल–

उपरोक्त प्रश्न के क्रम में क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 27/28-5-82 की रात्रि में कहां मुठभेड़ हुई थी जिसमें जियावन राय व बूटन राय मारे गये थे? इनके विरुद्ध क्रमशः 10 एवं 7 अभियोग कहां-कहां किन-किन दफाओं में कब पंजीकृत किये गये थे? उसमें क्या कार्यवाही की गयी थी? क्या इनको आजीवन कारावास किसी भयानक अपराध में मिला था? क्या इन सबकी जांच की गयी थी?

श्री श्रीपति मिश्र–

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत दस्यु पुलिस मुठभेड़ मौजा राजपुर शाह कस्बा जमानिया के निकट हुई थी जिसमें राम जियावन राय व बूटन राय मारे गये थे। इनके विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 154 पर।)

भैदपुर के पास हुई मुठभेड़ में मृतक दस्यु भैरोंभर का आपराधिक विवरण तथा जांच

89–श्री ऊदल–

प्रश्नकर्त्ता को संबोधित अ0 शा0प0 सं0 2739/आठ 11-12/एक्यू/83 गृह पुलिस अनुभाग-11 दिनांक 6 मई, 1983 के क्रम में क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 6-1-83 की रात्रि में भैदपुर के पास हुई मुठभेड़ में जो भैरोंभर मारा गया था, के खिलाफ 14 अभियोग किन-किन दफाओं में कहां-कहां पंजीकृत किये गये थे और किन अभियोगों में कब कठोर कारावास की सजा मिली थी? क्या इस मामले में

मैजिस्ट्रेट की जांच कराई गयी है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है?

श्री श्रीपति मिश्र–

मृतक दस्यु भैरोंभर का आपराधिक विवरण संलग्न है। मामले की जांच परगना मजिस्ट्रेट, जमानियां द्वारा की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 155 पर)

ग्राम मथारा, थाना जमानियां के निकट हुई पुलिस मुठभेड़ में दस्यु राम गहन की मृत्यु तथा उसके विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों का विवरण

90–श्री ऊदल–

उपरोक्त के क्रम में क्या गृहमंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 3-2-83 की मुठभेड़ जिसमें रामगहन बिहार निवासी मारा गया था यह मुठभेड़ कहां हुई थी और इसके खिलाफ 7 अभियोग कहां-कहां पंजीकृत किन-किन धाराओं में हुये हैं? क्या सरकार ने इसके बारे में बिहार सरकार से भी जानकारी हासिल की है? यदि हां, तो वह क्या है? क्या इसमें भी मैजिस्ट्रेट की जांच करायी गयी है?

श्री श्रीपति मिश्र–

प्रश्न में उल्लिखित मुठभेड़ ग्राम मथारा, थाना जमानियां के निकट हुयी थी। दस्यु राम गहन के बारे में बिहार सरकार द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गयी। मामले की जांच परगना मजिस्ट्रेट जमानियां द्वारा की जा रही है। मृतक राम गहन के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 156 पर)

मृतक दस्यु मर्याद थाना जमानियां, गाजीपुर के विरुद्ध पंजीकृत अपराधों का विवरण

91–श्री ऊदल–

उपरोक्त के क्रम में क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 20-2-83 की मुठभेड़ में मर्याद यादव को जमानियां के थानाध्यक्ष एन0 पी0 त्रिपाठी ने किस जगह डाका की योजना बनाते हुए मारा? इसके विरुद्ध 4 अभियोग कहां-कहां पंजीकृत किन-किन धाराओं में किये गये थे और उनमें क्या कार्यवाही की गयी है? क्या मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराई गई? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है?

श्री श्रीपति मिश्र–

दस्यु मर्याद यादव, ग्राम देवरिया, थाना जमानियां के पश्चिम तरफ बाग में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया था। इस मामले की मैजिस्टीरियल जांच परगना मैजिस्ट्रेट जमानियां द्वारा की जा रही है। मर्याद यादव के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 157 पर)

श्री सूरज प्रसाद उपाध्याय, गांव शंभूपुर, थाना जन्सा, वाराणसी के विरुद्ध दर्ज मुकदमें की जांच

92–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना जैंसा जिला वाराणसी में दिनांक 9-10-82 को एक फर्जी मुकदमा 389, 504, 506 व 323 का सूरज प्रसाद उपाध्याय पुत्र ठाकुर प्रसाद गांव शंभूपुर थाना जैंसा जिला वाराणसी के ऊपर कायम किया गया है? क्या यह सही है कि सूरज प्रसाद हाथी बरनी इंटर कालेज वाराणसी में 12वीं कक्षा का छात्र है? यदि हां, तो इस मामले की जांच किस अधिकारी द्वारा की गयी?

श्री श्रीपति मिश्र–

प्राप्त सूचनानुसार श्री विरेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी से दिनांक 9-10-82 को थाना

जन्सा, वाराणसी में प्रश्न में उल्लिखित व्यक्ति के विरुद्ध वादी को मारने पीटने व जान से मारने की धमकी देने आदि की लिखित सूचना प्राप्त होने पर एक अभियोग अन्तर्गत धारा 379/323/504/506 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया। विवेचना से आरोप सिद्ध पाए जाने पर उक्त अभियोग में दिनांक 16-10-82 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। अभियुक्त हाथी बरनी इण्टर कालेज का छात्र बताया जाता है। मामले की विवेचना उप निरीक्षक थाना जन्सा द्वारा की गई।

स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण मेहरोत्रा, उप अर्थ नियंत्रक की ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेन्शन तथा अन्य बकाया देयों के भुगतान कराये जाने की मांग

93—श्री ऊदल—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लक्ष्मी नारायण मेहरोत्रा पशुपालन महाविद्यालय मथुरा में उप अर्थ नियंत्रक के पद पर कार्य कर रहे थे और उनकी मृत्यु 3-5-81 को सेवाकाल में ही हो गयी? यदि हां, तो उनकी ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण, फेमिली पेन्शन तथा अन्य बकाया देय का भुगतान अब तक उनकी विधवा पत्नी महारानी मेहरोत्रा 259, कुंचारजे गुरू साहूकारा जिला बरेली को न करने का कारण क्या है ? क्या स्व0 लक्ष्मी नारायण मेहरोत्रा का आदेय प्रमाण-पत्र ए0 जी0 उ0 प्र0, इलाहाबाद को बना-कर भेजा गया कि नहीं ?

श्री संजय सिंह—

जी हां।

पारिवारिक पेन्शन तथा ग्रेच्युटी हेतु प्रपत्र तथा अदेयता प्रमाण-पत्र निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पंजीकृत पत्र दिनांक 5-12-83 द्वारा महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को प्रेषित किए जा चुके हैं। अवकाश-नकदीकरण, जीवन बीमा तथा जी0पी0एफ0 की धनराशियों का भुगतान भी किया जा चुका है।

94—श्री ऊदल—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती महारानी मेहरोत्रा 259, कुंचारजे गुरू साहूकारा जिला बरेली पशुपालन महाविद्यालय मथुरा को तथा उपकुलपति श्री चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं औद्योगिक महाविद्यालय कानपुर को सन् 81 से 82 तक 15 प्रार्थना पत्र दे चुकी हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी और उसके लिए कौन-कौन से लोग उत्तरदायी हैं ? क्या मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री संजय सिंह—

श्री मेहरोत्रा की सेवा-पुस्तिका पूर्ण कराई गई, अवकाश नकदीकरण, जीवन बीमा, जी0 पी0 एफ0 का भुगतान कराया गया। पेन्शन व ग्रेच्युटी के कागजात महालेखाकार को दिसम्बर, 1983 में भेजे जा चुके हैं। इसमें हुए बिलम्ब ही के लिए किसी व्यक्ति विशेष को उत्तरदायी ठहराया जाना उचित नहीं है और न अब किसी जांच की आवश्यकता है।

श्री राम अधार के शिकायती पत्र की तत्कालीन क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच

95—श्री ऊदल—

प्रथम सत्र 83 के 6ठे मंगलवार दिनांक 15-3-83 के अता0प्र0सं0 94 के उत्तर के संदर्भ में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम अधार के शिकायती पत्र की जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी ? क्या यह सही है कि एस0 ओ0 सुरेन्द्र नाथ राय ने राम अधार को मारा था उसकी डाक्टरी मुआइना दिनांक 1-11-82 का उक्त शिकायती पत्र के साथ संलग्न

था ? उसकी जांच किससे करायी गयी ? क्या यह भी सही है कि प्रश्नकर्ता ने जो मुख्य मंत्री जी को 3-11-82 को अपने पत्र के साथ प्रार्थना पत्र भेजा था, उसमें भी डाक्टरी मुआइना लगा था ? क्या सरकार इसकी जांच पुनः किसी उच्चाधिकारी से करायेगी और श्री सुरेन्द्र नाथ राय, एस0 ओ0 के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र–

प्राप्त सूचनानुसार श्री राम अधार के शिकायती-पत्र दिनांक 3-11-82 के साथ चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 1-11-82 की प्रति संलग्न थी । इस प्रार्थना-पत्र की जांच तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा करायी गयी थी। जांच से थानाध्यक्ष सुरेन्द्र नाथ राय द्वारा राम अधार को मारने का आरोप प्रमाणित नहीं हुआ। अतः पुनः किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच कराने या थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है ।

96-97–श्री ऊदल–

[दिनांक 6-9-83 को तारांकित प्रश्न संख्या-5 द्वारा उत्तरित ।]

गांव अजईपुर, थाना फूलपुर, वाराणसी में डकैती डालने की योजना के संबंध में पंजीकृत अभियोग

98–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना फूलपुर, जिला वाराणसी में 7 अप्रैल, 83 व 9-9-82 को गांव फतेहपुर कठिरांव व गांव अजईपुर, थाना फूलपुर, वाराणसी में डकैती डालने की योजना में जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसकी एक एक रिपोर्ट मंगाकर सरकार सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? क्या दोनों रिपोर्टों का मजमून एक ही तरह का है ?

श्री श्रीपति मिश्र–

प्राप्त सूचनानुसार 7 अप्रैल, 83 को प्रश्न में उल्लिखित गांवों में डकैती डालने की योजना बनाने के संबंध में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया है । दिनांक 8/9-9-82 को ग्राम अजईपुर में डकैती डालने की योजना बनाने के संबंध में थाना फूलपुर में एक अभियोग पंजीकृत किया गया जिसमें विवेचनोपरान्त आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

उक्त गांवों में डकैती डालने की योजना बनाने के संबंध में अन्य कोई अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया है । अतः दो रिपोर्टों का मजमून एक ही तरह का होने का प्रश्न नहीं उठता । इस स्थिति में उपरोक्त पंजीकृत अभियोग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है ।

श्री राम लखन पुत्र श्री राम शिरोमणि, ग्राम धमहापुर की डकैती डालने की योजना बनाते समय गिरफ्तारी

99–श्री ऊदल–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 6ठे मंगलवार के अता0प्र0सं0 145 के उत्तर के संदर्भ में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 7-4-82 को राम शिरोमणि, धमहापुर, थाना फूलपुर के लड़के को सुबह 7 बजे रामायण सिंह, थानाध्यक्ष उसके घर से ले गए ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि राम शिरोमणि की लाइसेंसी बन्दूक, चार कारतूस व लाइसेन्स भी ले गए और डकैती डालने की योजना में बन्द कर दिया ? क्या यह सत्य है कि 7-4-82 को ही 12 बजे दिन एस0 एस0 पी0, एस0 पी0 आर0 ए0 तथा डी0 आई0 जी0 वाराणसी को प्रार्थना पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ दिया गया था और उसी की प्रतिलिपि पर प्रश्नकर्ता ने पत्र लगाकर श्रीमान्

भूरेलाल, सचिव, मुख्य मंत्री को दिया था जिस पर सी0 आई0 डी0 के जांच के आदेश हुए थे ? यदि हां, तो सी0आई0 डी0 से जांच का औचित्य क्यों नहीं पाया गया ? पुलिस अधीक्षक वाराणसी ने जांच की तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र–

प्राप्त सूचनानुसार राम लखन पुत्र राम शिरोमणि ग्राम धमहापुर को दि0 6-4-82 को डकैती डालने की योजना बनाते समय अन्य डकैतों के साथ मौके पर एक डी0 बी0 बी0 एल0 गन 12 बोर व चार कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध में पंजीकृत अभियोग धारा 399/402 भा0द0वि0 एवं धारा 25 आर्म्स एक्ट में विवेचनोपरान्त आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। घटना के संबंध में प्राप्त विभिन्न प्रार्थना-पत्रों की जांच करायी गयी। जांच से आरोप अप्रमाणित रहे। तत्कालीन सचिव, मुख्य मंत्री को दिए गए पत्र के संबंध में स्थिति पूर्व प्रश्न संख्या 145 के उत्तर में स्पष्ट की जा चुकी है। उक्त अभियोग में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका था अतः सी0आई0डी0 जांच की कोई आवश्यकता नहीं समझी गयी।

100-101–श्री ऊदल–

[10वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

जल निगम द्वारा निर्मित द्वितीय पेयजली ट्यूबवेल ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी का विद्युतीकरण

102–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल निगम द्वारा निर्मित द्वितीय पेयजल ट्यूबवेल ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी के विद्युतीकरण हेतु एक वर्ष से रुपया जमा किया गया है और बी0 एल0 एड0 फार्म भी मार्च, 83 से जमा किया गया है? यदि हां, तो अब तक विद्युतीकरण न करने का कारण क्या है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर तुरन्त विद्युतीकरण कराने का आदेश देगी ?

श्री ब्रह्मदत्त–

जल निगम द्वारा निर्मित द्वितीय पेयजल ट्यूबवेल पिंडरा, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी द्वारा इसके विद्युतीकरण हेतु रु0 10,684.00 का चेक दिनांक 4-3-82 को जमा किया गया था और बी0 एण्ड एल0 फार्म दिनांक 16-4-83 को जमा किया गया था।

उक्त कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् विद्युत परिषद् द्वारा कनेक्शन देने की प्रक्रिया चालू की गयी तथा दिनांक 30-7-83 को इसका विद्युतीकरण हेतु गया है।

गांव सभा दलालपुर, ब्लाक भदोही, थाना चौरी, जिला वाराणसी के प्रधान द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर आवश्यक कार्यवाही

103–श्री ऊदल–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा दलालपुर, ब्लाक भदोही, थाना चौरी जिला वाराणसी के प्रधान मंगल को दिनांक 28-1-83 को थाना चौरी के स0 इं0 अनिरुद्ध सिंह व सिपाहियों ने रस्सी में बांध कर साइकिल चलाकर दौड़ाते एवं मारते हुए 5 मील दूर थाने पर ले आये? यदि हां, तो प्रधान मंगल की दरख्वास्त को प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र के साथ मा0 मुख्य मंत्री को 24-2-83 को देकर जिलाधीश वाराणसी से जांच कराने की मांग की है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्रीपति मिश्र–

जी नहीं। प्राप्त सूचनानुसार श्री मांजी

के प्रार्थना-पत्र की जांच के संबंध में ग्राम प्रधान को थाने पर बुलवाया गया था ।

प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ प्राप्त प्रार्थना-पत्र जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला अधिकारी, वाराणसी को भेज दिया गया ।

श्री राम निहोर हरिजन व श्री राम धनी के बीच आबादी की जमीन के कब्जा के संबंध में विवाद की दर्ज रिपोर्ट

104—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम धनी हरिजन, गांव माधोरामपुर, थाना चौरी, जिला वाराणसी की बीस वर्ष पुरानी चहार दीवारी को स0इं0 अनिरुद्ध सिंह व दो सिपाही थाना चौरी वाराणसी ने दिनांक 26 अक्टूबर, 1982 को जाकर गिरवा दिया और उसे मारा ? क्या यह भी सत्य है कि गांव प्रधान व अन्य चार के साथ मु0 नं0 109/धारा 107/116 भी चला दिया है जो परगना हाकिम ज्ञानपुर वाराणसी के यहां विचाराधीन है। इस संबंध में रामधनी की दरख्वास्त को प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र के साथ मा0 मुख्य मंत्री को 24-2-83 को दिया है और जिलाधीश वाराणसी से जांच हेतु लिखा है ? इस पर क्या कार्यवाही की गई तथा मौके की जांच की गयी ? यदि हां, तो क्या परिणाम है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं । प्राप्त सूचनानुसार श्री राम निहोर हरिजन तथा उसकी पत्नी ने थाना चौरी में वादी व श्री रामधनी हरिजन के बीच आबादी की जमीन के कब्जा के संबंध में विवाद होने के बारे में रिपोर्ट की थी व दिनांक 23-10-83 को एक प्रार्थना-पत्र भी दिया था जिसकी जांच हेतु उप निरीक्षक अनिरुद्ध सिंह भेजे गये थे ।

जांच से दोनों पक्षों में तनाव एवं शान्ति भंग की सम्भावना पाए जाने पर दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 107/116 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालानी रिपोर्ट न्यायालय प्रेषित की गयी । मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

प्रश्न में उल्लिखित प्रार्थना पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 24-2-83 सहित प्राप्त हुआ था जिसकी क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच करायी गयी । जांच से पुलिस के विरुद्ध लगाए गए आरोप सही नहीं पाए गए । वर्तमान समय में दोनों पक्ष परगना मजिस्ट्रेट ज्ञानपुर द्वारा स्वीकृत पट्टे के अनुसार अपने-अपने पट्टे पर काबिज हैं ।

श्री बैजनाथ उपाध्याय द्वारा न्यायालय में आत्म समर्पण तथा अभियुक्तगण सूरज प्रसाद, जगरनाथ, बैजनाथ व ठाकुर प्रसाद के विरुद्ध आरोप पत्र की जांच

105—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराध संख्या 80/82, थाना जैसा, जिला वाराणसी में धारा 357/323/504/506 के अन्तर्गत बैजनाथ उपाध्याय, गांव संभूपुर, थाना जैसा, जिला वाराणसी का चालान 18-10-82 को किया गया ? क्या यह सही है कि इसमें ठाकुर प्रसाद, सूरज प्रसाद व जगन्नाथ उपाध्याय को भी शामिल किया गया है? क्या जगन्नाथ उपाध्याय ने जिलाधीश वाराणसी, एस0-एस0 पी0 वाराणसी व डी0 आई0 जी0 वाराणसी को 20-10-82 को प्रार्थना-पत्र दिया था कि उपरोक्त दोनों मुकदमें फर्जी बनाए गए हैं ? यदि हां, तो इसकी जांच किसके द्वारा करायी गयी ? क्या सरकार दोनों मामलों की जांच सी0आई0 डी0 से कराने की आज्ञा देगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं ।

प्राप्त सूचनानुसार प्रश्न में उल्लिखित अभियोग में बैजनाथ उपाध्याय ने दिनांक 18-10-82 को स्वयं न्यायालय में आत्म-समर्पण किया था किन्तु उसी दिन उन्हें

जमानत पर छोड़ दिया गया । विवेचनोपरान्त नामांकित अभियुक्तगण सूरज प्रसाद, जगरनाथ, बैजनाथ व ठाकुर प्रसाद के विरुद्ध दिनांक 4-11-82 को आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

प्रश्न में उल्लिखित दिनांक 20-10-82 का प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी, वाराणसी, वरिष्ठ स अधीक्षक, वाराणसी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी तथा प्राप्त हुआ था जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी से करायी गयी। जांच से प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोप अप्रमाणित पाए गए । प्रथम अभियोग केवल सूरज प्रसाद के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । दोनों अभियोगों में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है जो न्यायालय में विचाराधीन है अतः इन मामलों की जांच सी0आई0डी0 द्वारा कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

मिर्जापुर जनपद में अधिगृहीत भूमि के मुआवजे हेतु एन0टी0पी0सी0 से प्राप्त धनराशि का वितरण

106—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुआवजा न मिलने से कार्य बन्द कर दिया गया है ? क्या यह सही है कि एन0टी0पी0सी0 की ओर से 69 लाख रुपए मुआवजा का बहुत पहले ही प्रदेश या जिला प्रशासन मिर्जापुर को दे दिया गया है ? यदि हां, तो मुआवजे को अब तक क्यों वितरित नहीं किया गया और पुनर्वासन की व्यवस्था न करने का कारण क्या है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

यह सही है कि प्रतिकर न मिलने के कारण मई, 1983 में कुछ दिन कार्य बन्द रहा है । एन0टी0पी0सी0 द्वारा रुपया 96,18,000.00 की अग्रिम धनराशि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के पास जमा कर दी गयी थी । प्रस्तावित अभिनिर्णय तैयार करने के उपरान्त तत्कालीन विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी ने पिपरी में 2-6-83 से लेख मद्दे प्रतिकर व अनुग्रह अनुदान का भुगतान आरम्भ कर दिया है तथा विस्थापित काश्तकारों के मकान के लिए एन0टी0पी0सी0 द्वारा भूमि आवंटित कर दी गयी है और संबंधित काश्तकार अपने-अपने रहने के लिए मकान बना रहे हैं ।

ऊंचाहार तापीय विद्युत गृह, रायबरेली का निर्माण कार्य

107—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऊंचाहार तापीय विद्युत गृह, रायबरेली का निर्माण विद्युत उत्पादन निगम को दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि 2 1/2 वर्ष हो जाने के बाद भी निर्माण कार्य ठीक से नहीं हो रहा है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और निर्माण कार्य को युद्ध स्तर पर कराने की व्यवस्था करेगी ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

यह सत्य नहीं है कि ऊंचाहार तापीय विद्युत गृह का निर्माण कार्य ठीक प्रकार से नहीं चल रहा है । विद्युत गृह की प्रगति प्रतिवर्ष उपलब्ध धनराशि के अनुरूप ठीक चल रही है और जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार है ।

चूंकि कार्य की प्रगति ठीक है अतः किसी प्रकार की जांच का प्रश्न नहीं उठता । जहां तक युद्ध स्तर पर परियोजना

का कार्य कराने का सुझाव है, उपलब्ध संसाधनों से कार्यों में तीव्रता लाने का प्रयास किया जा रहा है।

रिहन्द महातापीय विद्युत गृह में ग्रामों की अधिग्रहीत की गयी भूमि तथा प्रतिकर व अनुग्रह अनुदान का वितरण

108—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रिहन्द, महातापीय विद्युत गृह में किन-किन गांवों की भूमि, मकान, बाग, कुयें, आबादी आदि को अधिग्रहीत किया गया है ? क्या यह सही है कि उन गांवों के लोगों को आज तक मुआवजा नहीं दिया गया और न तो अन्यत्र बसाने की व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त—

रिहन्द सुपर थर्मल पावर परियोजना में ग्राम बीजपुर, डोड़हर अधौरा एवं सिरसोती की भूमि, मकान, कुआं, आबादी आदि अधिग्रहीत की गयी है। सभी विस्थापितों को बसाने के लिए उन्हें भूमि आवंटित कर दी गयी है। प्रतिकर व अनुग्रह अनुदान की वितरण की स्थिति ग्रामवार निम्न प्रकार है :—

विधान सभा उत्तर प्रदेश

क्रमांक	ग्राम	अध्याप्ति क्षेत्र	प्रतिकर की धनराशि	अब तक वितरित धनराशि	अवशेष धनराशि
1	बीजपुर	301.609 प्रतिकर अनु0अनु0	15,12,812.84	12,94,380.72	2,18,431.92
		अनु0अनु0	20,26,561.11	17,76,399.67	2,50,161.44
2	बीजपुर	5.406 प्रतिकर	11,85,441.27	11,82,905.72	82,535.55
3	डोड़हर	115.930 प्रतिकर	10,70,843.81	10,39,415.98	39,426.91
		अनु0अनु0	7,77,923.17	7,77,923.77	..
4	डोड़कर	3.453 प्रतिकर	3,375.94	3,375.94	..
		अनु0अनु0	23,404.94	23,404.94	..
5	अधौरा	45.893 प्रतिकर	2,41,974.76	1,75,675.28	66,299.48
		अनु0अनु0	3,07,642.62	2,81,712.59	25,930.03
6	अधौरा	1.625 प्रतिकर	2,89,708.33	2,89,708.33	..
7	सिरसोती	9.797 प्रतिकर	56,704.20	56,704.20	..
		अनु0अनु0	65,322.03	65,322.03	..
8	सिरसोती	0.219 प्रतिकर	56,558.55	56,558.55	..

ग्राम बीजपुर व अधौरा की वही प्रतिकर व अनुग्रह अनुदान की धनराशि बंटने के लिए अवशेष है जिसके संबंध में या तो न्यायालय में विवाद चल रहा है अथवा संबंधित काश्तकार बाहर रहने के कारण प्रतिकर लेने नहीं आये ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गांव अहरिया, थाना रामपुर, जिला जौनपुर में पड़ी कथित डकैती

109—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव अहरिया, थाना रामपुर, जिला जौनपुर में तारीख 18-5-83 को कैलाश नाथ के घर पर सशस्त्र डकैती पड़ी थी और पांच महिलाओं तथा दो पुरुषों को डकैतों ने मार कर घायल कर दिया तथा हजारों रुपयों का सामान लूट ले गये ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री श्रीपति मिश्र—

प्राप्त सूचनानुसार थाना क्षेत्र रामपुर में गांव अहरिया नामक कोई गांव नहीं है। अतः अन्य प्रश्न नहीं उठता।

विकास खण्ड सितारगंज के अन्तर्गत बांध बनाने से हरिजन परिवारों को अन्यत्र बसाने की वैकल्पिक व्यवस्था

110—श्री बिहारी लाल—

क्या वन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड सितारगंज (नैनीताल) के अन्तर्गत बांध में बसे 2000 से भी अधिक हरिजन परिवारों को अन्य स्थान में बसाने की वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री संजय सिंह—

जी नहीं। कारण यह है कि यह परिवार प्रश्नगत भूमि पर अनधिकृत रूप से काबिज हैं।

111—श्री ऊदल—

[राज्य सरकार से अगम्बद्ध होने के कारण निरस्त।]

ग्राम मूसाखंड, जिला वाराणसी में हरिजनों के कब्जे में वन भूमि तथा उस पर काश्त किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

112—श्री ऊदल—

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि ग्राम मूसाखांड, तहसील चकिया, जिला वाराणसी में वन भूमि हरिजनों (चमार) के कब्जे में मुद्दत से है और वे इस पर काश्त करते चले आ रहे हैं? क्या यह सही है कि यहां नियमन की कार्यवाही नहीं की गयी और हर प्रकार के कागजात उप अरण्यपाल, रामनगर, वाराणसी में हरिजनों ने समय से दे दिया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी?

श्री संजय सिंह —

सूचना एकत्र की जा रही है।

113—श्री दूधनाथ राजभर—

[7वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-29 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

114—श्री नन्द किशोर सिंह—

[10वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

विधायक श्री रामधनी द्वारा जनपद उन्नाव के थाना हसनगंज के अन्तर्गत पुलिस चौकी मोहान के इंचार्ज के विरुद्ध दिये गये आवेदन पत्र की जांच

115—श्री सन्त बख्श रावत—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत माह नवम्बर, 1983 को विधायक (श्री रामधनी जी) ने जनपद उन्नाव के थाना हसनगंज के अन्तर्गत पुलिस चौकी मोहान के इंचार्ज के विरुद्ध घूसखोरी एवं भ्रष्टाचार की शिकायतों का आवेदन पत्र सचिव, सतर्कता विभाग, उ0प्र0 शासन के पास भेजा था, प्राप्त हुआ?

यदि हां, तो शासन द्वारा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र–

जी हां। मामले में क्षेत्राधिकारी, हसनगंज द्वारा जांच की जा रही है।

जनपद उन्नाव के थाना हसनगंज के ग्राम टिकवामऊ के निवासियों का पुलिस के विरुद्ध शिकायती पत्र

116–श्री रामकरन तथा श्री रामधनी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के थाना हसनगंज के ग्राम टिकवामऊ निवासियों का पुलिस के विरुद्ध (फर्जी मुकदमा दर्ज करने) शिकायती पत्र श्री मोहन सिंह, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 30 दिसम्बर, 83 को गृह सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को भेजा था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री श्रीपति मिश्र–

जी हां। प्रश्न में संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ। मामले में पुलिस उप महानिरीक्षक (वि0 जां0) उत्तर प्रदेश, लखनऊ के माध्यम से कराई गई। जांच में पाया गया कि विगत पंचायत के चुनाव में श्री मुरली (प्रार्थी) श्री रामानुज के पुत्र श्री रमेश चन्द्र से चुनाव हार गया। श्री मुरली ने इस सम्बन्ध में चुनाव याचिका दायर की जो न्यायालय में विचाराधीन है। इस बात से दोनों पक्षों में आपसी मनमुटाव है। दिनांक 24-11-83 को मुरली तथा अन्य रामानुज के बाग के पास की नाली काट रहे थे। रामानुज ने मुरली को मना किया। इस बात पर मुरली ने रामानुज को मारा और रामपाल ने कट्टे से फायर किया। इस सम्बन्ध में रामानुज की सूचना पर थाना हसनगंज में दिनांक 24-11-83 को मुरली तथा अन्य सात के विरुद्ध धारा 147/148/149/323/307 भा0 दं0 वि0 का मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के बाद पांच अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है। विवेचना से दो अभियुक्तों जालिपा व राजबहादुर की नामजदगी गलत पायी गयी। जांच के दौरान श्री मुरली ऐसा कोई प्रमाण नहीं प्रस्तुत कर पाया जिससे यह सिद्ध हो कि उसकी रिपोर्ट पुलिस ने नहीं लिखी। शान्ति व्यवस्था के लिये दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की गई।

जनपद फैजाबाद के बन्दीपुर ग्राम में टोंस नदी पर पुल बनाने के प्रश्न पर विचार

117–श्री माधव प्रसाद, श्री शेर बहादुर तथा श्री प्रियदर्शी जेतली–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के बन्दीपुर ग्राम में टोंस नदी पर कोई पुल बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा?

श्री विद्या भूषण–

जी हां, अभी किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रमिकों के अवकाश व त्योहारों की छुट्टी को तय करने के लिए कमेटी का गठन

118–श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री शेरबहादुर–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रम सचिव, उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 294 (HI) ×××VI–2-49 (25) (एस0 एम0)/82, दिनांक 19 जुलाई, 1982 जो रानीखेत

की त्रिपक्षीय वार्ता के निर्णय के आधार पर था, के अनुसार श्रमिकों के अवकाश व त्योहारों की छुट्टी को तय करने के लिये कोई कमेटी का गठन हुआ है? यदि हां, तो कब? उसके कौन-कौन सदस्य हैं और अब तक उसकी बैठक कब-कब हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

कानपुर के बाहर स्थित प्रदेश की सूती मिलों में नियोजित श्रमिकों के सवेतन आकस्मिक अवकाश के सम्बन्ध में श्री हर स्वरूप शर्मा, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण (3) कानपुर की अध्यक्षता में दिनांक 23 नवम्बर, 1982 को एक समिति का गठन किया गया है। समिति के सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं :—

1–श्री एस0 के0 मोदी, प्रबन्ध निदेशक, मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स क0 लि0, मोदीनगर, गाजियाबाद।

2–श्री वी0 के0 श्रीवास्तव, ज्वाइण्ट मैनेजिंग डाइरेक्टर, रजा टेक्सटाइल लि0, रामपुर।

3–अध्यक्ष, राष्ट्रीय वस्त्र निगम, उत्तर प्रदेश या उनके द्वारा मनोनीत।

4–अध्यक्ष, राज्य वस्त्र निगम उत्तर प्रदेश या उनके द्वारा मनोनीत।

5–श्री लक्ष्मी प्रसाद सिंह, महामंत्री, इण्टक, उत्तर प्रदेश, 19 लाजपतराय मार्ग, लखनऊ।

6–श्री राम प्रकाश मिश्र, 2 नवीन मार्केट, कानपुर।

7–श्री डी0 पी0 पाल, जेल रोड, सिविल लाइन्स, रायबरेली।

उप श्रमायुक्त (मुख्यालय) उत्तर प्रदेश, कानपुर समिति के सदस्य सचिव हैं।

समिति की बैठकें अब तक निम्न तिथियों को हुई हैं :–

3 फरवरी, 1983, 14 जून, 1983, 14 जुलाई, 1983, 30 सितम्बर, 1983, 21 नवम्बर, 1983 व 9 दिसम्बर, 1983। समिति की अगली बैठक 30-3-84 के लिये निर्धारित थी।

श्री बाबूराम, पुत्र राम चरन निवासी ग्राम कुसमौरी, थाना गोला, जिला लखीमपुर खीरी द्वारा दिये गये शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

119–श्री दूधनाथ राजभर–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कुसमौरी, थाना गोला गोकरननाथ, जिला लखीमपुर खीरी का निवासी श्री बाबूराम पुत्र राम चरन ने अपने भाई पर सरफ को कुछ लोगों द्वारा दिनांक 4-9-1982 को ले जाकर लापता कर दिये जाने की बाबत शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 16-9-1982 तथा 23-9-1982 को जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला लखीमपुर खीरी एवं थानाध्यक्ष, गोला गोकरननाथ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उसकी मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उन पर अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री श्रीपति मिश्र–

प्रश्नगत मामले में श्री बाबूराम पुत्र रामचरन निवासी ग्राम कुसमौरी, थाना गोला, जनपद लखीमपुर खीरी का प्रार्थना पत्र दिनांकित 16-9-82, जो जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी को सम्बोधित एवं पुलिस अधीक्षक, खीरी तथा थानाध्यक्ष, गोला को पृष्ठांकित था, प्राप्त हुआ। उक्त प्रार्थना पत्र में यह शिकायत की गयी है कि दिनांक 4-9-82 को ग्राम

कुसमौरी से करीब 9 बजे दिन बांकेलाल निवासी कुसमौरी, जिनसे परसुराम का गहरा ताल्लुक था व जिनके यहां वह खाता पीता व रहता था, बुला ले गये। बाद में बाबूराम के पूछने पर बांके लाल की औरत ने बताया कि परसुराम लखीमपुर गया है। परसुराम उसके बाद वापस नहीं आया।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर थाना गोला, जनपद लखीमपुर खीरी पर दरयाफ्तहाल कायम करके जांच की जा रही है। जांच जारी है।

श्री परसुराम, निवासी ग्राम कुसमौरी के खाता खतौनी से नाम काटे जाने का आधार

120—श्री दूधनाथ राजभर—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 4-9-1982 को श्री परसुराम पुत्र रामचरन, निवासी कुसमौरी, परगना मूड, तहसील व जिला लखीमपुर खीरी को कुछ असामाजिक व्यक्तियों द्वारा लापता कर दिया गया है और जिसका शिकायती प्रार्थना पत्र उसके भाई बाबूराम पुत्र रामचरन, निवासी कुसमौरी, परगना मूड़, जिला लखीमपुर खीरी द्वारा दिनांक 16-9-82 को जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो श्री परसुराम पुत्र रामचरन निवासी उपरोक्त के खाता खतौनी स्थित ग्राम कुसमौरी से उसका नाम काटे जाने का क्या आधार है?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां।

श्री मुन्नूलाल पुत्र दरबारी लाल निवासी ग्राम कुसमौरी, थाना गोला, जनपद लखीमपुर खीरी ने न्यायालय तहसीलदार के यहां एक वसीयतनामा दाखिल करके प्रार्थना पत्र दिया कि परसुराम ने अपनी सभी कृषि योग्य भूमि उसे वसीयत कर दी थी जो उसके नाम स्थानान्तरित कर दी जाय। इस सम्बन्ध में न्यायालय में दिये गये बयान के आधार पर तहसीलदार, लखीमपुर ने परसुराम के 5.37 एकड़ कृषि योग्य भूमि पर परसुराम का नाम खारिज करके मुन्नू लाल का नाम दर्ज कर दिया। इसी सन्दर्भ में श्री बाबूराम निवासी कुसमौरी जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा दायर किया गया वाद न्यायालय में विचाराधीन है।

ग्राम बाहरपुर एवं रसूलपुर, जिला सुल्तानपुर में हरे पेड़ों को काटे जाने के सम्बन्ध में श्रीमती प्रेमवती तिवारी, विधायिका का शिकायती पत्र

121—श्री दूधनाथ राजभर—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती प्रेमवती तिवारी, विधायिका का शिकायती पत्र दिनांक 3-1-84 जो ग्राम बाहरपुर एवं रसूलपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुलतानपुर में फलदार हरे पेड़ों को काटे जाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है?

श्री संजय सिंह—

जी हां। ग्राम बाहरपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में स्थित गाटा सं0 824, 1515/1, 1515/2, 1925, 1926 एवं 1947 तथा ग्राम रसूलपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में स्थित गाटा सं0 1152 तथा 1153 में पेड़ों के अनियमित कटान के सम्बन्ध में कथित पत्र प्राप्त हुए थे तथा उस पर मौके की जांच पड़ताल करायी गयी। जांच से

पता चला कि ग्राम बाहरपुर के उपरोक्त गाटा में कोई भी वृक्षों का कटान नहीं हुआ है और गाटा सं0 824 में कोई पेड़ नहीं है जांच के दौरान रसूलपुर ग्राम के उपरोक्त गाटों में भी कोई भी पेड़ कटा हुआ या लकड़ी नहीं पायी गयी तथा ग्राम प्रधान एवं निकटवर्ती ग्रामीणों ने अनियमित कटान के बारे में अनभिज्ञता प्रकट की।

ग्राम सभा रसूलपुर, विकास खण्ड शुकुल बाजार, जिला सुल्तानपुर में पशु चिकित्सालय खोलने की मांग

122—श्री दूधनाथ राजभर—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रसूलपुर, विकास खण्ड शुकुल बाजार, जिला सुल्तानपुर में कोई पशुधन चिकित्सालय नहीं है? यदि हां, तो क्या शासन इस ग्राम सभा में एक पशुधन केन्द्र खोलने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री संजय सिंह—

ग्राम सभा रसूलपुर, विकास खण्ड शुकुल बाजार, जिला सुल्तानपुर में कोई पशु चिकित्सालय नहीं है। ग्राम सभा रसूलपुर से लगभग 4-4 किलोमीटर की दूरी पर पशु चिकित्सालय जगदीशपुर तथा पशु सेवा केन्द्र, सिन्दुरवा स्थित है। ग्राम सभा रसूलपुर के दो दिशाओं में मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, ऐसी स्थिति में ग्राम रसूलपुर में पशु सेवा केन्द्र खोलने का प्रश्न नहीं उठता ।

123—श्री दूधनाथ राजभर—

[दिनांक 28-2-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या-91 द्वारा उत्तरित]

124—श्री दूधनाथ राजभर—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

125—श्री दूधनाथ राजभर—

[दिनांक 28-2-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या-91 द्वारा उत्तरित।]

126—श्री नन्दराम—

[10वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति हेतु पत्र पर कृत कार्यवाही

127—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा श्री सतीश कुमार पाल, अवर अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड सा0 नि0 वि0, उन्नाव के प्रार्थना-पत्र तथा न्यायालय के आदेश के साथ अपने पत्रांक संख्या 18125 ई0 ए0/27 ई0 ए0/78 दिनांक 17 जनवरी, सन् 1983 में अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति हेतु संयुक्त सचिव, सा0 नि0 अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन को भेजा था? यदि हां, तो इतना समय बीत जाने के बावजूद न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुपालन न किये जाने का कारण क्या है?

श्री विद्या भूषण—

जी हां।

प्रश्नगत पत्र के साथ कई अधिकारियों के प्रत्यावेदन प्राप्त हुए थे। इस प्रकार के समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों के सेवा अभिलेख/विवरण प्राप्त करने में समय लग रहा है। अतः मामला शासन के विचाराधीन है और कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में कुल बिजली की उत्पादन क्षमता

128–श्री प्रियदर्शी जेतली–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में बिजली का कुल उत्पादन कितना है तथा उत्पादन क्षमता कितनी है? प्रदेश भर में कितना विद्युत भार उपभोक्ताओं को स्वीकृत है और इसके अतिरिक्त कितने की मांग अपेक्षित है?

श्री ब्रह्मदत्त–

प्रदेश में वर्तमान समय में 3112 मेगावाट की घटी हुई उत्पादन क्षमता के विरुद्ध लगभग 1500 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। दिनांक 31 दिसम्बर, 1983 तक प्रदेश में कुल कनेक्टेड लोड लगभग 6100 मेगावाट है। इसके अतिरिक्त एक वर्ष में लगभग 350/450 मेगावाट लोड और जुड़ना अपेक्षित है।

श्री शाहिद हुसैन वारसी, जनरेटर अटेन्डेन्ट, राज्य कताई मिल, बाराबंकी के प्रार्थना पत्र पर उप श्रमायुक्त, लखनऊ द्वारा जांच

129–श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री शेर बहादुर–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी कताई मिल जनरेटर अटेन्डेन्ट (शाहिद वारसी) के प्रार्थना पत्र में शासन के आदेश माह 13-5-82/19-7-82 वर्ष में डी0 एल0 सी0 लखनऊ द्वारा कोई जांच हुई थी? यदि हां, तो सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट क्या है?। यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां, मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित श्री शाहिद हुसैन वारसी, जनरेटर अटेन्डेन्ट, राज्य कताई मिल, बाराबंकी के प्रार्थना पत्र दिनांक 6 अप्रैल, 1982 पर शासन के आदेश दिनांक 30 अप्रैल, 1982 के अनुसार उप श्रमायुक्त, लखनऊ द्वारा जांच की गई थी। जांच में श्री वारसी का यह आरोप कि उनसे धोखे से त्याग पत्र पर हस्ताक्षर कराके उन्हें सेवा मुक्त किया गया है, सिद्ध नहीं हुआ।

श्री वारसी को यह परामर्श दे दिया गया था कि यदि वे चाहें तो अपनी सेवा समाप्ति का विवाद संराधन समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। श्री वारसी ने अभी तक संराधन तंत्र के समक्ष अपनी सेवा समाप्ति का विवाद नहीं उठाया है।

130–श्री शंकर सिंह–

[नियम 301 के अन्तर्गत सूचना दिये जाने के कारण निरस्त।]

131–श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय–

[10वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

विधायक श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र द्वारा पार्करोड का फ्लैट देने अथवा एक अतिरिक्त कक्ष की व्यवस्था विधायक निवास में करने हेतु दिया गया पत्र

132–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 160 के सन्दर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नकर्त्ता ने वर्ष 1983 में राज्य सम्पत्ति अधिकारी को पत्र देकर अतिरिक्त आवासीय सुविधा चाहा था, उसे न दिए जाने का क्या कारण है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जिन विधायकों को यह सुविधा प्रदान की गयी है, उनमें से प्रत्येक ने अलग-अलग कितने दिनों का किराया दे दिया है? यदि नहीं,

तो उन बाकी किरायों को वसूलने का कौन सा तरीका अपनाया जा रहा है ?

श्री सुनील शास्त्री–

जी हां,

दिनांक 10-3-83 का एक पत्र पार्क-रोड का फलैट देने अथवा एक अतिरिक्त कक्ष की व्यवस्था विधायक निवास में करने हेतु प्राप्त हुआ था । पार्करोड के फलैट हेतु प्रतीक्षा सूची में नाम दर्ज किया गया है तथा विधान मण्डल के मा0 सदस्यों को अवास आदि आवंटन करने हेतु गठित समिति द्वारा लिये गये इस निर्णय के अन्तर्गत कि विधान मण्डल के सदस्यों को विधायक निवासों में अतिरिक्त कक्ष न दिये जायं, मा0 सदस्य को अतिरिक्त कक्ष की सुविधा नहीं दी जा सकी । जिन विधायकों को यह सुविधा समिति के उक्त निर्णय से पूर्व प्रदान की जा चुकी थी उनमें से प्रत्येक द्वारा जमा किये गये किराये का विवरण संलग्न है । अवशेष किराया वसूलने के लिये नियमानुसार जो भी कार्यवाही सम्भव है, की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 158 पर)

133–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

श्री मोहम्मद रजा मकबूल आदि द्वारा सार्वजनिक मार्ग को बन्द करने विषयक प्रार्थना-पत्र

134–श्री जटाशंकर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती प्रेमलता दूबे, प्रधान ग्राम सभा आम्बा, वि0खं मिहीपुरवा, जिला बहराइच एवं ग्राम प्रधान, कौंडिया, जनपद गोण्डा के सार्वजनिक मार्ग का श्री मो0 रजा मकबूल आदि द्वारा बन्द करने का प्रयास विषयक प्रार्थना-पत्र दिनांक 25-10-83 को प्रश्नकर्त्ता के कवरिंग लेटर युक्त बजरिया डाक जिलाधिकारी गोण्डा को प्राप्त हुए ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण–

जिलाधिकारी गोण्डा ने सूचित किया है कि प्रश्न में वर्णित प्रार्थना-पत्र की छानबीन करायी गयी । उसका प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

135–136–श्री उदल–

[दिनांक 27-3-84 को तारांकित प्रश्न संख्या-47-48 द्वारा उत्तरित ।]

जनपद गोरखपुर के थाना गंगहा के ग्राम शिवराजपुर में हरिजनों के घर पड़ी डकैती के संबंध में शिकायती-पत्र

137–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के थाना गंगहा के ग्राम शिवराजपुर में कई हरिजनों के घर माह मार्च, 1983 से माह अक्तूबर, 1983 तक कितनी बार डकैती हुई? क्या यह सत्य है कि सम्बन्धित थाने में उक्त अवधि में हुई डकैतियों को थानेदार ने इन हरिजनों को डरा धमका कर चोरी की रपट करने हेतु मजबूर किया, जिसके विरोध में इन हरिजनों ने एक शिकायती-पत्र रजिस्ट्री डाक द्वारा मुख्य मंत्री को दिनांक 2-2-84 ई0 में भेजा है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो ऐसा क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

138–श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी–

[9वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-158 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

नियोजन विभाग के अतिरिक्त घोषित छटनी शुदा प्रगति सहायकों का पशुपालन विभाग में समायोजन तथा ज्येष्ठता पुनर्निर्धारित करने का आदेश

139—श्री निर्मल खत्री—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1983 के पहले मंगलवार दिनांक 6-9-83 के तारांकित प्रश्न संख्या 18 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या पशुधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1966-67 में विकास खण्डों के पुनर्गठन के फलस्वरूप नियोजन विभाग के अतिरिक्त घोषित छटनी शुदा प्रगति सहायकों, जो पशुपालन विभाग में समायोजित किए गये थे ? क्या यह सही है कि शासनादेश संख्या 49/1/65 नियुक्ति (ख) दिनांक 25 सितम्बर, 1968 के प्राविधानों के विरुद्ध शासन ने निदेशक पशुपालन को दिनांक 6-12-83 को अर्द्ध शा0 पत्र लिखकर समायोजित कर्मचारियों को उनके पैतृक विभाग (नियोजन विभाग) की ज्येष्ठता के आधार पर पशुपालन विभाग में ज्येष्ठता पुनर्निर्धारित करने का आदेश दिया है?

श्री संजय सिंह—

जी हां ।

निदेशक, पशुपालन को दिये गये कथित आदेश, शासनादेश दिनांक 25 सितम्बर, 1968 के प्राविधानों के विरुद्ध नहीं है।

140—श्री निर्मल खत्री—

क्या पशुधन मंत्री को जानकारी है कि पशुपालन विभाग द्वारा अन्तिम रूप से दिनांक 23-3-81 को बनाई गयी सांख्यकीय कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची पर मा0 उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने अपने अन्तरिम आदेश दिनांक 5-8-83 में यह निर्णय दिया है कि इस मामले में समस्त पदोन्नतियां दिनांक 23-3-81 की सूची के अनुसार होती रहेंगी ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का उल्लंघन करके निदेशक, पशुपालन ने दिनांक 7-1-84 को 14 सांख्यकीय कर्मचारियों का प्रत्यावर्तन वेतनमान 570-1100 से वेतनमान 470-735 में कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री संजय सिंह—

दिनांक 23-3-81 को बनायी गयी ज्येष्ठता सूची में संशोधन करने के बारे में माननीय उच्च न्यायालय ने कोई रोक नहीं लगायी थी । अतः न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किये बिना दिनांक 23-3-81 की ज्येष्ठता सूची में दिसम्बर, 83 में संशोधन किया गया जिसके आधार पर उच्च वेतनमान में कार्यरत परन्तु कनिष्ठ पाये गये कर्मचारियों के प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 7-1-84 जारी किये गये जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिकाएं विचाराधीन हैं और न्यायालय ने कोई स्थगन/अन्तरिम आदेश अभी तक नहीं दिये हैं ।

कार्बेट संग्रहालय के रख रखाव पर व्यय

141—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि जनपद नैनीताल में कालाढूंगी स्थित जिम-कार्बेट का निवास स्थल 1965 में वन विभाग द्वारा संग्रहालय हेतु अधिग्रहित किया गया था ? यदि हां, तो उपरोक्त भवन में विगत तीन वित्तीय वर्षों में क्रमशः क्या-क्या सामग्री प्रदर्शन हेतु रक्खी गयी और कितना धन उपरोक्त सामग्री में रख-रखाव में खर्च हुआ ?

श्री संजय सिंह—

जी हां ।

वित्तीय वर्ष 1980-81 में कार्बेट संग्रहालय में पर्यटकों को आकर्षित

करने हेतु जिम कार्बेट के समय के लेख रखने हेतु 16 शो केस बनवाये गये जिस पर रु0 5,288 व्यय हुआ । इसके अतिरिक्त संग्रहालय भवन के रख-रखाव में रु0 7,880 का व्यय हुआ ।

वित्तीय वर्ष 1981-82 में कार्बेट संग्रहालय में दो शो केस बनवाये गये तथा भवन की मरम्मत एवं कम्पाउण्ड की सजावट आदि पर रु0 10·726 का व्यय हुआ ।

वित्तीय वर्ष 1982-83 में कार्बेट संग्रहालय में मुख्यतया भवन की पेन्टिंग सफाई एवं कम्पाउण्ड के रख-रखाव आदि पर रु0 6,000 का व्यय हुआ ।

142—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

[8वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 42 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

143—श्री भागीरथ—

[9वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 47 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

मऊरानीपुर जिला झांसी को सुखनई नदी रिपटा के पुल बनाने के सम्बन्ध में पत्र

144—श्री भागीरथ—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे प्रश्नकर्त्ता विधायक का दिनांक 2-9-1982 का पत्र जो मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित है, जो मऊरानीपुर जिला झांसी को सुखनई नदी रिपटा के पुल बनाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विद्या भूषण—

जी हां ।

मामला नगर विकास विभाग से सम्बन्धित होने के कारण नगर विकास विभाग को विचारार्थ प्रस्ताव भेज दिया गया है।

मऊरानीपुर जिला झांसी में बाढ़ की विभीषिका से कच्ची पक्की सड़कों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में पत्र

145—श्री भागीरथ—

क्या सर्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 1981 में कोई पत्र राज्य मंत्री, सार्वजनिक निर्माण को मऊरानीपुर, जिला झांसी में बाढ़ की विभीषिका से कच्ची, पक्की व टूटी हुई सड़कों को पक्का कराने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को राज्य पेंशन स्वीकृत किये जाने की मांग

146—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की राज्य पेंशन के सन् 1980 से सन् 1983 तक के कितने ऐसे प्रार्थना-पत्र हैं जिन पर अभी तक पेंशन स्वीकृत नहीं हुई ?

श्री राम सिंह खन्ना—

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की राज्य पेंशन के सन् 1980 से सन् 1983 तक के 791 प्रार्थना-पत्रों पर अभी तक पेंशन स्वीकृत नहीं हुई ।

ग्राम करमाकलां, थाना मेंहदावल के मुसलमानों द्वारा थानाध्यक्ष का स्थानान्तरण तथा स्वतंत्र रूप से मस्जिद के निर्माण की मांग

147—श्री मोहम्मद नबी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 3-9-83 को ग्राम करमा, कलां थाना मेंहदावल के मुसलमानों ने बस्ती जनपद के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के

इंचार्ज राज्य मंत्री श्री गोपाल राम दास को कोई पत्र इस आशय का दिया था कि थाना अध्यक्ष, मेंहदावल जनपद बस्ती साम्प्रदायिक आग भड़काने वाला अधिकारी है, और उसने मस्जिद के निर्माण कार्य को रोक दिया है जिस पर मा0 मंत्री जी ने निर्माण कार्य कराने एवं थाना अध्यक्ष के तबादले के लिए गृह सचिव को आदेश दिया था ? यदि हां, तो अब तक थानाध्यक्ष का स्थानान्तररण क्यों नहीं किया गया ? क्या मुख्य मंत्री जी थानाध्यक्ष मेंहदावल को तुरन्त स्थानान्तरित कर स्वतंत्र रूप से मस्जिद के निर्माण करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र–

प्रश्नगत पत्र तो प्राप्त हुआ है, परन्तु निर्माण कार्य कराने व थानाध्यक्ष के स्थानान्तरण के सबंध में माननीय राज्य मंत्री द्वारा गृह सचिव को आदेश दिये जाने की बातें सही नहीं हैं । अपितु माननीय राज्य मंत्री जी ने जिलाधिकारी, वस्ती को दिये गये अपने आदेश दिनांक 3-9-83 की प्रतिलिपि गृह सचिव को जिला प्रशासन को सतर्क करने एवं समुचित आदेश पारित करने के आशय से प्रेषित की थी । गृह सचिव द्वारा समुचित आदेश पारित कर दिया गया और जिला प्रशासन को सतर्क कर दिया गया । संबंधित थानाध्यक्ष का स्थानान्तरण जिले से बाहर कर दिया गया है । मस्जिद निर्माण के संबंध में जिला प्रशासन सतर्क है ।

148–श्री जगदीश सिंह–

[10वें मंगलवार के लिए स्थगित ।]

पशुपालन विभाग के सांख्यिकीय कर्मचारियों की ज्येष्ठता का उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय

149–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि पशुपालन विभाग के सांख्यिकीय कर्मचारियों की ज्येष्ठता विषयक मामले जो कि माननीय उच्च न्यायालय को लखनऊ बेंच में वर्ष 1980 से विचाराधीन है, पर बिना निर्णय हुए ही बीच में दिनांक 7-1-84 को कुछ कर्मचारियों को प्रत्यावर्तित कर दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री संजय सिंह–

जी हां ,

क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के किसी भी आदेश की अवहेलना किए बगैर नियोजन विभाग से फालतू घोषित कर्मचारियों को पशुपालन विभाग में नियोजन विभाग की पारस्परिक ज्येष्ठता प्रदान करने का निर्णय दिसम्बर, 1983 में लिये जाने के फलस्वरूप कनिष्ठ घोषित किये गये कर्मचारियों को प्रत्यावर्तित किया गया है ।

मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को अधूरे पुलों एवं मार्गों का निर्माण कराने के संबंध में पत्र

150–श्रीमती गौरी देवी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिनांक 12-1-84 एवं 24-1-84 को मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को राप्ती नदी पर गजपुर घाट, आमी नदी पर कुस्मौल एवं जरलही के पास पुल निर्मित कराने एवं डागीपार मिर्जापुर मार्ग का नाम महुई सुधरपुर मिर्जापुर करने, कंकराखोर लिंक मार्ग जनपद गोरखपुर को पूरा कराने के सम्बन्ध में दिया था ? यदि हां, तो उपरोक्त अधूरे पुलों एवं मार्गों का निर्माण कब से प्रारम्भ कराया जायेगा ?

श्री विद्या भूषण–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

151–श्री कन्हैया लाल–

[10वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन कार्यरत चतुर्थ श्रेणी, टेलीफोन, अटेन्डेन्टस की सेवाएं तथा लिया गया कार्य

152—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन कार्यरत चतुर्थ श्रेणी, टेलीफोन अटेंडेंटों से तृतीय श्रेणी का कार्य लिया जाता है और उन्हें चतुर्थ श्रेणी का ही वेतन दिया जाता है ? क्या निकट भविष्य में इन चतुर्थ श्रेणी टेलीफोन अटेंडेंटों को तृतीय श्रेणी में प्रोन्नत करके तृतीय श्रेणी का वेतन भी दिया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

श्री श्रीपति मिश्र—

राज्य सम्पत्ति विभाग के टेलीफोन, अटेंडेंटस के कुछ पद अधिक हो गये थे परन्तु इन पदों के विरुद्ध कार्यरत कर्मचारियों की सेवायें समाप्त करने के बजाय उन्हें विभिन्न जगहों पर सम्बद्ध कर दिया गया है। तृतीय श्रेणी में प्रोन्नति एवं तदनुसार वेतन देना उस समय तक सम्भव नहीं होगा जब तक तृतीय श्रेणी के पद सृजित नहीं होते तथा उन पर नियमानुसार प्रश्नगत व्यक्तियों का चयन नहीं हो जाता है।

153—श्री नन्द किशोर सिंह—

[10वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

श्री राम किशोर दुबे निवासी ग्राम बासाहत, थाना जलालपुर, जनपद फैजाबाद के आवेदन पत्र पर कृत कार्यवाही

154—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि के0 सी0 मिश्रा, विशेष कार्याधिकारी मुख्य मंत्री, सं0एम0/7206/सी0एम0-2/83 मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग-2 एनेक्सी भवन, लखनऊ द्वारा दिनांक 22-8-83 को श्री राम किशोर दूबे निवासी ग्राम बासाहत, थाना जलालपुर, जनपद फैजाबाद का आवेदन-पत्र तथा प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 13 अगस्त, 1983 का गृह सचिव विभाग को यथोचित कार्यवाही हेतु भेजा है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र—

22-8-83 को नहीं अपितु 27-8-83 को जारी मेरे कार्यालय के सन्दर्भित पत्र के साथ श्री राम किशोर दूबे का आवेदन पत्र व माननीय विधायक का पत्र दिनांक 13-8-83 सचिव, गृह विभाग को यथोचित कार्यवाही हेतु भेजा गया था। मामले की जांच क्षेत्राधिकारी अकबरपुर द्वारा करायी गयी। जांच के अनुसार ऐसी कोई घटना नहीं घटी। फलतः विवेचना अन्तिम रिपोर्ट लगाकर समाप्त कर दी गयी। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्रतिष्ठानों और उद्योगों में रिक्त पदों पर शिशिक्षुओं को खपाने का प्रयास

155—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि भारत सरकार ने अपने पत्र सं0 डी0जी0 ई0टी0 9/7-82 ए0पी0 दिनांक 23 मार्च, 1983 को प्रदेश के समस्त शिशिक्षु सलाहकारों को यह निर्देश दिया था कि प्रदेश के समस्त प्रतिष्ठानों में सम्पूर्ण रिक्त पदों के 50 प्रतिशत अप्रेंटिसों द्वारा भरा जायगा ? यदि हां, तो अब तक उक्त निर्देश का पालन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुनील शास्त्री–

भारत सरकार श्रम मंत्रालय ने केन्द्रीय शिशिक्षुता परिषद् की उप समिति की संस्तुति के आधार पर अपने पत्र द्वारा राज्यों के शिशिक्षु सलाहकारों को यह सुझाव दिये थे कि प्रतिष्ठानों और उद्योगों में 50 प्रतिशत रिक्तियों में शिशिक्षुओं को खपाने का प्रयास किया जाय ।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि प्रतिष्ठानों में रिक्त पदों में 50 प्रतिशत शिशिक्षुओं के लिए आरक्षित करने के मामले पर केन्द्रीय शिशिक्षु परिषद्, दिल्ली द्वारा बाद में जुलाई, 1983 में हुई बैठक में विचार किया गया था । उक्त बैठक में यह मत व्यक्त किया गया था कि शिशिक्षुओं के लिए किसी प्रकार का आरक्षण करना संवैधानिक न होगा । उक्त परिषद् ने यह संस्तुति की कि शिशिक्षुओं के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करना सेवायोजकों की स्वेच्छा पर छोड़ दिया जाय ।

किसी प्रतिष्ठान की रिक्तियों की पूर्ति हेतु शिशिक्षुओं को सेवायोजित करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता ।

श्री सूर्य बक्स सिंह, ग्राम व थाना पूरा कलन्दर, फैजाबाद द्वारा पुत्र की हत्या के संबंध में दर्ज रिपोर्ट

156–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के श्री सूर्य बक्स सिंह पुत्र श्री गुरु प्रसाद सिंह, ग्राम व थाना पूरा कलन्दर, फैजाबाद द्वारा दिनांक 3-4 नवम्बर, 1983 को म0नं0 346 धारा 302 आई0 पी0 सी0 के तहत अपने पुत्र की हत्या के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है ? यदि हां, तो रिपोर्ट का पूर्ण विवरण क्या है ? क्या सम्बन्धित मामले की जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र–

जी हां ।

प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न है । मामले की जांच प्रारम्भ की जा चुकी है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ 159 पर ।)

अध्यक्ष महोबा सहकारी मत्स्य-जीवी समिति लि0 महोबा, जिला हमीरपुर के प्रार्थना पत्र पर कृत कार्यवाही

157–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

श्री बलवीर सिंह विधायक रामपुर द्वारा पूछे गये विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के तीसरे सोमवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या -7 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मा0 मत्स्य पालन मंत्री बतायेंगे कि अब जबकि सन्दर्भित मुकदमों में स्थानीय ग्रामवासी जीत गए हैं और सहकारी समिति को कब्जा नहीं मिला, तो उनकी (सहकारी समिति) का जमा धनराशि जिसमें नीलामी का धन तथा दस प्रतिशत प्रतिभूति शामिल है, को ब्याज एवं हर्जाने सहित वापस क्यों नहीं की गयी ? जमानत तथा जमा धनराशि को कब तक वापस कर दिया जायगा ?

श्री संजय सिंह–

यह सही है कि संदर्भित मुकदमों में ग्राम वासियों के पक्ष में फैसला दिया गया था । इस फैसले के विरुद्ध श्री आत्माराम ने जिला जजी में एक मुकदमा दायर कर दिया है । इस प्रकार यह मामला पुनः न्यायालय के विचाराधीन है । जब तक इस मुकदमें का निर्णय नहीं हो जाता तब तक जमानत एवं ठेके की धनराशि को वापस किये जाने पर विचार किया जाना उचित नहीं होगा ।

158–श्री गोपीनाथ वर्मा –

[दिनांक 27-3-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या 108 द्वारा उत्तरित ।]

श्री बाबू सिंह व भगवान सिंह, मु0 घांसी, गंज डुण्डवारा, जिला एटा की हत्या की अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच

159–श्री हरिवंश सहाय –

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री बाबू सिंह व भगवान सिंह मु0 घांसी, गंज डुण्डवारा, जिला एटा की हत्या दिनांक 10-9-83 को कर दी गई जिसकी रपट थाना गंज डुण्डवारा जिला एटा में दिनांक 12-9-83 को लिखी गयी ? यदि हां, तो क्या उक्त घटना के सम्बन्ध में दिनांक 24-9-83 को एटा के विधायक कैलाश यादव, दिनांक 28-9-83 को इटावा के विधायक गोरे लाल शाक्य तथा दिनांक 21-10-83 को संसद सदस्य, राम नरेश कुशवाहा ने मा0 मुख्य मंत्री को पत्र लिखकर घटना की जांच सी0 आई0 डी0 से कराने की मांग की है ? यदि हां, तो जांच किस विभाग से की जा रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र –

जी हां । मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा की जा रही है ।

160–श्री हरिवंश सहाय –

[पुनर्विचार के आधार पर निरस्त ।]

जनपद मिर्जापुर के आबरा वन प्रभाग के कुरहुल-बधनारी क्षेत्र में लगाई गई रोपावनी की जांच

161–श्री विजय सिंह –

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के आबरा वन प्रभाग के कुरहुल बधनारी रोपावनी की वर्ष 1982 की जांच सितम्बर, 1983 में वन संरक्षक (श्री वाई0 सी0 राय) द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और उस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री संजय सिंह –

मिर्जापुर जनपद के आबरा वन प्रभाग के कुरहुल-बधनारी क्षेत्र में वर्ष 1983 न कि वर्ष 1982-में लगाई गई रोपावनी की जांच श्री वाई0 सी0 राय, वन संरक्षक, उपयोग वृत्त, लखनऊ द्वारा माह सितम्बर, 1983 में की गई । क्योंकि जांच करने पर कोई अनियमितता नहीं पाई गई । अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री भारत प्रसाद को स्वीकृत पेंशन

162–प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा –

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जनपद बांदा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री भारत प्रसाद को पेंशन स्वीकृत करने के संबंध में प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 9 मार्च, 83 का कोई पत्र शासन को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम सिंह खन्ना –

श्री भारत प्रसाद को पेंशन स्वीकृति के संबंध में माननीय सदस्य का पत्र दिनांक 9-3-83 गृह विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है । किन्तु श्री भारत प्रसाद को दिनांक 1 नवम्बर, 1983 से 125/-रु0 प्रतिमाह की स्वतंत्रता संग्राम राज्य पेंशन स्वीकृति की जा चुकी है । माननीय सदस्य को, उनके द्वारा मुख्य मंत्री जी को भेजे गये पत्र दिनांक 12-9-83 के उत्तर में दिनांक 21-12-83 को तदनुसार सूचित कर दिया गया है ।

जनपद इलाहाबाद में सिकन्दरा (फूलपुर) विद्युत उपग्रह से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति तथा के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य

163—श्री राधेश्याम पटेल —

क्या उर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद इलाहाबाद में विद्युत सब-स्टेशन सिकन्दरा (फूलपुर) की विद्युत आपूर्ति विस्तृत क्षेत्र में रखरखाव की समुचित व्यवस्था न हो सकने के कारण उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति निश्चित घंटों से बहुत कम होती है ? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि 1 फरवरी, 83 से 10 फरवरी, 83 तक की औसत आपूर्ति कितनी थी ? क्या इस क्षेत्र के विस्तार आधिक्य को देखते हुए समुचित विद्युत आपूर्ति हेतु एक और सब स्टेशन कायम करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त —

जनपद इलाहाबाद में सिकन्दरा (फूलपुर) विद्युत उपग्रह से उपभोक्ताओं को राज्य विद्युत परिषद द्वारा निर्धारित कार्य-क्रम के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही है । कभी-कभी विद्युत उत्पादन में अचानक गिरावट आ जाने के कारण अथवा पोषकों में स्थानीय खराबी के कारण निर्धारित, विद्युत आपूर्ति में व्यवधान पड़ता है ।

1-2-83 से 10-3-83 तक औसतन 8 घंटे 14 मिनट विद्युत आपूर्ति की गई है ।

विद्युत व्यवस्था को और सुदृढ़ करने हेतु 220 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य चल रहा है।

जनपद गोरखपुर के थाना चौक बाजार, महाराजगंज, पनियरा व झंगहा में डकैती व मृतकों के नाम

164—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के थाना चौक बाजार महाराजगंज, पनियरा व झंगहा में माह मई व जून, 83 में कितने गांवों में हुई डकैती में लोगों की जानें गयीं हैं ? ऐसे गांवों के नाम व मृतकों के नाम क्या हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र —

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद गोरखपुर के थाना चौक बाजार, महाराजगंज, पनियरा व झंगहा के गांवों में माह मई व जून, 1983 में हुई ऐसी डकैतियों जिनमें ग्रामीणों की जानें गईं, की स्थिति निम्नवत है :--

थाना	ग्राम	मृतक का नाम
चौक बाजार	माधुबनी टोला	अखिलेश
	सिंहपुर	
पनियरा	उसका	जगत नारायन मिश्र, रामनरायन मिश्र तथा रामदरस
महाराजगंज	शून्य	शून्य
झंगहा	शून्य	शून्य

जनपद गोरखपुर के अवर अभियन्ता, अधिशासी अभियंता व सहायक अभियंताओं के विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच

165—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या उर्जा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के किन-किन जे0 ई0, ई0 ई0, व सहायक अभियन्ताओं के विरुद्ध जनप्रतिनिधियों ने माह जनवरी, 82 से मई, 83 तक कनेक्शन

देने में भ्रष्टाचार करने, विलम्ब से कनेक्शन स्वीकार करने, बिना कनेक्शन रुपये लेकर फर्जी लाइन चलाने आदि की शिकायतें शासन को प्राप्त हुई हैं ? इसमें प्रश्नकर्ता की शिकायत जिसको श्री के0 सी0 मिश्र, विशेष कार्याधिकारी, मुख्य मंत्री के पत्रांक एम0/2785/सी0 एम0-2/83 मुख्य मंत्री कार्यालय अनु0-2 सचिवालय अनेक्सी भवन, लखनऊ दि0 12-5-83 के पत्र द्वारा प्राप्ति की स्वीकृति की गयी है, पर क्या कार्यवाही स्वीकृति की गयी है, पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री ब्रह्मदत्त –

जी हां, सर्वश्री के0पी0 मिश्र व आर0 आर0 सिन्हा, अवर अभियन्ता तथा श्री आर0 एस0 श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता एवं श्री एस0 एन0 शुक्ला, सहायक अभियंता के विरुद्ध शिकायतें, माह जनवरी, 82 से मई, 83 के बीच प्राप्त हुई। उक्त शिकायतों पर जांच के फलस्वरूप कोई अनियमिततायें नहीं पायी गयीं ।

प्रश्नकर्ता की शिकायत जिसकी प्राप्ति विशेष कार्याधिकारी, मुख्य मंत्री जी द्वारा स्वीकार की गई है, श्रीमती सिमिरता देवी को कनेक्शन दिये जाने के संबंध में है । श्रीमती सिमिरता देवी ने बिजली के कनेक्शन के लिए दिनांक 31-12-82 को 25/-रु0 जमा किये थे । तदुपरान्त श्रीमती सिमिरता देवी को, आवश्यक धन जमा करने व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, गोरखपुर ने अपने पत्र दिनांक 31-3-83 द्वारा सूचित किया था परन्तु आज तक न तो उन्होंने आवश्यक धन जमा किया और न ही अन्य औपचारिकतायें पूर्ण की हैं। अस्तु उन्हें बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा सका । साथ ही श्री शुक्ला, सहायक अभियंता का व्यवहार भी आम जनता के साथ अच्छा पाया गया ।

जनपद गोरखपुर के थाना महाराजगंज, बारही, झंगहा तथा चौक बाजार के पुलिस कर्मियों के विरुद्ध शिकायती पत्र

166–श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के थाना महाराजगंज चौकी बरही, थाना झंगहा, चौक बाजार के कितने पुलिस कर्मियों के (सिपाही एवं सब-इंसपेक्टर) के विरुद्ध माह मार्च, 83 से माह 10 अगस्त, 83 तक प्रश्नकर्ता ने कितनी शिकायतें की हैं ? उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्रीपति मिश्र –

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री टेक बहादुर, चौकीदार, एम0 ए0 ट्रेडिंग कम्पनी शाखा जमुनीपुर, वाराणसी की सेवा समाप्ति के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र

167–श्री ऊदल –

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टेक बहादुर चौकीदार एम0ए0 ट्रेडिंग कम्पनी शाखा जमुनीपुर, वाराणसी ने श्रम निरीक्षक भदोही, वाराणसी श्रम उप आयुक्त, वाराणसी एवं मा0 श्रम मंत्री को नवम्बर, 83 में प्रार्थना-पत्र दिया है, कि 10 वर्ष की सेवायें होते हुए भी उसे सेवा मुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सुनील शास्त्री –

जी हां । श्री टेक बहादुर, चौकीदार, एम0 ए0 ट्रेडिंग कम्पनी शाखा जमुनीपुर, वाराणसी ने नवम्बर, 1983 में प्रार्थना पत्र दिया था । श्री टेक बहादुर ने अपनी सेवा समाप्ति का विवाद संराधन समिति, वाराणसी के समक्ष भी प्रस्तुत किया था जिस पर कार्यवाही की जा रही है।

अनपरा तापीय परियोजना, अनपरा मिर्जापुर में नियोजित श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन तथा श्रमिक ठेका प्रणाली को समाप्त करने के आदेश

168—श्री ऊदल —

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव श्री जे0 सी0 गुप्त, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् ने अपने पत्र संख्या 2124 एल0 ए0 रा0 वि0 प0/1 ओ0 स0-181/83, दिनांक 3 नवम्बर, 1983 के द्वारा समस्त महाप्रबन्धकों को लिखा है कि नियोजित श्रमिकों का श्रम विभाग से रजिस्ट्रेशन मुख्य नियोजक द्वारा कराया जाय ? यदि हां, तो अनपरा तापीय परियोजना अनपरा, मिर्जापुर में नियोजित श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रह्मदत्त —

जी हां । अनपरा तापीय परियोजना, अनपरा मिर्जापुर में नियोजित श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन नियमानुसार करा लिया गया है ।

169—श्री ऊदल —

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पत्र के अंतिम पैरा में श्रमिक ठेका प्रणाली समाप्त कर, मस्टर रोल लागू किया जाय और समान कार्य के लिए समान वेतन, सवेतन छुट्टियां, आकस्मिक, उपार्जित एवं मेडिकल अवकाश एवं परिषद् के कार्य से बाहर जाने पर दैनिक भत्ता दिए जाने के संबंध में लिखा गया है? यदि हां, तो अनपरा तापीय परियोजना अनपरा, मिर्जापुर में इसे अब तक लागू किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? क्या यह सही है कि उपरोक्त आदेश भी अभी तक लागू नहीं किए गए हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त —

प्रश्नगत पत्र के अंतिम पैरा में श्रमिक ठेका प्रणाली को यथाशीघ्र समाप्त करने के आदेश तो दिए गए हैं किन्तु मस्टर रोल लागू करने और समान कार्य के लिये समान वेतन, सवेतन छुट्टियां, आकस्मिक, उपार्जित एवं मेडिकल अवकाश, तथा परिषद् के कार्य से बाहर जाने पर दैनिक भत्ता दिये जाने के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया गया है । कान्ट्रेक्ट लेबर (रेगुलेशन एण्ड एबोलीशन) एक्ट, 1970 तथा उत्तर प्रदेश संविदा श्रमिक (रेगुलेशन एण्ड एबोलीशन) रूल्स 1975 के प्राविधानों के क्रियान्वयन एवं विधिवत अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु राज्य विद्युत परिषद् द्वारा समस्त संबंधित अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश माह नवम्बर, 1983 में जारी कर दिये गए थे । महाप्रबन्धक, अनपरा तापीय परियोजना द्वारा इस संबंध में कुछ बिन्दुओं पर राज्य विद्युत परिषद् से स्पष्टीकरण मांगा गया था । राज्य विद्युत परिषद् द्वारा वांछित स्पष्टीकरण भेजते हुए महाप्रबन्धक, अनपरा तापीय परियोजना को उपरोक्त अधिनियम/नियमावली के प्राविधानों का पूर्णतः क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु मार्च, 1984 में पुनः निर्देश जारी कर दिये गये हैं ।

अस्थायी निर्माण खण्ड, मथुरा के अन्तर्गत ग्राम जारऊ के जुगसना रजवाहा पर सड़क निर्माण

170—डा0 धर्मपाल सिंह —

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अस्थायी निर्माण खण्ड मथुरा के अन्तर्गत ग्राम जारऊ के लिए जुगसना रजवाहा पर सड़क निर्माण 2 वर्ष पूर्व शासन से स्वीकृत हुई थी ? यदि हां, तो अभी तक उसका निर्माण प्रारम्भ न होने

का क्या कारण है ? उक्त सड़क कब तक पक्की करा दी जायेगी ?

श्री विद्या भूषण –

जी हां ।

निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया है तथा कार्य प्रगति पर है । पूरा होना धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

जनपद झांसी के खिरियाघाट के रिपटा के मूल का व्यय का आगणन

171–श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद के खिरियाघाट के रिपटा का मूल व्यय आगणन की स्वीकृति कितने रुपये की है ? क्या यह सच है कि उक्त रिपटे के निर्माण में स्वीकृत आगणन से कई लाख रुपया अतिरिक्त व्यय हुआ है ? यदि हां, तो इसके कारणों की शासन ने क्या जांच की है ?

श्री विद्या भूषण –

11.29 लाख रुपये की है ।

जी हां । शासन द्वारा कोई जांच नहीं की गई है । किसी कार्य की लागत इस प्रकार बढ़ जाने पर उसका पुनरीक्षित आगणन स्वीकृत किया जाता है । उस समय लागत में वृद्धि के प्रश्न पर भी विचार किया जाता है । इस कार्य का पुनरीक्षित आगणन अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

जनपद फैजाबाद में टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना फैजाबाद के ग्राम मखदूमनगर के प्रभावित कृषकों को भूमि के प्रतिकर का भुगतान

172–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना मखदूमनगर, फैजाबाद के ग्राम मखदूमनगर के प्रभावित किसानों द्वारा भूमि प्रतिकर सम्बन्धित कोई मुकदमा जिला जज फैजाबाद के न्यायालय में विचारधीन था तथा दिनांक 31-3-82 को जिला जज फैजाबाद द्वारा मखदूम नगर ग्राम के समस्त किसानों के पक्ष में निर्णय हुआ है? यदि हां, तो उक्त तिथि को न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय क्या है? क्या यह भी सही है कि उक्त निर्णय के मुताबिक जिलाधिकारी, फैजाबाद तथा सी0 पी0 एम0 परियोजना के आदेश दिनांक 10-4-83 के अनुसार दिनांक 11-4-83 को ग्राम मखदूमनगर के प्रभावित किसानों को भूमिका प्रतिकर भुगतान किया गया है? यदि हां, तो कुल धनराशि क्या है तथा प्रत्येक किसानों को कितनी धनराशि भुगतान की गयी है?

श्री ब्रह्मदत्त–

जनपद फैजाबाद में टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना फैजाबाद ग्राम मखदूमनगर के प्रभावित कृषकों के सम्बन्ध में जिला जज फैजाबाद ने दिनांक 25-3-82, 26-3-82, 29-3-82, 30-3-82, 31-3-82, 19-4-82 एवं 23-4-82 को किसानों के पक्ष में निर्णय दिया है इसमें 55 मामले हैं और सभी में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा घोषित किये गये अवार्ड के विरुद्ध अधिक धनराशि देने का निर्णय दिया है।

यह सही है कि दि0 11-4-83 को सी0 पी0 एम0 परियोजना के अनुरोध पर किसानों को प्रतिकर भुगतान किया गया, जिला जज के निर्णय के अनुसार बढ़ायी गयी कुल धनराशि मु08,43,898.81 थी जिसमें से मु0-3,77,764.39 पैसे का भुगतान किया गया।

अध्याप्ति निकाय ने जिला जज के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ

बें, लखनऊ में रिट दायर कर दिया है और माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश भी प्राप्त हो गया है।

प्रत्येक किसान को भुगतान की गयी धनराशि का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ 160-161 पर।)

अधिशासी अभियंता, विद्युत प्रेषण खण्ड, प्रथम, उत्तर प्रदेश रा0 वि0 प0 बेतियाहाता, गोरखपुर को भेजा गया कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायती पत्र

173—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 25-4-83 का अधिशासी अभियंता, विद्युत प्रेषण खण्ड, प्रथम, उत्तर प्रदेश रा0 वि0 प0 बेतियाहाता, गोरखपुर को कोई पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें हैं, जिसकी प्राप्ति स्वीकृति अपने पत्रांक 1022 वि0 प्रे0 खं0 प्र0 (गो0) 83, दिनांक 25-5-83 द्वारा किया है? यदि हां, तो क्या इसमें प्रश्नकर्त्ता को जांच के अवसर पर बुलाया गया? यदि नहीं, तो क्यों तथा पूरा विवरण क्या है?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी हां।

माननीय विधायक को जांच के अवसर पर नहीं बुलाया गया था क्योंकि उनके पत्र में इसका कोई उल्लेख नहीं था।

श्री मठौली पुत्र हनुमान, ग्राम समोगरा, थाना देहात कोतवाली, जिला मिर्जापुर द्वारा मिर्जापुर रीवां राष्ट्रीय मार्ग के पश्चिम पटरी पर अवैध निर्माण तथा बेदखली की कार्यवाही

174—श्री परमाई लाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मठौली पुत्र हनुमान, ग्राम समोगरा, थाना देहात कोतवाली, जिला मिर्जापुर ने मिर्जापुर-रीवां राष्ट्रीय मार्ग के कि0मी0 8, हे0मी0 4 के पास पश्चिम पटरी पर अवैध निर्माण कर मकान बना लिया है, जिसकी लिखित रिपोर्ट उक्त ग्राम के श्री केदार नाथ पुत्र रामपति निवासी ग्राम अहमलपुर, थाना देहात कोतवाली, जिला मिर्जापुर द्वारा ता0 30-9-83 तथा 27-9-83 को राज्यपाल महोदय व 30-9-83, 27-9-83 को मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग निर्माण विभाग, लखनऊ तथा दिनांक 29-9-83 तथा 30-9-83 को मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग निर्माण विभाग वरुणा पुल, वाराणसी तथा दिनांक 29-9-83 व 27-9-83 को सहायक अभियन्ता, मिर्जापुर को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विद्या भूषण—

जी हां। श्री मठौली पुत्र हनुमान ग्राम समोगरा, थाना देहात कोतवाली, जिला मिर्जापुर ने मिर्जापुर-रीवां राष्ट्रीय मार्ग के कि0मी0 81, हे0 मी0 4 के पास पश्चिम पटरी पर अवैध निर्माण कर मकान बना लिया है। इस संबंध में श्री केदार नाथ पुत्र रामपति निवासी ग्राम अहमलपुर, थाना देहात कोतवाली, जिला मिर्जापुर का केवल एक पत्र दिनांक 23 सितम्बर, 1983 अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खंड, वाराणसी को दिनांक 1 अक्टूबर, 1983 को प्राप्त हुआ था जिस पर अधिशासी अभियंता कैम्प मिर्जापुर राष्ट्रीय मार्ग खंड, वाराणसी द्वारा अतिक्रमणकर्ता को दिनांक 3 दिसम्बर, 1983 को अतिक्रमण हटाने हेतु नोटिस जारी किया

गया। अतिक्रमणकर्ता द्वारा पूरा अतिक्रमण न हटाये जाने पर भूग्रहादि (अनधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 के अधीन परगना मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर के न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया गया है।

जनपद आजमगढ़ में सार्वजनिक निर्माण विभाग के चारों खण्डों को डी0 आर0 डी0 ए0 तथा एन0 आर0 ई0 पी0 में आवंटित की गयी धनराशि

175—श्री पंचानन राय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में उनके विभाग के चारों खण्डों को अलग-अलग वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 में डी0 आर0 डी0 ए0 तथा एन0 आर0 ई0 पी0 में कितना-कितना धन आवंटित किया गया? किन-किन खण्डों ने आवंटित धन का उपयोग नहीं किया? इसके क्या कारण हैं और सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री विद्या भूषण—

जनपद आजमगढ़ में सार्वजनिक निर्माण विभाग के चारों खण्डों को वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 में डी0 आर0 डी0 ए0 तथा एन0 आर0 ई0 पी0 में आवंटित की गई धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है :—

खण्ड का नाम	वर्ष 1981-82 में आवंटित धनराशि (लाख रुपये में)	वर्ष 1982-83 में आवंटित धनराशि (लाख रुपये में)
प्रान्तीय खण्ड	4.70	9.00
निर्माण खण्ड	3.10	8.00
अस्थायी खण्ड नं0 2	5.00	45.70
अस्थायी खण्ड नं0 3	3.70	6.80
योग :	16.50	69.50

जनपद के उपरोक्त प्रत्येक खण्ड द्वारा आवंटित धनराशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया।

किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा-शाहाबाद रोड से जारू ग्राम के लिए जुगसना, रजवाहा की पटरी को सड़क निर्माण की स्वीकृति

176—श्री राम स्वरूप निम—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा-शाहाबाद रोड से जारू ग्राम के लिये जुगसना, रजवाहा (कैनाल) की पटरी को तीन किलोमीटर तक सड़क बनाये जाने की स्वीकृति 1980-81 एवं 1981-82 में मिल गयी थी? यदि हां, तो उक्त सड़क को अब तक न बनाये जाने का क्या कारण है?

श्री विद्या भूषण—

निर्माण की स्वीकृति 26 मई, 1981 को दी गयी थी।

संरेखण के सम्बन्ध में विवाद हो गया था। उसके समाप्त हो जाने पर अब कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

तहसील रामसनेहीघाट में रारी, नपया, कल्यानी, गोमती नदी के पिछड़ेपन के विकास हेतु देवीगंज घटमापुर सुबेहा मार्ग का निर्माण

177—श्री राम सागर—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि तहसील राम सनेहीघाट में रारी, नपया, कल्यानी, गोमती नदी के बीच बसे पचासों गांवों के पिछड़ेपन के विकास के लिए देवीगंज घटमापुर सुबेहा मार्ग का निर्माण उनके विभाग से कराया जा रहा है? यदि हां, तो

इसी सड़क पर पड़ने वाली रारी नदी के पुल के निर्माण के बारे में सरकार ने कोई निर्णय लिया है?

श्री विद्या भूषण–

जी हां।

जी नहीं, प्रस्ताव जिला योजना से सम्बन्धित है।

प्रदेश के राजपत्रित अभियन्ताओं पर भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोपों की सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच

178–श्रीमती गौरी देवी–

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि 212 राजपत्रित अभियन्ताओं पर भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप की जांच विभागीय व सतर्कता अधिष्ठान तथा प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा सितम्बर, 82 में पूरी कर ली गयी थी? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी और अग्रिम कार्यवाही में विलम्ब का कारण क्या है? अब तक कितने अभियन्ताओं के विरुद्ध जांच लम्बित है?

श्री विद्या भूषण–

विभिन्न स्रोतों से जांचों के आधार पर वर्ष 1981 में 155 तथा वर्ष 1982 में 220 राजपत्रित अधिकारियों को दण्डित किया जा चुका है तथा दिनांक 31-12-82 तक राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध सी0 सी0 ए0 रूल्स के अन्तर्गत, सतर्कता अधिष्ठान व प्रशासनाधिकरण द्वारा की गयी अथवा की जा रही शेष लम्बित जांचों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।

प्रश्नों के उत्तर स्थगित होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

मान्यवर, प्रश्नों के बारे में मेरा औचित्य का प्रश्न है। मैंने अतारांकित प्रश्न 15 व 16 दिया था, उनका उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर दे दीजिये। यह पद्धति गलत है।

[समय 12 बजकर 20 मिनट]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

पूरा उत्तर नहीं देते हैं और देते हैं तो गलत उत्तर देते हैं। इस बात को मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर दे दें, मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने लिखकर दिया है।

श्री अध्यक्ष–

अगर कोई माननीय सदस्य प्रश्नों के बारे में स्पष्टीकरण चाहते हैं तो लिखकर भेज दिया करें। बिना पहले से लिखकर दिये यह मेरे लिये सम्भव न होगा कि यह उत्तर सही है या गलत है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, नत्थी (ग) का प्रश्न सं0 2 को आप देखें, यह प्रश्न गौरी देवी ने किया था। जो आपका करण है उसका नियम करण संख्या 30 को आप देख लें। एक ही बार प्रश्न का स्थगन होगा, इसका स्थगन पहले हो चुका है। यह मान्यवर, एक नयी परम्परा पड़ रही है। नियमावली का उल्लंघन हो रहा है और आपके द्वारा निर्देशित नियमों का उल्लंघन हो रहा है। प्रश्न के पहले खण्ड का कोई मतलब नहीं है इसमें कहा गया है कि प्रदेश की पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र की चीनी मिलों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी

*पटल ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मजदूरों को प्रतिदिन 19 रुपये तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र की चीनी मिलों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी मजदूरों को प्रतिदिन 7 रुपये मात्र मजदूरी दी जाती है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है? उत्तर आया है कि सूचना एकत्र की जा रही है। यह दुबारा आया है कि सूचना एकत्र की जा रही है। मैं चाहूंगा कि आपके नियमों का उल्लंघन न हो, आप इस सम्बन्ध में अपना संरक्षण दें।

श्री अध्यक्ष–

शासन के मंत्री इसका ध्यान रखें। आप इसका उत्तर दूसरे भाग का जो रह गया है, अगले सप्ताह में दें।

बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जूनियर हाई स्कूल के प्रमाण पत्र अभी तक न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत आज 22 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से मैंने 7 को स्वीकार किया है और बाकी 15 को अस्वीकार किया है। जिन 7 को स्वीकार किया है उनमें सर्वश्री रेवती रमण सिंह, किरन पाल सिंह, भीखा लाल, माधव प्रसाद, राम स्वरूप निम, राम स्वरूप वर्मा और दूधनाथ राजभर की हैं।

श्री किरनपाल सिंह–

महोदय, बेसिक शिक्षा विभाग की कथित अकर्मण्यता के कारण इस वर्ष हाई स्कूल व इन्टरमीडिएट बोर्ड के हजारों व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। निश्चित सूचना है कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा समस्त प्रदेश के अन्दर अभी तक छात्र छात्राओं को जूनियर हाई स्कूल के प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किये जा सके हैं जिन्होंने यह परीक्षा विगत वर्षों में पास कर ली थी। नियम ऐसा है कि हाई स्कूल की व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये जूनियर हाई स्कूल का पास किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाता है। जिन छात्र छात्राओं ने प्रमाण पत्र न मिलने की वजह से अपनी अंकतालिका संलग्न कर दी थी उनको इलाहाबाद शिक्षा बोर्ड ने स्वीकार नहीं किया है। इस कारण से वह छात्र-छात्रायें जूनियर हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के अभाव में व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित रह जायेंगे। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार के शिक्षा विभाग से मांग करता हूं कि उक्त समस्या का शीघ्र निदान करें जिससे कि हजारों छात्र-छात्राओं को व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर मिल सके। ज्ञात हो कि उक्त परीक्षायें, 26 अप्रैल, 1984 से प्रारम्भ हो रही हैं।

इन्दिरा नगर योजनान्तर्गत अधिगृहीत की गयी भूमि के प्रतिकर भुगतान में घूस लिये जाने की शिकायत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भीखालाल–

मान्यवर, मैं इस सदन के माध्यम से एक अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

लखनऊ शहर में इन्दिरा नगर योजना में ग्राम इस्माइलगंज, पानीगांव, चमरौखा, समीउद्दीनपुर आदि गांवों की सैकड़ों बीघा जमीन अधिगृहीत करके उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद्, लखनऊ

को कब्जा दे दिया गया। अधिगृहीत भूमि का लगभग साढ़े तीन करोड़ रुपया प्रतिकर दिया जाना है जिसका एक अंश इस समय अग्रिम के रूप में दिया जा रहा है। इस भुगतान के सम्बन्ध में किसानों से पांच प्रतिशत से लेकर 25 प्रतिशत तक घूस ली जा रही है और उनको धमकी दी जा रही है कि यदि वह घूस नहीं देंगे तो बाकी पैसा नहीं दिया जायेगा। सम्बन्धित गांवों के किसानों ने प्रदर्शन करके जिलाधीश, लखनऊ को ज्ञापन भी दिया परन्तु स्थिति में बदलाव नहीं आया। गरीब हरिजन व पिछड़े वर्ग के अनपढ़ किसान इस लूट से परेशान हैं।

अतः प्रतिकर दिये जाने में घूसखोरी को रोका जाय और दोषी कर्मचारियों को दंडित किया जाय।

सहारनपुर टैक्सी स्टैण्ड की नीलामी में भाग लेने वाले श्री शफीक अहमद को एस0 ओ0 श्री हरदेव सिंह द्वारा पीटे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम स्वरूप निम–

मान्यवर, जनपद सहारनपुर में टैक्सी स्टैण्ड की नीलामी को लेकर 30-3-84 को रेलवे रोड स्थित टैक्सी स्टैण्ड के पास सी0 पी0 एम0 का पार्टी आफिस है जहां सरदार गुलाब सिंह तथा एस0 ओ0 श्री हरदेव सिंह थाना कुतुबशेर खड़े थे और जब नीलामी शुरू हुई तो सरदार गुलाब सिंह ने नीलामी बोलने वालों को सरदार हरदेव सिंह एस0 ओ0 से पिटवाना शुरू कर दिया जिसमें शफीक अहमद को निर्ममता के साथ पीटा गया और पीटते-पीटते एस0 ओ0 हरदेव सिंह ने उसकी एक पैर की टांग की हड्डी बुरी तरह तोड़ दी। जिसे बेहोशी की हालत में और गम्भीर हालत में एस0 बी0 डी0 अस्पताल, सहारनपुर में चिन्ताजनक हालत में भर्ती कराया गया। उक्त घटना से सहारनपुर की जनता एवं टैक्सी ड्राइवरों में भारी रोष एवं क्षोभ व्याप्त है।

अतः उपरोक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के इस गम्भीर विषय की ओर शासन और माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए एस0 ओ0 हरदेव की निलम्बन की मांग करते हुए न्यायिक जांच की मांग करता हूं।

तार प्रणाली के कार्य न करने से लोअर गंगा नहर भोगनीपुर डिवीजन (कानपुर) में पानी न मिलने से फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम स्वरूप वर्मा–

मान्यवर, मैं सदन के संज्ञान में निम्नलिखित तथ्य लाना चाहता हूं–

अभी हाल में लोवर गंगा नहर भोगनीपुर-डिवीजन के विधान सभा क्षेत्र राजपुर के शोषित समाज दल के कार्यकर्ताओं ने नहरों में पानी न आने के कारण गेहूं की सूखती फसल को पानी देने के लिए जब नसीरपुर, जैलपुर, भोगनीपुर, अकोढ़ी, नन्दपुर, गुरदही के नहरी तार घरों से सम्पर्क किया कि नहरों में पानी छोड़ने के लिए जल्दी तार भिजवाया जा सके तो मालूम हुआ कि उक्त क्षेत्र की तार प्रणाली तीन साल से काम नहीं कर रही है। इससे जनता में बेहद रोष और क्षोभ व्याप्त हो गया क्योंकि उनकी गेहूं की फसल सूख रही थी और नहर विभाग से तार भेजना असम्भव था।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय सिंचाई मंत्री का स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उक्त नहर क्षेत्र की तार प्रणाली तीन वर्ष से काम नहीं कर रही है तो उसके लिए नियुक्त लोगों को वेतन देने का औचित्य क्या है तथा इस वर्ष गत वर्षों की भांति नहर में समय पर पानी न देने का कारण क्या है जिससे फसल सूख गई।

राजकीय निर्माण निगम लि0 शाखा जयन्त (यूनिट) (मध्य प्रदेश) द्वारा श्री घुरमारी सिंह को ईंटों का भुगतान न किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दूधनाथ राजभर–

मान्यवर, ग्राम सुरहरपुर जनपद आजमगढ़ के श्री घुरमारी सिंह राजकीय निर्माण निगम लि0 शाखा जयन्त यूनिट (मध्य प्रदेश) में भट्ठा द्वारा ईंट पकाकर विभाग को आपूर्ति करते रहे। इस सम्बन्ध में दिनांक 24-1-81 को उक्त आशय का एग्रीमेंट विभाग तथा श्री घुरमारी सिंह के बीच हुआ। श्री सिंह ने विभागीय निर्माण निगम द्वारा 6,58,472 ईंट पकाया, जिसमें 5,96,146 ईंट निगम को सप्लाई किया।

उपरोक्त ईंट के कुल मूल्य 1,63,995-58 पैसे में से समय-समय पर भुगतान करके 55,763–52 पैसे का भुगतान किया गया, परन्तु 1,08,196-06 पैसे शेष बकाया रह गया है। श्री सिंह एक अनपढ़ गंवार तथा सीधे-सादे व्यक्ति हैं। विभागीय अधिकारी धोखा-धड़ी तथा षड्यंत्र करके इस शेष रकम को हड़पना चाहते हैं। श्री सिंह द्वारा अनेक बार लिखा पढ़ी करने के बावजूद भी भुगतान करने में आनाकानी कर रहे हैं। इसी भुगतान को लेकर उक्त गरीब व्यक्ति को अनेक मानसिक बीमारियों तथा दिल के दौरे का शिकार होना पड़ा है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना को सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन से मांग करता हूं कि श्री घुरमारी सिंह के शेष बकाया 1,08,196-06 पैसे का भुगतान तत्काल करा दिया जाय।

काशी विश्वविद्यालय, वाराणसी के प्रशासक द्वारा अध्यापकों एवं छात्रों के उत्पीड़न के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, काशी विश्वविद्यालय वाराणसी के प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, कुलपति महोदय की नियम विरुद्ध गतिविधियों गुटबंदी, छात्रों तथा अध्यापकों के अकारण उत्पीड़न, जातिवाद एवं परिवारवाद के नग्न तांडव से वहां पठन-पाठन का वातावरण पूर्णतया नष्ट होकर शांति एवं व्यवस्था के लिए गम्भीर संकट की दशा उत्पन्न है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राज्य सरकार की अनुमति एवं मानवता के बिना 50 नये विषय खोल कर अंधाधुन्ध फीस लेकर विहित औपचारिकतायें पूरी किये बिना भारी संख्या में अध्यापक नियुक्त कर लिये गये हैं। इन विषयों में 8000 छात्र भर्ती हैं जिनका भविष्य अंधकारमय है। विधि की पढ़ाई बिना बार कौंसिल की अनुमति के प्रारम्भ कर दी गयी। परीक्षा समिति के निर्णयों की अवहेलना करके कुलपति द्वारा परीक्षाओं की सीधी नियुक्ति की जा रही है। मैरिट प्रमोशन योजना जो कि अभी सरकार के लिए विचाराधीन है उसे उत्तर प्रदेश के विशेष सचिव भवानीशंकर शुक्ल द्वारा अपने पत्र दिनांक 30-7-83 द्वारा मना करने के बाद भी लागू कर दिया गया है।

अतएवं मांग है कि सरकार अवि-

लम्ब हस्तक्षेप करें जिससे कि आजादी की लड़ाई में देश भक्तों के इस मुख्य केन्द्र को बरबादी से बचाया जा सके।

मिर्जापुर में जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्री प्रताप नारायण सिंह आदि को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मिर्जापुर जनपद के आदिवासी इलाकों में 1982 एवं 1983 में राम नरेश, दीदन एवं राम मूर्ति का थाना पन्नुगंज पुलिस फर्जी मुठभेड़ दिखा कर मार दिया। पुलिस उनको घर से पकड़ कर लायी तथा पेड़ में बांध कर गोली मार दी। इसका विरोध जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रताप नारायण सिंह, बनारसी, अंसारी, लाल बहादुर सिंह, बेदमणि शुक्ला ने किया। जिससे आज तक पुलिस उनको परेशान कर रही है तथा विभिन्न मुकदमों में फंसा कर इनको भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सी0 आई0 डी0 जांच भी हुई थी परन्तु उक्त थानेदार को बगल में ही कर दिया गया और लगातार धौंस दे रहा है।

अतः लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर उक्त थानेदार को निलम्बित करने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

श्री श्याम लाल बाजपेयी जी की नियम 301 में जो सूचना प्राप्त हुई है मैं उसे देख रहा हूं। उसके लिए मीटिंग बुलाऊंगा देखूंगा कि कौन सी तिथि लगायी जाय उसमें समस्त विचार हो जायेगा। मैं इसको नहीं सुन रहा हूं।

श्री राम कुमार भार्गव–

मान्यवर, हमारी सूचना का क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष–

अगर इसी से संबंधित है तो मैं विचार करूंगा।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

जो औचित्य के प्रश्न प्राप्त हुए हैं उसमें एक माननीय आजम खां का है, दूसरा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा का है और तीसरा श्री राम स्वरूप निम का है तथा श्री किरन पाल सिंह का है। मैंने अपने कक्ष में सचिव के साथ बैठकर यह देखा है और जो माननीय आजम खां की सूचना है दिनांक 20 मार्च, 1984 को मुहम्मद आजम खां के ऊपर हमले के सम्बन्ध में शासन की ओर से न्यायिक जांच की घोषणा सदन में की गयी थी। औचित्य के प्रश्न के माध्यम से यह मांग की जा रही है कि उपरोक्त जांच हाई कोर्ट के जज द्वारा करायी जाय तथा जांच के पूर्व की अधिकारियों का स्थानान्तरण कर दिया जाय।

यह मामला नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है फिर भी मैं श्री आजम खां की सूचना को राज्य मंत्री गृह को भेज रहा हूं ताकि वे इस पर उचित कार्यवाही करें और मुझको भी उसकी सूचना भेज दें माननीय आजम खां को भी उसकी सूचना भेज दी जाय।

जहां तक माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा की सूचना का प्रश्न है। श्री जनार्दन प्रसाद ओझा ने दिनांक 1 मार्च, 1984 को ग्राम कटहरी, थाना कोठीभार जिला गोरखपुर में पुलिस ज्यादतियों के सम्बन्ध में नियम 56 के अन्तर्गत कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया था। उक्त तिथि की कार्यवाही के पृष्ठ 83 पर माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने मैजिस्टीरियल जांच 3 हफ्ते में पूरी करने की बात

कही थी । 3 हफ्ते की उपरोक्त अवधि पूरी हो चुकी है। मैं इस सम्बन्ध में संसदीय कार्य मंत्री को पत्र लिख कर जानकारी प्राप्त कर रहा हूं और शीघ्र ही माननीय सदस्य को उस सम्बन्ध में सूचित करूंगा।

श्री जनार्दन प्रसाद आझा–

मान्यवर, एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

पहले आप बैठें।

जहां तक माननीय राम स्वरूप निम की सूचना का संबंध है जो मंडी समिति के दुकानों के आवंटन के बारे में है। मैं इसके बारे में विचार कर रहा हूं। माननीय राम स्वरूप निम और माननीय मंत्री जी को अपने कक्ष में बुलाकर इसके बारे में सदन में निर्णय दूंगा।

जहां तक श्री किरन पाल सिंह का संबंध है राज्य मंत्री श्री हरि सिंह द्वारा वसूली रोकने के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया गया है, तो मैं अपने कक्ष में मंत्री जी को और श्री किरनपाल सिंह को बुलाकर जानकारी हासिल करूंगा और उसके बाद यदि आवश्यक हुआ तो इस पर विचार करूंगा।

मद संख्या–4श्री अकबाल हुसैन । (व्यवधान) (श्री मुहम्मद आजम खां और श्री किरन पाल सिंह के एक साथ बोलने पर)

औचित्य के प्रश्न के बारे में आज एक भी सूचना स्वीकार नहीं हुई है। जिनको मैं आवश्यक समझता हूं उनको मैं अवश्य सुनूंगा। नियमानुसार कार्यवाही होती है। जो आपने अधिकार दे रखा है औचित्य के मामले में तो मैं अपने कक्ष में देखकर निर्णय लेता हूं ग्राह्यता के सम्बन्ध में बोलने के लिए। आप लोग बैठ जायं। मैं किसी को आज्ञा नहीं दे रहा हूं । श्री अकबाल हुसैन।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान।)

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, मुझे आज्ञा दे दें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कह दिया है कि मैं आपको और मंत्री जी को दोनों को अपने कक्ष में सुनूंगा तब कोई निर्णय लूंगा ।सभी मा0 सदस्य अपने स्थान पर बैठ जायं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं उनसे संबंधित मा0 सदस्य को अपने कक्ष में बुलाऊंगा।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं चाहता हूं (कहते हुए मा0 अध्यक्ष के पास गये।)

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर दे दें।

बलरामपुर तहसील, जिला गोंडा में एक नया विकास खण्ड स्थापित करने के संबंध में याचिका

श्री अकबाल हुसैन–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद गोंडा के बलरामपुर तहसील में एक नया विकास खण्ड स्थापित करने के सम्बन्ध में श्री सहजानन्द शास्त्री, प्रधान ग्राम गौरा, पोस्ट इटई, जिला गोंडा आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री जयदीप सिंह बरार द्वारा प्रश्नों के उत्तर न दिए जाने के संबंध में उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

श्री जयदीप सिंह बरार, सदस्य, विधान सभा में दिनांक 2 मार्च, 1984

को सदन में व्यवस्था का एक प्रश्न उठाया था। उनका कहना है कि उक्त तिथि के लिए निर्धारित उनके अतारांकित प्रश्न संख्या 16 से 25, 141 से 146, 150, 158 से 167 के संबंध में शासन द्वारा दिया गया यह उत्तर कि "प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन एवं समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा," अनुचित है एवं क्या मा0 मंत्री जी प्रश्न का सही उत्तर देने से इन्कार कर सकते हैं। मैंने उस समय सदन में यह कहा था कि मैं इसका परीक्षण कराऊंगा और बाद में निर्णय दूंगा। उक्त निर्णय अब दे रहा हूं।

इस संबंध में अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन में इस प्रकार के उदाहरण मौजूद हैं जिनमें यह कहा गया है कि शासन की ओर से ऐसे उत्तर दिये जा सकते हैं कि प्रश्न की सूचना एकत्रित करने में शासन की ओर से जो श्रम, धन और समय व्यय होगा वह उसके लाभ के अनुरूप नहीं होगा। उदाहरणार्थ वर्ष 1952 से 1967 के संकलन के पृष्ठ 220-221 पर निर्णय संख्या 102 में यह कहा गया है कि मात्र इतना उत्तर देने से कि उत्तर देना सार्वजनिक हित में नहीं है, बहुत से लोगों को तसल्ली नहीं होती। इस कारण यह कहना अनुचित नहीं है कि इतना खर्चा और मेहनत, उत्तर देने में खर्च करना सार्वजनिक हित में नहीं है। दिनांक 21 अगस्त, 1978 की कार्यवाही के पृष्ठ 87 को देखने से विदित होता है कि वर्ष 1935 में केन्द्रीय असेम्बली में लिये गये निर्णय और प्रक्रिया नियमावली के नियम 38(3) तथा नियम 45 की पृष्ठ भूमि में तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि श्रम और समय के आधार पर माननीय मंत्री यह उत्तर दे सकते हैं कि किसी प्रश्न का उत्तर देना लाभकर नहीं होगा। इसी तरह की समस्या दिनांक 27 अप्रैल, 1978 को भी उठी थी और तत्कालीन अध्यक्ष ने विशेषाधिकार की सूचना को अस्वीकार करते हुए उपरोक्त नियम 38(3) के हवाले से यह निर्णय दिया था कि इस प्रकार का उत्तर दिया जाना नियमों के अनुकूल है और उसमें विशेषाधिकार का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं होता।

मैंने उपरोक्त सभी निर्णयों तथा प्रक्रिया नियमावली के प्राविधानों का अध्ययन किया है। यह सत्य है कि इस प्रकार के निर्णय दिये गये हैं कि श्रम, धन और समय के व्यय के अनुपात में प्रश्न का उत्तर लाभकर नहीं होगा, किन्तु प्रक्रिया नियमावली के नियम 38(3) तथा नियम 45 का अवलोकन करने के उपरान्त मैं अपने को उपरोक्त विचारों से सहमत नहीं कर पा रहा हूं। नियम 28 में उन शर्तों का विस्तृत उल्लेख किया गया है कि कौन-कौन से प्रश्न अग्राह्य किये जायेंगे। नियम 38(3) में यह उल्लिखित है कि यदि मंत्री की राय हो कि सदस्य द्वारा अपेक्षित कोई सूचना देना लोकहित में नहीं होगी तो यह उत्तर देने से मना कर सकते हैं। नियम 45 में यह व्यवस्था दी गई है कि प्रश्नों की ग्राह्यता का विनिश्चय अध्यक्ष द्वारा किया जायगा। इन नियमों में शासन को यह अधिकार प्रदान नहीं किया गया है कि वे अध्यक्ष द्वारा ग्राह्य प्रश्नों का उत्तर देने से मना कर दें। शासन को यह अधिकार अवश्य प्राप्त है कि यदि कोई प्रश्न ग्राह्यता की परिधि में न आता हो तो वह माननीय अध्यक्ष का

ध्यान आकृष्ट करें और उनसे अनुरोध करें कि वे प्रश्न विशेष को विशिष्ट कारणों के आधार पर अग्राह्य कर दें। यदि कोई प्रश्न अत्यन्त व्यापक हो अथवा उसमें बहुत ब्यौरे की जानकारी मांगी गयी हो तो संगत नियमों का उल्लेख करते हुए मा0 मंत्री अध्यक्ष से यह अनुरोध कर सकते हैं कि वे प्रश्न को निरस्त कर दें। अध्यक्ष से यह भी अनुरोध किया जा सकता है कि चूंकि प्रश्न की सूचना एकत्र करने में शासन का जो श्रम, धन और समय व्यय होगा वह उत्तर के अनुरूप लाभकर नहीं होगा, और इस आधार पर वे अध्यक्ष से अनुरोध कर सकते हैं कि किसी प्रश्न विशेष को निरस्त कर दिया जाय। किन्तु मेरे विचार से यह उचित नहीं होगा कि श्रम, धन और समय के आधार पर सदन में इस प्रकार उत्तर दिया जाय जिसकी शिकायत माननीय जयदीप सिंह बरार ने की है।

उपरोक्त परिस्थितियों में मैं शासन से अपेक्षा करूंगा कि भविष्य में माननीय सदस्यों द्वारा पृच्छित प्रश्नों के पूर्ण उत्तर दिये जायं और उत्तर में यह न लिखा जाय कि किसी प्रश्न विशेष की सूचना एकत्र करने में शासन का श्रम, धन एवं समय अनावश्यक रूप से व्यय होगा। यदि फिर भी इस प्रकार के उत्तर शासन की ओर से प्राप्त होंगे तो ऐसे प्रश्नों को मैं बिना पूछे हुए प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को निर्दिष्ट करने पर विचार उसी समय करूंगा।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 में मुझे 24 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मुलाहिजा फरमाइये। माननीय सरदार सिंह, श्रीमती गौरी देवी, माननीय जनार्दन प्रसाद आझा, माननीय मोहन सिंह, मा0 प्रदीप कुमार यादव, माननीय फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री मुख्तार अनीस, श्री बदन सिंह, श्री चन्दन सिंह, श्री सरदार सिंह, श्री यमुना प्रसाद, श्री महेन्द्र रिपुदमन सिंह, श्री विजय सिंह राना, श्री किरनपाल सिंह, श्री राधेश्याम पटेल, श्री धनीराम वर्मा, श्री रामस्वरूप निम, व श्री किरन पाल सिंह, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त व श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री छत्तर सिंह, श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री जसवन्त सिंह विष्ट, श्री रेवती रमण सिंह, श्री मोतीलाल देहलवी, श्री मुहम्मद आजम खां, श्री हुकुम सिंह, श्री हरिवंश सहाय व श्री नन्दकिशोर सिंह, श्री रामस्वरूप निम, श्री रियासत हुसैन और श्री अकबर हुसैन, श्री अकबाल हुसैन, श्री विद्यासागर नौटियाल और श्री लल्लू सिंह चौहान की है।

जब 24-24 सूचनायें कामरोको की आयेंगी तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जायेगा कि मैं क्या करूं, क्या न करूं। यह एक बड़ी ही परेशानी की बात है। नेताओं की बैठक में इसको भी शामिल किया जाये और इस पर विचार किया जाये कि आखिर इसका क्या हल हो। किसी भी चीज का एक अंत होता है। 24-24 सूचनायें जब आयेंगी और फिर यहां पर माननीय सदस्य यह कहेंगे कि मेरी सूचना नहीं ली, मेरी सूचनाएं नहीं ली, तो निर्णय कर पाना बड़ा मुश्किल हो जायेगा। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे कृपया अपनी काम रोको की सूचनायें देते समय यह ध्यान रखें कि जो विशेष महत्व के और ऐसे लोक महत्व के प्रश्न हों जो इस नियम में आते हों, उनको ही दिया करें। इन सब पर मैं स्वयं

भी बहुत समय देता हूं, मेरे सचिव भी कई घंटा इसमें लगाते हैं, साढ़े 9 बजे से साढ़े 12 बजे तक इसमें लगे रहते हैं, साढ़े 12 बजे यहां आते हैं, वे इन सबको देखते हैं, इसलिये माननीय सदस्य इस पर ध्यान देने की कृपा करें।

श्री सरदार सिंह, श्रीमती गौरी देवी, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री प्रदीप कुमार यादव, श्री फिरंगी प्रसाद विशारद की सूचनाओं को मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट करने एवं जांच करने हेतु भेज दिया है। श्री सरदार सिंह की अदालती टिकटों के अभाव के संबंध में है, श्रीमती गौरी देवी की गोरखपुर में वर्षा व ओला पड़ने से रबी की फसल नष्ट होने के बारे में है, श्री ओझा जी की ग्राम मिटोली जिला गोरखपुर के ग्रामीणों द्वारा पकड़े गये डाकू को थानाध्यक्ष द्वारा छुड़ाने के असफल प्रयास के सम्बन्ध में है, श्री प्रदीप कुमार यादव की हरिजनों पर हमला किये जाने के सम्बन्ध में है और श्री फिरंगी प्रसाद विशारद की गोरखपुर के थाना झगहा में हरिजनों को फर्जी मुकदमें में फंसाने के सम्बन्ध में है। इनकी सूचनाओं को मैंने शासन का ध्यान आकर्षित करने एवं उचित कर्यवाही करने हेतु भेज दिया है।

माननीय मोहन सिंह, माननीय मुख्तार अनीस, माननीय भीखा लाल को मैं सुनूंगा।

श्री हरिवंश सहाय और श्री नन्द-किशोर सिंह की सूचना को भी मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करने हेतु भेज रहा हूं।

माननीय रियासत हुसैन जी, आप कृपया अपनी सूचना कल पुनः दे दें, मैं भूल गया था आपकी सूचना देखना, कल उसको ले लूंगा।

* श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। इसी लखनऊ शहर में श्री सतीश चन्द्र चोपड़ा की स्याही की एक फैक्ट्री है। मैं उनके परिवार को अच्छी तरह से जानता भी हूं। इनकी फैक्टरी के ही सामने एक आई0 ए0 एस0 अधिकारी श्री विधुशेखर त्रिवेदी, जो वाराणसी में डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, का एक प्रेस भी है। इन श्री विधुशेखर त्रिवेदी की लड़की सुरभि का श्री सतीश चन्द्र चोपड़ा के पुत्र श्री विजय चोपड़ा से आपस में प्रेम हो गया और आगे चल-कर इन दोनों ने प्रेम-विवाह कर लिया। सुरभि के पिता श्री विधुशेखर त्रिवेदी को यह पसन्द नहीं था और वे बराबर तरह-तरह का दबाव डालते रहे, तरह तरह से डराते व धमकाते भी रहे चोपड़ा परिवार वालों को, कि उनकी लड़की उनके हवाले कर दी जायं। इसके बाद किसी तरह से इस लड़की का अप-हरण होता है और वह अपने पिता के यहां पहुंच जाती है। उक्त श्री त्रिवेदी के रुख से तंग आकर श्री चोपड़ा ने सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में हैबियस कार-पस रिट दायर की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने, श्री त्रिवेदी व लड़की के बयानों के आधार पर उक्त प्रेम-विवाह को वैध पाया और दोनों को एक साथ रहने के लिए आदेश दे दिया। इसके बाद श्री विजय चोपड़ा और यह लड़की सुरभि चोपड़ा किसी अज्ञात स्थान पर जाकर रहने लगे। यह उक्त आई0 ए0 एस0 अधिकारी श्री त्रिवेदी को पसन्द नहीं था। दिनांक 11-12-83

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को सायंकाल 5 बजे जब श्री सतीश चन्द्र चोपड़ा अपनी फैक्टरी से निकल रहे थे किन्हीं अज्ञात दो व्यक्तियों ने गोली मार कर उनकी हत्या कर दी। कहा जाता है कि यह दोनों हत्यारे वाराणसी के निकट मुगलसराय से हायर करके मंगवाये गये थे और उक्त आई0 ए0 एस0 अधिकारी का इसमें हाथ था और उन्होंने ही श्री चोपड़ा की हत्या करवायी है। मिस्टर त्रिपाठी की इस हत्या में साजिश है, उनको पकड़ा जाना चाहिये। 40 घन्टे तक, गोली लगने के बाद वह जिन्दा रहे लेकिन उनका डाइंग डिक्लेरेशन नहीं हुआ। पूरे उत्तर प्रदेश के आई0 ए0 एस0 अधिकारी एक हत्यारे आई0 ए0 एस0 अधिकारी को बचाने में लगे हैं। प्रदेश के जो शान्तिपूर्ण नागरिक हैं उनमें असन्तोष हो गया है कि कोई हत्यारा यदि बड़े पद पर बैठा है तो उसके खिलाफ शासन कोई कार्यवाही नहीं कर सकेगा। प्रशासन ने आज तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की और मृत्यु के पूर्व उनका डाइंग डिक्लेरेशन नहीं लिया गया। उनके परिवार का आरोप है कि इस नगर के जिला मैजिस्ट्रेट श्री त्रिपाठी का हाथ है वह श्री त्रिवेदी को बचाने के लिए सारी कोशिश करते हैं। इसलिए इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन में वक्तव्य नहीं दिलवायेंगे तो शांतिपूर्ण नागरिकों का विक्षोभ बढ़ता जायगा और उन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा।

गृह राज्य मंत्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)– मान्यवर, इसमें पूरे मामले की जांच करायी जायगी। चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई आई0 ए0 एस0 अधिकारी हो या किसी कैडर का हो पूरी जानकारी लेकर उचित कार्यवाही की जायगी।

* श्री मुख्तार अनीस–

आज सारे उत्तर प्रदेश के अन्दर शान्ति-व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ है। इसीलिए इतने ज्यादा कार्य-स्थगन प्रस्ताव आते हैं। सीतापुर इन सब में नम्बर वन पर है। जो गोरखपुर, देवरिया की स्थिति हो रही है, जिस तरह वहां छंटे गुंडे और शातिर लोग घूमते हैं, सीतापुर भी उसी तरह घटनायें बढ़ती जा रही हैं। यह बड़े दुःख की बात है कि जिस जिले के दो-दो मंत्री हों उस जिले की पुलिस स्वतंत्र हो जाय और आजादी के साथ काम करे। अभी सिधौली में नीलगांव के राजा की शाम के 4 बजे उनकी हत्या कर दी गयी और यह हत्या सिधौली थाने के बिल्कुल नजदीक की गयी। यह ठीक है कि मुलजिम पकड़े गये हैं लेकिन आज तक जो असली लोग हैं, उनके खिलाफ पुलिस कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ-साथ अभी सीतापुर में जनवरी से लेकर मार्च तक इन तीन महीनों में 167 लाशों का पोस्टमार्टम हुआ है। पुलिस का यह हाल है कि वह डकैतों से मिली हुयी है। मैं मिसाल देना चाहता हूं कि महोली थाने के नजदीक बनवारी गिरोह रात दिन घूमता है। वहां का एस0 ओ0 बनवारी गिरोह से मिला हुआ है। विश्वनाथ जो कुसैला के रहने वाले हैं, उनके परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गयी। इस मामले को माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने उठाया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी है। लोगों ने एस0 ओ0 को हटाने की मांगा की लेकिन एस0 ओ0 को नहीं हटाया जा रहा है।

मान्यवर, इनके महमूदाबाद के अन्दर थाने के नजदीक पासियों के एक परि-

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वार की हत्या की गयी। हमारे विधान सभा क्षेत्र थानगांव के थाने द्वारा लोगों को पकड़कर जबरिया पैसा वसूला जाता है और यही स्थिति आज सारे सीतापुर की हो रही है। चूंकि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने वाली नहीं है इन्होंने एक ऐसा एस0 पी0 बनाकर वहां भेजा है जिस पर इनका अंकुश है और जो यू0 पी0 का रहने वाला नहीं है। नतीजा यह है कि पूरे जनपद में डकैती और गुंडई बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी के लोग, एम0 एल0 ए0, पुलिस और एस0 पी0 के समर्थन में जुलूस निकालते हैं और जय-जयकार करते हैं। पुलिस के इशारे से गुंडई और अपराध सीतापुर में बढ़ रहे हैं। दिन के अन्दर मर्डर होता है आपने कभी नहीं सुना होगा कि ब्लाक प्रमुख के बेटे का सामान छीनकर उसकी पुलिस ने हत्या कर दी। मान्यवर, माननीय अम्मार रिजवी के क्षेत्र के ये ब्लाक प्रमुख हैं। मान्यवर, पुलिस स्वच्छन्द घूम रही है। मान्यवर, यह पुलिस ने डकैती करके मर्डर किया और उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गयी। हमने सारी बातें माननीय गृह राज्य मंत्री जी को बताया। इन्होंने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की और सीतापुर की पुलिस के बारे में आप दोनों मंत्रियों से पूछ सकते हैं। मान्यवर, सारे मामलों की जांच होनी चाहिए। मान्यवर, जो मैंने कार्य-स्थगन का प्रस्ताव दिया है, इस पर आप चर्चा करा दीजिए।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, इसमें कुछ बोलने का मेरा इरादा नहीं था, लेकिन माननीय मुख्तार अनीस साहब ने कुछ ऐसा इलजाम लगाया जो कि सत्य से बिलकुल परे है, न तो कांग्रेस पार्टी का इससे कोई संबंध है और न ही किसी प्रकार का इसमें षड्यंत्र है और न राजनैतिक षड्-यंत्र इसमें है। मान्यवर, यह ला एण्ड आर्डर प्राब्लम है। मान्यवर, कुछ प्राब्लम्स अवश्य हैं, जिसके संबंध में कहा गया है। माननीय गृह राज्य मंत्री जी से कहा गया है और वह इस पर आवश्यक कार्यवाही भी किये हैं। जो डी0 आई0 जी0 लखनऊ हैं, उनके जरिये से जांच करा कर सख्त से सख्त कार्यवाही की जायगी। यह जो माननीय मुख्तार अनीस साहब कह रहे हैं कि किसी विशेष पार्टी के जरिये यह हो रहा है, यह बिलकुल सत्य से परे है। यह सत्य से उतना परे है जितना मुख्तार अनीस साहब सत्य से परे हैं।

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, इस पर आप वक्तव्य दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इस पर मैं निर्णय दूंगा।

* श्री बदन सिंह–

मान्यवर, आगरा में खेड़ा राठौर धीमर टांडा गांव स्थित है, थाने से केवल दो किलोमीटर दूर यह 20-25 घरों का गांव है। इस गांव में 5/6 मार्च, 84 को 8 बजे गुण्डे और असामाजिक तत्व पहुंच कर ग्रामवासियों को बांध दिया और बांधने के पश्चात् उस गांव को लूटा और लूटने के पश्चात् पूरे गांव में आग लगा दी। इस भयंकर अग्निकाण्ड में पूरा गांव जलकर ध्वस्त हो गया, जिसमें दो गायें जलकर मर गयीं, 19 बकरियां मर गयीं, लाखों-लाखों की सम्पत्ति भस्मभूत हो गयी। थाने से दो किलोमीटर दूरी पर गांव होने पर सही समय पर थाने में सूचना देने पर भी थानाध्यक्ष वहां पर नहीं पहुंचा। इसका एकमात्र कारण यह था

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि जितने असामाजिक तत्व और गुण्डे लोग, जिन्होंने गांव को फूंका है, इन सबको पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। **मान्यवर, जब यह सूचना जिले पहुंची,** तो वहां के जिलाधिकारी और एस0 एस0 पी0 वहां पर पहुंच गये। लेकिन **यह थानाध्यक्ष उस वक्त तक नहीं पहुंचा** था, जिस वक्त सुदूर आगरा से उच्चाधिकारीगण पहुंच चुके थे। यह केवल अपनी उपस्थिति मात्र दिखाने के लिए उच्च अधिकारियों की रवानगी के समय पर गांव में पहुंचा। इस भयंकर अग्निकाण्ड से छोटे-छोटे गांव भय और आतंक ग्रस्त हो गये हैं और इलाके में 20-20, 25-25 घरों के गांव का रहना दुश्वार हो गया है। मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है, इस पर आज की कार्यवाही रोक कर चर्चा करवाने की कृपा करें।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, यह आगरा की घटना की ओर माननीय बदन सिंह ने बात कही।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, इन्होंने सुना नहीं।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मुझे सब मालूम है कि यह धीमर डांडा गांव में, गुण्डों और बदमाशों ने ग्रामवासियों को रस्सी से बांध कर गांव को जला दिया। मान्यवर, माननीय बदन सिंह का भाषण इतना साफ होता है कि एक-एक लब्ज उनका समझ में आता है।

मान्यवर, इसकी पूरी जांच करवा कर वहां के सीनियर पुलिस अधीक्षक से, रिपोर्ट आपके माध्यम से माननीय सदस्य को दे दी जायेगी।

श्री किरन पाल सिंह–

नियम कल कुछ था आज कुछ है. इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। यह परम्परा रही है जो माननीय सदस्य किसी सूचना को लोकमहत्व की आपके यहां प्रथम देते हैं, उनको आप सुनते थे। [* *]

श्री अध्यक्ष–

आक्षेप न करें। इन शब्दों को निकाल दिया जायेगा।

श्री किरन पाल सिंह–

कल कार्यसूची में नाम लिखा था तो आपने कहा, गलती से लिख दिया दूसरे सदस्य को बहस का अवसर दिया। आज सूचना दी तो दूसरे को सुन रहे हैं। भीखालाल जी लीडर हैं, उनको तो आप बाद में भी सुन सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

मोहन सिंह जी इनको बता दें कि लीडर को पहले सुनना चाहिए या बाद में।

(व्यवधान)

श्री किरन पाल सिंह–

[* *]

श्री अध्यक्ष–

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। कोई शब्द नहीं लिखा जायेगा।

श्री किरन पाल सिंह–

[* *]

श्री अध्यक्ष–

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। किरन पाल सिंह अपने स्थान पर बैठें। माननीय किरन पाल सिंह अपने स्थान पर बैठें, माननीय किरन पाल सिंह अपने स्थान पर कृपया बैठें। (माननीय किरन पाल सिंह के बोलते रहने पर) माननीय किरन पाल सिंह सदन छोड़ें, माननीय किरन पाल सिंह कृपया सदन छोड़ें, माननीय मोहन सिंह इनको

नोटः–[**] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

समझाइये। माननीय किरन पाल सिंह सदन छोड़ें। मैं इनको इंगित करता हूं।

(संसदीय कार्य मंत्री द्वारा खड़े होकर कुछ कहने का प्रयास करने पर किरन पाल सिंह अपने स्थान पर बैठ गये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य बैठ गये हैं। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी रहने दें, आप बैठें। माननीय किरन पाल सिंह जी, मैं सन् 1952 से एम0 एल0 ए0 हूं, आप पहली बार आये हैं।

श्री अम्मार रिजवी–

डेट आफ बर्थ पूछ लें।

श्री अध्यक्ष–

कोई नहीं बोलेगा, आप बैठें। मैं आपका बहुत आदर और सत्कार करता हूं, एक नौजवान के नाते, आपको सीखने का मौका मिलना चाहिये। इसमें दो राय नहीं है।

श्री मोहन सिंह–

पुत्रवत प्यार आप करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

मैं स्वयं इस बात का ध्यान रखता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सुनूं। मुझे कोई एतराज नहीं है। आपको भविष्य में ध्यान रखना चाहिये कि नेताओं को पहले मौका दिया जाता है। मोहन सिंह, राजेन्द्र कुमार गुप्त या हुकुम सिंह, खड़े हो जायं बोलने के लिए तो उनको वरीयता दी जाती है। यह सदन की परिपाटी रही है। इसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री भीखालाल–

अब तक जितने काम रोको प्रस्ताव आपने सुने हैं, यह प्रदेश की शान्ति व्यवस्था एवं पुलिस के कार्यकलाप के सम्बन्ध में हैं। मेरा एक शर्मनाक घटना के विषय में काम रोको प्रस्ताव है, जो शान्ति व्यवस्था एवं पुलिस के क्रियाकलाप से सम्बन्धित है। 2 अप्रैल को फैजाबाद में एक शर्मनाक घटना घटी है। फैजाबाद के थाना इनायत नगर के इंचार्ज के खिलाफ जनता की शिकायतें थी कि इनका सम्बन्ध डकैतों से है, इनका सम्बन्ध अराजक तत्वों से है, जुर्म को छिपाते हैं, रिश्वत लेकर मुकदमों को दबाते हैं, निर्दोष लोगों को फंसाते हैं। यह शिकायत आम जनता में थी। लिहाजा 2 अप्रैल को कम्युनिस्ट पार्टी ने थाने के सामने प्रदर्शन करने का निर्णय लिया जिसका प्रचार पर्चा छापकर किया गया। प्रदर्शन को असफल करने के लिए पूर्व से ही थानेदार ने योजना बनाना शुरू कर दिया था। प्रदर्शन करने वालों से कैसे बदला लिया जाए इसकी वे पहले से ही योजना बना चुके थे। मान्यवर, प्रदर्शनकारी शान्तिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे। थानेदार ने इस प्रदर्शन को असफल करने के लिए अपने इलाके के अराजक तत्वों को इकट्ठा किया और मीटिंग की। पुलिस की तरफ से कहा जाएगा कि कांग्रेस की सभा थी। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कांग्रेस की कोई सभा नहीं थी। वहां अराजकतत्वों द्वारा कांग्रेस के झंडे लगा दिये गये थे। उस मीटिंग के लिए कोई प्रचार नहीं किया गया। कोई पर्चे नहीं छपे।

मान्यवर, जिस वक्त जुलूस उठकर थाने के सामने आया उस समय अराजक तत्वों ने उत्तेजित होकर नारे लगाए। लेकिन प्रदर्शनकारी उत्तेजित नहीं हुए और प्रदर्शन करके सभा स्थल पर वापस चले गये जहां मीटिंग हुई।

सभा को मित्रसेन यादव विधायक, राजबली सिंह भूतपूर्व विधायक तथा अन्य नेताओं ने सम्बोधित किया और सभा विसर्जित हो गई। श्रीमन्, राजबली सिंह भूतपूर्व विधायक तथा कुछ अन्य लोग सभा की समाप्ति के बाद थाने के सामने से अपने घरों को वापस जा रहे थे कि गुण्डों ने ईंट पत्थर चलाना शुरू कर दिया। पुलिस भी दौड़कर आई लेकिन उसने बजाय रोकने के लाठियां चलाना शुरू कर दिया। इसी बीच में श्री मित्रसेन यादव को पता चला तो वह दौड़कर आए। तब तक पुलिस ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया।

श्री अध्यक्ष–

आपका माइक काम नहीं कर रहा है। आप दूसरे माइक पर आ जायं।

श्री भीखालाल–

मान्यवर, जिस समय मित्रसेन यादव वहां आ गए तो पुलिस ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। श्री मित्रसेन यादव के ऊपर भी बन्दूक तान दी गई। इसी बीच उनके शैडो उन्हें बचाकर बाहर ले गये। वरना वह गोली का निशाना बन जाते क्योंकि मुख्य निशाना मित्रसेन यादव थे जिन्हें पुलिस जान से मार देना चाहती थी। श्रीमन्, श्री राजबली सिंह यादव तथा अन्य एक दर्जन व्यक्तियों के गोली लगी है। तीन-चार व्यक्तियों की हालत गम्भीर है। पुलिस ने पार्टी कार्यकर्ताओं की पहले से ही सूची बनाना शुरू कर दिया था। जहां कभी छप्पर नहीं था वहां तीन दिन पहले एक छप्पर डाल दिया गया था और प्रदर्शन के बाद उसमें आग लगा दी और उसके बाद 436 दफा में मुकदमा दर्ज किया। लगभग सौ आदमियों के खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया गया है जिसमें से 16 आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें जख्मी लोग भी हैं। इसमें श्री राजबली यादव गम्भीर रूप से जख्मी थे उनका प्रातः नौ बजे की सूचना तक, कोई उपचार नहीं कराया गया था। मान्यवर, इस तरीके से झूठे मामले बनाये गये हैं। जो निर्दोष आदमी हैं, जो निहत्थे आए थे उन लोगों पर गोलियां चलाई गईं। यह बहुत गम्भीर मसला है मैं चाहता हूं इस पर बहस हो। यदि आप इस पर बहस के आदेश नहीं देते हैं तो सरकार को आदेश दें कि वह एक वक्तव्य दे।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, यह सरकार गुण्डों के बल पर जीत कर आयी है। पुलिस के बल पर जीतकर आई है। मान्यवर, मुझको मालूम हो गया पहले भी माननीय मित्रसेन यादव पर झूठा मुकदमा चलाया गया है। मान्यवर, थाने में शान्तिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन हो रहा था। इसमें दरोगा ने पहले से ही गुण्डों को इकट्ठा कर लिया था और उनसे पत्थर फिकवाए। मान्यवर, पुलिस ने कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों पर पत्थर फिंकवाये और उन पर स्वयं आंसू गैस छोड़ी। वहां पुलिस के दरोगा जो बैठते हैं उनको जब तक नहीं हटाया जाएगा तो इस दौरान कोई भी गम्भीर घटना हो सकती है। वहां के लोगों में बहुत उत्तेजना व्याप्त है इस वजह से मैं मांग करता हूं कि यह जो पुलिस के आदमियों, दरोगा और एस0ओ0 ने यह कार्य किया है, उनको हटाया जाय और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

*श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, मैं इतनी ही बात कहूंगा कि जो विषय माननीय भीखालाल जी ने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उठाया है और माननीय किरनपाल सिंह जी ने दिया है, इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए, चूंकि शासन का इस तरह का मसला मैंने राजनीतिक दलों के मुताल्लिक मानपुर के श्री चतुर्भुज त्रिपाठी का उठाया था। उसको 4 बार टालने के बाद शासन ने 11 तारीख लिखी है, वक्तव्य के लिये। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसके बारे में गम्भीरता को देखते हुए और चूंकि माननीय भीखालाल जी ने कहा है कि 9 बजे तक उपचार के लिये नहीं भेजा गया, इसकी सूचना इस सदन के सामने आज ही, जितनी सूचना आज दे सकें, आज ही अवश्य आ जाय, ताकि सारी चीजें जो नियम 56 के अन्तर्गत दी गयी हैं, उनका वजन हो सके, वरना 4-4 दिन इस तरह मसला टलता रहेगा, और इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिये।

श्री मुख्तार अनीस–

[* *]

श्री अध्यक्ष–

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। एक शब्द नहीं लिखा जायगा।

श्री मुख्तार अनीस–

[* *]

गृह राज्य मंत्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)–

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जो सूचना दी है, उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। जल्दी से जल्दी इस गम्भीर मामले की जानकारी प्राप्त करके आपको सूचित करेंगे।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं इसको पहले भी उठा चुका हूं और फिर आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। मान्यवर, 10 बजे आपके पास सूचना पहुंचती है। श्री भीखालाल जी और किरनपाल सिंह जी की सूचना 10 बजे मिली होगी। तब से अब तक 3 घंटे हो चुके हैं और राज्य मंत्री जी कह रहे हैं कि कोई सूचना नहीं है। मान्यवर, यह सरकार की निष्क्रियता और प्रतिपक्ष को रौंदने की साजिश है। जब सूचना तीन घंटे पहले आपके पास पहुंच गयी थी और फैजाबाद से डायरेक्ट डायलिंग है, वायरलेस और टेलीफोन से बात हो सकती थी, किन्तु इनके पास जानकारी नहीं है। मान्यवर, मैं इसके लिये सरकार की भर्त्सना करते हुए व्यवस्था चाहूंगा कि क्या यह सरकार की प्रतिपक्षी दलों को रौंदने की और उपेक्षा की नीति है, या नहीं?

श्री अध्यक्ष–

यह बात सही है कि नियम 56 के अन्तर्गत 10 बजे इस आदरणीय सदन में जो माननीय सदस्य सूचना देते हैं, यह शासन के लोगों के पास पहुंच जाती है और उस पर शीघ्र कार्यवाही होनी चाहिए और उसके बाद पूरी तरह से अपने दिमाग को उसके लिये तैयार रखना चाहिये ताकि उसके बाद जवाब दे सकें। क्या इस पर कल तक का समय सम्भव है ?

नोटः–[**] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कई सदस्य–

आज ही क्यों नही, आज ही आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

मैं क्या करूंगा और क्या नहीं, यह पूछ कर बताऊंगा । आप कब तक के लिये तैयार हैं ? आज और कल में कोई अंतर नहीं पड़ता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, फर्क पड़ता है।

श्री अध्यक्ष–

यदि यह सम्भव है आपके लिये तो आज सदन उठने के समय तक जितनी सूचना प्राप्त हो सके, उस सूचना को इस आदरणीय सदन के सम्मुख पेश करें मैंने माननीय मोहन सिंह जी की सूचना को शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिये भेज दिया है। माननीय मुख्तार अनीस की सूचना के विषय को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। माननीय बदन सिंह की सूचना को शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिये कह दिया है और माननीय भीखा-लाल जी की सूचना को वक्तव्य के लिये कह दिया है, यदि उससे सदन सन्तुष्ट नहीं हुआ तो जैसी सूचना होगी, मैं देख लूंगा, फिलहाल मैंने इसके विषय को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। माननीय दुर्गा प्रसाद मिश्र की सूचना का जहां तक सम्बन्ध है उसको शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिये भेज दिया है। माननीय मोतीलाल देहलवी और माननीय मुहम्मद आजम खां की सूचना को शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिये भेज दिया है। माननीय हरिवंश सहाय की सूचना के लिये पहले ही कह दिया है। माननीय रियासत हुसैन के बारे में कह दिया है कि कल पुनः लिख कर दे दें। माननीय लल्लू सिंह चौहान की सूचना में शासन का ध्यान आकर्षित किया है और इसमें जांच की जाय। जितने भी नियम-56 के अन्तर्गत यहां पर प्रश्न उपस्थित किए गए हैं, मैं सबको अस्वीकार करता हूं। माननीय श्री भीखा लाल जी और माननीय श्री किरनपाल जी की सूचना को मैं वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूं।

(सर्वश्री अकबाल हुसैन, विद्यासागर नौटियाल, छत्तर सिंह, हरिवंश सहाय, दुर्गाप्रसाद मिश्र और श्री जसवन्त सिंह विष्ट खड़े होकर एक साथ बोलने लगे, फलस्वरूप ध्वनि-अन्वालेप के कारण कुछ स्पष्ट नहीं सुनायी दिया।)

श्री अध्यक्ष–

जो माननीय सदस्य बिना आज्ञा के बोल रहे हैं, उनका एक भी शब्द नहीं लिखा जायेगा।

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो आदेश दिये हैं, फैजाबाद के बारे में.....

(अत्यधिक शोर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री विद्यासागर नौटियाल जी जो आप कह रहे हैं कि आपने ऐसा भी नहीं बताया कि यह मामला क्या है। इस संबंध में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब वह परिपाटी बदल चुकी है, इसके लिए आप अपने माननीय सदस्यों से पूछ सकते हैं । लेकिन फिर भी यदि कोई ऐसी बात हो तो आप मेरे कक्ष में आकर मुझे बता दें।

(अत्यधिक शोर)

[समय 1 बजकर 25 मिनट]

श्री विद्यासागर नौटियाल–

मान्यवर, 13 लोग उसमें मर गये हैं। मान्यवर, अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है।

(श्री विद्या सागर नौटियाल, श्री जसवंत सिंह बिष्ट, श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री नन्द किशोर सिंह, श्री हरिवंश सहाय एक साथ खड़े होकर बोलने लगे।)

श्री विद्या सागर नौटियाल–

[* *]

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें। जो माननीय सदस्य बिना मेरी आज्ञा के बोल रहे हैं, कोई शब्द नहीं लिखा जायेगा।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी–

अध्यक्ष जी, कुछ हम लोगों को भी समय मिलेगा ?

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

मान्यवर, श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी, भू0 पू0 राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। आपके साथ रह चुके हैं। मान्यवर, इसमें नन्द किशोर सिंह जी को सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठिये। मैं नेताओं की बैठक बुलाऊंगा। यदि इसमें इस तरह की बात तय हो जायेगी कि 50 सूचनाओं को नियम 56 के अन्तर्गत ले लिया जाय, तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा।

श्री विद्यासागर नौटियाल–

मान्यवर, मेरा विषय तो आपने सदन में बतायी नहीं। आप विषय तो बता दें, कि क्या था ?

श्री अध्यक्ष–

यह जो आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, आपको कदाचित मालूम हो कि प्रतिदिन यह होता है कि जितनी भी काम रोको प्रस्ताव के तहत सूचना आती है, उनको मैं पढ़ता हूं नाम सबके पढ़ता हूं और जिनको बुलाने की बात होती है, उनको मैं बताता हूं उनको सुनता हूं। यह परिपाटी चली आ रही है काफ़ी दिनों से। आप पहले पूछ लीजिए और माननीय सदस्यों से। अगर इसमें कोई गल्ती है, तो आप मेरे पास आकर कह सकते हैं।

मैं नेताओं की बैठक बुला रहा हूं इसकी बाबत, अगर उन्होंने इसमें कुछ संशोधन की बात तय की तो उसमें मुझे एतराज नहीं होगा।

श्री विद्या सागर नौटियाल –

मान्यवर, मेरा जो विषय है, वह 13 व्यक्तियों की जो मौत हो गयी है उससे संबंधित है।

श्री अध्यक्ष –

आप बैठें। प्रभाकर नाथ द्विवेदी को मैंने बुला लिया है।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी–

मान्यवर, मैंने आपके समक्ष आग्रह किया था और लिखकर भी दिया था कि "रविवार" पत्रिका में सदन की अवमानना की गई। कांग्रेस (आई0) के मुख्य मंत्री की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है, इस वर्तमान मंत्रिपरिषद् की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है। मान्यवर, उसमें क्या कार्यवाही हुई, मान्यवर, उसकी बाबत सूचित नहीं किया गया है। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि आपने जो उसमें कार्यवाही की हो, कृपया उससे सूचित कर दें।

श्री अध्यक्ष –

मैं उसका परीक्षण कर रहा हूं, उसके बाद मैं निर्णय कर सकूंगा।

नोट:–(**) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

मान्यवर, रविवार में क्या छपा है, उसमें क्या लिखा है, इससे जरा माननीय सदस्य अवगत कर दें ।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी–

आप उसे पढ़ लीजियेगा ।

श्री अम्मार रिजवी –

मान्यवर, फैजाबाद की घटना के बाबत कहना चाहूंगा कि फैजाबाद के सिलसिले में आज शाम तक जितनी सूचना मिल सकेगी, वह आपके कक्ष में, आपको दे दूंगा । लेकिन, वक्तव्य के लिए, मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इसे कल के लिए निर्धारित करें, ताकि सारी सूचना आ सके । जो सूचना आज शाम तक मिल सके । जो सूचना आज शाम तक उपलब्ध हो जायेगी, वह आपके कक्ष में दे दी जायेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

मान्यवर, आपकी पूर्व व्यवस्था थी कि 4 बजे सायंकाल तक जो सूचना मिलेगी, उससे अवगत कराया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष –

सदन उठने तक की मैंने बात कही थी । आपका कहना यह है कि वे मेरे कक्ष में सूचना दे देंगे । श्री भीखा लाल जी आप बतायें ?

श्री भीखा लाल –

मान्यवर, आपको जो सूचना मिले, उससे आप सदन को अवगत कर दें या ये ही बता दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष –

यह कह रहे हैं कि आज शाम तक जो सूचना उपलब्ध हो जायेगी, वे मेरे कक्ष में दे देंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

सदन की सम्पत्ति बन चुकी है, जो व्यवस्था दी जा चुकी है । मान्यवर, इसमें मेरी आपत्ति है । जब कोई चीज सदन में आ गयी तो वह सूचना की सम्पत्ति बन गयी, जितना अधिकार मा0 भीखा लाल जी का है, उतना ही हमारा भी है ।

श्री अध्यक्ष –

मैं संसदीय कार्यमंत्री जी से यह कहा था कि आप टेलीफोन से बात करें और जो कुछ भी सूचना प्राप्त होती है, आप सदन को बतायें । इसके बाद संसदीय कार्यमंत्री जी ने मुझसे कहा कि वे मेरे कक्ष में बता देंगे। मैंने मा0 भीखा लाल जी से पूछा उनका कहना यह है कि चाहे सदन में बता दें या कक्ष में बता दें ।

श्री भीखा लाल –

मान्यवर, मैंने यह कहा था कि या तो वे सदन में सूचना दें और यदि आपके कक्ष में सूचना देते हैं, तो आप उसकी सूचना सदन में दे दें ।

श्री अध्यक्ष –

ठीक है, ठीक है, आप बैठें ।

(संसदीय कार्यमंत्री को सम्बोधित करते हुए) आप मुझको सूचना दे दीजिए । सदन उठते समय तक जो भी सूचना प्राप्त होगी, मैं सदन में दे दूंगा ।

श्री गौरी शंकर भैय्या –

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है । गोमती नगर में विधायकों को आवास देने सम्बन्धी विधायक आवास समिति से सम्बन्धित सूचना इसी सदन में दी गई थी, उसके सम्बन्ध में क्या हुआ कुछ पता नहीं चल पा रहा है । हम लोगों से रुपया भी जमा करा लिया गया है । अगर इनकी नियत है और यह देना चाहते हैं तो कुछ करें अन्यथा रुपया वापस कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष –

इसके बारे में कल मीटिंग है, हम लोगों की ।

पंचायती राज राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) –

कल सांयकाल बैठक रखी गयी है, वित्त मंत्री जी को आमंत्रित किया गया है। सम्भवत: कल हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंच जायेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

मान्यवर, मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। उसके उत्तर में आपने व्यवस्था दी थी कि यह सदन में सूचित करेंगे। एक समस्या पैदा हो गई है कि यदि मंत्री जी सदन में बताते और समाधान नहीं होता तो हम स्पष्टीकरण पूछते। अब हम अप्रत्यक्ष आपके मुख से सुनेंगे तो स्पष्टीकरण पूछने का अधिकार नहीं होगा। श्री भीखा लाल जी वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। उनका समाधान तो हो गया लेकिन मेरा समाधान नहीं हुआ। मेरा आरोप है कि यह सरकार, इसने आपकी व्यवस्था को जानबूझकर प्रभावित करने की चेष्टा की है। इसका मुझे अफसोस है। इसके विरोध में अपने दल सहित सदन से बहिर्गमन करता हूं। सरकार जानबूझकर तथ्यों को छिपाना चाहती है। मैं सरकार की इस साजिश के खिलाफ बहिर्गमन करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अम्मार रिजवी –

मान्यवर, जो भी आपका आदेश है, शिरोधार्य है। आपके आदेश को और आपकी आज्ञा को यह सरकार किसी प्रकार भी परिवर्तित करना नहीं चाहती है, न उसके खिलाफ कार्य करना चाहती है। मेरा सिर्फ निवेदन यह था कि जब सूचना आ जायेगी, हो सकता है कि कम हो, आपके सामने रख दी जायेगी। कल इस पर वक्तव्य होने जा रहा है। जितने भी सवाल करने हैं, कल कर लें, लेकिन माननीय गुप्त जी की हमेशा की आदत है कि सब और इन्तजार तो इन्हें है ही नहीं। बहुत जल्दबाजी करते हैं, इसी वजह से जल्दी से सदन का त्याग भी कर गये।

श्री रियासत हुसैन –

जब मान्यवर, एक बात का यह निर्णय हो गया कि सूचना जितनी भी मिलेगी वह सदन में आ जायेगी और उसे फिर देखा जायेगा कि आदरणीय सदन इस सूचना से संतुष्ट है या नहीं, तब उसके वक्तव्य की बात आ जायेगी।

श्री अध्यक्ष –

ऐसा है इसका वक्तव्य तो होगा ही कल।

श्री रियासत हुसैन –

नहीं मान्यवर, वक्तव्य तो कल होगा, लेकिन जो सूचना इस समय तक इनके पास आई है, चाहे वह अधूरी हो या पूरी उसे सदन में आ जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष –

सूचना तो मैं दूंगा ही और कल वक्तव्य भी इस पर होगा।

श्री रियासत हुसैन –

मान्यवर, आप तो जो सूचना देंगे, उस पर हम कोई प्रश्न नहीं कर सकेंगे क्योंकि वह तो आपकी ओर से घोषणा होगी, वह सूचना नहीं होगी, उस सूचना को मा0 मंत्री जी को आज ही देना चाहिए चाहे वह सूचना कितनी भी हो ताकि हम उस पर कुछ टीका-टिप्पणी भी कर सकें इसलिए इनकी सूचना आज सदन के अंदर आनी चाहिए, अगर उस सूचना से आप और आदरणीय सदन के माननीय सदस्य असंतुष्ट होंगे तो कल वक्तव्य आ जायेगा, तब तो सारी चीजें स्पष्ट हो सकेंगी।

श्री मुख्तार अनीस –

जो रियासत भाई कह रहे हैं वह ठीक है।

श्री अध्यक्ष –

क्या माननीय मंत्री जी यह आपके लिए सम्भव होगा कि मुझको सूचना देते हुए आज ही आदरणीय सदन के समक्ष भी वह प्रस्तुत कर सकेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी –

मान्यवर, मैंने जैसा कि पहले कहा कि सूचना मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा और कल इस पर वक्तव्य आ जायेगा और यदि आज इसी मामले पर सूचना आने पर टीका-टिप्पड़ी हो और कल वक्तव्य पर भी हो तो यह एक ही विषय पर दो-दो बार डिस्कशन होगा जो नियमों के विपरीत होगा । नियम 56 में आप देखें जिसमें दिया हुआ है कि जिस चीज पर आदरणीय सदन के अंदर एक बार विचार हो जाये उस पर दुबारा विचार नहीं होना चाहिए, अगर हम आज इसे ले लेते हैं, तो फिर कल इस पर वक्तव्य न हो सकेगा क्योंकि इस तरह फिर नियमों की अवहेलना होगी, इसलिए कहिए तो आज ही वक्तव्य भी हो जाए । या यदि आप इसको लेते हैं तो कल ही दोनों चीजें सामने आ जायें ।

श्री विद्यासागर नौटियाल–

सरकार के पास पूरी सूचना नहीं है और शाम तक यदि वह सूचना देने के लिए तैयार नहीं है तो ऐसा उनका करना माननीय सदस्यों के अधिकारों के साथ कुठाराघात होगा ।

श्री रियासत हुसैन –

मान्यवर, इस सारी घटना के दो हिस्से हैं, एक तो इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों के अधिकार इन्वाल्व हैं इस सूचना को प्राप्त करने के और दूसरी बात यह है कि जो मित्रसेन यादव जी की भी 436 के मुकदमें मुल्जिम बना दिया गया है । तो क्या इसके तहत उनकी गिरफ्तारी हो गयी है या नहीं और तीसरी बात यह कि जैसा कि भाई भीखा लाल जी की सूचना है कि 9 बजे तक जिन लोगों के चोटें आयीं हैं, उनको शिफाखाने की सुविधाएं भी नहीं प्राप्त हो सकी थीं तो क्या अब उनकी डाक्टरी हो गई है या नहीं, यह सारी सूचनाएं आज ही आ जाएं । उसके बाद वक्तव्य हो कि यह घटना कैसे घटी और इस पर क्या-2 कार्यवाही हुयी और दूसरी बात जो पूरे सदन के मा0 सदस्यों के लिए चिंता बनी हुई है वह यह कि जब यह घटना हो रही थी, उस समय वहां पर श्री मित्रसेन मौजूद थे और उनके खिलाफ भी चार्जशीट लगायी गयी है, इसलिए यह सारी सूचना हम लोगों को मिलनी चाहिए कि इसमें सत्यता क्या है ?

डा0 बृज किशोर मिश्र –

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि जब कोई माननीय सदस्य कहीं पर डकैती डालेंगे तो क्या जब पकड़े जायेंगे तो क्या मुल्जिम नहीं होंगे ?

श्री रियासत हुसैन–

इस तरह से काम नहीं चलेगा ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कोई व्यवस्था नहीं दी है, आप बैठें ।

श्री मुख्तार अनीस–

माननीय मिश्रा जी ने अभी एक माननीय सदस्य के लिये कहा कि अगर वे डकैती डालने के लिये जांय, यह बात आपत्तिजनक है और बहुत ही गम्भीर बात इन्होंने कही है । मित्रसेन यादव के बारे में कौन आदमी नहीं जानता है ?

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये ।

श्री रियासत हुसैन–

आपके यहां ही ज्यादा डकैतियां होती हैं, इधर नहीं ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें । अरे बैठिये ना, बस हो गया ।

मैंने माननीय रियासत हुसैन, माननीय मुख्तार अनीस तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना । उनका कहना यह है–

श्री विद्यासागर नौटियाल–

श्री मित्रसेन यादव के बारे में ऐसे आरोप लगाना बहुत गम्भीर बात है ।

श्री अध्यक्ष–

जब मैं खड़ा हुआ हूं तब आप क्यों खड़े हो रहे हैं ? आप बैठिये ।

मैंने यह कहा है और उसका रास्ता यह निकाला है कि जितनी सूचना उनको प्राप्त हो जायेगी, उसको ये मेरे कक्ष में दे देंगे । मैं भीखा लाल, किरनपाल सिंह से भी कहता हूं कि वे मेरे कक्ष में आ जांच और उस सूचना को देख लें उसके बाद उस सूचना को सदन में दे देंगें लेकिन उस पर स्पष्टीकरण नहीं होगा और कल उस पर वक्तव्य होगा तब उस पर स्पष्टीकरण हो सकेगा ।

श्री विद्या सागर नौटियाल–

क्यों नहीं स्पष्टीकरण होगा ?

श्री अध्यक्ष–

एक बार जब पहले सूचना आ जाती है तो उस पर दुबारा वक्तव्य नहीं होगा ।

श्री भीखा लाल–

जितनी सूचना आयेगी उस पर स्पष्टीकरण होगा, जितनी नहीं आयेगी उस पर स्पष्टीकरण नहीं होगा ।

श्री अम्मार रिजवी–

जितनी सूचना आज 4 बजे तक उपलब्ध हो जायेगी उसे हम दे देंगे । लेकिन आज तक उस पर चर्चा हो जाने के बाद नियम 56 के अन्तर्गत फिर कल वक्तव्य नहीं हो सकेगा । इसलिये कल इस पर वक्तव्य नहीं होगा।

श्री रियासत हुसैन–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने यह कहा कि जो सूचना आ जायेगी उस पर फिर वक्तव्य नहीं होगा । श्रीमन्, आप नियम 56 को देख लें और उस पर विचार करके देख लें । श्रीमन्, आप नियम 56 को मंजूर कर लीजिये यह सारी चीजें नियम 56 में मंजूर करने के बाद है नियम 56 को अस्वीकार करने की बात नहीं है बल्कि नियम 56 को स्वीकार करने की बात है यह ।

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय रियासत हुसैन जो बहुत बड़े ज्ञाता हैं, अपने को बहुत पण्डित समझते हैं और आलिमफाजिल कहते हैं उनको यह नहीं पता है कि नियम 56 में मंजूर करने के लिये इसमें लिखा है कि यदि एक बार उस टापिक पर, उस विषय पर चर्चा हो जायेगी तो वह टापिक सदन में दुबारा नहीं लिया जा सकता है, इस सदन में ।

श्री मुख्तार अनीस–

इसमें अन्तर है ।

श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, चर्चा तो इस पर जब होगी जब आप इसे मंजूर कर लेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं ताकि इस पर विचार कर सकूं ।

(इस समय 1 बजकर 40 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित हुई । 1 बजकर 55 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को 2 बजकर 15 मिनट तक स्थगित रहने की सूचना दी तदुपरान्त 2 बजकर 15 मिनट पर सदन

की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री अम्मार रिजवी–

अध्यक्ष जी, जैसा कि आपने आदेश दिया था, सौभाग्य से कुछ सूचना प्राप्त हो गई है और उसके अनुसार थाने के सामने मिल्कीपुर कास्टीटुयेन्सी में एक तरफ जब 20 सूत्री कार्यक्रम की मीटिंग हो रही थी, और दूसरी तरफ माननीय मित्रसेन यादव जी पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। वहां पर दोनों ग्रुप्स में टकराव हुआ और उससे झगड़ा हो गया । उसमें कुछ पुलिस के लोग भी जख्मी हुये । मान्यवर, मित्रसेन यादव गिरफ्तार नहीं हुये हैं लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है । जो सूचना मिली है उसके अनुसार पुलिस ने सेल्फ डेफेन्स में, अपने बचाव में फायरिंग की, बन्दूक चलाई लेकिन कोई जख्मी नहीं हुआ ।

श्री गोपीनाथ वर्मा–

बिलकुल फर्जी रिपोर्ट दी जा रही है।

(व्यवधान)

डेढ़ दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुये हैं।

श्री अध्यक्ष–

आज प्रातःकाल जब इसके बारे में बात हो रही थी तो उस समय आप नहीं थे । जो नेताओं ने तय किया है उसके अनुसार कार्यवाही हो रही है। आप बैठिये ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, यह सारा मामला इनायतनगर, जिला फैजाबाद का है । इसमें आपने आदेश दिया है कि कल वक्तव्य दिया जाय । जो अंतरिम सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार घटना इस तरह से हुई कि एक तरफ माननीय मित्रसेन यादव के नेतृत्व में एक जलसा हो रहा था और दूसरी तरफ 20 सूत्री कार्यक्रम की बैठक हो रही थी। आपस में कुछ बात-चीत हुई । यह सब बातें शाम तक थी कल सवेरे तक पूरी डिटेल में आ जायेंगी । मान्यवर, इस स्थिति को देखते हुये पुलिस ने अश्रु-गैस भी चलाई और आत्म सुरक्षा में उसको फायरिंग भी करनी पड़ी । इसमें पुलिस के लोग जख्मी हुये हैं और उनके ऊपर मुकदमा कायम किया गया है । इसके बारे में कल तक पता चल जायेगा । जैसे कि आपके आदेश थे अंतरिम सूचना आप-के माध्यम से सदन के समक्ष रख दी गयी है । कल इस पर वक्तव्य होगा और उस पर अन्य स्पष्टीकरण और प्रश्न पूछे जा सकेंगे ।

श्री भीखा लाल–

मान्यवर, मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहता .

(व्यवधान)

(श्री तेज बहादुर गंगवार के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय गंगवार जी, शाम को पांच बजे के करीब में आपको स्पष्टीकरण के लिये आज्ञा दूंगा । इस समय नहीं ।

श्री भीखा लाल–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे तीन बातों के सम्बन्ध में भी सूचना मंगा लें, उससे स्थिति स्पष्ट और स्पष्ट हो जायेगी । पहली बात यह है कि 31 तारीख को मित्रसेन यादव ने जिलाधिकारी और एस0 पी0 को यह लिखित सूचना दी थी कि एस0ओ0 इनायत नगर हमारे प्रदर्शन में बिध्न डालने की योजना बना रहे हैं । यह सूचना उन्होंने जिलाधिकारियों को दे दी थी । दूसरी बात यह है कि जो राजबली सिंह जो कि पुलिस की गोली से घायल हुये हैं, उनकी अब क्या स्थिति है । और तीसरी बात

यह है कि जैसा आपने कहा मित्रसेन यादव गिरफ्तार नहीं हुये लेकिन क्या वे सुरक्षित हैं या नहीं, इसकी भी जानकारी करा लें।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है।

1984-85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 18—ग्राम्य विकास विभाग, अनुदान संख्या 30—पंचायती राज विभाग तथा अनुदान संख्या 82—क्षेत्रिय विकास विभाग

[समय 2 बज कर 20 मिनट]

*ग्राम्य विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 18—ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पुर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2, 11, 02, 75, 000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(इस समय 2 बजकर 21 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त पीठासीन हुए।)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 30—पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10, 14, 91, 000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 82 क्षेत्रिय विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25, 02, 76, 000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, यह सर्वविदित है कि हमारे प्रदेश में लगभग 87 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और हमारी सरकार गांव के विकास के लिए काफी जोर दे रही है ताकि गांव में रहने वाले लोगों का जीवनस्तर ऊंचा उठाया जा सके। खासकर हमारे प्रदेश में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग भूमिहीन एवं लघु कृषक रहते हैं उनके जीवनस्तर को ऊंचा उठाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनायें प्रदेश के अंदर चलाई जा रही हैं। इस प्रकार से हमारे प्रदेश में डी0 डब्लू0 आर0 सी0 ए0, रोजगार गारंटी योजना और लघु और सीमांत कृषकों के आर्थिक उत्थान के लिए यह तीन योजनायें प्रदेश में लागू की गयी हैं।

माननीय एकीकृत ग्राम्य विकास योजना जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रदेश में लाखों लोग ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, गरीबी की रेखा से उपर लाने के लिए उनको ऋण और अनुदान देकर सरकार सहायता कर रही है। 2 अक्तूबर, 80 से हमारे प्रदेश के अंदर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह योजना समस्त विकास खण्डों में चलाई जा रही है और उसके पहले यह योजना कुछ चयनित ब्लाकों के जरिये से चलाई जा रही थी लेकिन 2 अक्टूबर, 1980 से यह योजना समस्त विकास खण्डों में चलाई जा रही है। वर्ष 1983-84 में 5 लाख 31 हजार लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा था फरवरी 84 तक जो मेरे पास आंकड़े हैं लगभग 87 फीसदी लक्ष्य की पूर्ति कर चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वर्षान्त तक वह भी पूरा हो गया होगा ऐसा मेरा विश्वास है। वर्ष 84-85 के लिए 3740 लाख रुपये का प्राविधान प्रस्तावित है।

हरिजन पेयजल योजना हरिजन बस्तियों में जहां पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है उसके लिए हमारी सरकार ने फैसला किया है कि आने वाले कुछ वर्षों में हम उन बस्तियों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायेंगे। वर्ष 1983-84 में 1364 कूप एवं 500 डिग्गियों के निर्माण का लक्ष्य था इसके विपरित जनवरी, 1984 तक 1582 कूप और 118 हैण्डपम्प तथा 207 डिग्गियों का निर्माण किया जा चुका है। वर्ष 1984-85 के लिए 296 लाख रुपये का प्राविधान इसके लिए प्रस्ताविक है। मान्यवर, निर्बल आवास योजना हमारे प्रदेश में ग्राम विकास विभाग के जरिये चलाई जा रही है और इस योजना के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्रों में कुल लागत का 75 प्रतिशत या 2 हजार रुपये जो भी कम हो और पहाड़ी क्षेत्र में कुल लागत का 75 प्रतिशत या 3 हजार रुपये जो भी कम हो, यह अनुदान के रूप में दिया जाता है मकान बनाने के लिए 1 वर्ष 1983-84 में 248 लाख रुपये का व्यय इस मद में हुआ था और जनवरी, 1984 तक 7071 मकान इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण निर्बल वर्ग के लोगों को उपलब्ध कराये गये हैं। मान्यवर, इसके लिये 1984-85 में 281·55 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है।

मान्यवर, इसके साथ ही प्रदेश में सरकार ने ग्रामीण आवास विकास परिषद् का गठन का निर्णय लिया है, इसकी विधायी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, नियम बनाये जा रहे हैं और जैसे ही नियम बनकर तैयार हो जायेंगे वैसे ही यह ग्रामीण आवास विकास परिषद अपना काम शुरू कर देगी।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना बड़ी सफलता के साथ चल रही है। यह योजना जो गांव में हमारे भूमिहीन कृषक मजदूर रहते हैं उनके लिये है। इस योजना के दो उद्देश्य हैं, कि जहां ऐसे लोग जिन्हें वर्ष भर मजदूरी नही मिलती है उनको इस योजना के जरिये रोटी देते हैं और दूसरी तरफ स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन इस योजना के अन्तर्गत कर रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत अंश कुल धनराशि का श्रमांश होता है और 50 प्रतिशत सामग्री के रूप में व्यय किया जाता है। 50 प्रतिशत सहायता भारत सरकार से मिलती है और 50 प्रतिशत सहायता प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से देती है। वर्ष 1983-84 में जनवरी, 1984 तक 262·68 लाख मानव दिवस इस योजना के अन्तर्गत सृजित किये गये हैं। वर्ष 1984-85 में 7234 लाख रुपये का प्राविधान इस योजना को पूर्ण करने में प्रस्तावित हैं। मान्यवर, एक नई योजना प्रधान मंत्री ने चलाया है। वह योजना 15 अगस्त, 1983 से प्रदेश में चल रही है। यह योजना ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना है। मान्यवर, हम धन्यबाद देना चाहते हैं और हम समझते हैं कि समूचे सदन को इस कार्य के लिये प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद

देना चाहिये । यह ऐसी योजना है कि जिसमें हमारे प्रदेश की सरकार को एक पैसा भी नहीं लगाना है, सम्पूर्ण धनराशि इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से मिलेगी । इस योजना के अन्तर्गत लक्ष्य रखा गया है कि जो मजदूर हैं, वर्ष में कम से कम 100 दिन उनको काम मिले। यह योजना बड़ी उपयोगी है और अब तक इस योजना के लिये लगभग 14 जनपदों की योजना भेजी और वह स्वीकृत होकर आ गयी है और उसके अगेन्स्ट 42 लाख रु0 का व्यय इन योजनाओं को पूर्ण करने में लगेगा ।

श्री प्रियदर्शी जेतली–

अधिष्ठाता महोदय, वह 14 जनपदों के नाम बता दें?

श्री अधिष्ठाता–

बाद में वह बता देंगे। अभी नहीं।

श्री बलराम सिंह यादव–

इसमें कोई घबड़ाने वाली बात नहीं है। प्रत्येक जिले का बन रहा है और अन्य जिलों के भी प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं और हम प्रयास यह कर रहे हैं कि शीघ्र ही उनको भारत सरकार को भेजकर वहां से उनको स्वीकृत करा लें (व्यवधान)

मान्यवर, लघु और सीमान्त कृषकों का कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उनकी आर्थिक दशा का सुधार बहुत आवश्यक है। इस दृष्टि से एक नई योजना को इस वर्ष हमारी सरकार ने शुरू किया है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि इसका खूब स्वागत हुआ है और किसानों ने इसको बहुत पसन्द किया है। इसके साथ साथ निजी लघु सिंचाई योजना हमारे प्रदेश में चल रही है और मैं समझता हूं कि यह योजना बहुत ही सफलता-पूर्वक हमारे प्रदेश में चल रही है । इसके लिए लक्ष्य 83-84 में 9 लाख हेक्टर का रखा गया था और फरवरी, 84 तक 8.24 लाख हेक्टर पूरा कर चुके हैं और हमें उम्मीद है कि जो भी लक्ष्य रखा गया है, उसे हम मार्च तक अवश्य पूरा कर लेंगे। इसमें जो लघु कृषक हैं, उनको 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है और जो सीमान्त किसान हैं उनको 33 1/3 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है और जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनको 50 प्रतिशत अनुदान इस योजना में हमारी सरकार देती है । 84-85 में इस योजना में 623.55 लाख रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, जो हमारे प्रदेश में दूर-दूर तक छोटे-छोटे काम और बिखरे पड़े काम हैं, जैसे कहीं प्राइमरी स्कूल बनाना है, तो ऐसे बिखरे कामों के लिए, ऐसे कामों को करने के लिए हमारे पास कोई एजेंसी नहीं थी, अतः इस योजना के अन्तर्गत हमारे तमाम ऐसे छोटे-छोटे, बिखरे हुए काम इस प्रदेश में किये जा रहे हैं। इस विभाग के कार्य करने की क्षमता 16 करोड़ रुपया प्रति वर्ष की है, लेकिन आज अपनी क्षमता से ज्यादा यह विभाग कार्य कर रहा है। 84-85 में 317.15 लाख रुपये का प्राविधान इसमें प्रस्तावित है।

पंचायतराज विभाग के बारे में मैं अधिक न कहकर थोड़ा ही कहना चाहता हूं। इसके बारे में आप सब जानते हैं और इसके महत्व को अच्छी तरह जानते हैं और यह भी जानते हैं कि यह हमारे लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है। यह पूरे प्रदेश में हर जगह फैला हुआ है और हमारी सरकार ने प्रधानों के चुनाव कराये हमारी सरकार ने क्षेत्र समितियों को गठित किया है और हम प्रयास इस साल का कर रहे हैं कि जो जिला परिषदें हैं उनका भी गठन शीघ्र हो जाए। मान्यवर, हमारे इस विभाग के द्वारा बहुत से पंचायत उद्योग लगाए जा रहे हैं। प्रदेश

में 893 पंचायत उद्योगों को इस विभाग के जरिये चलाया जा रहा है, जिसमें माह दिसम्बर तक 650 लाख रुपये का उत्पादन लक्ष्य रखा गया था, और उसके अगैस्ट 400 लाख रुपये के माल का उत्पादन हुआ है।

प्रादेशिक विकास दल हमारे गांवों में रहने वाले पढ़े लिखे नौजवानों को, जिनको सही दिशा देना आवश्यक है जिनके सर्वांगीण विकास की आवश्यकता है। इसके लिये प्रादेशिक विकास दल द्वारा इन नवजवानों को रचनात्मक कार्यों के लिये योजना बनायी जाती है। गांव की सुरक्षा, खेलकूद, श्रमदान, वृक्षारोपण तथा सामाजिक कार्य विशेष रूप से इस प्रादेशिक विकास दल द्वारा किये जाते हैं।

प्रदेश के अन्दर इस समय 40 व्यायामशालायें भी खुली हुई हैं जिनसे हमारे युवकों को व्यायाम सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जाता है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण विभाग के जरिये भी गांव में नवयुवकों को प्रशिक्षित करने के लिये महत्वपूर्ण कार्य किये जाते हैं। गत वर्ष इसके द्वारा 824 युवकों को प्रशिक्षित किया गया था।

इस वर्ष मान्यवर, इन सब योजनाओं को पूरा करने के लिए 174 लाख रुपया रखा गया है।

हमारे यहां मान्यवर, ऊर्जा की बहुत कमी है। प्रदेश में इस संकट से निबटने के लिये बायोगैस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। ग्रामीण अंचलों में तो यह चल ही रहा है, शहरों में भी जिनके पास जानवर हैं, इस योजना को चलाया जा रहा है। वर्ष 1983-84 में 10 हजार संयत्र लगाने का लक्ष्य था। ईंट ने मिलने के कारण इसमें कुछ रूकावटें आती रहीं। इस वर्ष भी 1984-85 के लिये इस योजना के लिये हमने 602 लाख रूपये का प्राविधान किया है। मान्यवर, समादेश क्षेत्र विकास परियोजना हमारे प्रदेश के अंदर तीन परियोजनाओं के जरिये से चलायी जा रही है। एक रामगंगा, दूसरी शारदा सहायक और तीसरी गंडक है। मान्यवर, जो हमारी बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं, उनसे जो पानी उपलब्ध होता है उस पानी को ठीक प्रकार से खेतों तक पहुंचाया जाय और वाटर मैनेजमेंट ठीक से हो और पानी की बरबादी न हो, पानी को वैज्ञानिक तरीके से खेतों तक पहुंचाया जाय इन समस्त कारणों से इन तीन परियोजनाओं के जरिये से इस कार्य को प्रदेश में चलाया जा रहा है। इन योजनाओं के जरिये 33 जानपदों में यह कार्य हो रहा है। 1983-84 के लिये 4.30 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया और उपलब्धि कम हुयी है। उपलब्धि केवल 37.11 लाख हेक्टेयर रही है। इसका मुख्य कारण ईंटों की उपलब्धि न होना है। मान्यवर, 84-85 में 2393 लाख रूपये व्यय किये जाने का प्रस्ताव है।

मान्यवर, इसके अलावा हमारा प्रयास यह रहा है कि जहां तक संभव हो विभाग चुस्त और दुरूस्त तरीके से चले। हमारा प्रयास यह रहा है कि जो भी सुझाव माननीय सदस्यों के आते हैं चाहे वह सदन के जरिये से आते हों या माननीय सदस्य व्यक्तिगत रूप से मिलकर बताते हों, तो उनको पूरा किया जाय। आगे भी मैं इस बात का प्रयास करूंगा कि जो भी जन समस्यायें हैं उनका निराकरण द्रुतगति से किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य अपने सुझाव दें और जहां तक संभव होगा, जो सुझाव ग्राह्य होंगे या जो हम कर सकते हैं उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे।

श्री हुकुम सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनु-

दान संख्या 10-ग्राम्य विकास विभाग, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्री अधिष्ठाता—

और जो हैं उनको भी पढ़ दीजिये।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 30-पंचायती राज विभाग, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-82 क्षेत्रीय विकास विभाग, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, अभी विभाग का बजट प्रस्तुत करते समय माननीय मंत्री जी ने कुछ नयी योजनाओं का उल्लेख किया और कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में बताया कि जिनके माध्यम से आप ग्राम विकास करना चाहते हैं, या गांव की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं। मैं केवल यह जानकारी चाहता था कि जो योजनायें आज से नहीं बल्कि बरसों से चल रही हैं और दो, तीन वर्ष ही नहीं दसियों साल पुरानी हैं क्या कभी उनका मूल्यांकन आपने कराया है? क्या आप निश्चित रूप से यह कह पायेंगे कि ग्रामों से जो लोगों की निरन्तर निकासी हो रही है और लोग जो शहरों की ओर भाग रहे हैं, उसमें कोई रुकावट आयी है। अगर आज गांव की स्थिति में सुधार होता, इकोनामिक डेवलपमेंट होता तो किसान और गांव के लोग शहरों की ओर रोजगार के लिये न भागते। उनको अपने खाना खुराक के लिये बाहर जाने की आवश्यकता न होती। मान्यवर, आज भी गांव के आदमी शहर की ओर चलते हैं चाहे वह मजदूरी करें या रिक्शा चलायें। परिवार का एक आदमी गांव में रहता है बाकी लोग गांव छोड़कर भागते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जितनी योजनायें हमारी ग्राम विकास के नाम पर चलायी जा रही हैं, वह केवल कागज पर वे सीमित रह गयी हैं, फील्ड में उनकी उपलब्धि अगर है तो नगण्य है और मैं तो यह कहना चाहता हूं कि वह उपलब्ध 99 प्रतिशत नहीं है।

मैं एक-एक योजना के बारे में संक्षेप में कहना चाहता हूं। आपने आई0आर0 डी0 योजना का उल्लेख किया। एकीकृत ग्राम्य विकास योजना इस योजना के माध्यम से समाज के उस निम्न वर्ग को जिसकी आमदनी या उसके परिवार की आमदनी 35 सौ रुपये से कम है, उसको आप चयनित करते हैं। आधा पैसा केन्द्र सरकार देती है और आधा पैसा आप देते हैं। तो जो इस योजना का प्रारूप है, इसमें प्रदेश सरकार का कोई दखल नहीं है।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जब तक आप गांव को इकाई मानकर, वहां की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वहां की सामाजिक भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुये विकास की योजना तैयार नहीं करेंगे तब तक चाहे आप आई0 आर0 डी0 नाम रखें या एन0 आर0 ई0 पी0 नाम रखें उसका फायदा गांव की जनता तक नहीं पहुंचेगा। आप केवल संचालन करने वाले हैं योजना केन्द्र सरकार की है। अभी तक शतप्रतिशत पैसा केन्द्र सरकार का था अब आधा-आधा हो गया है। इस योजना में संशोधन करने या इस योजना को चलाने वाली जो मशीनरी है उस पर नियंत्रण करने का अधिकार प्रदेश सरकार को नहीं है। गांव पंचायत

को तो कहीं पर कुछ कहने की गुंजाइश रह ही नहीं जाती है। क्या मैं जान सकता हूं कि दिल्ली में एयर कंडीशंड कमरे में बैठ कर गांव की समस्याओं के बारे में सोच पायेंगे? देश में हर प्रदेश में, हर गांव की समस्या अलग-अलग है। तो दिल्ली में बैठ कर क्या तमाम गांवों की समस्याओं से जूझ पायेंगे? जब आप इस योजना को चला रहे हैं, तो कोई न कोई सुझाव केन्द्रीय सरकार को देना था कि जो कुछ उन्होंने योजना बना कर दे दिया है, उससे ठीक तरह से फायदा नहीं पहुंच रहा है और अगर आपने सुझाव नहीं दिया, तो निश्चितरूप से आपको इसकी जानकारी होते हुए भी या अपनी इच्छा को दबा कर उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते हैं।

तो मान्यवर, दो ही योजनायें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना और एकीकृत ग्राम्य विकास योजना, इसके संचालन के लिए जनपद में एक जिला ग्रामीण अधिकरण बनाया गया। जिलाधिकारी उसका अध्यक्ष होता है, जिसमें 23 सदस्य हैं, जिसमें सांसद और विधायक का बीसवां स्थान है। वह एक गवर्निंग बाडी है और यह सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है। उनका अधिकार है तमाम करोड़ों रुपयों के बारे में तय करने का किस आधार पर वह उसको तकसीम करेंगे और मानक जो तैयार किये गये हैं उस मानक के अनुसार पैसे का वितरण करेंगे। कार्यकारिणी में जिलाधिकारी और बैंक का प्रतिनिधि और संबंधित विभाग, का अधिकारी होता है। तीन आदमी उस कार्यकारिणी में हैं। आप करोड़ों रुपये का बजट जिला परिषद् के सदस्य जिलाधिकारी के विवेक पर छोड़ दें, प्रधान, ब्लाक प्रमुख, क्षेत्र समिति के सदस्य, विधायकगण और संसद सदस्य जितने लोग भी जन प्रतिनिधि हैं, क्या उनका कोई दखल उसमें रह जाता है कि किस प्रकार इस योजना को चलायेंगे? तो मान्यवर, इतनी बड़ी खामी के बावजूद भी मंत्री जी ने एक शब्द भी इसके बारे में नहीं कहा। जहां पर 87 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है, जिसमें संचालन में दखल हो, उसके सहयोग के बिना सोचते हैं कि उसका विकास होगा, मैं कहता हूं कि यह असम्भव है। अगर आप सोचते हैं कि ग्रामों का विकास होना चाहिये, गांव पंचायत व ग्राम प्रधान को जब तक अधिकार नहीं देंगे, तब तक ग्राम का विकास असम्भव है। बापू ने जो कल्पना गांव के रिपब्लिक की थी कि गांव में रहने वालों की सारी आवश्यकता गांव में रह कर ही पूर्ण हो उनकी आर्थिक गतिविधियों का संचालन ग्राम पंचायत के माध्यम से हो। उस रिपब्लिक की कल्पना तो हम कर ही नहीं सकते। लेकिन कम से कम विकास कार्य के लिए पंचायत शामिल हो और कहीं पर ऐसी बात नहीं है।

हमारे देश में कहीं पर भी ऐसा नहीं हो रहा है। हमें दो एक प्रदेशों को देखने का मौका मिला गुजरात में भी जाने का मौका मिला। दो चार पंचायतें उन्होंने दिखलाया। वास्तव में जो वहां की पंचायतों ने कार्य किया, शायद वहां पर एक भी गांव ऐसा नहीं जहां पर फ्लश लैट्रिन न बनी हो। वहां पर यह सब जन सहयोग से तैयार की गयी। यहां पर आप जिला मुख्यालय में जाकर पैसा बांट देंगे और बता देंगे कि इतने मानव दिवस बढ़ा दिया, उसका विश्लेषण यहां पर आकर दे देंगे और आंकड़ा यहां पर प्रस्तुत कर देंगे। क्या इससे उनको रोजगार मिल जायगा? इस-

लिए मैं चाहता हूं कि पंचायत को जितनी सहायता आप तकनीकी और धन की दे सकें, वह सहायता उनको दें। लेकिन यहां की समस्या के बारे में निर्णय वहां पर पंचायत में बैठ कर करना चाहिए। मैं थोड़ा विषयान्तर हो गया। पंचायत के बारे में दो शब्द और कहना चाहता हूं कि पंचायत की स्थिति क्या है। क्या जगह-जगह प्रधानों का सम्मेलन बुलाकर आप सोचते हैं कि बड़ा अधिकार दे दिया। दो ढाई साल में अपनी सुविधानुसार प्रधानों का सम्मेलन बुला लिया और भाषण तथा भोजन हो गया, क्या स्थिति प्रधान की है?

श्री माधव प्रसाद—

आप तो चुनाव भी नहीं करा पाये।

श्री हुकुम सिंह—

आप चुप रहें। मैं सुझाव दे रहा हूं कि प्रधान उस गांव का सभापति है, जनता ने उसको चुना है, जनता ने उसमें विश्वास व्यक्त किया है। हम यह क्यों न विश्वास करें कि अगर यह पैसा ग्राम प्रधान को देते हैं तो वह इसका सही उपयोग कर पायेगा? जिस जिलाधिकारी को आप अधिकार दिये हैं, वह भी तो किसी प्रधान का भाई, भतीजा है। हिन्दुस्तान का रहने वाला है। अधिकारी ज्यादा ईमानदार होगा, जनप्रतिनिधि गांव का रहने वाला उतना ईमानदार नहीं होगा, यह कैसे आप समझते हैं? गांव के प्रधान की स्थिति क्या है? चुनाव के बाद जिलाधिकारी से लेकर नीचे तक का हर आधिकारी उसके ऊपर हुकूमत करता है। निलम्बन की तलवार उसके ऊपर लटका देते हैं। अगर ग्राम प्रधान एस0 डी0 एम0 के आदेश का पालन न करें तो निलम्बित कर दिया जायेगा। चुनाव के बाद उसकी यह हालत है कि एक बैठक करना चाहे तो नहीं कर सकता है। लेखपाल के सहयोग के बिना एक कदम नहीं बढ़ सकता है।

कुछ प्रदेश इस देश में ऐसे हैं, जहां ब्यूरोक्रेसी को ग्राम प्रधान को निलम्बित करने का अधिकार नहीं है। मैंने पंचायत राज एक्ट का अध्ययन किया। दो प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात में ग्राम प्रधान को निलम्बित करने का अधिकार एस0 डी0 एम0 या पंचायत अधिकारी को नहीं है ग्राम प्रधान जिला परिषद् के अध्यक्ष द्वारा ही निलम्बित किया जा सकता है, किसी अधिकारी को यह अधिकार नहीं है। अगर लोकतंत्र में विश्वास है, चुनाव के बाद अपमानित कराना, प्रताड़ित कराना, निलम्बन की तलवार लटकाना समाप्त करना होगा। परन्तु आपकी लोकतंत्र में आस्था है, ऐसा मेरा विश्वास नहीं है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी वहां के एक्ट का अध्ययन करें और इस पर गम्भीरता से विचार करें। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के बारे में बहुत कुछ कहा गया। रोजाना जिलों में बैठकर हमको विचार करने का मौका मिलता है। लेकिन कुछ धन मात्र आवंटित करने से, उन जनपदों को उस धन के माध्यम से, कुछ खड़ंजा या मकान का निर्माण होने से आप सोचते हैं कि गांव में रहने वाले व्यक्तियों को रोजगार दे दिया। 10 करोड़ रुपया खर्च हो गया। 10 करोड़ रुपये से मिनिमम वेजेज एक्ट के अनुसार इतने लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। इसके आधार पर सोचते हैं कि 10 करोड़ खर्च हो गया इसलिये इतने लोगों को रोजगार मिल गया।

मैं चाहता हूं कि आप खुद अपने पंचायती राज विभाग को देखें। आप जो धन विभिन्न जनपदों को आवंटित करते हैं, रोजगार योजना के अन्तर्गत, वह

धन किस एजन्सी के माध्यम से खर्च होता है। मान्यवर, वहां पर होड़ लगी है, उस धन को छीनने की। वह धन एक एजेन्सी से नहीं खर्च होता है। जिले का गन्ना विभाग, आर0 ई0 एस0, सब उस धन को लूटने की, छीनने की होड़ में हैं। मण्डी समिति इस साल नहीं है, पहले उसको भी दिया जाता था। हर विभाग उसको छीन रहे हैं। जिला परिषद् के माध्यम से भी काम किया जाता है। क्यों इस धन को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। न कोई आडिट है न कोई हिसाब है। किसी एक जनपद को आप देख लें। 10 लाख रुपया दे दिया, इसलिये इतने आदमी को रोजगार मिल गया। सारे का सारा पैसा ठेकेदार के द्वारा खर्च होता है। स्थायी पर सम्पत्ति का सृजन करना और दूसरा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना दो उद्देश्य थे। रोजगार तो मिला नहीं है। और अगर इस पैसे को स्थायी सम्पत्ति के निर्माण में खर्चा करना है तो आप फिर इसको रोजगार से अलग कर दीजिए। जो आपकी सामान्य योजनायें हैं उसमें खर्चा कीजिये।

यह विशेष योजना तो इसलिए थी कि वहां आप लोगों को धन उपलब्ध करायेंगे। गरीब लोगों को रोजगार देंगे। क्या आप अपने जनपद के बारे में बता सकते हैं, कितनी सड़कें बनाई हैं और किस पैसे से बनी हैं? क्या इस पैसे का उपयोग गांव के लोगों को रोजगार देने में किया गया, यह विशेष योजना आपने बनाई, और फिर पैसे को दूसरे कार्यों में खर्च किया, तो क्या आप बतायेंगे कि विशेष योजना बनाकर पैसे का अपव्यय करने का क्या औचित्य है? कृपा करके आप मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए, अपनी नीति ध्यान में रखकर अपने विभाग द्वारा समीक्षा करायें और केन्द्र सरकार को भी अवगत करा दें कि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है न ही कोई रोजगार का सृजन हो रहा है। रोजगार का सृजन क्या होता है, यह बात एक साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति भी बता सकता है। जो यह दोनों योजनाओं का पैसा है यह इसी में लगना चाहिए। ग्रामीण पंचायत बना दी गयी है। लेकिन जब तक पंचायतों को पैसा नहीं जाएगा, कोई कार्य नहीं होगा।

मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि कोई नियंत्रण न जिलाधिकारी का है न किसी और का है। वहां बाबू और पंचायत राज अधिकारी धन का वितरण करते हैं। वहां बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त है। मैं निश्चित रूप से यह आरोप लगाता हूं और मैं अपेक्षा करूंगा कि इन मौलिक मुद्दों की ओर आप ध्यान देंगे। आपने इसके अतिरिक्त कुछ योजनाओं का जिक्र किया है। जहां तक आई0 आर0 डी0 की बात है इसमें तीन श्रेणी की जाती हैं। एक श्रेणी में 25 प्रतिशत दूसरी को 33 प्रतिशत और अनुसूचित जाति को 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में निर्धारित की थी। दो हजार और तीन हजार भी है, इससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। जो पैसा आप अनुदान के रूप में दे रहे हैं। वह पैसा उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए। इससे कोई लाभ उन लोगों को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। वह पैसा बैंकों में चला जाता है और कोई फायदा नहीं होता है।

मेरा निश्चित मत है यदि इसे आप रोजगार सुविधा में लगाते तो अच्छा होता। आपके ग्रामीण विकास अधिकारी और क्षेत्रीय विकास अधिकारी सब के सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बैंक वालों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। बैंक वाले जिला-

भिकारी की सुनते नहीं हैं किसी का प्रस्ताव यह मानने को तैयार नहीं होते हैं। कोई काम वहां नहीं हो रहा है। सारा काम फर्जी है। जैसे प्रार्थना-पत्र अमुक जी के नाम से होगा पैसे का उपयोग कोई दूसरा करेगा। इस तरीके से फर्जी कार्य हो रहे हैं। जिनके नाम से पैसा लिया जाता है उसको पता भी नहीं लगता उसे मालूम तब पड़ता है जब ऋण की वसूली की जाती है और जो पैसा लेता है उसका पता भी नहीं चलता कि किसने लिया मुझे इसमें कोठ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसी भी सम्मानित विद्वान को, जिसने इन समस्याओं का अध्ययन किया हो, चाहे वह डा0 गाडगिल हों और चाहे महात्मा गांधी हों, सबकी निश्चित राय यही है कि जब तक स्थानीय निकायों का इन्वाल्मेंट नहीं होगा तो भ्रष्टाचार हटने वाला नहीं और न ही कोई लाभ मिलने वाला है। मैं आपके द्वारा उल्लिखित दो तीन योजनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने एक योजना बनाई निर्बल वर्ग आवास योजना। वही है, जहां पर राजस्व विभाग ने आवंटन कर दिया है भूमि स्थलों का और उसकी श्रेणी में वही लाभार्थी आते हैं जो आई0 आर0 डी0 के अन्तर्गत आते हैं, यानी उनकी एक परिवार की आमदनी 3,500 रुपये वार्षिक से कम ही होनी चाहिए। उनका चयन करते हैं और अनुदान के रूप में पैसा देते हैं। अधिकाधिक दो हजार रुपया आप उनको देते हैं। आप बता दें कि आज के युग में कैसे मकान का निर्माण सम्भव है। अगर सम्भव है तो ठीक है। मुझे बताएं कि एक कमरे का निर्माण इसमें क्या हो सकेगा? चयन के समय ही उन लोगों की वार्षिक आमदनी 3500 रुपये है, पांच सदस्यों के एक परिवार की यानी 70 रुपये महीना आमदनी, तो जो 70 रुपया महीना कमाता है उससे आप अपेक्षा करते हैं कि दो हजार में मकान बनाएगा आप इस पर विचार कर लें। आप इसमें निश्चित कर लें कि साल भर में चाहे दो सौ मकान ही बनवाएं, लेकिन दो सौ लोगों को वास्तव में फायदा तो पहुंचे। अपने 8 लाख मकान बनवाएं परन्तु वास्तव में एक भी न बने तो बेकार है। इस दो हजार में आदमी को कितना मिल पाता है और कितना बंट जाता है, इस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

मान्यवर, वर्ष 1980-81 में आपने ग्रामीण आवास परिषद् का गठन किया और उसी वर्ष दो करोड़ रुपया का ऋण ले लिया एल0 आई0 सी0 से और उसके बाद 81-82 में 1.22 करोड़ और ऋण ले लिया। इस प्रकार साढ़े तीन करोड़ रुपया ले लिया और ऋण का फायदा अभी तक किसी को नहीं पहुंचा है। आपने 80-81 से ऋण लेना शुरू कर दिया और साढ़े तीन करोड़ ले लिया, उस पैसे का क्या कर रहे हैं? आपको क्या अधिकार था उस पैसे को लेकर किसी खाते में डाल देने का? इसका क्या औचित्य था। आपने कह दिया कि एक परिषद् बना दिया है। उसका नियम 84 तक नहीं बना है। नियमों से पहले सूद देना पड़ेगा तो वह अपने पास से ही तो जायेगा। आपने कह दिया कि ग्रामीण आवास परिषद बना दिया, उसके लिये ऋण भी ले लिया, और अब कह रहे हैं कि एल0 आर0 को नियम बना कर दिये थे, वह पास करेंगे तो आगे काम होगा। यह मैं आपकी योजना के बारे में कह रहा था और इसी प्रकार मान्यवर, आपने कुछ मण्डलीय विकास निगमों का निर्माण कर दिया। करीब प्रत्येक मण्डल में एक मण्डलीय विकास निगम का गठन किया है, लेकिन ये निगम क्या करते हैं? उसमें आपकी अंशपूंजी है, आप किसी भी मण्डल को संचालित करते हैं।

पूंजी आप अपने पास से लगायेंगे। किसी ने दो करोड़ लिया, किसी ने डेढ़ करोड़ लिया और किसी को 50 लाख दे दिया। लेकिन मैं एक निगम की जानकारी देना चाहता हूं, बुन्देलखण्ड विकास निगम **यह यूरिया खाद का वितरण करता है। सरकार ने निर्णय लिया था कि यूरिया के हर बैग के ऊपर** 10 रुपये की छूट दी जायगी किसानों को इस बार। वह खाद सरकार के जितने भी केन्द्र थे और एजेन्सियां थी उनके मार-फत बंटना चाहिए था। सरकारी नियम होने के नाते बुन्देलखण्ड विकास निगम ने भी क्रय करने के बाद वह तमाम खाद, जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला है, प्राइवेट डीलर्स को दे दिया गया। जो निगम हमारी अंश-पूंजी के बल पर खड़े हैं, उनकी आज कार्यशैली ऐसी है। ऐसी स्थिति में इन निगम के खड़े रहने का क्या औचित्य है।

दूसरा, आपको यह शौक हुआ कि आपने एक रूरल इन्जीनियरिंग सर्विस को खड़ा कर दिया। एक हजार उसमें जूनियर इन्जीनियर, कुछ एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, कुछ असिस्टेन्ट इन्जीनियर और चीफ इन्जीनियर इसके माध्यम से निर्माण का कार्य कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि सड़क बना रहे हैं, स्कूल भी बना रहे हैं। प्रदेश में माननीय मंत्री जी अगर आपने 500 स्कूल बनाये हैं, तो आप उनमें से केवल 5 स्कूलों को देख लीजिए कि उनकी हालत कैसी है। आप देखेंगे कि उन पांचों स्कूलों के भवनों में, अभी उनके बने हुए एक साल नहीं हुआ है, दरार पड़ गई है। सड़क जो बनाई गई हैं, उनकी हालत को आप देखिए। इस कार्य के लिये क्या एक अभियंत्रण सेवा का ही विकास नहीं किया जा सकता था? सिंचाई के लिए अलग अभियंत्रण है, हर एक विभाग का अलग-अलग अभियंत्रण है, अलग-अलग अभियंत्रणों की क्या आवश्यकता थी? आपको ग्राम्य अभियंत्रण सेवा का शौक चढ़ा। आपके पास जांच के लिए उपकरण नहीं है और न ही आपके पास कोई मानक ही है, तो **आप सड़कों और बिल्डिंगों का निर्माण** कैसे करेंगे। आपने नये-नये जे0 ई0 भरती कर रखे हैं। पी0 डब्लू0 डी0 के इन्जीनियरों का तो 10-12 परसेन्ट का रेट था, परन्तु इन नये-नये जे0 ई0 लोगों का 50 परसेन्ट का रेट हो गया है। सेवा देने से मात्र काम चलने वाला नही है। जब तक आप उनका पूरी तरह से परीक्षण न कर लें और अभी तक उपलब्धि क्या रही है, इसको न देख लें, तब तक आपको आगे का कार्य सम्पन्न नहीं करना चाहिए।

श्रीमन्, यही नहीं 176 जूनियर इन्जीनियर आपने बिना किसी चयन प्रक्रिया के रख लिये। मैं इसी वर्ष की बात कर रहा हूं। ये सभी जूनियर इन्जीनियर बिना फाइनेन्स डिपार्टमेंट के एप्रूवल के रख लिये गये। इसकी क्या आवश्यकता थी, और किस आधार पर आपने यह रख लिये और क्यों रख लिये? जबकि सरकार यहां रोज यह एलान करती है कि आने वाली नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है क्योंकि हमें कुछ बचत योजनायें चलानी हैं और कुछ मितव्ययता करनी है, इसके बावजूद भी आप नियुक्तियां कर रहे हैं वगैर चयन प्रक्रिया के।

मान्यवर, भू-गर्भजल सर्वेक्षण विभाग के तहत 400 स्थान हैं, जो सैंक्सन्ड हैं, लेकिन आपने 1600 रखे। इसका क्या औचित्य आपके पास है, आखिर वे रख क्यों लिये गये और इस तरह से इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। उनकी जो उपलब्धि है, उसे भी आप देखें, ये सब बिन्दु ऐसे हैं, जिन पर आपको गम्भीरता से जांच करनी चाहिए।

श्रीमन् हरिजन के लिए पेयजल की योजना बनाई गई। कुछ कुओं की संख्या भी आपने बताई। हरिजन पेयजल योजना

के अंतर्गत 48 हजार 869 कुओं के बारे में आपने बताया। लगभग 49 हजार कुओं के बारे में आपने बताया। 49 हजार की बात तो मैं नहीं करता, हां, 49 कुओं की बात मैं करता हूं। आप किन्हीं 49 कुओं को देख लीजिए, जिन्हें आपके विभाग द्वारा बनाया गया है। उनमें किसी में भी पानी नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? मैं पुनः अपनी बात को दोहराना चाहता हूं कि इन कुओं को वहां बनाने की आवश्यकता क्या थी? उन कुओं का वहां उपयोग क्या था? मान्यवर, मैं अपने ही क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि जितने भी नये कुएं वहां पर बनाये गये हैं, उनमें से किसी की भी वहां पर कोई आवश्यकता नहीं थी। वहां पर कुंओं से पानी पीने की प्रथा 20 साल पहले ही समाप्त हो चुकी है, हर एक के घर में नल लगे हुए हैं। हरिजनों की सहायता करते और हरिजनों के घर में नल लगवा देते।

श्री मुईद अहमद–

पूर्वी जिलों में है।

श्री हुकुम सिंह–

जितनी कीमत कुंए के निर्माण पर आती है, उससे काफी नल लग जाते हैं। वे आपने कम्युनिटी वेल लगा दिये गांव में, यदि आप उसी के तहत, व्यक्तिगत नल लगा देते हैं, तो हरिजनों को काफी फायदा हो सकता है। पूर्वी जिलों में स्थिति कहीं ऐसी स्थिति बनी है, तो मैं नहीं कह सकता लेकिन, अगर आप नलों और कुओं की बाबत स्थिति को, गांव की आवश्यकता को देखेंगे नहीं कि कहां पर नल लगना चाहिए कहां पर कुंए की आवश्यकता है। आप इसमें खुद तो देखेंगे नहीं और न स्थानीय इकाइयों का सहयोग लेंगे। आप तो केवल दिल्ली में बैठकर तय कर लेते हैं कि कितने कुंए लगने हैं। आपके पास तो रिपोर्ट आ रही है कि इतने कुंए लगे हैं, इतने नहीं लग पाये हैं। करोड़ों रुपया इस पेयजल योजना पर आपका व्यय हो गया, लेकिन इस योजना से किसी वर्ग को, हरिजन वर्ग को, कोई बहुत फायदा नहीं हुआ। कई ऐसी त्रुटियां इस विभाग में फैली हुई हैं, मैं आपसे क्षमा चाहते हुए, कहूंगा कि आपका जो यह ग्राम्य विकास है, लेकिन आपकी जो प्रक्रिया रही है, जो काम रहा है, जो उपलब्धि रही है, उससे इसे ग्राम्य विनाश कहूं, तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।

ग्राम्य विनाश विभाग यह जो आपका बना है, यदि आप इसमें कुछ तबदील करके, कुछ सुधार करके, इसे ग्राम्य विकास में परिवर्तन कर देंगे, तो हम इसका स्वागत करेंगे। मान्यवर, इसके बाद कहना चाहूंगा कि इसमें आप देखें 57 जिलों की श्रेणियां देखें। कहीं सी0 डी0 ओ0, कहीं ए0 डी0 एम0 (डी0), और कहीं डी0 डी0 ओ0 यह इसलिए नहीं है कि सी0 डी0 ओ0 के कुछ अन्य कार्य हैं, बल्कि आई0 ए0 एस0 जो हैं, उनमें सी0 डी0ओ0, जो पी0सी0एस0 हैं, उनमें ए0 डी0 एम0 (डी0) और जो विभाग के हैं, वह भी डी0 डी0 ओ0 हो गये हैं, काम सब वही कर रहे हैं, यह कोई आई0 ए0 एस0 होने के बाद सी0 डी0 ओ0 होना जरूरी है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय हुकुम सिंह जी समाप्त करें। दूसरे माननीय सदस्यों को भी इसमें बोलना है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपके निर्देशों का पालन करते हुए, अपनी बात यहीं समाप्त करते

हुए, दोबारा भी मुझे मौका मिलेगा, मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने सुझाव दिये हैं, जो अपनी बात रखी है, उस पर माननीय सदस्यगण गम्भीरता से विचार करेंगे। आलोचना के लिये कोई आलोचना नहीं कही है। फील्ड में जाकर जो अनुभव हुआ उसके अनुकूल विचार हमने यहां पर रखे हैं। धन्यवाद।

श्री शम्भू नाथ–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे क्रम दिया।

श्री अधिष्ठाता–

समय को देखते हुए यदि माननीय सदस्य 5-5 मिनट में अपनी बातें कहें तो उचित रहेगा।

*श्री शम्भू नाथ–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी ने जो आज बजट-ग्राम्य विकास, पंचायती राज और प्रादेशिक विकास दल और युवा कल्याण से संबंधित बजट पेश किये हैं, मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं, और विरोधी दल के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, ग्राम्य विकास कौन करेगा ?

श्री मोहन सिंह–

युवक करेगा।

श्री शम्भू नाथ–

यह आज सबके सामने समस्या खड़ी हुई है। कौन विकास करे, युवक करे। प्रदेश में हमारे देश की नेता प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, स्टेट यूथ बोर्ड 1981 में और 1982 में युवा कल्याण निदेशालय, माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। लेकिन, अभी तक उसकी रूपरेखा तैयार नहीं हुई है। माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त 74,182 गांव सभायें और युवक मंगल दल 66,682 गठित हो चुके हैं, जिनकी सदस्य संख्या, पी0 बी0 डी0 के स्वयं सेवक मिलाकर, 24 लाख है। माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि ग्राम्य विकास में इन ग्रामीण युवकों को ट्राइसम, आई0 आर0 डी0 के अन्तर्गत, उनको काम दिया जाय, ताकि वास्तविक कार्यक्रम उनको मिल सके और उनकी ट्रेनिंग व्यवस्था उनको रोजगार देने की व्यवस्था उपलब्ध की जाय। एन0 आर0 ई0 पी0 के अन्तर्गत जो रोजगार देना है, तो उसमें कहना चाहूंगा कि गांव के युवक गांव के वास्तविक रूप का कार्य कर सकते हैं, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उनसे इस योजना के तहत कार्य कराया जाय। युवा कल्याण निदेशालय में, स्पोर्ट्स, एन0 एस0 एस0, प्रौढ़ शिक्षा आदि कार्यक्रम उसी के माध्यम से चलाये जायं।

कारण यह है कि उसमें गांव से लेकर प्रदेश स्तर तक युवा कार्यक्रम चलाने के लिये अधिकारी मौजूद हैं, जो अवैतनिक भी हैं, स्वयंसेवक हैं, उनके माध्यम से कार्यक्रम चलाये जायं। वर्ष 1985 को अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। युवा कल्याण कार्यक्रम इस वर्ष निर्धारित कर लेना चाहिए, प्रान्तीय युवा नीति और युवा कार्यक्रम तय कर लेना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक जिले में राष्ट्रीय युवा निर्माण परिषद् ने कार्यक्रम निर्धारित किया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री शम्भूनाथ माइक से हटकर बोलने लगे।)

रोजगार कार्यक्रम की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक गांव का युवा मण्डल दल का अध्यक्ष इसका प्राधिकारी होगा। उनको लाभ देने के लिये व्यवस्था की गयी है और उनके द्वारा बनाये हुए माल को खरीदने के लिये व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है। एक वास्तविक रूप में जिला योजना जो जिलों में है, सभी लोग मिलकर इसको चलायें, तो 20 सूत्री कार्यक्रम सही रूप से हो सकता है। हमारे 4-5 जिलों में दो-दो लाख रु0 की व्यवस्था की गयी है। अप्रैल में 10 जिले और लेने जा रहे हैं। युवा केन्द्र की स्थापना करके वहां पर टैक्निकल ट्रेनिंग की व्यवस्था की जायगी। रा मेटेरियल उनको देंगे और बना हुआ माल खरीदवा लेंगे। मेरी मांग है कि क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी का ए0 डी0 ओ0 रैंक तथा जिला युवा कल्याण अधिकारी को जिलाधिकारी की रैंक दे दी जाय क्योंकि यही लोग कल्याण कार्यक्रम गांव से लेकर प्रदेश तक संचालित करते हैं।

इसके साथ ही मैं मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी के बजट का हृदय से स्वागत करता हूं।

श्री जटाशंकर सिंह–

मान्यवर, बोलने के लिये समय देने के लिये हार्दिक धन्यवाद। अपने प्रदेश की कुल जनसंख्या 11 करोड़ 8 लाख 62 हजार में से 9 करोड़ 9 लाख 63 हजार जो ग्रामों में है, जिसमें गांवों की संख्या 1,12,561 है और गांव सभाओं की संख्या 74,069 है और यह सारे ग्राम 895 विकास खण्डों में समायोजित किये गये हैं। इसको देखने के बाद और विचार करने के बाद हम निश्चित रूप से इस मत के होंगे कि यह विभाग, जिसका बजट आज पेश किया है, सुनिश्चित रूप से यही विभाग अगर ठीक ढंग से काम करे और पूरी प्रामाणिकता से काम करे तो निश्चित रूप से अपने प्रदेश का पूर्ण विकास यह कर सकता है। केवल 2 करोड़ के आसपास की जनता शहरों में रहती है, बाकी सारी देहातों में है और उनके सारे विकास का दायित्व इस विभाग के कन्धों पर है।

[समय 3 बजकर 20 मिनट]

पूज्य गांधी, जवाहर लाल नेहरू, सुभाष चन्द्र बोस, पंडित दीन दयाल उपाध्याय तथा डाक्टर लोहिया के स्वप्नों को सचमुच अगर कोई साकार बना सकता है तो यह विभाग बना सकता है, परन्तु जैसा कि कटौती के प्रस्ताव को रखते हुए माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा कि एकीकृत ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत तमाम फर्जी मामले हो रहे हैं, अगर इसकी जांच करायी जाय जिसका समर्थन उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यगण भी करेंगे और हमारे बहराइच जनपद में हम लोगों की राय पर यह जांच जब जिलाधिकारी द्वारा करायी गयी तो 90 प्रतिशत फर्जी मामले पाए गए। इसके साथ-साथ इस बात की ओर शासन का ध्यान इंगित करना चाहूंगा कि आज प्रदेश के अन्दर अनेक स्थानों पर आई0 ए0 एस0 अधिकारी जो यहां पर बैठे हैं जैसा भाई मोहन सिंह जी ने कहा कि मगरमच्छ के रूप में निश्चित ही वह संज्ञा इनके लिए सही होगी वैसे ही इन सबको सौंपा हुआ है पर अब ग्रामों के लिए भी इन आई0 ए0 एस0 अधिकारियों को जनपदों में बैठा दिया गया है, जिनके चिक उठाने में आज ग्रामीण घबराता है, सी0 डी0 ओ0, जो कहलाते हैं, उन सब को बैठते ही तुरन्त कार चाहिए जो उसके बंगले में सामने हर समय खड़ी रहे।

कितना विचित्र है कि जब बी0डी0ओ0 समवर्ग का व्यक्ति इस पद पर बैठता है तो डी0 डी0 ओ0 जब पी0 सी0 एस0 बैठता है तो ए0 डी0 एम0 (डी) और जब आई0 ए0 एस0 बैठता है तब सी0 डी0 ओ0 कहलाता है ।

मान्यवर, इस संबंध में 7 सितम्बर, 83 को इसी आदरणीय सदन में मा0 मुख्य मंत्री ने यह घोषणा की थी कि पुनर्गठन योजना को करके वापस ले लिया जायेगा, लेकिन इस घोषणा के बावजूद आज भी सी0 डी0 ओ0 के रूप में आई0ए0एस0 आजमगढ़, देवरिया, जौनपुर तथा अलीगढ़ में इस पद पर विराजमान हैं । साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मा0 मंत्री जी द्वारा बार-बार इस महत्वपूर्ण विभाग में निदेशालय गठित किए जाने की घोषणा अनेकों बार इसी सदन में हुई हैं और 7-9-83 को मा0 मुख्य मंत्री जी ने इस संबंध में भी मा0 सदन में घोषणा की थी। परन्तु आज तक इस ओर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी और आज भी मा0 मंत्री जी द्वारा बड़े जोरदार शब्दों में घोषणा मात्र **हुई है यह पूरी भी होगी, समय बतायेगा ।** साथ ही इन्होंने आज यह भी घोषणा की कि हमने ग्राम पंचायतों का गठन कर दिया है, यह करके मा0 मंत्री ने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया है । जबकि न्याय पंचायतों का गठन आज **भी आप नहीं कर पा रहे हैं** न निकट भविष्य में कर पायेंगे । गांवों में जो छोटे-छोटे मामले होते हैं, उनका निबटारा यह गांव पंचायतें करती हैं । साथ ही मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी कुछ समय पूर्व श्री राजीव गांधी की सदारत में प्रधानों के एक सम्मेलन के रूप में बड़े ताम-झाम से एक नौटंकी की गयी और उसमें प्रधानों को तमाम अधिकार दिए जाने की घोषणा भी की गयी और जबकि उनको दिए जाने वाले अधिकारों का हस्र यह है जैसा भाई हुकुम सिंह जी ने कहा कि प्रधानों के सिर पर ए0 डी0 एम0 की तलवार लटक रही है, एस0 डी0 एम0 की डी0 पी0 आर0 ओ0 की और ए0 डी0 ओ0 (पी0) की तलवार उसके सिर पर लटक रही है और यही एक नाम मैं और जोड़ रहा हूं, वह है लेखपाल की तलवार ।

फिर मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर लाना चाहूंगा कि सन् 77 में एक शासनादेश हुआ था ताल, पोखरों और जलाशयों के नीलाम और पट्टा मछुआ समुदाय के लोगों को देने के संबंध में, लेकिन इस शासनादेश के तहत हमारे जनपद के अन्दर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। नानपारा तहसील के परगनाधिकारी, श्री रामपाल सिंह ने विगत तीन सालों से कोई नीलाम व पट्टा नहीं बनने दिया है और यहां तक गांव समाज के सम्पत्ति रजिस्टर में हरे वृक्षों का अंकन तक नहीं है और न ही उनकी सम्पत्ति का कोई अंकन है। लेखपाल उसे कटवाता रहता है । रामपाल सिंह को, जो कि नानपारा में परगनाधिकारी है वह परगनाधिकारी पैसे देता रहता है । जब इस बात की कोई प्रधान शिकायत करता है तो उसे ससपेन्ड करने के लिए पूरी योजना बना ली जाती है ।

इसी प्रकार से गृह अनुदान के संबंध में जो आप वितरण का कार्य कर रहे हैं, बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता है कि हम आवास के लिए अनुदान दे रहे हैं किन्तु अभी 7 मार्च, को अधिष्ठाता जी, आपने ही इस में हमारे क्षेत्र का कार्य स्थगन में एक प्रश्न उठाया था कि प्रधान का हस्ताक्षर करके लेखपाल ने सारे का सारा पैसा और राजस्व कर्मचारी लोगों से साजिश करके हड़प कर लिया । जो मर चुके हैं या गांव सभा में रहते ही नहीं हैं, सूची में उनके नाम

मौजूद नहीं हैं, लेकिन मूल सूची में जो पात्र हैं उनके नाम मौजूद नहीं हैं। सूची पर ग्राम प्रधान से मरी मलमला के फर्जी हस्ताक्षर लेखपाल द्वारा बना लिया गया जिसकी एक्सपर्ट की रिपोर्ट मौजूद है। यह भी पता चला है कि वहां के अधिकारी इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि प्रधान को सस्पेन्ड करके हटा दिया जाय और लेखपाल पर मुकदमा तक नहीं कायम हो रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि जो लोग गांव सभा में रहते ही नहीं हैं उनके नाम सूची में कैसे हैं ? यह आपकी कैसी व्यवस्था है ? आप किस तरह से शासन को चला रहे हैं ? आंखें मूंदकर आप अधिकारियों पर विश्वास कर रहे हैं।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा का चीफ इंजीनियर ढाई वर्षों से एडहाक रूप से काम करता चला आ रहा है। ढाई वर्ष के पूर्व वहां के चीफ इंजीनियर रिटायर हुए थे तो उस समय विभाग ग्राम्य विकास मंत्री मा0 अम्मार रिजवी साहब देख रहे थे, तो उन्होंने लिख दिया कि मुख्यालय में नियुक्त वरिष्ठ अधिकारी इसका चार्ज ले लें। भ्रष्टाचार करके अब तक वह चीफ इंजीनियर बना बैठा है, अभी नियुक्ति की कोई व्यवस्था पूरी नहीं हुई है और इस चीफ द्वारा 176 नियुक्तियां और कर ली गयीं। और इन 176 जे0 ई0 की यह 750 नियुक्तियां करने के बाद मात्र एक ही हरिजन की नियुक्ति हुई है जबकि कोटा पहले से ही कम था। मेरी मांग है कि उसको तत्काल वहां से हटाया जाय।

3 करोड़ 37 लाख रु0 का केवल लखनऊ मण्डल में उसने सिद्दीकी ने गबन कर रखा है, उसकी जांच की जाय। मेरे पास सारे प्रमाण हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जांच में वह बच नहीं सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और उस पर बल देता हूं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं आपकी विशेष कृपा के लिये कि आपने मुझे समय दिया कि माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन कर सकूं।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही संक्षेप में और सूत्रों में अपने से संबंध विभाग का ग्राम पंचायत और ग्राम्य विकास विभाग के बारे में संक्षेप में सब बताया है। प्रथम तो मैं विशेष रूप से माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि दिनांक 15-8-83 को श्रीमती इन्दिरा गांधी की घोषित नीति के अन्तर्गत भूमिहीनों की योजनाओं के लिये जो धनराशि स्वीकृत हुई और उनके लिये कोई धन प्रदेश सरकार का अपेक्षित नहीं है। वह पूरी की पूरी योजना भारत सरकार द्वारा वहन की जायेगी। मंत्री जी ने 14 जिलों की जो योजना ली इसके लिये निश्चित रूप से हमारे माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं क्योंकि उन्हीं के प्रयास से यह कार्य हो पाया है और इसकी घोषणा हो सकी है। इस तरह से सभी जनपदों को इसमें लेकर इसका लाभ मिलेगा, मैं ऐसी आशा माननीय मंत्री जी से करता हूं कि इसकी इस तरह से मानीटेयरिंग करेंगे कि सारे जनपदों के ग्रामों का विकास हो सकेगा। मैं निश्चित रूप से मानकर चलता हूं क्योंकि मुझे कदाचित इसकी जानकारी नहीं है कि इटावा जनपद इसमें है या नहीं। यह सही बात है कि मुझे इसकी कतई जानकारी नहीं है, फिर भी मैं यह मान कर चलता हूं कि जब यह प्रक्रिया जारी की गयी है जिसके अन्तर्गत 14 जिले आते हैं तो आगे चल कर ये जिले

14 के बजाय 24 जिलों में भी इस योजना से लोग लाभान्वित होंगे और यह सारे जनपदों को यह योजना लाभान्वित करेगी और इस तरह से प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो सकेगा ।

श्रीमन्, मैं इस सन्दर्भ में कहना चाहूंगा कि 14 जिलों में इटावा का नाम सम्मिलित है या नहीं, अगर इस बार नहीं है, तो अगली बार हो जायेगा, इसी प्रकार से प्रदेश के सारे जिले इस में आ जायेंगे । अब मैं श्रीमन्, रूरल रोड पाइलट के बारे में निवेदन कर देना चाहता हूं, जिस समय हमारे माननीय सदस्य हुकुम सिंह जी हमारे साथ थे, लोक लेखा समिति के सदस्य थे, उस समय एक पाइलेट प्रोजेक्ट बना था और वह एक नीतिगत विषय था, वह एक नीतिगत विषय सुनिश्चित हुआ कि सभी जिलों का पाइलेट प्रोजेक्ट बना लिया जाय और इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सारे सम्पर्क मार्गों को सुनिश्चित किया जाये ।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और मान्यवर, आप जानते भी हैं कि इटावा से योजना का प्रारम्भ हुआ था, इटावा इज दि मदर साइल आफ दि प्लानिंग इन इन्डिया उत्तर प्रदेश के ही इटावा में प्लानिंग का पहला ब्लाक खोला गया था । गोबर गैस के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत यह सबसे पहला ब्लाक है, श्रीमन्, यह बात आपके संज्ञान में है और जितने भी अन्वेषण हो रहे हैं वह इटावा के अजीतमल ब्लाक में हो रहे हैं । मान्यवर, हमारे माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा, मैं बताना चाहता हूं और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हैदराबाद में सोल इनरजी का परीक्षण किया जा रहा है उसी तरह का परीक्षण इटावा के अजीतमल ब्लाक में किया जा रहा है । श्रीमन्, एक पत्र है, उसमें लिखा है कि दिनांक 11-8-82 जनपद इटावा के कच्चे मार्ग को पक्का करने के सम्बन्ध में दिनांक 11-8-82 को सभापति लोक लेखा समिति की अध्यक्षता में बैठक हुई थी । इस बैठक में सचिव, ग्राम्य विकास विशेष सचिव, ग्राम्य विकास, जिलाधिकारी, इटावा; जिला विकास अधिकारी, इटावा एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, बैठक में हुए विचार विमर्श के अनुसार संशोधित पायलट प्रोजेक्ट अनुमानित लागत 407 लाख संलग्न कर प्रेषित है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय गौरी शंकर जी आप तो जानते हैं कि जब कोई चीज पढ़नी होती है तो उसकी एक प्रति पहले यहां पर भेज देना चाहिए । आप उसका सारांश बता दें ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मैं उसका सारांश बताये दे रहा हूं । माननीय मंत्री जी उस समय इसको देख रहे थे, आप के पास इसके लिए पैसा नहीं है तो मेरा निवेदन है कि आप भारत सरकार से (गवर्नमेंट आफ इन्डिया) से पैसा ले सकें और इस योजना को पूरे प्रदेश के लिए लागू किया जाये, तो एक अच्छा और आशावादी कदम होगा और आप इस तरह की योजना की घोषणा दूसरे जिलों के लिए भी करें, तो मैं अपेक्षा कर सकता हूं कि उनका विकास प्रभावी होगा । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप इस प्रक्रिया को इटावा से प्रारम्भ करें और रूरल रोड पाइलेट को आगे बढ़ावें ।

अब मैं एन0 आर0 पी0 योजना का सन्दर्भ देना चाहता हूं । वर्ष 1977 में फूड फार वर्क के अन्तर्गत सड़कें बनी थी और हुकुम सिंह जी को भी जानकारी है कि इसके अन्तर्गत किस प्रकार से पैसे का दुरुपयोग हुआ था, मान्यवर, मैं कोई उसकी आलोचना नहीं करता हूं, यह मामला पी0ए0सी0 के समकक्ष आया था

और इस पर तीन चार महीने तक लगातार चर्चा हुई थी । मुझे डर है कि जो हस् फूड फार वर्क की योजना का हुआ था वही इस एन0 आर0 पी0 का भी न हो जाय । इस तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और यह मैं अपना नैतिक दायित्व समझता हूं । पहले इस में 80–20 का रेशियों था, 80 लेबर और 20 मटेरियल, उस से शायद यह संभव नहीं था फिर 60-40 का रेशियों कर दिया गया और फिर 50-50 का रेशियों कर दिया गया । एन0 आर0 पी0 योजना का 50-50 का रेशियों है और जो खंडन्जा आदि लगाने की बात की जाती है उसको छोड़कर कंकड़ की सड़के बनायी जाये, मैं इतना कहकर कि आर0 ई0 एस0 की योजना का काम हमारे जनपद में हुआ है । मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इसमें प्रशंसा की कोई बात नहीं है कि यदि जन प्रतिनिधि भी इसमें भागीदार रहे, उनका भी नियंत्रण रहे तो निश्चित रूप से आर0ई0एस0 विभाग भी पी0डब्लूडी0 की कोटि का काम कर सकता है । मैं अपने क्षेत्र की बात बताऊ कि मेरे क्षेत्र में जो नेशनल हाई वे है माननीय सदस्यों को वहां जाने का मौका मिलेगा, उसके किनारे-किनारे एक-दो किलोमीटर पर जो चौराहा मिलेगा वह खड़ंजा-पड़ंजा से बना हुआ है और आर0 ई0 एस0 ने उसे बनाया है । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि हमारा नियंत्रण भी उस पर होना चाहिए तभी वह अच्छा काम कर सकता है ।

श्रमदान योजना की बात कहना चाहता हूं कि इस योजना को कम्युनिटी डेवलपमेंट द्वारा चलाया जाता है । पी0 डब्लू0 डी0 भी इस योजना को चला सकता है । मान्यवर, श्रमदान योजना को लागू किया जाय । यह योजना प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये बहुत जरूरी है ताकि गांवों के किसानों को यह महसूस हो सके कि यह योजना हमारे लिये बनायी गई है और ग्रामीण विकास सही दिशा में चल रहा है और जैसा कि माननीय हुकुम सिंह जी ने इस ग्राम्य विकास को ग्राम्य विनाश की संज्ञा दी उसको जरा भी बू न आ सके । इन शब्दों के साथ में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुये माननीय मंत्री महोदय द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और अन्त में ग्रामीण जनता की भावनाओं को व्यक्त करने वाला एक शेर पढ़ना चाहता हूं–

हक के शदायी हैं कातिल को मसल डालेंगे
गरदिशे वक्त भी आई तो कुचल डालेंगे
हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है
और जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे ।

श्री लल्लू सिंह चौहान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर जो कटौती का प्रस्ताव हुकुम सिंह जी ने रखा है उसके समर्थन में बोलने के लिए आपने मुझे जो अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस विभाग के संबंध में मैं आपके माध्यम से कुछ जरूरी बातें रखना चाहूंगा जिनसे माननीय मंत्री जी को कुछ जानकारी मिलेगी और माननीय सदस्यों को भी कुछ बातें मिलेंगी । मान्यवर, भ्रष्टाचार की बात माननीय सत्ता पक्ष के लोग भी कहते हैं और हम भी कहते हैं । यद्यपि सत्ता पक्ष के लोग बजट का समर्थन करते हैं लेकिन अपने भाषणों में वे भ्रष्टाचार की बात कहते हैं और हम कटौती का प्रस्ताव का समर्थन करते हैं । तो हम भी भ्रष्टाचार की बात कहते हैं । भ्रष्टाचार आज अनिवार्य इसलिए हो गया है कि जो लोग इस विभाग का संचालन कर रहे हैं उनका ग्रामीण विकास से कोई ताल्लुक नहीं है।

मान्यवर, आप देखते हैं कि हमारे यहां जो ए0 पी0 सी0 होते हैं वे केरल और तामिलनाडु से आते हैं और हमारे यहां आकर वे हमारे गांवों का विकास कर रहे हैं । यहां के अधिकारी उधर भेजे जाते हैं और उधर के अधिकारी यहां भेजे जाते हैं। माननीय जटाशंकर सिंह ने कहा कि एक निदेशालय की स्थापना इस विभाग के लिए होनी चाहिए... (व्यवधान) मैं बहुत मजबूती से इस मांग को रखता हूं कि एक ऐसा निदेशालाय स्थापित किया जाय जो वास्तव में इस तरह का हो कि ग्राम्य विकास के कार्य को अच्छी तरह से चला सके । ऐसा न हो जैसे कि जिले में उसका एक फील्ड आफिस है। उस निदेशालय में विकास से संबंधित लोग, जितने भी विभाग हैं उनके अधिकारी लोग वहां बैठें, सारी सूचनाएं वहां पर एकत्रित हों, सबको जानकारी मिल सके और सारी योजनाएं वहां पर बनें । मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि बिना निदेशालय बनाये ग्रामीण विकास की कल्पना अधूरी है। वह ए0 पी0 सी0 नहीं हो सकता है क्योंकि वह गांवों के बारे में कुछ नहीं जानता है। वह इंजीनियरों की बात तो सुन सकता है, असिस्टेंट इंजीनियर तक की बात तो सुन सकता है । लेकिन वी0 एल0 डब्ल्यू0 की बात नहीं सुन सकता है नीचे अधिकारियों की बात नहीं सुनता है। जो वास्तव में वहां पर कर्मचारी हैं जो कि ग्राम्य विकास में लगा हुआ है उसकी बात नहीं सुनी जाती है। डी0पी0ओ0, डी0 डी0 ओ0, सब आई0 ए0 एस0 उनके खिलाफ हैं । उनकी बात नहीं सुनी जाती है। यह हो नहीं सकता है कि आगरे का डेवलपमेंट आफिसर सी0डी0 ओ0 कहलाये और मैनपुरी का डेवलपमेन्ट आफिसर डी0 डी0 ओ0 कहलाये । यह बात भेदभाव पैदा करती है और ग्राम्य विकास की परिकल्पना को झूठा साबित करती है ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि ग्राम्य विकास प्रधानों को मजबूत किये बिना, पंचायतों को मजबूत किए बिना, ग्राम सभाओं को मजबूत किए बिना संभव नहीं है । आज सारी व्यवस्था जिला कलेक्टर, ए0 डी0 एम0 (पी0) और विकास अधिकरण जो बनाये हैं उनके इर्द गिर्द घूमा करती है । गांवों की प्रमुख आवश्यकता क्या है, कौन सी पुलिया बना दी जाय जिससे बैलगाड़ी मंडी तक चली जाय, तो उसको वह तय करते हैं जो वहां की बातों को जानते ही नहीं हैं । इसलिए गांवों की प्राथमिकता तय करने का अधिकार वहां की पंचायत को वहां के प्रधान को देना चाहिए । गांव में स्कूल भवन बनाने के लिए 10 और 15 हजार रुपये दिए जाते हैं आज के मंहगाई के समय में इतने में वह बन नहीं सकते हैं । हमने सन् 1956 में जो स्कूल बनाये थे उनमें आज भी कोई दरार नहीं आई है लेकिन जब से प्रधानों ने बनाना बंद किया और सरकार द्वारा आर0 इ0 एस0 और जिला परिषदों ने बनाना आरम्भ किया वे क्रेक हो गए हैं, टूट रहे हैं । गांव का आदमी कैसा ही क्यों न हो अगर वह इस 10, 15 हजार रुपये में गड़बड़ करेगा तो उसे भय रहेगा कि ऐसा करने से अगली बार मैं नहीं चुना जाऊंगा । लोकतंत्र में यह सोचना माननीय बलराम सिंह जी का या माननीय श्रीपति मिश्र का कि गांव का प्रधान डिस-आनेस्ट हो गया है यह गलत है और यह सोचकर कि वह बेईमान है उसको यह काम नहीं दे रहे हैं । (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, दो मिनट और लूंगा एक तो निदेशालय की स्थापना हो और प्रधानों को अधिकार दिए जायं । माननीय बलराम सिंह जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से

कम एक पंचायत घर न्याय पंचायत स्तर पर बना दें । अगर न्याय पंचायत स्तर पर यह भवन बन गए तो उसमें पंचायतों की मीटिंग हो सकती है ।

अन्त में मैं ग्राम्य अभियंत्रण सेवा के बारे में कहना चाहता हूं कि यह विभाग बिना लगाम के चल रहा है । कलेक्टर कहता है कि हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, ए0 डी0 एम0 कहता है हमारा कोई कंट्रोल नहीं है । आर0 इ0 एस0 द्वारा बनाई हुई सड़कें जो हैं उनका कोई देखने वाला नहीं है उनके रखरखाव का कोई इंतजाम नहीं है । यह इस तरह की है जैसे कोई विधवा होती है । पी0 डब्लू0 डी0 जो सड़क बनाती है उसकी वह मरम्मत करते हैं उससे उनका लगाव होता है लेकिन जो रोड आई0 ए0 एस0 वाले बनाते हैं उससे उनका कोई लगाव नहीं है ।

एक बात मैं ग्राउण्ड वाटर के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

अब नहीं, आप कृपया बैठें ।

श्री लल्लू सिंह चौहान–

मैं कहना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों को इसमें डेपुटेशन में लिया गया है उनको अभी रिटेन करें अन्यथा उनका किया हुआ अधूरा काम बेकार हो जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री लाल प्रताप सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं समझता था कि माननीय हुकुम सिंह जी खट्टे-मीठे दोनों तरह के अनुभव करायेंगे लेकिन उन्होंने केवल खट्टे ही अनुभव कराए । यह सोचा था कि वह उपलब्धियों के बारे में भी कुछ जिक्र करेंगे लेकिन ऐसा मालूम होता है उनकी याद खट्टी हो गयी और वह इस बात को भूल गए । वास्तव में मकसद क्या है उसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए । मकसद यह है कि गांवों में दौलत पैदा हो, कैपिटल फारमेशन हो, लोग आत्मनिर्भर होकर अपनी जरूरतों को खुद पूरा करें, व सक्षम हों । तो उसमें हम कहां तक आगे बढ़े हैं यह देखने की आवश्यकता है । आज गांव आगे बढ़े हैं उनका एप्रोच बदला है, आज से 30, 40 साल पहले के जो गांव थे और आज के जो गांव हैं उनमें फर्क आया है । गांव कौन बनायेगा, उसे गांव में रहने वाला बनायेगा । उसे बनाने का विचार आज गांवों में पैदा हुआ है । गांव के लोग पहले से बेहतर खा रहे हैं, उनकी खेतीबाड़ी पहले से अच्छी है । जिस चीज को पहले राजा-महाराजा, तालुकेदार प्रयोग करते थे, वहीं आज गरीब और छोटे तबके के लोग भी बहुत कुछ वैसा ही पा रहे हैं और वह गरीबी नहीं है जो पहले थी । ऐसी बात आज की जाती है कि जैसे हमारे गांव अब भी 16वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी में हैं, तो अब गांव बीसवीं शताब्दी में घुस गए हैं । ऐसा कोई गांव नहीं है जहां अब रास्ते न हों, बालिगैस गांवों में है और अब ऐसे गांव नहीं हैं जहां 5, 8 ग्रेजुएट न हों ।

मान्यवर, मैं अपने गांव में पहला ग्रेजुएट था लेकिन अब देखें तो वहां 25 ग्रेजुएट हैं । आज के पहले तीन मील पढ़ने जाया करते थे, नंगे पैर किन्तु अब लोग साइकिल और स्कूटर से पढ़ने जा रहे हैं। तो गांव आज तरक्की पर हैं, इसमें संदेह नहीं है । हम जनप्रतिनिधियों और अधि-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कारियों दोनों को मिलकर गांव की तरक्की को देखना है। अधिकारियों की आलोचना की जाती है लेकिन उन्होंने कुछ काम भी किया है, पुल और सड़कें उनके योगदान से बनी हैं। इसलिए हमको और उनको दोनों को मिलकर गांवों को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है तभी गांव तरक्की कर सकते हैं। मान्यवर, आज गांव से लोग शहर की ओर भाग रहे हैं और शहरों में रोजगार के लिए बसते जा रहे हैं, इसीलिए शहरों की आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है। मैं निवेदन करूंगा कि गांव के लोग भी वही उपलब्धि चाहते हैं जो शहरों में हैं, इसलिए पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे सारे गांव शहरों से कनेक्ट, सम्बद्ध हो जायं तो जब अरबनाइजेशन हो जायेगा तो गांव का कल्चर भी शहरों की तरह हो जायेगा।

मान्यवर, गांव का संबंध अनेक विभागों से होता है जैसे कोआपरेटिव विभाग, एग्रीकल्चर विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, तो मैं इसमें एक सुझाव देना चाहता हूं कि इन सब विभागों की एक कोआरडिनेटिव बाडी बना दें जिससे गांव के विकास में मदद मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं मा0 हुकुम सिंह ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं श्री लाल प्रताप सिंह जी का भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा कि गांव से लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि गांव में लोग ऊब रहे हैं। लोगों के मन में ग्रामीण जीवन के प्रति अनास्था बढ़ रही है। मान्यवर, शुरू से जब से पंचायतों का निर्माण हुआ तबसे हम लोगों की मांग रही है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जाये। फिर चाहे अशोक मेहता कमेटी हो या दूसरी कमेटी हो सभी ने स्वीकार किया है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि सत्ता का केन्द्रीकरण होता जा रहा है। आज प्रधान से आई0ए0एस0 दूसरे अधिकारियों के बीच रस्सा कसी हो रही है। मान्यवर, पुलिस के लोग आज 10 रुपये के चौकीदार की बात को मान लेते हैं लेकिन प्रधान की बात को दरोगा नहीं मानता है और दरोगा उसको वापस कर देता है। कोई अधिकार मंत्री जी बता दें, जो प्रधानों को मिला हो। कोई शक्ति आपने प्रधान को नहीं दी है। इतनी बड़ी नौटंकी आपने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रधानों को बुलाकर कर डाली, लेकिन उससे क्या फायदा जब आपने उनको कोई पावर, कोई अधिकार ही नहीं दे रक्खा है। सिद्धान्त रूप में यदि आप इन जन प्रतिनिधियों पर विश्वास करते हैं और यह मानते हैं कि पंचायतें गांव के विकास का सशक्त माध्यम हैं, तो आपको प्रशासकीय शक्ति इनको देनी ही होगी। आपको इनको कोई न कोई एक्जीक्यूटिव पावर अवश्य देनी पड़ेगी। साथ ही इनको पूरा सम्मान और विश्वास भी देना होगा।

गांवों में आपके विभाग के पंचायत अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी और खण्ड विकास अधिकारी आदि कितने ही अधिकारी हैं, परन्तु जब तक आप प्रधानों को पूरा अधिकार नहीं देंगे, तब तक ग्रामों के विकास और उत्थान का आपका सपना कभी पूरा नहीं होगा, जब तक जनता के लोगों अर्थात् जन प्रतिनिधियों को उसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

कुछ कमेटियों में ब्लाक कमेटियों में विधायक चले जाते हैं, लेकिन जो आप का वास्तविक काम करने वाली लोकतांत्रिक इकाइयां और संस्थाएं हैं जिला परिषद्, ग्राम पंचायतें और क्षेत्र समितियां हैं, आज वे सभी डिफेक्ट पड़ी हैं। पहले ब्लाक प्रमुखों को विकास अधिकारी का करेक्टर रोल लिखने का अधिकार था, जिससे वह प्रधानों के साथ सहयोग करके चलते थे और ग्राम्य विकास का पूरा ध्यान रखते थे, लेकिन आज उससे वह अधिकार जिलाधीश को चला गया है। ब्लाक प्रमुख केवल सिफारिश करते हैं, करेक्टर रोल नहीं लिखते हैं।

इन सब बातों को देखते हुए आप एक कमेटी बना दीजिए, जिसमें आप अपने दल के आदमी भी रखिये, जो यह देखे कि कैसे पंचायतें इफेक्टिव बन सकती हैं। नेपाल में जो राणाशाही है, यद्यपि मैं उसका हामी नहीं हूं लेकिन उसने जो अच्छे काम किये हैं, उनके बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। वहां पर पंचायतों को जो अधिकार दिये गये हैं, उसके लिए मुझे इस आदरणीय सदन में उसकी तारीफ करनी पड़ रही है। आपको भी इस पर विचार करना चाहिए कि उनको किस तरह के अधिकार दिये जाएं और इसके लिए आप एक समिति बना दें। बलवान सिंह जी सचमुच में बलवान हैं और आपकी शक्ति को मैंने देखा है। किन्तु यहीं एक आई0 ए0 एस0 अधिकारी बैठा था, ए0पी0सी0 उसने दर्जनों शासनादेश निर्गत किये, आपके न चाहते हुए भी हम सब लोग मिलकर भी उसको हटा नहीं सके थे। आप किसी भी दल के, अपने ही पार्टी के सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को वहां पर बिठा दीजिए, उसकी इमानदारी पर हमें कोई शक नहीं होगा। आपके विभागीय अधिकारी लड़ रहे हैं, कितने ही ए0डी0एम0, (पी0सी0 एस0) बैठे हैं, वह क्या-क्या काम कर रहे हैं इसका कोई स्पष्ट हिसाब नहीं है, तो आप हर जगह चुने हुए प्रतिनिधियों को पावर दीजिए।

इसके साथ मैं यह भी बात कहना चाहता हूं कि एन0आर0ई0पी0 का जो पैसा है, उसका धड़ल्ले के साथ दूसरे विभाग के लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। उस पैसे से दूसरे लोग काम कर रहे हैं और उससे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। अपने जनपद की जिला योजना के बारे में मैंने एक आरोप लगाया था, एन0 आर0 ई0पी0 का 25 लाख रुपया सिंचाई विभाग ड्रेनेज एवं बाढ़ के अफसर, इंजीनियर लोग खा गये। आप डी0 एम0 से इसकी जांच करवा लीजिए। लेखपाल द्वारा इसकी आप जांच करवा लीजिए कि जिनके निशानी अंगूठा लगे हैं आफ पेमेन्ट बताया गया है, क्या वह वास्तविक उस गांव में हैं? सब फर्जी अंगूठे और फर्जी पेमेन्ट हैं। जिला परिषदों के इंजीनियर हैं, ए0 डी0 ओ0 एम0 आई0 के इंजीनियर हैं, आप ब्लाकों को रुपया दीजिए और विभागीय इंजीनियरों के माध्यम से काम करवाइये। आपका क्षेत्र समितियों और पंचायतों से क्यों विश्वास समाप्त होता जा रहा है। 15 वर्ष पहले जितना पंचायत समिति ने और क्षेत्र समिति ने जो उत्साह दिखाया था, उसका आज नितान्त अभाव है। मैंने जो सुझाव दिये हैं, मैं चाहूंगा कि आप उसे स्वीकार कर लीजिए, (व्यवधान) इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री दूधनाथ राजभर–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस बजट पर मुझे अपने सुझाव रखने का मौका दिया। मान्यवर, मैं इस बजट का समर्थन और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। हिन्दुस्तान गांवों का देश है और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। प्रदेश की 85 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और प्रदेश के विकास के लिये गांवों का विकास अत्यन्त आवश्यक है। यह जो बजट आज रखा गया है यह गांव के विकास के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिये दिल्ली में चाहे केन्द्र की सरकार हो, लखनऊ में चाहे प्रदेश की सरकार हो, गांव के विकास के लिये ही विधान सभा में बैठकर सोचती है और बजट पास करती है। गांव के विकास के लिये तरह-तरह की योजनायें हमारी सरकार ने बनायी हैं।

गांवों के सर्वांगीण विकास के लिये, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह बहुत आवश्यक है कि जो भी पैसा हम स्वीकृत करें वह ब्लाक स्तर तक पहुंचे, ब्लाक स्तर के माध्यम से वह खर्च हो। जो गरीब, निर्बल, हरिजन और पिछड़े हुए लोग हैं उनको ऊपर उठाया जाये, उनकी तरक्की के लिए कार्यक्रम बनाये जाय। हमारे माननीय मंत्री जी को यह देखना चाहिए कि ग्राम्य विकास कार्यक्रम जो हमने बनाये हैं और उनके ऊपर जो धन खर्च हो रहा है वह सही रूप से खर्च हो रहा है या नहीं। ग्राम सेवक की आज हालत यह है कि वह पहले 250 रुपये ले लेता है तब वह अपनी रिपोर्ट देता है। इस चीज को भी रोकना चाहिये। इस बात को देखा जाना चाहिये कि जो सुविधाएं हमने देने के लिये बजट में प्राविधान किया है वह सुविधा वास्तव में ग्रामीण जनता को पहुंच भी रही है या नहीं।

अनुसूचित जाति, जन जाति और पिछड़े वर्ग के लिये भूमि उपलब्ध कराने के लिये भी बजट में प्राविधान किया गया है।

मैं अपने क्षेत्र की बात बता रहा हूं, हमारे जनपद में, मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में समन्वय समिति की अभी बैठक हुई थी, उस बैठक में उस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया जिसमें हरिजन भूमिहीनों के लिये भूमि खरीदने की मांग रखी गयी थी। खेती के लिये भूमि देने की बात थी। उसने उस योजना को ही रोक दिया। लघु सिंचाई कार्यक्रम के माध्यम से, उसके अन्तर्गत जो व्यवस्था होना चाहिये थी उसको भी रोक दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वे तत्काल ऐसे आदेश देने का कष्ट करें ताकि हमारे यहां के भूमिहीन हरिजनों को खेती के लिये तथा रहने के लिये भूमि उपलब्ध हो सके, सिंचाई की भी व्यवस्था हो सके। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री राम स्वरूप निम–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझको बोलने के लिये समय दिया। जब माननीय मंत्री जी अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कई योजनाओं के बारे में घोषणा की। ग्राम्य विकास के लिये उन्होंने कहा कि जल्दी ही हमारी सरकार और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती इन्दिरा गांधी बहुत कुछ इस प्रदेश में करेंगी। मान्यवर, इस प्रदेश में इन्होंने प्रधानों को बुलाकर राजीव गांधी के द्वारा एक नौटंकी करवायी जिसमें लाखों रुपये खर्च किये गये और इस नौटंकी से इस प्रदेश को क्या मिला यह माननीय मंत्री जी जानते होंगे। मान्यवर, अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे देहात में रहने वालों को खाने-पीने और पहनने की बड़ी सुविधा हो गयी है। जो कुछ राजे महाराजे, सामंत खाते थे आज उनको गरीब आदमी खा रहा है। दूसरी तरफ इस प्रदेश के आंकड़े बताते हैं कि लगातार गरीबों की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। दूसरी तरफ जो चंद पूंजीपति हैं, पैसे वाले हैं वह आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सरकार की नीतियां ऐसी हैं जिनसे पूंजीपतियों को बढ़ावा मिल रहा है और किसान तथा गरीब मजदूर दिन प्रति दिन गरीब से गरीब होता चला जा रहा है। लोगों को रोटी और कपड़ा नहीं मिल रहा है और दूसरी चीजें नहीं मिलती हैं। तो यह आपका विकास है।

एक घोषणा यह की गयी कि ग्राम प्रधान जो हैं वह जब अधिकारियों से मिलने जायेंगे तो अधिकारी उनको सम्मान देंगे। आपने कहा है कि ग्राम प्रधान का पद सम्मानित होगा अधिकारी उसको सम्मान देंगे। मैंने आंखों से देखा है कि गांव का प्रधान जब एस0 डी0 एम0 से मिलने के लिये जाता है, उनसे बात करने के लिये जाता है और अगर वह सही बात भी करता है तो उसकी बात एस0 डी0 एम0 सुनने के लिये तैयार नहीं होता, कहता है कि तुम्हारी औकात इतनी हो गयी है तुमको सस्पेंड कर दूंगा और इस तरह से कभी-कभी प्रधान को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो यह आपका विकास हो रहा है।

मान्यवर, रूरल डेवलपमेंट की बात होती है जितने इंजीनियर बैठते हैं उनका हाल यह हो गया है कि वह हर समय यह देखते हैं कि जनता या किसान या मजदूर का कोई काम हो या न हो जो बजट गया है उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे उनको मिल सकता है वह सबसे पहले यह सोचते हैं। इसका परिणाम यह है कि बजट जब यहां से मार्च या फरवरी में रिलीज होता है तो कोई काम ठीक से नहीं हो पाता है और सारे पैसे का दुरुपयोग होता है। जल्दबाजी में उस पैसे का आहरण कर लिया जाता है और दुरुपयोग किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम यहां चाहे जितनी प्लानिंग कर लें कोई काम होने वाला नहीं है। अभी मान्यवर, इन्होंने घोषणा की कि माननीय प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त, 84 को घोषणा की कि हर परिवार में हर मजदूर को 100 दिन का काम दिया जायगा। 365 दिनों में 100 दिनों को काम देने के लिए कह रहे हैं। आप अंदाजा लगाइये कि 265 दिन वह मजदूर अपनी गुजर बसर कैसे करेगा? उसके बच्चे कैसे जियेंगे? 100 दिन में कोई इतनी बड़ी तनख्वाह तो उसको दे दी नहीं जायगी कि वह साल के 365 दिनों तक अपना गुजारा कर ले।

दूसरी तरफ मान्यवर, जनता सरकार ने जो खाद्यान्न की योजना शुरू की थी, काम के बदले अनाज की योजना शुरू की थी जो उसकी आप बड़ी आलोचना करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उस योजना में ग्रामों के मजदूरों किसानों को बड़ा लाभ पहुंचा था और ग्रामों को सड़कों से जोड़ने का काम किया गया था और ऐसे बहुत सारे काम जनता सरकार

ने किये थे जिससे बेरोजगारी भी दूर हुई थी और लोगों को रोजगार मिला था। उस सरकार के समय में यह कोई प्रतिबन्ध नहीं था कि हम 100 दिन से ज्यादा काम नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री जी ने जो अभी कहा तो इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहां पर एयर कंडीशंड कमरों में बैठकर योजनायें और कायदे कानून बनाये जाते हैं जिससे इस प्रदेश की गरीब जनता का कोई फायदा नहीं हो सकता है। धन्यवाद।

(श्री गोरे लाल शाक्य का नाम पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री गोरे लाल शाक्य –

मान्यवर, पूरे प्रदेश को यह खुशी होनी चाहिए कि माननीय मंत्री जी ने अपनी पहुंच के द्वारा ग्राम्य विकास में इतना अधिक फण्ड लाये हैं जो दूसरे विभागों की तुलना में बहुत अधिक है और इसके द्वारा सारे उत्तर प्रदेश में, ग्रामीण विकास में एक क्रांति उत्पन्न हो गई है और इसके साथ ही मैं माननीय हुकुम सिंह की बात से सहमत नहीं हूं कि ग्रामीण विकास अभियंत्रण सेवा बेकार है, इंजीनियरिंग का शौक पैदा हो गया है, ग्रामीण विकास के अन्तर्गत इतने छोटे-छोटे कार्य हैं, पी0 डब्लू0 डी0 जिसको नहीं कर सकता है, उन छोटे-छोटे कार्यों के लिए आर0 ई0 एस0 की नितांत आवश्यकता है। हमारे माननीय मंत्री जी ने 19 नये ब्लाकों का सृजन किया है। उसमें से 12 पर्वतीय अंचल तथा 7 मैदानी भाग में हैं, ताकि जहां पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वहां पर विकास हो सके।

(श्री बिहारी लाल के खड़े होने पर, व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता –

माननीय गोरे लाल शाक्य जी, आप बैठ जाइये, माननीय बिहारी लाल जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री बिहारी लाल –

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा कि पहाड़ों में 12 ब्लाकों का सृजन किया गया है, वे 12 ब्लाक कौन-कौन से हैं?

श्री गोरे लाल शाक्य –

मान्यवर, ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत 82-83 में 28 हजार 832 नवयुवकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और उनमें से 18,395 को निजी रोजगार स्थापित करा दिये गये हैं। लेकिन मान्यवर, मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने इतना पैसा कि ढेर सारा पीस डाला, लेकिन इतना भी ध्यान रखना चाहिए कि इसको कुत्ता तो नहीं खा रहे हैं? हमारे यहां तिलक सिंह यादव और उसके दो भाई निवासीगण नगला चंदेलन, ब्लाक भर्थना के नाम से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उमरसैंड़ा नाम से साढ़े 9 हजार रुपया फर्जी तौर पर बी0 डी0 ओ0 भर्थना, ए0 डी0 ओ0 स्टैटिस्टिक्स, भर्थना तथा मैनेजर, ग्रामीण बैंक, उमरसैंड़ा ने निकाल लिया है। इसकी दौड़-धूप की, तो वह सारा धन पकड़ लिया गया है। इस जालसाजी के लिए बी0 डी0 ओ0 भर्थना, ए0 डी0 ओ0 स्टैटिस्टिक्स भर्थना तथा मैनेजर ग्रामीण बैंक, उमरसैंड़ा को तत्काल निलंबित किया जाय। ठीक इसी तरह से गुलाम हसन, ग्राम्य विकास अधिकारी, ब्लाक भर्थना तथा बेनी राम वर्मा ग्राम्य विकास अधिकारी ब्लाक एरवा कटरा तथा प्रीतम सिंह पाल, ग्राम विकास अधिकारी, ब्लाक तारवा और राजेन्द्र सिंह यादव तथा राम प्रसाद यादव, ग्राम विकास अधिकारीगण, ब्लाक एरवा कटरा, इन पांचों ने

किसानों को दिये गये ऋणों में से दो-दो, ढाई-ढाई लाख रुपये कमाये हैं।

अतः इन पांचों ग्राम्य विकास अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाय। इसकी लिखित शिकायतें किसानों और हरिजनों ने दी हैं। इस योजना के काल में कोई भी कार्य योजनाबद्ध तरीके से नहीं हो रहा है। एक योजना चालू की, उसको छोड़ा, दूसरी चालू की, उसको भी छोड़ा, इस तरह से तमाम सड़कों के निर्माण में करोड़ों-करोड़ों रुपया व्यर्थ चला गया है, जिसका कोई भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। अतः जो भी कार्य ग्रामीण विकास का किया जाय, वह योजनाबद्ध तरीके से किया जाय। ग्रामीण विकास के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण में करोड़ों रुपये का घपला हो इन सभी की जांच होनी चाहिए। वायो गैस प्लान्ट 50 प्रतिशत फर्जी कागजों में दर्ज हैं और जो लगे हैं उनमें से 99 प्रतिशत कार्य नहीं कर रहे हैं। वायो गैस प्लान्ट के नाम रकमें हड़पी गयी हैं। जो छूट सबसाडी दी जा रही है, वह हमारी जनता के लिये अभिशाप है। इसको खत्म किया जाय या इसको फूल प्रूफ किया जाय। ताकि जनता को वह मिल सके। यह हमारी जनता और कांग्रेस के लिये अभिशाप बन रही है। इस सबसिडी को इस छूट को खत्म किया जाय या पूरी तरह से दिलाया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री गौरे लाल शाक्य–

ग्राम कुईता, केशोपुर ब्लाक ताखा मुहमदाबाद के पास हरिजन नगला ब्लाक अछल्दा में जो कुयें अधूरे पड़े हैं, उनको पूरा कराया जाय। जो ब्लाक द्वारा बनवाये जा रहे हैं। मैनपुरी हरिजन कालोनी भैदपुर ब्लाक एरवाकटरा, नगला-खेड़ा के ब्लाक अछल्दा में हरिजन कालोनी को पूरा कराया जाय। यह अधूरी पड़ी है। ग्राम कुअरा ब्लाक भरथना में पंचायत घर का निर्माण किया जाय। अन्त में मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री नन्द किशोर सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। सबसे पहले मैं मंत्री जी का ध्यान अन्तोदय योजना की ओर ले जाना चाहता हूं। जिसमें लोगों को गाय, भैंस, टायर दिया जाता है। मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि देवरिया जिले में एक किसी ब्लाक की जांच करा लीजिये, 50 प्रतिशत लोगों ने कम से कम न भैंस लिया है, न गाय लिया है, न टायर लिया है। कागज में भैंस, गाय, टायर दे दी गई है, 6 हजार में 5 हजार दे दिया और 1 हजार रुपया लोग खा गये। मैंने एक पत्र भी लिखा था, उसकी कोई जांच नहीं हुई। गौरीबाजार, वैतालपुर, हाटा ब्लाक में ऐसा हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिये। देवरिया में जो लोगों की गाय, भैंस दी गई है। प्रत्येक भैंस तीन हजार में बेंची और खरीदी गई है। मैंने जिलाधिकारी से कहा कि कौन सा थरमामीटर है कि सभी भैंसे तीन हजार में खरीदी और बेंची जा रही है। तब से इस पर कुछ रोक लगी है। मैं समझता हूं कि आपके विभाग का डाक्टर 50 रुपये से 100 रुपये तक हर भैंस पर लेता है। ग्राम सेवक जो अब ग्राम विकास अधिकारी कहलाता है, 100 रुपये ले रहा है। 100 रुपये लेने के बाद फार्म भरता है। बैंक के लोग तीन हजार पर 2 हजार 22 सौ की भैंस खरीदवाते हैं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और सारा पैसा मिलकर खा जाते हैं। खण्ड विकास अधिकारी या कोई इसको देखने वाला नहीं है। वह ब्लाक पर रहते हैं और कभी-कभी जिला हेडक्वार्टर पर जाते हैं। गांव में जाने का कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है। ग्राम विकास अधिकारी गांव में आई0 आर0 डी0 योजना के तहत जो चीज दिलाना चाहिये नहीं दिला रहा है। मैं चाहूंगा कि जिला-परिषदों का चुनाव आप तत्काल करा दें। ब्लाक प्रमुख का चुनाव हो गया लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, वह मारे-मारे फिर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री कमला प्रसाद सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे ग्राम्य विकास और पंचायती राज्य के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है, इस पर मुझे बड़ी प्रसन्नता है। इन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से बजट रखा है। ग्राम्य विकास और पंचायती राज्य विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। इससे कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रह सकता है हर व्यक्ति को लाभ इस विभाग से हो सकता है और हो रहा है। माननीय मंत्री जी ने इस तरफ ध्यान देकर गरीब, निर्बल वर्ग और जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको काफी ऊंचा उठाया है। इस विभाग के माध्यम से लोगों को काफी लाभ पहुंचा है।

मान्यवर, हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का 20 सूत्री कार्यक्रम जो है उसके अन्तर्गत जो योजनायें इस विभाग से चल रही हैं वह निश्चित रूप से बहुत ही लाभदायक हैं और गरीबों के लिए, हरिजनों के लिए और निर्बल वर्ग के लिए तो बहुत ही कल्याणकारी योजना है। इसके अतिरिक्त सम्पर्क मार्गों की बात आती है। सम्पर्क मार्गों का मतलब होता है आने जाने वाले मार्ग। यदि सम्पर्क मार्ग नहीं होते हैं तो चाहे मजदूर हो चाहे किसान हो चाहे वह साग सब्जी पैदा करता हो, अगर सम्पर्क मार्ग नहीं है तो वह उसको बेच नहीं सकता है। उसको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। मैं कहना चाहूंगा, कि यह जो सम्पर्क मार्गों का जाल बिछ रहा है यह सराहनीय कार्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि आर0 ई0 एस0 विभाग का कार्य हो रहा है और जिला परिषद् है, यह मिट्टी डालते हैं तो 25,000 रुपया इस पर खर्चा करते हैं। जिला परिषद एक किलोमीटर मिट्टी डालता है तो ज्यादा से ज्यादा 17 हजार खर्चा करता है, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। उसकी जांच करानी चाहिए। हमारे जनपद में अधिशासी अभियन्ता नहीं है। सहायक अभियन्ता हैं। अधिशासी अभियन्ता का काम हमारे यहां सहायक अभियन्ता देखते हैं।

मैं निवेदन करूंगा कि अधिशासी अभियन्ता की हमारे यहां नियुक्ति नहीं है तो उनको मीटिंग में आना चाहिए। जनता की जो समस्यायें हैं उनको सुनना चाहिए। मान्यवर, हमारा क्षेत्र नगरसार है उसके अंतर्गत करंजाकला विकास खंड है। जो जनपद में प्रथम है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करंजा ब्लाक उत्तर प्रदेश में चाहे कोई भी कार्य हो, उसको बहुत अच्छे ढंग से किया है। मान्यवर, व्यक्तियों की सूची बनाकर उनको भेज दिया गया, उनके द्वारा रिक्शा दिया गया, तांगा दिया गया जो कुछ दिया गया सब अच्छे ढंग से दिया गया। मान्यवर, वहां जिस तरह से सामान लेने के लिए लोग आते हैं, तो वह सारा सामान दिखलाने के लिए लाते हैं।

हमारा सामान अच्छे ढंग से रखा जाता है, इसमें हम कमाई करते हैं, पैदा करते हैं। मान्यवर यही नहीं यहां तक कि जो आज गरीब तबके के लोग हैं, जिन्होंने ऋण के माध्यम से रिक्शा, तांगा लिया है, आज अच्छी स्थिति में हैं। उसमें से कमाते हैं और परिवार का खर्च चलाते हैं और बैंकों का ऋण भी चुकता करते हैं। मान्यवर, समय बहुत कम है, हम ज्यादा बातें नहीं कर पा रहे हैं, इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का, जो माननीय मंत्री जी ने रखा है, हृदय से समर्थन और स्वागत करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(समय 4 बजकर 20 मिनट)

श्री अकबाल हुसैन—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री जी के सम्मुख कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। मान्यवर, इस विभाग के द्वारा निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के गांवों का विकास हो सकता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह जो विकास खण्ड हैं हमारे प्रदेश से, जिस तरह से वे बने हुए हैं, जिनमें से कुछ का आकार बड़ा है और कुछ का छोटा है। मान्यवर, मैं अपने जनपद गोण्डा की बलरामपुर तहसील की बात कहता हूं जिसमें पंचपेड़वा, गैसड़ी, बलरामपुर आदि ऐसे क्षेत्र हैं जो 600 वर्ग किलोमीटर से लेकर 700 वर्ग किलोमीटर के हैं। वर्ष 1982-83 में प्रत्येक विकास खंड में एक गांव के लिये खड़ंजे के लिये पैसा दिया गया। मान्यवर, गैसड़ी में विकास खण्ड में 124 गांव हैं, अगर एक साल में एक गांव सभा में खड़ंजा लगाने के लिए पैसा दिया जाता है तो इस तरह से 124 साल में उस विकास खंड के प्रत्येक गांव में खड़ंजा लग पाएगा।

मान्यवर, इस वजह से मेरा कहना है कि जो विकास खण्ड हैं, उनको छोटी-छोटी इकाई में करके नये विकास खण्ड स्थापित करने चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो घोषणा की कि मैदानी क्षेत्र में 7 नये विकास खण्ड कायम किये गये हैं, तो उसमें से 2 रायबरेली में कायम किये गये हैं, जो श्री अरुण नेहरू का संसदीय क्षेत्र है और श्रीमती इंदिरा गांधी का संसदीय क्षेत्र रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जितने विकास खण्ड बड़े-बड़े आकार के हैं, उनकी समुचित क्षेत्रीय असमानता दूर करने के लिये माननीय मंत्री जी को इस बात का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां पर छोटे-छोटे विकास खंडों की स्थापना की जाय।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो आर0ई0एस0 यानी ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा है, इसकी ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, निश्चित रूप से आपने जो यह कहा कि इसने एक वित्तीय वर्ष में 16 करोड़ का काम किया, मेरी निश्चित जानकारी है कि पिछले वित्तीय वर्ष में 16 करोड़ की क्षमता होते हुए 21 करोड़ का काम किया, लेकिन इसके बावजूद जो इस विभाग के बड़े अधिकारी हैं, प्रमुख अभियन्ता हैं, पिछले चार सालों से इनका स्थायीकरण रुका हुआ है। कौन सी ऐसी बात है, दो साल में जो दूसरे लोग होते हैं, उनको नियमित कर देते हैं, लेकिन 4 साल से प्रमुख अभियन्ता काम कर रहे हैं और 21 करोड़ का उन्होंने निर्माण कराया है, तो उनके साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं। इसी के साथ-साथ मान्यवर, गोण्डा का जो श्रीदत्तगंज विकास खण्ड है, वहां के प्रभाव ने खण्ड विकास अधिकारी के भ्रष्टाचार को पकड़ा। तब खण्ड विकास अधिकारी ने उनको (प्रमुख को) 500 रुपये घूस देने का साहस किया। प्रमुख ने 500 रुपये की रिपोर्ट उतरौला थाने में दर्ज करा दी, लेकिन खण्ड विकास अधिकारी ने जो पीली ईंटे लगवाईं, उसके खिलाफ सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये, लेकिन सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। उलटे उस खण्ड विकास अधिकारी को अवसर प्रदान किया और ग्राम प्रमुख के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो खण्ड विकास अधिकारी हैं, वह हमारे प्रधान जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, उनको भ्रष्ट करने के नये तरीके अपना रहे हैं। इसका उदाहरण था गोण्डा के श्रीदत्तगंज के खंड विकास अधिकारी ने प्रधान को 500 रुपये की घूस देने का साहस किया।

(इस समय 4 बजकर 24 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

उसकी एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी किन्तु आज तक वह खण्ड विकास अधिकारी नहीं पकड़ा गया और न ही उसे ससपेंड किया गया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री विशन लाल—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन करता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने गांव वालों को भी बोलने का मौका दिया, शहर वालों को तो ढाप समय देते ही हैं। हमारे माननीय मंत्री जी ने जो विकास की योजनाओं के बारे में बताया है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्यों ने आग्रह किया है कि इस पर एक घण्टा और बढ़ा दिया जाय, इस पर माननीय मंत्री जी आपको कुछ कहना है?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, एक घण्टा बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस पक्ष में नहीं हूं। चूंकि आज 6.00 बजे (अपराह्न) एक अंतराष्ट्रीय घटना होने जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए और इस सदन के माननीय सदस्यों की बात को ध्यान में

रखते हुए इस पर चर्चा का समय आधा घण्टा और बढ़ाता हूं ।

श्री बिशन लाल–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि गांवों की समस्यायें आज अनेक हैं और हमारे संविधान के अनुसार देश की सबसे पहली इकाई गांवों की है । गांवों के विकास के लिए सभी लोग प्रयत्न करते हैं और साथ ही साथ उनके विकास के लिए सरकार भी नयी-नयी योजनायें प्रस्तुत करती है । हमारे माननीय मंत्री जी ने भी पेयजल की योजना तथा अन्य गांव विकास की योजनाओं को सामने रखा है । इन योजनाओं के लिए सरकार की ओर से जो पैसा दिया जा रहा है, उन निर्बल वर्ग के लोगों को ऊपर उठाने के लिए सरकार की ओर से जो पैसा दिया जा रहा है वह उन तक नहीं पहुंच पा रहा है । जैसे आई0आर0डी0 योजना में भैंस आदि खरीदने के लिए पैसा दिया जाता है और उसकी दरख्वास्त बी0एल0डब्लू0 बनाता है, अब वह भी अधिकारी हो गया है और काम करने वाला अब कोई नहीं रह गया है । दरख्वास्त बनाने में ही उसका अधिकांश पैसा चला जाता है, जब उस आदमी की दरख्वास्त बैंक में जाती है, तो उसे उतने पैसे नहीं मिल पाते हैं, जिससे कि वह गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सके । जब उसको लोन मिल जाता है, इस लोन मिलने से पहले उसके पास बरतन, लोटा आदि सब कुछ होता है, तो इसके बाद उसका तवा, लोटा आदि सब बिक जाता है । इस पर माननीय मंत्री जी आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है । योजनायें अपनी जगह पर ठीक हैं, परन्तु ये योजनायें जिन लोगों के लिए बनी हैं, वे वास्तविक रूप में उससे लाभान्वित होने चाहिए ।

अन्दर, पिछले वर्ष कोई कुंवे नहीं बने और न ही हरिजन बस्तियों में । इसके अलावा गांवों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए न तो किसी विभाग द्वारा वहां पर लाइब्रेरियां खोली गई हैं और न ही खेल के मैदान । सन् 1924 में जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो उस समय हम अपने साथ चटाई, तख्ती आदि चीजें घर से ले जाते थे, आज इतने दिन आजादी के हो चुके हैं, उन स्कूलों के जो पुराने भवन थे, वे सब के सब टूट चुके हैं और बच्चे उसी तरह से पेड़ों के नीचे पढ़ रहे हैं । माननीय मंत्री जी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसका विरोध करता हूं ।

श्री छत्तर सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे ग्राम्य विकास विभाग पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, इन्होंने बजट रखा है पंचायती ग्राम्य विकास विभाग का । जब आज तक यह सरकार पंचायती राज का गठन ही नहीं कर पायी और उसका चुनाव ही नहीं कर पायी तो फिर इस पंचायती राज के लिए बजट लाने का क्या औचित्य है । इस विभाग के लिए जो पैसा ये मांग रहे हैं वह बिल्कुल गलत है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य 2–2 मिनट में अपनी बात कहें ।

श्री छत्तर सिंह–

ग्राम्य विकास की बाबत मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी आपके ग्राम

हालत खराब है कि गांव में कीचड़ से रास्ते बुरी तरह भरे हुए हैं, बरसात में रास्ते नदियां बिल्कुल भर जाती हैं, वहां तो धान बिल्कुल पैदा नहीं दे रहे हैं और जहां बी0डी0ओ0 और प्रधान सम्पर्क बना लेते हैं, या जहां आपके स्टाफ से बात हो जाती है प्रधान से या ब्लाक के लोगों से तो वहां पर तो खड़ंजे लग जाते हैं। सही बात है कि गांव जिनमें वास्तविक आवश्यकता है, वहां पैसा नहीं लगता है, और जहां आवश्यकता नहीं है, वहां पैसा लग जाता है। जो सम्पर्क मार्ग गांव के लिये बनाये जाते हैं, आपका विभाग है आर0ई0एस0, जिसके माध्यम से बनवाये जाते हैं, मेरे विचार से इस विभाग से ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं किसी भी विभाग में नहीं है। इसका जो मानक यह अपना रहे हैं, सबसे गिरा हुआ मानक इनके यहां अपनाया जा रहा है। पी0डब्लू0डी0 का काम आप देख लीजिए और इनका काम देख लीजिए, तो उसी लागत का जो पी0 डब्लू0डी0 का काम है, वह 10 साल तक चलेगा और जो इनका काम है, वह 4-5 साल में ही चल पाता है। पैसा वही मिलता है, रास्ते वहीं हैं, मगर उनके यहां तरह-तरह से ठेकेदार के माध्यम से रिश्वत लेने की मात्रा अधिक है।

दूसरी बात मैं कहूंगा कि हरिजनों के लिये जो मकान विभाग बनाता है, उसमें 2 हजार रुपये का नियम है, वह मुश्किल से ही आवास खड़ा हो सकता है, लेकिन उसमें भी अव्वल दर्जे की ईंटों के माध्यम से खड़ा नहीं हो पायेगा। मुश्किल इसमें यह भी हो रही है कि जो कर्मचारी हैं वी0 एल0 डब्लू0 आदि वह जो हरिजनों के पुकारे कर उसको नये मकान में दिखा देते हैं। उस दो हजार रु0 की अनुदान में इससे एक हजार वह ले लेते हैं और एक हजार उस हरिजन को दे देते हैं, तो यह स्थिति है। मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह से जो बजट आपके रहे हैं, उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है।

तीसरी बात कहना चाहूंगा कि यह जो हरिजनों के लिये कुंए बनाये जा रहे हैं, इसमें आप केवल 6 हजार रु0 देते हैं। 6 हजार रुपये से इसको गलाना, उसके ऊपर से उनको बनवाना संभव नहीं है। मगर फिर भी उल्टा सीधा करके कुछ कुंए बनाये जा रहे हैं। इसी तरह का कुछ भ्रष्टाचार मेरे जिले में हुआ है। ग्राम बेरासि-राजपुर विकास खंड स्याना, जनपद बुलन्दशहर-यहां के निर्मित कुओं की बाबत मैंने इन्कवायरी करायी। कई कुए ऐसे हैं, जिनमें इन्कवायरी के बाद भी एक बूंद पीने का पानी नहीं है मुंडी बकापुर विकास खंड लखावटी में दो कुओं की इन्कवायरी करायी थी, उसमें बी0डी0ओ0 की पेंशन रोकी, मगर जिस उद्देश्य से कुंए बनाये गये थे, वह हरिजनों के मुहल्लों में भी नहीं बनाये गये और उनमें एक भी बाल्टी पानी नहीं निकाली गयी। मैंने एक कुंआ प्रस्तावित कराया था डी0डी0ओ0 से मिलकर गांव मुंडी बकापुर में, आप उसमें इन्कवायरी करा लें। मेरे विचार से उस पर काम शुरू हुआ था, एक साल हुए, लेकिन वह कुंआ संपूर्ण नहीं हो पाया। उस कुंए में हरिजनों के कई जानवर गिरकर मर गये उल्टे फायदे के नुकसान हो रहा है तो ऐसी योजना से क्या लाभ कि उससे फायदे के उल्टे हरिजनों को नुकसान हो रहा है।

(अपर उपाध्यक्ष पद पर)

श्री छत्तर सिंह–

श्रीमन्, आई0 आर0 डी0 की बाबत 2-1 बातें कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। आई0आर0डी0 योजना से यह गाय या भैंस – दिलवा देते हैं पश्चिमी क्षेत्र में कहते हैं वी0एल0डब्लू0 या पशुधन अधिकारी यह कह देते हैं कि प्रदेश के बाहर ही दिलवायें, हिसार या रोहतक दिलवा देंगे, जो भैंस केवल 2 किलो दूध देती है, दो हजार कीमत की होती है, उस भैंस की 4 हजार रु0 कीमत लिखवा देते हैं। उसमें पांच सौ रु0 वी0एल0डब्लू0 को देते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप समाप्त करें।

श्री छत्तर सिंह–

आई0आर0डी0 योजना के अन्तर्गत कोई काम नहीं हो रहा है, माननीय मंत्री जी विशेष तौर से उस पर ध्यान दें। इन योजनाओं के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा, मान्यवर, विकास खंड के जो आकार हैं, बड़े खराब हैं, मेरे यहां एक विकास खण्ड है जहां गांसाबाद 50 कि0मी0 चलकर विकास खण्ड पर पहुंचना पड़ता है। मेरी मांग है कि इनके आकार को फिर से ठीक किया जाय।

श्री सुग्रीव सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो ग्राम्य विकास के बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये आभारी हूं।

यह हमारे मंत्री जी ने जो बजट सदन के सामने पेश किया है उससे यह अनुमान होता है कि अवश्य ही ग्रामों के विकास का हर दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया है। विधान सभा क्षेत्र राम खोला के बारे में कहना चाहता हूं कि देहातों में गांवों में जितने पुराने कुंए हैं, वे 1000–1200 रु0 लगाने से 8000 रु0 के कुंए बन जायेंगे, माननीय मंत्री जी कहते हैं कि 8 हजार रु0 में नया कुंआ बनता है। मेरा सुझाव है कि पुराने कुंओं की मरम्मत का ध्यान रखें। एन0आर0पी0 द्वारा जो योजना हमारे जिले में चलाई गयी है उससे 2 करोड़ 81 लाख रु0 का हमारे जिले में खर्च हुआ है, जबकि जिला परिषद् ने केवल दूसरे विभाग को वह पैसा नहीं दिया है, केवल अपने विभाग से काम चला रहे हैं। काफी घपला इसमें मालूम हुआ है। मैं मा0 मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करा-ऊंगा कि इस पर बहुत गम्भीरता से विचार करें।

मस्टर रोल सिस्टम जो एन0आर0 ई0 पी0 में लागू किया है, योजना तो अच्छी है, उससे गरीबों का और मजदूरों का भला हो सकता था लेकिन मस्टर रोल सिस्टम लागू करने से इनेगिने अधिकारियों की पाकेट में पैसा जाता है और उससे जो सहूलियत मिलनी को है, नहीं मिलती है। माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराऊंगा कि उस पर कड़ी निगाह रखें और मस्टर रोल सिस्टम हर विभाग से तोड़ दिया जाय ताकि इस प्रकार के घपले की सम्भावना न रहे। जिला परिषद् जो अपना पैसा खर्च करती है सार्वजनिक विभाग को या आर0ई0एस0 को, आदि यह पैसा किसी विभाग को भी दिया गया होता तो काम बहुत आसानी से और बहुत जल्द समाप्त हो जाता और घपले की गुंजायश नहीं रहती।

गरीबों के लिये निर्बल वर्ग के लिये जो मकान बनाने के लिये 2 हजार रु0 निर्धारित किया है, माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि इसको बढ़ाकर 4 हजार रु0 कर दिया जाय,

इसलिये कि 2 हजार में कोई भी मकान नहीं बन सकता है। इसके साथ ही माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, मैं पंचायती राज, ग्राम्य विकास विभाग के संबंध में यह कहना चाहता हूं कि अभी तक ग्राम पंचायतों और न्याय पंचायतों का गठन तक नहीं हुआ है न तो जिला परिषदों का ही तो माननीय मंत्री जी को इस बजट के लाने से पूर्व इनका गठन करा देना चाहिए था। मान्यवर, रूरल इन्जीनियरिंग सर्विसेज के अन्तर्गत आज कार्य सही ढंग से नहीं हो रहा है क्योंकि मुझे सूचना मिलती रहती है कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के मुकाबले में पी0 डब्लू0 डी0 का काम अच्छा चल रहा है। हालांकि इस विभाग की प्रेरणा गांधी जी चौखम्बे राज्य प्रणाली से प्राप्त हुई है और यही एक ऐसा विभाग है जो गांधी जी के स्वप्नों को साकार कर सकता है और अगर पूज्य गांधी जी के स्वप्नों को साकार यह विभाग न कर सके तो तब तक इस बजट को यहां पर पास करना उचित न होगा।

उत्तर प्रदेश गांव पंचायत प्रधान प्रदेश है, लेकिन आज फिर भी एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने की कोई प्रक्रिया अपनाई नहीं गयी है और इस विभाग में जितने भी अधिकारी कार्य करते हैं वही मही ढंग से नहीं कर रहे हैं और हमारे जनता पार्टी शासन में इस ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अंतर्गत लिंक रोड का एक जाल बिछा दिया था, गांवों को नगरों से जोड़ने का कार्य किया था, जिसमें 3 कि0 मी0, 5 कि0 मी0 और 10 कि0 मी0 तक की सड़कें थीं। अगर इसी तरह से और इसी स्प्रिट से काम किया जायेगा तो प्रदेश प्रगति के रास्ते पर आयेगा और गांवों का भी विकास होगा। इन्हीं सुझावों के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री लोकमणि शर्मा—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस ग्राम्य विकास विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। साथ ही मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस विभाग के अन्तर्गत जितनी भी योजनाएं चल रही हैं सभी प्रगति के रास्ते पर हैं और इन 32 वर्षों में प्रत्येक योजना में हर स्तर पर विकास हुआ है और माननीय मंत्री जी ने जो इस वर्ष यानी आगे आने वाले वर्ष 1984-85 का बजट प्रस्तुत किया वह बहुत ही सरहनीय है प्रगतिशील है और प्रदेश के प्रत्येक स्तर पर गांवों के विकास के लिए इस बजट में अधिक धन का अंश रखा है और माननीय हुकुम सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखते हुए यह बताया कि प्रदेश की कोई भी योजना आज ग्रामों तक नहीं पहुंची है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं 32 वर्षों के अन्दर जो ग्रामों का चतुर्मुखी विकास हुआ है, चाहे यह विकास किसानों के खाद्यान्न स्तर पर हो, शिक्षा के स्तर पर हो, यातायात के साधनों पर हो, जितने भी विकास इस प्रदेश के गांवों में इस विभाग द्वारा हुए हैं, वह बहुत ही सराहनीय है।

अगर इस योजना का लाभ देहातों में नहीं पहुंचता तो देहातों की कायापलट न होती। उन्होंने अपने भाषण में एक बात और कही है कि ग्रामीणों को राष्ट्रीय रोजगार योजना द्वारा आपके माध्यम से माननीय सदस्य रोजगार नहीं मिलता है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि उनको रोजगार मिलता

है । सभी गरीब मजदूरों के द्वारा निर्माण कार्य कराया जाता है, ठेकेदारी पर काम होता है, इस तरह से गांव के लोगों को रोजगार मिलता है ।

एक बात उन्होंने और कही कि भूमिहीनों, हरिजनों के लिए जो अनुदान मिलता है, उसका पैसा उनको नहीं मिल पाता है । लेकिन माननीय सदस्य की यह बात सही नहीं है, वहां हमारे जन प्रतिनिधियों के द्वारा, प्रधानों के द्वारा पैसा बांटा जाता है । मान्यवर, हमारे माननीय सदस्य ने एक बात और कही है कि यह गांधी जी का देश है, नेहरू जी का देश है उनकी योजनाएं कार्यच्युत नहीं हो रही हैं । अगर ये लोग गांधी जी और नेहरू जी के उपासक होते तो जो रोज यहां पर अनुशासनहीनता का जो ताण्डव नृत्य देखने में आता है, वह न होता । इनके चौधरी साहब माननीय चरण सिंह जी तो नेहरू जी की नीतियों के विरोध में सदैव विषवमन करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त अब मेरा सुझाव यह है कि जो भू-गर्भ सर्वेक्षण का कार्यक्रम है, इसको चार वर्ष हो गये हैं, मथुरा क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया है क्योंकि वहां का पानी वास्तव में खारा है । लिफ्ट सिंचाई योजना के अन्तर्गत यह कार्यक्रम 20 वर्ष पूर्व चलाया गया था 12, 12 इंच को दो बोरिंग की गयी थीं पानी मीठा है परन्तु फिर उसके बाद कोई कार्य नहीं किया गया और शायद वह योजना फेल हो गई मथुरा जिले के इन 18 गांवों का पानी मीठा है, सिंचाई के साधन बिल्कुल नहीं हैं इसलिए अविलम्ब सर्वेक्षण कराया जाय और सिंचाई के लिये मीठे पानी में ट्यूबवेलों की व्यवस्था की जाय आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है । इसलिये वहां का सर्वेक्षण कराया जाय और सर्वेक्षण कराकर पानी उपलब्ध कराया जाय, यह मेरा माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे माननीय हुकुम सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया है ।

मान्यवर, ग्रामीण विकास मंत्री जी से गत वर्ष हमने एक मांग की थी कि अल्मोड़ा जनपद में 6 नये विकास खण्ड खोलने को हमने इन से प्रस्ताव किया था। माननीय मंत्री जी ने इसी सदन में बचन दिया था कि इस समय तो नहीं, ग्राम पंचायत के चुनाव के बाद मैं नये विकास खण्डों का सृजन कर दूंगा । परन्तु इन्होंने नहीं किया । उसके बाद जब हम इनसे मिले तो आपने कहा कि केन्द्रीय सरकार से बजट नहीं मिला है, पैसा नहीं है । अभी तक माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी ने नये विकास खण्ड का सृजन नहीं किया है । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी वहां की स्थिति को देखें और वहां की स्थिति को देखते हुए नये विकास खण्डों को खोलने की कृपा करें ।

इसी प्रकार से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत जो मार्ग बने हुए हैं एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए तो मैं चाहता हूं कि इनको बनाया जाय और इनकी देख रेख के लिए या तो इसे ब्लाक को दिया जाय या इन मांगों को जिला परिषद् को दिया किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाय। आज पहाड़ी अंचल में जिला परिषद् की सड़कें वीरान पड़ी हुई हैं। मोटर मार्ग बन जाने से सारे कर्मचारी और अधिकारी, जे0 ई0 वगैरह मोटर मार्ग से ही आते जाते हैं इसलिए इनकी देखरेख भी नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि आप जिला परिषद् की सड़कों की देख रेख की व्यवस्था अवश्य करें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि क्षेत्रीय समिति की बैठकें जो होती हैं इसमें शुरू-शुरू में प्रधान लोग आते हैं लेकिन बाद में नहीं आते हैं क्योंकि उनको वहां आने जाने में व रहने में 4 दिन लग जाते हैं, सरकार उनको इतना खर्चा नहीं देती है।

उनको न कोई कर्ज स्वीकार होता है और न उनकी कोई अपनी आमदनी है, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप क्षेत्र समिति के सदस्यों को भत्ता दें और जिससे कि उस क्षेत्र समिति का कोरम पूरा हो सके, अगर भत्ता मिलने लगे तो कोरम पूरा रहे और जो बैठकें होती हैं उनमें अच्छे अच्छे निर्णय हों और गांव की तरक्की हो।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आपने विकास अधिकारी बहुत बना दिए हैं। आपने ग्राम पंचायत अधिकारी बना दिये हैं, उनके अधीन 10-10 और 12-12 न्याय पंचायतें हैं, इसलिए मेरा सुझाव है कि पंचायत सेवकों का जो इस समय कार्य क्षेत्र है उसको कम कर दिया जाय, जिससे कार्य ठीक ढंग से हो सके। मान्यवर, इन शब्दों के साथ जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करता हूं और मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसका विरोध करता हूं।

श्री शिव नारायण सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। विरोध पक्ष की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका विरोध करता हूं और बजट का समर्थन करते हुए, कुछ सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान ग्राम विकास की ओर दिलाना चाहता हूं, राम नगर जिला नैनीताल और काठगोदाम में जो सड़कों के किनारे गन्दा नाला जाता है उस पानी से वहां पर नहर से सिंचाई व पीने में भी वे काम में आती हैं जिससे गांव वालों के स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस नाले को हटाया जाय। साथ ही आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वहां की जो उपजाऊ भूमि है उसका नुकसान हो रहा है, भूमि संरक्षण के माध्यम से जो काम हो रहा है, उसके माध्यम से भूमि के कटाव को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए।

मान्यवर, पेय जल योजना की ओर अब मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जो आपका निगम है उसकी हालत बहुत ही दयनीय है। वहां पर एक स्थान है बैल पड़ाव वहां पर 10 साल से पाइप बिछा दिए गये हैं, परन्तु आज तक गांव वालों को पानी नहीं मिल पाया है, इस तरह का आपका निगम है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आज ग्राम विकास की बातें सामने आयी हैं उस में जो अधिकार गांव सभाओं को मिलने चाहिए वह नहीं मिले हैं, जिससे गांव की तरक्की नहीं हो पाती है। गांव के जन सम्पर्क मार्ग हैं वही ठीक नहीं हैं, और न उनको ठीक करने के लिए गांव सभाओं के पास

कोई धन की व्यवस्था ही है । आपने जो यह योजना बनायी है कि गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों को उठाया जाये, तो यह काम आपका सन्तोषजनक नहीं हो रहा है । आप उनको ज्यादा धन-राशि दें और जो धनराशि शासन द्वारा दी जाती है वह वहां तक पहुंच भी नहीं पाती है, इस पर आपको निगरानी रखने की आवश्यकता है । इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री सन्त बख्श रावत–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय हुकुम सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं । मान्यवर, एक आर्टिकल छपा है, यह 17 फरवरी, 1984 का है, यह अन्तर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त विभाग एजेन्सी के सहयोग से ग्रामों के विकास के बारे में है ।

(व्यवधान)

जो योजनायें तैयार की जाती हैं उनका परिपालन नहीं हो पा रहा है । अभी केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार को चेतावनी दी है कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण रोजगार योजना बेकार है । केन्द्र में जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसने प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी से कहा है कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण रोजगार योजना सफल नहीं हुई है। (व्यवधान)। उन्होंने मुख्य मंत्री को तलब किया है । मान्यवर, सरकार ने पिछले वर्ष 5 ब्लाकों का सृजन किया । दो विकास खण्ड मुख्य मंत्री जी के जनपद सुल्तानपुर में, दो विकास खन्ड वित्त मन्त्री जी के जनपद देहरादून में और एक रायबरेली में खोला गया है । इस तरह से पूरे प्रदेश में 5 ब्लाकों का सृजन हुआ है ।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नगरांव में एक विकास खण्ड खोलने की योजना शासन ने बनायी थी और सन् 78 में मोहनलालगंज और गोसाईगंज से प्रस्ताव आया था लेकिन अभी तक उन योजनाओं के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह सरकार निरन्तर पिछड़े क्षेत्रों की उपेक्षा कर रही है और केवल उन्हीं स्थानों पर विकास खन्डों का सृजन किया जा रहा है जहां से मंत्री लोग आते हैं । ग्रामीण रोजगार योजना जो चल रही है उसके अन्तर्गत जहां तक मेरी जानकारी है, जनपद लखनऊ में कहीं पर भी 6 रुपये से अधिक मजदूरी मजदूरों को नहीं मिल रही है । इसके साथ ही साथ आज गांवों की दशा इतनी गिर गई है कि सरकार ने उन गांवों की तरफ देखा ही नहीं है । खास तौर से गांवों की महिलाओं के लिए जो कि खेती के लिए बीज तैयार करती हैं, अपने घर के भविष्य के लिए अन्न भण्डारण करती हैं उनके लिये कोई सुविधा नहीं की जाती है । हमारी मातायें और बहन कुछ ऐसी भी हैं जिनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है वे आज भी मैदान में और सड़कों के किनारे बैठती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे गांवों में रहने वाली महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था करें । इसके साथ ही साथ ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अन्तर्गत डी0 आर0 डी0 ए0 के द्वारा इस विभाग के लिए कुछ धनराशि जनपदों से मिल जाती है लेकिन यह डी0 एम0 के ऊपर निर्भर करता है । यह उसके विवेक पर होता है जिसको चाहे उसको दे ।

लखनऊ में जिलाधिकारी ने अभी जो भूमिहीन ग्रामीण रोजगार योजना है

उसके अन्तर्गत मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 3 करोड़ 5 लाख रुपया दिया है । मैं चाहता हूं कि इस रुपये का उपयोग ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के माध्यम से कराया जाय तो अच्छा होगा । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री अमर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं । मान्यवर, सन् 47 से पहले जो गांव थे उनका मुकाबला यदि आज के गांव के साथ किया जाय तो मिलेगा कि उसमें बड़ा भारी अन्तर है ।

हमने उस वक्त के गांवों को भी देखा है और आज के गांव भी देख रहे हैं । पहले गांवों में पीने का पानी नहीं होता था कीचड़ भरा रहता था और हाथ से पानी भरते थे और बरसात में पानी इतना भर जाता था कि बाहर उबाल आता था और उस पानी को पीकर गांव के लोग बीमार पड़ते थे लेकिन सन् 50 में जब हमने संविधान अपनाया और सन् 52 में जब जमींदारी एबोलीशन हुआ उसके बाद गांवों के विकास के लिए पंचायत राज की स्थापना हुई उसकी वजह से तमाम गांवों का विकास होना शुरू हुआ । मान्यवर, यह बहुत बड़ा विभाग है इसमें सभी विभागों का हिस्सा है । हमारा चूंकि कृषि प्रधान देश है, गांवों में कृषक रहते हैं और उनका हित करना सभी विभागों का काम है इसलिए सभी विभागों का समन्वय होना आवश्यक है चाहे वह सिंचाई विभाग हो, चाहे वह पशुपालन विभाग हो, चाहे मत्स्य पालन विभाग हो उन सबका कृषकों से संबंध है।

हमारी सरकार ने जहां गरीब मजदूरों को मजदूरी देने की बात की है वहीं उनके रहने का भी प्रबन्ध किया है । जिन लोगों के पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं थी उनको जमीन दी और पैसा दिया । कुछ हमारे भाई कहते हैं कि दो हजार रुपया बहुत कम है उससे मकान नहीं बनता है । लेकिन उसके साथ साथ मकान मालिक को भी कुछ श्रम करना है । अगर उसने दीवारें बना ली हैं तो 15×8 के कमरों को पिछले और अगले कमरों को ढकने के लिए दो हजार कम नहीं हैं । फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि इसकी मात्रा बढ़ा दी जाय ।

ग्राम विकास के सम्बन्ध में जहां पर प्रधान है उसके सम्बन्ध में गांवों में 8–10 विभागीय कर्मचारी भी हैं जो ग्रामीण स्तर के अधिकारी कहलाते हैं । मेरा निवेदन है कि गांव स्तर के सभी अधिकारियों के बजाय एक बहुधंधीय अधिकारी नियुक्त हो जो इन समस्याओं को देखें ।

गांवों में जहां सिंचाई में उन्नति हुई है उसमें लघु सिंचाई योजनायें चलायी गयी हैं वहीं भूगर्भीय पानी का भी सर्वेक्षण हुआ है । इस विभाग के जो निदेशक हैं उनको पांच वर्ष हो गये हैं, तो उनको पांच वर्ष बाद वापस हो जाना चाहिए । लेकिन उस विभाग के कर्मचारी उनके निदेशन पर चलना चाहते हैं इसलिए जब तक नियमित रूप से निदेशक नियुक्त न हो जायं तब तक निदेशक को न हटाया जाय । इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री किरनपाल सिंह–

(श्री हुकुम सिंह का नाम पुकारे जाने पर) मान्यवर, दो मिनट दे दें। गरीबों के संबंध में जो योजनायें हैं उन पर कुछ बात कहनी है।

श्री यमुना प्रसाद –

मान्यवर, समय बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष–

समय बहुत बढ़ गया है। (व्यवधान) अब मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। मैंने माननीय हुकुम सिंह जी को बुला लिया है।

श्री हुकुम सिंह–

मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया।

श्री हरदेव–

दो मिनट दे दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय हरदेव जी, आप बैठें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, ग्राम विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर चर्चा में हिस्सा लेने में सभी की रुचि है और मैं मा0 मंत्री जी को सुझाव दूंगा कि आज की यह चर्चा वाकई में अधूरी है और वास्तव में आप चाहते हैं कि जो ग्राम्य विकास में रुचि रखते हैं वह चाहे मा0 सदस्य हों, या अधिकारी हों, मैं अपेक्षा करूंगा कि एक सेमिनार का आयोजन कर इन सब को सुझाव देने का एक मौका देंगे और जो आपके विभाग के अधिकारी होंगे वह उसमें हिस्सा लेंगे। मैं अपेक्षा करता हूं कि जल्द ही इस सम्बन्ध में सेमिनार का आयोजन आप करेंगे।

मान्यवर, इसके साथ ही मैं उम्मीद करता था कि आज जब मा0 मंत्री जी बजट प्रस्तुत करेंगे तो जिला परिषद् के गठन की घोषणा करेंगे परन्तु आपने नहीं किया। तो क्या मंत्री जी उत्तर देते समय किसी निश्चित तिथि की घोषणा करेंगे कि अमुक तिथि तक जिला परिषद् का गठन कर दिया जायेगा। यही एजेन्सी हमारे पास है जिसके माध्यम से ग्राम्य विकास का कार्य अच्छी तरीके से हम चला सकते हैं।

मान्यवर, एक कठिनाई मेरी जानकारी में लायी गयी जिसको मैं मा0 मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 1971 के पूर्व जिला परिषद् के जितने अधिकारी, अध्यापक सेवानिवृत्त हुए थे उनको पेंशन का प्राविधान किया है किन्तु 1971 के पूर्व कार्यालय में काम करने वाले जिला परिषद् के कर्मचारी इस पेंशन के लाभ से वंचित हैं और उनकी संख्या मैं समझता हूं कि 100–125 से अधिक नहीं होगी, इसलिये 1971 के पूर्व जो कर्मचारी रिटायर हो गये हैं उनको भी पेंशन देने पर आप विचार करें।

मान्यवर, तमाम सुझाव आये हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि जब तक ग्रामीण जनता में आत्मविश्वास नहीं पैदा होता है कितना ही आप पैसा उनको दे दें आई0 आर0 डी0 या अन्य योजनाओं में परन्तु उनका कोई लाभ नहीं होगा, जिस पैसे को पाकर वह शहर में खर्च कर देते हैं तो उससे वहां के रहने वालों को कोई लाभ नहीं होगा। इसलिये प्रयास होना चाहिए कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनमें तेजी लायें अन्यथा ग्रामीण गांव में नहीं रह पायेंगे और शहर की ओर वह भागेंगे।

मान्यवर, आप जानते होंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का सबसे

अधिक विकसित जनपद है जिसकी प्रति व्यक्ति आय केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं तमाम देश में सर्वाधिक है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे गांव भी हैं, जहां पर काफी व्यक्तियों के पास टी0 वी0 सेट हैं, लेकिन उन्हीं गांव में ऐसे व्यक्ति भी हैं, जिनको खाने के लिये एक समय का खाना नहीं है। तो वह निर्बल वर्ग के लोग आर्थिक विषमता के कारण गांवों को छोड़कर शहर भाग जाना चाहते हैं और भाग रहे हैं। मान्यवर, प्रश्न एन0 आर0 ई0 पी0 के माध्यम से मजदूरी देने का नहीं क्योंकि समस्त जनपदों में मजदूरी की एक दर नहीं है। हमारे यहां न्यूनतम मजदूरी का कोई महत्व नहीं है। वहां पर कृषि के कार्य में लगे मजदूर को 15 रुपये प्रति दिन तक मजदूरी मिल जाती है। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे उद्योगों का विकास किया जाये जिसमें गांव के निर्बल लोग काम कर सकें और उत्पादन कर सकें।

मान्यवर, अब मैं कहना चाहता हूं कि पंचायत राज एक्ट में संशोधन की बहुत आवश्यकता है। प्रधान को हटाने के लिये अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया है, जो गांव सभा के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अविश्वास प्रस्ताव गांव सभा द्वारा विचार होना चाहिये परन्तु पंचायत राज अधिकारी भ्रष्ट तरीके अपना कर इस तमाम प्रक्रिया का मखौल उड़ाते हैं और 29 दिन के बाद कोई न कोई तर्क देकर प्रस्ताव को रद्द कर देते हैं। यह लोकतंत्र की परम्पराओं पर एक कुठाराघात है। इसलिये मैं पुनः अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि मंत्री जी इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे। दो बातें कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, जो हमारे सुझावों पर पुनः बल देते हैं। अभी अन्तर्राष्ट्रीय ग्राम्य विकास कौंसिल के अध्यक्ष सर जैम्स लिम्बले भारत आये थे और उन्होंने यहां की स्थिति को देखते हुए जो अंग्रेजी में लिखा है उसका हिन्दी में रूपान्तर करते हुए उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उन्होंने यहां के ग्रामों का अध्ययन करने के बाद कहा है कि ग्रामों का उत्थान तभी सम्भव है, जब उनकी परेशानी की और पिछड़ेपन की समस्या को उनके स्तर से समझने की कोशिश की जाय। अर्थात् शहर में बैठकर कलम चलाने से उनका विकास नहीं होगा। गांवों का विकास, प्रधानों, ग्राम पंचायतों, क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों के वास्तविक, सही और सक्रिय सहयोग और योगदान से ही सम्भव होगा। सही मायने में जब तक उनका इन्वाल्वमेंट ग्राम्य विकास कार्यों से नहीं होगा गांवों का विकास सम्भव नहीं है। केवल आई0 आर0 डी0 और एन0 आर0 ई0 पी0 के माध्यम से हम गांव का विकास नहीं कर पायेंगे।

*श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, मैं उन समस्त सम्मानित साथियों का, जिन्होंने आज की चर्चा में भाग लिया है, आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, माननीय सदस्यों ने बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में अच्छे-अच्छे सुझाव रखे हैं और मैं यह चाहूंगा कि हमारे अधिकारी भी, जो यहां बैठे हैं, कम से कम माननीय सदस्यों की उन भावनाओं का, जिनका सम्बन्ध किसी फाइनेन्शियल इन्वाल्वमेंट से नहीं है—

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

केवल एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल से और अच्छी प्रकार से निरीक्षण करने से हैं और जिनसे सुधार हो सकता है, उनके समादर के लिये वह समुचित कदम उठायें। उनको वह स्वीकार करें और मैं अपनी तरफ से भी कहना चाहता हूं कि इस दिशा में समुचित कदम उठाये जायेंगे। हमारे अधिकारी इसको नोट करें और उनका समादर करते हुए उनका परिपालन निश्चित रूप से वह करें। भाई हुकुम सिंह जी ने और हमारे अन्य साथियों ने कुछ बिन्दु ऐसे उठाये हैं, जिसका स्पष्टीकरण मैं आवश्यक समझता हूं। यह कहा गया कि एन0 आर0 ई0 पी0 के पैसे का दुरुपयोग विभिन्न एजेंसियों द्वारा होता है और क्यों विभिन्न एजेंसियों से इसका कार्य कराया जाता है तथा जब उसका पैसा वहां पहुंचता है तो वह उस पैसे को लेने के लिए लोग भारी दौड़ धूप करते हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपसे बताना चाहता हूं कि एन0 आर0 ई0 पी0 में प्रति वर्ष 72 करोड़ रुपया खर्च होता है। हमारा विभाग जो आर0 ई0 एस0 है, उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वह इतने पैसे का सदुपयोग कर सके। उसका पैसा वन विभाग द्वारा भी प्रयुक्त होता है, इसलिए किसी एक विभाग में ऐसी क्षमता नहीं है कि वह सारे पैसे का सदुपयोग कर सके। इसलिये विभिन्न एजेंसियों का इन्वाल्वमेंट इसमें किया जाता है, ताकि समय से इस पैसे का सदुपयोग हो सके।

एक बात यह कही गयी है कि एन0 आर0 ई0 पी0 के कार्यों की समीक्षा नहीं होती है। ऐसी बात नहीं है, मैं उनको सूचित करना चाहता हूं कि इसके लिए मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में प्रदेश स्तर पर आई0 आर0 डी0 और एन0 आर0 ई0 पी0 के कार्यों की समीक्षा होती है और जिला स्तर पर भी उसकी समीक्षा होती है। इसमें सुझाव भी आते हैं और वह कार्यान्वित भी होते हैं। सचिव को भी आदेशित किया गया है कि वह स्वयं भी जनपदों में जाकर जो एन0 आर0 ई0 पी0 और आई0 आर0 डी0 के प्रोग्राम्स हैं उनको जाकर देखें और उनकी समीक्षा करें और उनका भौतिक सत्यापन करें और यह किया गया है।

यह भी कहा गया है कि बैंक पैसा देने में कठिनाई पैदा करते हैं, भ्रष्टाचार भी है, कुछ अधिकारियों में और कर्मचारियों में भी है। उनकी बात सही है, मैं उससे इन्कार नहीं करता हूं। यह मर्ज ऐसा है जो आपके समय में भी था और हमारे समय में भी है। हम लोग केवल इतना कर सकते हैं कि जो भी शिकायतें हमारे और अधिकारियों के पास आयें, हम उन पर सख्ती से कार्यवाही करें। हम उनकी जांच करायेंगे और जो अधिकारी अथवा कर्मचारी दोषी पाया जाय उसके खिलाफ कार्यवाही करूं।

मैं आपके सामने इस सम्बन्ध में यह बताना चाहता हूं कि कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ हमने कार्यवाही की है। 29 बी0 डी0 ओज0 को निलम्बित किया गया, 134 ग्राम्य विकास अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक विभागीय कार्यवाही की गयी, 40 लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की गयी, 28 को निलम्बित किया गया। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अन्तर्गत भी 8 प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की गयी, 5 द्वितीय श्रेणी के

कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी। लघु सिंचाई विभाग में 2 प्रथम श्रेणी के खिलाफ, 3 द्वितीय श्रेणी के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी। पंचायत राज में भी 194 लोगों को आरोपित किया गया है। 171 ग्राम्य विकास अधिकारियों को निलम्बित किया गया है। 10 ए0 डी0 ओज0 (पंचायत) को निलम्बित किया गया है। इस प्रकार जब-जब हमारे पास शिकायतें आती हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है और दोषी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाती है।

माननीय सदस्य ने यह कहा कि आर0 ई0 एस0 में 170 ए0 ई0ज0 की भर्ती सीधे मनमाने ढंग से कर ली गयी। मैं बताना चाहता हूं कि इसमें बाहर के लोग नहीं लिये गये हैं। जो वर्क चार्ज में पहले से लोग थे, उनको बाकायदा मंत्रि परिषद् से स्वीकृति लेकर, विभागीय चयन समिति द्वारा उनका चयन किया गया है। (व्यवधान)

एक सदस्य—

उसमें हरिजन कितने लिये गये हैं।

श्री बलराम सिंह यादव—

इसको दिखवा लूंगा।

एक और बात मैं ग्राम्य विकास निदेशालय के बारे में कहना चाहता हूं। ग्राम्य विकास निदेशालय के गठन का निर्णय लिया जा चुका है और इसकी औपचारिकतायें पूरी की जा रही हैं। मैं आशा करता हूं कि एक महीने के अन्दर इसका गठन पूरा कर लिया जायेगा।

अभी तक सहायक विकास अधिकारी, पंचायत के 66 प्रतिशत भर्ती लोक सेवा आयोग द्वारा होती थी और 34 प्रतिशत प्रोन्नति के द्वारा हुआ करती थी। इसके बारे में लोगों को स्टैगनेशन की शिकायत थी। अब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 50 प्रतिशत स्थान लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जायेंगे और 50 प्रतिशत स्थान प्रोन्नति के द्वारा भरे जायेंगे। इस प्रकार प्रोन्नति के अवसर और अधिक विभाग के अधिकारियों को मिल सकेंगे। इसके साथ ही साथ जो खंड विकास अधिकारियों और ग्राम्य विकास अधिकारियों की मांगें थीं और जिसके बारे में उनको असंतोष था तो उनको संतुष्ट करने की कोशिश की गयी है। बी0 डी0 ओज0 का वेतनमान 690–1420 था। विशेष वेतनमान 850–1720 था पचास परसेंट लोगों के लिये तो इसके अतिरिक्त शासन ने 50 पद उच्चतर वेतनमान के उनको दिये हैं और यह वेतनमान 1300–1900 है। इस प्रकार उनमें जो स्टैगनेशन था और प्रोन्नति के अवसर [समय 5 बज कर 20 मिनट] कम थे और जिससे उनमें काफी असंतोष था उसको दूर किया गया है। मान्यवर, इसी तरह से ग्राम्य विकास अधिकारियों का वेतनमान 400–615 था। इसमें एक सेलेक्शन ग्रेड 510–675 का 10 वर्षों की सेवा पर किया गया इसके अतिरिक्त 19 वर्षों की सेवा पर उनको एक सीनियर ग्रेड 450–720 का देकर प्रोन्नति का अवसर दिया गया है। तो इसमें मैं खासतौर से माननीय मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने इसमें रुचि लेकर, इन्टरवीन करके, बी0 डी0 ओज0 और ए0 डी0 ओज0 की प्रोन्नति की समस्याओं को हल किया है। जहां तक जिला परिषद् के गठन का प्रश्न है आप जानते हैं कि प्रधानों का चुनावा हो चुका है। क्षेत्र समितियां बन चुकी हैं और हमारा प्रयास जारी है कि हम जिला परिषदों का

गठन कर दें। हाउस में जो समय दिया जाय उस तक चुनाव करा देना चाहिये लेकिन आप जानते हैं कि कभी-कभी ऐसी बातें हो जाती हैं कुछ अपरिहार्य कारणों से कि चुनाव नहीं करा पाते हैं तो सरकार का प्रयास है कि चुनाव शीघ्र ही करा दें।

एक सदस्य–

न्याय पंचायतों के गठन के बारे में बता दें।

श्री बलराम सिंह यादव–

वह भी कराने पर विचार हो रहा है। तो मान्यवर, इन शब्दों के साथ में अनुरोध करना चाहूंगा कि माननीय हुकुम सिंह जी अपना प्रस्ताव वापस ले लें ताकि अध्यक्ष जी को मतदान कराने का कष्ट न करना पड़े।

श्री अध्यक्ष–

(श्री हुकुम सिंह से) क्या आप वापस लेते हैं?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18–ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 18–ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,11,02,75,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 30–पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 30–पंचायती राज विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,14,91,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 82–क्षेत्रीय विकास विभाग के अंतर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 82–क्षेत्रीय विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,02,76,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 3 अप्रैल, 1984 को मुझे नियम 51 के अन्तर्गत 7 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से मैंने माननीय केदार नाथ की सूचना को स्वीकार किया है, बाकी को अस्वीकार किया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सूचना है मान्यवर, बता दीजिए?

श्री अध्यक्ष–

होलिका दहन की रात्रि में थाना अनवरगंज (कानपुर) की पुलिस द्वारा फूलवाली गली में हरिजनों पर लाठी चार्ज।

बसन्तपुर, थाना तुलसीपुर, जिला गोंडा के गोमती नामक हरिजन पर थानाध्यक्ष के कथित षड़यन्त्र से प्राणघातक हमला किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

(संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य पढ़ना आरम्भ करने पर)

श्री अध्यक्ष–

क्या इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय?

(किसी के आपत्ति न करने पर)

यह वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

[प्राप्त सूचना के आधार पर गोमती की सूचना पर दिनांक 24-8-83 को राजित, नखड़ू, कल्लू, जगमोहन यादव, बसन्तपुर के विरुद्ध फसल को नुकसान पहुंचाने के सम्बन्ध में थाना तुलसीपुर में धारा 323/427 भा0 दं0 वि0 का अपराध कायम हुआ। विवेचनोपरान्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। यह बात सत्य नहीं है कि थानाध्यक्ष की शह पर गोमती की फसल आदि काटी गयी। गोमती हरिजन की पुलिस ने उचित मदद की है।

थानाध्यक्ष द्वारा हरिजनों का पानी कुएं से बन्द करने की बात सत्य नहीं है। इस सम्बन्ध में गोमती के पिता शम्भू ने 29-8-83 को 15 व्यक्तियों के विरुद्ध थाना तुलसीपुर में अपराध दर्ज कराया। दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए और शेष ने न्यायालय में समर्पण किया। सभी 15 अभियुक्तों के विरुद्ध प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

उक्त दोनों अपराधों के समय श्री रमाशंकर यादव थानाध्यक्ष नहीं थे क्योंकि उन्होंने 30-8-83 को सायं 7 बजे कार्य ग्रहण किया था।

गोमती हरिजन की बैलगाड़ी के सम्बन्ध में ज्ञात हुआ कि गोमती के पिता शम्भू ने 2500/- रुपये में छब्बा से बैलगाड़ी खरीदी थी परन्तु केवल 800/- रुपये का भुगतान किया था। शेष धनराशि अदा न किये जाने पर छब्बा ने गोमती के पिता से अपनी बैलगाड़ी ले ली। इस सम्बन्ध में गोमती ने 8 मुल्जिमान के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र क्षेत्राधिकारी को दिया जिस पर उन्होंने अपराध दर्ज करने के आदेश दिये। तदनुसार मुकदमा अपराध संख्या-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

37/84 धारा 382 भा0 दं0 वि0 थाना तुलसीपुर पर कायम हुआ। विवेचना से दो अभियुक्त 9-3-84 को बन्दी बनाये गये। शेष के विरुद्ध विवेचना जारी है।

विवेचना के सम्बन्ध में उप निरीक्षक व दो सिपाही ग्राम बसन्तपुर पहुंचे थे तब उन्होंने गांव में उत्तेजना का वातावरण अनुभव किया। पूछताछ के मध्य पता लगा कि गोमती हरिजन तथा उसके विपक्षियों के बीच झगड़ा हुआ है जिसमें गोमती को ईंट से चोट आयी और वह थाने चला गया है। स्थिति को देखते हुए उप निरीक्षक ने अतिरिक्त फोर्स की मांग की थी। उप निरीक्षक ने बैलगाड़ी बरामद की तथा दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गोमती की तहरीर पर ही अपराध दर्ज हुआ है। गोमती के विरुद्ध, छेदी निवासी बसन्तपुर की सूचना पर जिसमें चोरी का अपराध दर्शाया गया है के सम्बन्ध में 7-2-84 को मुकदमा दर्ज हुआ है जिसकी विवेचना प्रचलित है।

दोनों पक्षों में बढ़ती हुई कसीदगी को देखते हुए उभय पक्षों के विरुद्ध पुलिस द्वारा धारा 107/116 जा0 फौ0 की कार्यवाही की गयी जो न्यायालय में विचाराधीन है। यह बात सत्य नहीं है कि थानाध्यक्ष उपनिरीक्षक को निलम्बित कराकर बरखास्त करने की धमकी दे रहे हैं। गोमती का कहना है कि थानाध्यक्ष ने उसे कभी नहीं बुलाया और न कभी धमकाया और न ही इन्काउंटर की कोई बात कही। यह बात भी भ्रामक है कि गोमती हरिजन के उत्पीड़न को देखकर बसन्तपुर एवं उसके आसपास के हरिजन गांव छोड़कर भाग रहे हैं और भय का आतंक का वातावरण व्याप्त है। गोमती का कोई उत्पीड़न नहीं हुआ है। गोमती गांव में मौजूद है। यह कहना सत्य नहीं है कि थानाध्यक्ष द्वारा हरिजन उत्पीड़न किया गया है।]

श्री अकबाल हुसैन–

मान्यवर, यह हमारे जनपद गोंडा के बसन्तपुर गांव के थाना तुलसीपुर के हरिजन उत्पीड़न की ऐसी कहानी है, जिससे यह लगता है कि यह सरकार हरिजनों की सुरक्षा के लिये बहुत ही उदासीन है। मान्यवर, गोमती हरिजन की गन्ने की फसल को दिनांक 24-8-83 को वहां के कुछ बदमाशों ने काट लिया।

श्री अध्यक्ष–

आप तो स्पष्टीकरण मांगेंगे?

श्री अकबाल हुसैन–

मान्यवर, स्पष्टीकरण मांग रहा हूं। मान्यवर, फिर उसके बाद दूसरी घटना उसी अगस्त के महीने में हुई, गोमती को मुल्जिमानों ने पानी पीना बन्द कर दिया, पानी रोक दिया। इस बात की सूचना दर्ज करायी गयी, तो पानी रोकने की कोई सूचना वहां थाने पर दर्ज नहीं हुई। क्षेत्राधिकारी के आदेश के बाद पानी पीने के रोकने की सूचना दर्ज हुई।

श्री अध्यक्ष–

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आप बैठिये।

श्री अकबाल हुसैन–

छुआछूत के कारण पानी न भरने देने पर 3/7 का मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद 3-12-83 को गोमती हरिजन की बैलगाड़ी मुल्जिमानों ने जबरदस्ती छीन लिया।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न ही कर सकते हैं।

श्री अकबाल हुसैन–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बैलगाड़ी छीनने की रिपोर्ट क्षेत्राधिकारी के आदेश पर 12-2-84 को जो दर्ज हुई है, इस घटना का कौन सा दिन है, किस दिन घटना घटी, उसकी तारीख क्या है और उस तारीख से 12-2-84 तक रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गयी?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, यह बैलगाड़ी की घटना जो है, इसके अन्दर दो अभियुक्तों को 9-3-84 को बन्दी बनाया गया। यह बैलगाड़ी की घटना यह थी कि गोमती के पिता शम्भू ने छब्बू से 2500 रुपये में बैलगाड़ी खरीदी थी और केवल 800 रुपये दिया था, बाकी रुपया नहीं दिया गया था, इसलिए छब्बू ने जबरदस्ती गाड़ी मंगा ली। उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई और दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और पूरी कार्यवाही की गयी।

श्री अकबाल हुसैन–

मान्यवर, मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि यह बैलगाड़ी किस दिन छीनी गयी और जो एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई 2-12-84 को, उसमें यह घटना किस तारीख की है और इतने दिनों तक एफ0 आई0 आर0 क्यों नहीं दर्ज की गयी, एस0 ओ0 ने क्यों नहीं दर्ज किया? क्षेत्राधिकारी के आदेश पर एफ0 आई0 आर0 दर्ज की गयी। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में 12-9-83 को, 9-12-83 को और 10-12-83 को डी0 एम0 और एस0 पी0 को इत्तला दी गयी और 26-12-83 को एस0 पी0 ने वायरलेस द्वारा रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया और 17-1-84 को रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश एस0 ओ0, तुलसीपुर को दिया। इन सब आदेश के बावजूद भी मान्यवर, डी0 एम0 आदेश देता है, एस0 पी0 आदेश देता है, वायरलेस देता है, इसके बावजूद भी उस हरिजन के बैल छीनने की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी।

श्री अम्मार रिजवी–

अपराध संख्या 37/84 में 382 का मुकदमा कायम हुआ। 3-12-83 को दोपहर की घटना है, घटना बसन्तपुर गांव की है, एफ0 आई0 आर0 पर जो हस्ताक्षर है वह 12-2-84 का है।

श्री रियासत हुसैन–

यह दो हरिजन परिवारों का आपस का झगड़ा है। पुलिस वालों का कहीं न कहीं इन्टरेस्ट है। क्या मंत्री जी यह देखते हुए इसकी जांच हरिजन सेल से करायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी–

यह हरिजन उत्पीड़न का मामला है। इसमें जो जरूरी कार्यवाही है, की जा रही है; फिर भी जो कार्यवाही की जाती है, उससे माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं होते हैं तो माननीय सदस्य की सन्तुष्टि के लिये हरिजन सेल से जांच करायी जा सकती है।

श्री मोती लाल देहलवी–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जैसा अकबाल हुसैन साहब ने कहा छुआछूत की वजह से पानी भरने से हरिजनों को रोक दिया गया। मान्यवर, यह तो एक अपराध है। मैं जानना चाहता हूं कि इस पर कोई मुकदमा क्यों नहीं कायम हुआ?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, इस पर मुकदमा दर्ज हुआ। 15 व्यक्तियों को अभियुक्त

करार किया गया । 2 को गिरफ्तार किया गया और शेष 13 अदालत में समर्पण किये ।

श्री अध्यक्ष–

यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। इसलिये ज्यादा प्रश्न करने की आज्ञा नहीं दूंगा।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

वक्तव्य के प्रथम पैरे में लिखा है कि यह बात सत्य नहीं है कि थाना-ध्यक्ष की शह पर गोमती की फसल आदि काटी गयी। गोमती हरिजन की पुलिस ने उचित मदद की है। मैं जानना चाहता हूं कि जब यह स्पष्ट हो गया कि एस0 पी0 और डी0 एम0 हस्तक्षेप पर रिपोर्ट लिखी गयी तो पुलिस ने या थानाध्यक्ष ने मदद क्या की ?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मदद यह की गयी कि 24-8-83 को जब हमला हुआ तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, पानी भरने के लिये जो रोक लगायी गयी, उसमें 15 लोगों का नाम-जद अभियुक्त लिखाया गया था, इनमें से 2 को गिरफ्तार किया गया और 13 ने न्यायालय में समर्पण किया । दूसरा यह है कि 25 सौ रुपये में बैलगाड़ी खरीद कर 8 सौ रुपया दिया था। बैलगाड़ी जबरदस्ती जो छीन लिये थे, बिना पूरा पैसा दिये वापस नहीं ले सकते थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और 3 लोगों का चालान हुआ। फसल के बारे में रिपोर्ट की गई, इसमें अभियुक्तों के खिलाफ पूरी कार्यवाही की गयी।

श्री अकबाल हुसैन–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 2-12-83 की घटना है, एफ0 आई0 आर0 12-2-84 को लिखी गयी। 9-3-84 को पुलिस दल गया, राणा हरिजन एस0 आई0 है, वह बसन्तपुर गये, उनके साथ गोमती हरिजन भी गया था यह बताने कि यही बैलगाड़ी है जो मुल्जिमान थे उन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया। गोमती का सिर फट गया और वह मेमोरियल अस्पताल गोंडा में भरती है। 307 का मुकदमा दर्ज हुआ।

श्री अध्यक्ष–

आप सवाल करिए न।

श्री अकबाल हुसैन–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि गोमती हरिजन को चोट लगने के बाद मान्यवर, जब पुलिस ने दुबारा उसको तलब किया और बसन्तपुर में हस्तक्षेप होने की बात कही गयी। उसके बाद पुलिस द्वारा एफ0 आई0 आर0 दर्ज न करा करके, गोमती द्वारा एफ0 आई0 आर0 दर्ज करा करके उस घटना की गम्भीरता को कम किया गया । इसमें पुलिस द्वारा एफ0 आई0 आर0 दर्ज क्यों नहीं करायी गयी?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, इसके बाद जब झगड़ा हुआ तो पुलिस ने अपनी ओर से मुक-दमा दर्ज कराया। उसके खिलाफ जांच चल रही है।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं । कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 35 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
3 अप्रैल, 1984

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या-5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 21 पर।)

तारांकित प्रश्न संख्या-5 के सम्बन्ध में घटना का संक्षिप्त विवरण:—

दिनांक 3-12-82 को ग्राम परसपुर के श्री मगरू धोबी ने मौखिक सूचना थाना इनायतनगर, फैजाबाद पर दी कि उसके चाचा श्री बहादुर को राधेश्याम आदि ने दिनांक 2-12-82 को आपसी रंजिश के कारण करीब 7 बजे शाम गदहला से मारपीट कर उसको मार डाले। रात होने की वजह से घर पर ही इलाज आदि किया गया परन्तु दूसरे दिन प्रात: उन्हीं चोटों के कारण बहादुर धोबी की मृत्यु हो गयी। उक्त सूचना के आधार पर एक अपराध थाना इनायतनगर पर धारा 302 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ और विवेचना के उपरान्त दिनांक 8-1-83 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। अभियुक्त राधेश्याम की जमानत हाईकोर्ट से दिनांक 3-2-83 को हुई।

2—उक्त बहादुर धोबी की भूमि पर ब्रह्मबाबा के चबूतरे का निर्माण कुछ अवांछित व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा था जिसे बाद में एस0 डी0 एम0, बीकापुर के आदेश से स्थानीय पुलिस द्वारा तुड़वाकर साफ करा दिया गया।

3—श्री बहादुर की हत्या में ग्राम प्रधान की साजिश नहीं पायी गयी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 36 पर ।)

सेवा में,

माननीय राजस्व मंत्री महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा अधिशासी अभियन्ता अस्थायी खन्ड नं0–2 सा0 नि0 वि0, फैजाबाद ।

विषय:—श्री सभापति वर्मा ग्राम सलाहपुर रजौर के गाटा सं0–725 में स्थित ट्यूबवेल भवन आदि का मूल्यांकन ।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी का उपरोक्त भवन का मूल्यांकन का मामला लगभग डेढ़ साल से चल रहा है जिसका अब तक निपटारा नहीं हो पाया है प्रार्थी एक मामूली कृषक है और अपने तमाम घरेलू खेती संबंधी कार्यों को छोड़कर इसके संबंध में अनेकों बार चक्कर काट कर बहुत परेशान हो चुका है अब अन्तिम निर्णय के लिये श्रीमान जी के कार्यालय में पिछले लगभग 6 माह से रुका पड़ा है इस सम्बन्ध में कई बार सहायक अभियन्ता टान्डा व आपसे भी मुलाकात की परन्तु दुख होता है कि अब तक कुछ निपटारा नहीं हो पाया ।

श्रीमान जी से पुनः निवेदन है कि मेरी स्थिति पर ध्यान देकर मेरे मूल्यांकन केस का निर्णय शीघ्र करने की कृपा करें और अधिक दौड़ना मेरे लिये कष्टदायक हो रहा है ।

प्रार्थी,
ह0/—सभापति वर्मा

प्रतिलिपि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी फैजाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता द्वितीय अस्थायी खन्ड नं0–2 सा0 नि0 वि0 फैजाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता प्रथम टान्डा थर्मल प्रोजेक्ट फैजाबाद को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रार्थी,
ह0/-सभापति वर्मा।

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–84 का उत्तर पीछे पृष्ठ 54 पर)
अभियुक्त बाला उर्फ बाल किशुन के विरुद्ध पंजीकृत वादों का विवरण

क्रमांक	मु0अ0सं0 वर्ष	धारा	थाना	परिणाम
1	2	3	6	5
1	72/56	109 दं0प्र0सं0	सैदपुर	1 वर्ष कठोर कारावास
2	10/65	457/380 भा0दं0 वि0	सैदपुर	1 वर्ष कठोर कारावास।
3	91/69	395/397 भा0दं0 वि0	चन्दवक जौनपुर	7 वर्ष का कठोर कारावास।
4	47/69	396 भा0दं0 वि0	चन्दवक जौनपुर	रिहा
5	61/63	395/397 भा0दं0वि0	सैदपुर	रिहा
6	30/68	458/380 भा0दं0वि0	सैदपुर	रिहा
7	168/70	380/454/411 भा0दं0वि0	सैदपुर	रिहा
8	169/70	396 भा0दं0वि0	सैदपुर	रिहा
9	27/71	399/402 भा0दं0वि0	सैदपुर	रिहा
10	85/74	147/148/149/307 भा0दं0वि0	सैदपुर	रिहा
11	290/76	396 भा0दं0वि0	सैदपुर	रिहा
12	179/77	399/402 भा0दं0वि0	सैदपुर	रिहा
13	90/78	399/402 भा0दं0वि0	चौबेपुर, वाराणसी	विचाराधीन न्यायालय।
14	154/81	399/402 भा0दं0वि0	सैदपुर	अन्तिम रिपोर्ट

अभियुक्त किशुनचन्द्र के विरुद्ध पंजीकृत वादों का विवरण :—

1		धारा 25 आर्म्स ऐक्ट थाना सैदपुर दिनाँक 29–9–71 को परगना मजिस्ट्रेट, सैदपुर के यहाँ से एक वर्ष का कठोर कारावास।		
2	30/76	396 भा0दं0वि0	सैदपुर	रिहा
3	290/76	396 भा0दं0वि0	सैदपुर	रिहा
4	34/78	395/397 भा0दं0वि0	चौबेपुर, वाराणसी।	रिहा
5	130/81	395/397 भा0दं0वि0	सैदपुर	विवेचनाधीन
6	154/81	396 भा0दं0वि0	सैदपुर	अन्तिम रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "घ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 86 का उत्तर पीछे पृष्ठ 55 पर)

मृत डकैत किशोरी भर पुत्र पलकू भर, साकिन ओड़िहार, थाना सैदपुर, जिला गाजीपुर के विरुद्ध पंजीकृत अपराधों का विवरण—

क्रम-सं0	अ0सं0	धारा	थाना	परिणाम
1	2	3	4	5
1	121/76	379 भा0दं0वि0	जी0आर0पी0, मऊ, आजमगढ़।	रिहा
2	125/76	379 भा0दं0वि0	तदैव	रिहा
3	139/76	379 भा0दं0वि0	तदैव	रिहा
4	141/76	25 आर्म्स ऐक्ट	तदैव	पी0टी0
5	146/76	379 भा0दं0वि0	तदैव	एफ0आर0
6	259/77	25 आर्म्स ऐक्ट	थाना सैदपुर, गाजीपुर।	पी0टी0
7	191/78	399।402 भा0दं0वि0	तदैव	पी0टी0
8	194/78	25 आर्म्स ऐक्ट	तदैव	पी0टी0
9	15/80	25 आर्म्स ऐक्ट	जी.आर.पी., मऊ, आजमगढ़।	पी0टी0
10	96/80	395/397 भा0दं0वि0	जी.आर.पी., मऊ, बलिया।	पी0टी0
11	98/80	394/397/307 भा0दं0वि0	जी.आर.पी., मऊ आजमगढ़।	ती0टी0
12	4/81	307 भा0दं0वि0	तदैव	पी0टी0
13	21/81	392 भा0दं0वि0	तदैव	रिहा
14	20/81	399/402 भा0दं0वि0	थाना नन्दगंज	पी0टी0
15	21/81	25 आर्म्स ऐक्ट	थाना नन्दगंज	पी0टी0
16	37/81	395 भा0दं0वि0	थाना नन्दगंज	पी0टी0

अग्रिम प्रति अशुद्ध

नत्थी "ङ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–87 व 88 का उत्तर पीछे पृष्ठ 55 पर)

मृतक डकैत सरजू पाण्डेय के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों का विवरण

क्रमांक	अ0सं0	धारा	थाना
1	158/73	147/323	जमानियाँ
2	/73	145 जा0फौ0	,,
3	/73	323 भा0दं0वि0	,,
4	157/75	396 भा0दं0वि0	,,
5	21/75	395/397 भा0दं0वि0	दिलदारनगर
6	120/78	120 जा0फौ0	जमानियाँ
7	45/79	395/397 भा0दं0वि0	दिलदारनगर
8	186/79	3/4 गुण्डा ऐक्ट	जमानियाँ
9	128/81	399/402 भा0दं0वि0	,,
10	191/81	25 ए0ए0	,,
11	23/81	25 ए0ए0	,,

नोट—उक्त अभियोगों का परिणाम प्राप्त नहीं हो पाया है।

मृतक डकैत रामजियावन राय के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों का विवरण –

1	20/70	379/511	दिलदारनगर	3 माह आर0आई0
2	19/73	457/380 भा0दं0वि0	,,	एफ0आर0
3	76/73	324/323 भा0दं0वि0	,,	रिहा
4	47/79	110 जा0फौ0	,,	सजा
5	147/79	147/148/224/302 भा0दं0 वि0	,,	आजीवन कारा-वास।
6	21/80	302 भा0दं0वि0	,,	रिहा
7	173/80	3 गुण्डा ऐक्ट	,,	पी0टी0
8	119/79	60 आ0ए0	,,	चालान मफरूरी
9	18/82	302 भा0दं0वि0	,,	
10	एन0सी0आर0 135/82	323/504/506 भा0दं0वि0।		
11	एन0सी0आर0 158/82	323/504/506 भा0दं0वि0	,,	

मृतक डकैत बूटन राय के विरुद्ध पंजीकृत वादों का विवरण—

1	67/73	324/323/506 भा0दं0वि0	दिलदारनगर	
2	147/79	147/148/324/302 भा0दं0वि0	,,	आजीवन कारा-वास।
3	21/80	302 भा0दं0वि0	,,	पी0टी0
4	16/81	3 गुण्डा ऐक्ट	,,	,,
5	18/82	302 भा0दं0वि0	,,	चालान मफरूरी
6	एन0सी0आर0 155/82	323/504/506 भा0दं0वि0।		
7	एन0सी0आर0 158/82	323/504/806 भा0दं0वि0।	,,	

नत्थी "च"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 89 का उत्तर पीछे पृष्ठ 56 पर)

मृतक डकैत भैरो भर, पुत्र भगेलू भर, सा0 वसुका, थाना गहमर, जिला गाजीपुर के विरुद्ध पंजीकृत अपराधों का विवरण :—

क्रम सं0	अप0सं0	धारा	नाम थाना	परिणाम
1	91/77	396 भा0दं0वि0	जमानियाँ	रिहा
2	92/77	395/397 भा0दं0वि0	जमानियाँ	रिहा
3	125/60	399/402 भा0दं0वि0	जमानियाँ	पी0टी0
4	58/81	25 आर्म्स एक्ट	जमानियाँ	सजा आर0आई0
5	25/67	457/380 भा0दं0वि0	गहमर	18 माह आर0 आई0।
6	69/78	3 उ0प्र0 गुण्डा ऐक्ट	गहमर	पी0टी0
7	60/69	457 भा0दं0वि0	गहमर	3 माह आर0आई0
8		457/380 भा0दं0वि0	गहमर	18 माह आर0 आई0।
9	135	109 जा0फौ0	गहमर	3 माह आर0 आई0।
10	11/75	379 भा0दं0वि0	गहमर	3 माह आर0 आई0।
11	58/80	25 ए0ए0	गहमर	1 साल आर0 आई0।
12	77/68	454 भा0दं0वि0	गहमर	1 साल आर0 आई0।
13		380 भा0दं0वि0	गहमर	डेढ़ माह आर0 आई 0।
14	60/65	457/380 भा0दं0वि0	गहमर	तीन माह आर0 आई0।
15	130/81	399/402 भा0दं0वि0	दिलदारनगर	रिहा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "छ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–90 का उत्तर पीछे पृष्ठ 56 पर।)

3–मृतक डकैत राम गहन, पुत्र चरित्तर, सा0 तेलरा, थाना शिवसागर, जिला रोहतास (बिहार) के विरुद्ध पंजीकृत अपराधों का विवरण–

1	20/81	395 भा0दं0वि0	शिवसागर, रोहतास, बिहार।	पी0आई0
2	61/64	399/402 भा0दं0वि0	शिवसागर, रोहतास, बिहार।	पी0टी0
3	490/82	395 भा0दं0वि0	तदैव	पो0आई0
4	16/60	379 भा0दं0वि0	सासाराम	पी0टी0
5	32/60	457/380 भा0दं0वि0	सासाराम	पो0टी0
6	47/82	457/380 भा0दं0वि0	सासाराम	चालान मफ[illegible]
7	109/82	395 भा0दं0वि0	बरहगर रोहतास, बिहार।	पो0आई0

8 थाना शिवसागर रोहतास, बिहार का एच0एस0 है, जिसका सब एस0 नं0 5-ए है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ज"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–91 का उत्तर पीछे पृष्ठ 56 पर)

मृतक मर्याव, पुत्र रामनन्दन, सा0 सब्बल पुर खुर्द, थाना जमानियां, गाजीपुर के विरुद्ध पंजीकृत अपराधों का विवरण–

1	148/80	302/307 भा0दं0वि0	जमा नयाँ	पी0टी0
2	224/81	395/397 भा0दं0वि0	जमानियाँ	पी0टी0
3	56/82	3/4 गुण्डा ऐक्ट	जमानियाँ	पी0टी0
4	140/82	110 जा0फौ0	जमानियाँ	पी0टी0
5	151/82	25 आर्म्स ऐक्ट	जमानियाँ	पी0टी0
6	1982 में एन0एस0ए0 की कार्यवाही की गयी ।			

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी "झ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 132 का उत्तर पीछे पृष्ठ 70 पर)

माननीय विधायकों को अतिरिक्त आवासीय सुविधा तथा किराए आदि का विवरण, निम्नवत है (31-3-84) तक की स्थिति

क्रम-सं0	विधायक का नाम	कुल किराया	भुगतान किया गया किराया	अवशेष किराया
1	2	3	4	5
1	सर्वश्री मुईद अहमद अन्सारी	5,400.00	00	5,400.00
2	खर्शीद अहमद अन्सारी	7,576.00	00	7,576.00
3	श्रीमती सुमन लता	4,608.00	00	4,608.00
4	सर्वश्री सफीउर्रहमान अन्सारी	5,,271.00	00	5,271.00
5	जावेद अली खां	8, 613.00	00	8,613·00
6	शेर बहादुर सिंह	4,200.00	2 709.00	1,491.00
7	धर्मपाल	1 064.00	1 064.00	00
8	सुरेन्द्र सिंह चौहान	2,295.00	00	2,295.00
9	डी0एच0 अन्सारी	2,376.00	00	2,376.00
10	भोला पाण्डेय	8,091.00	00	8,091.00
11	द्वारिका नाथ धवन	9,359.00	7 868.00	1,491.00
12	डी0पी0 राय	5,670.00	00	5,670.00
13	मो0 कमाल यूसुफ	4,046.00	3 258.00	788.00
14	भास्कर पाण्डेय	3,535.00	2 199.00	1,336.00
15	सुबेदार सिंह	7,245.00	4 374.00	2,871.00
16	हरदेव	4,932.00	2 309.00	2,623.00
17	मोतीलाल देहलवी	16,315.85	00	16,315.85
18	अकबाल हुसैन	14,606.00	5,613.00	8.993..00
19	यदुनाथ सिंह	6,948.00	00	6,948 00
20	जीराज सिंह मौर्य	8,991.00	5,322.00	3,669·00
21	मानपाल सिंह	12,145.00	11,830.00	315·00
22	लोकमणि शर्मा	6,030.00	5,490.00	540. 00
23	मानबहादुर सिंह	00	00	00
24	दीनानाथ पाण्डेय	8,766.00	00	8,766.00
25	रिजवानुर्रहमान किदवाई	5,611.00	3,564.00	2,097.00
26	सत्यपाल सिंह यादव	8,766.00	549.00	8,217.00
27	सुरेन्द्र सिंह	5,184.00	00	5,184.00
28	दल सिंगार यादव	4,185.00	00	4,185.00
29	सुनील कुमार मुखोपाध्याय	8,482.00	00	8,482.00
30	कुंवर जावेद अली खां	5,580.00	00	5,580.00
31	श्रीकृष्ण बाजपेई	8,325.00	5,580.00	2,745.00

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी "ञ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–156 का उत्तर पीछे पृष्ठ 75 पर।)

नकल चिक द0पु0 संख्या 189 मु0आ0सं0 346/83 धारा 302 भा0दं0वि0, थाना पूराकलन्दर, जनपद फैजाबद।

तारीख घटना व सूचना	..	अदन जहरीर
तारीख सूचना व समय	..	4–1–83 समय 11.05
घटना स्थल	..	स्कूल आर0के0डी0 विध्यामन्दिर ग्राम माधोपुर, 1/2 मिल उत्तर पश्चिम।
वाद	..	श्री सूर्य बक्श सिंह पुत्र गुरु प्रसाद सिंह, सा0 मैनुद्दीन पुर गंजा, थाना पूराकलन्दर।
बनाम		अज्ञात
धारा	..	302 भा0दं0वि0
विवेचक	..	ए0एस0आई0 श्री राम अधघ राय

नकल तहरीर हिन्दी वादी

सेवा में थानाध्यक्ष, थाना पूराकलन्दर, जिला फैजाबाद निवेदन है कि प्रार्थी चूंकि सूर्यबक्स सिंह पुत्र श्री गुरुप्रसाद सिंह, निवासी ग्राम मैनुद्दीनपुर गंजा, थाना पुराकलन्दर जिला फैजाबाद का रहने वाला है/हूं प्रार्थी का लड़का अनन्त बहादुर सिंह कल दि0 3-11-83 शाम सूरज डूबते समय मसौधा गेट गया था रात में घर नहीं लौटा। आज सवेरे में मेरे भाई शिव बहादुर सिंह व शिव प्रसाद सिंह व गाँव के कई लोग अनन्त बहादुर सिंह की तलाश करने लगे। तलाश करते समय राम करन वर्मा प्रधान ग्राम माधोपु र न बताया कि एक लाश अनन्त बहादुर सिंह की आर0के0डी0 विध्या मन्दिर स्कूल माधोपुर में छप्पर के नीचे पड़ी है गले में बनियायन बंधी है। इस पर शिव प्रसाद सिंह व शिव बहादुर सिंह आगे जाकर देखे तो अनन्त बहादुर सिंह की लाश छप्पर के नीचे पड़ी है और उसके गले में बनियायन फाड़कर बाँधी हुई है। मैंने भी देखा वह लाश अनन्त बहादुर सिंह को है। मेरे लड़के को किसी ने गला कसकर मारकर फेंक दिया है। उचित कार्यवाही किया जाय। प्रार्थी सूर्यबक्स सिंह, लेखक देवी प्रसाद पाण्डेय, 4–11–83, लेखक एफ0आई0आर0 हे0मो0 रामराज तिवारी, दि0 4–11–83।

नोट—नकल मताबिक असल के है।

ह0 सुरेश तिवारी,
का0मो0
26–3–84

नत्थी 'ट'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–172 का उत्तर पीछे पृष्ठ 81 पर)

जिला फैजाबाद के ग्राम सखदूमनगर में जिला जज फैजाबाद के निर्णय के आधार पर आँशिक रूप से भुगतान की गयी धनराशि का विवरण

क्रम-सं0	नाम काश्तकार	आँशिक रूप से भुगतान की गयी धनराशि
1	रूपन पुत्र धन्जू	8642.13
2	बहनिशा बेवा इसहाक	5158.25
3	जगेसर पुत्र बलजोर	6564.80
4	परशुराम	4165.24
5	संग्राम	4164.24
6	सन्तराम पुत्र गण द्वारिका	4165.23
7	लछिराम	4165.23
8	काली प्रसाद पुत्र बलदेव	16295.81
9	महंगी पुत्र छंगू	7593.72
10	खुरशीद आलम पुत्र अली हसन	20690.80
11	इसलाम पुत्र रमजान	7376.85
12	नगेसर पुत्र छंगू	12246.31
13	जोखू पुत्र धनई	2158.90
14	मो0 गनी पुत्र मदत अली	1163.00
15	लालता पुत्र बिसई	14736.33
16	राम प्रसाद पुत्र मंगरू	4470.64
17	राम सगुन	4470.64
18	बाबू लाल पुत्र बसंता	1357.25
19	नबी मो0 पुत्र हुसेनी	3776.63
20	वसीन खां पुत्र कुरबान अली	3807.76
21	बबुनिशा बेवा इसहाक	3321.98
22	मो0 खलील पुत्र साहब अली	10816.40
23	राम कुमार पुत्र परसादी	4461.32
24	राम नरायन पुत्र राम आसरे	512.81
25	राजित राम पुत्र राम आसरे	512.81
26	गिरधारी पुत्र बुधिराम	512.81
27	मुन्नी लाल पुत्र बुधिराम	512.80
28	खुरशेद आलम पुत्र अली हसन	20412.87
29	मो0 गनी पुत्र मदत अली	5867.50
30	अजमत खां पुत्र रहमदीन खां	12617.73
31	अवरुलनिशाँ स्त्री इदरीश	9596.75
32	सोमन पुत्र औतासर	8137.23
33	राम दत्त पुत्र बसंता	1812.77

1	2			3
34	बहादुर पुत्र बहरैची	..	..	8165.18
35	दयाराम पुत्र गोपी	..	..	14571.29
36	बृजलाल पुत्र बसन्ता	..	..	1487.94
37	राम उजागिर पुत्र रामसेवक	..	..	9392.36
38	नसीब अली पुत्र रहमदीन	..	..	6742.25
39	रामदेव पुत्र भोरई	..	..	5964.15
40	बली मो0 पुत्र जालिका	..	..	5770.78
41	रामफेर पुत्र हरिचरन	..	..	12137.54
42	श्रीराम पुत्र रामधनी	..	..	5951.05
43	सिद्दीकी पुत्र जालिक	..	..	4102.46
44	रंजीत खां पुत्र रहमदीन	..	..	7011.57
45	शाह मो0 पुत्र मदत अली	..	..	5066.07
46	श्रीमती जगनो स्त्री बुधिराम	..	..	2311.66
47	जानकी प्रसाद पुत्र बलदेव	..	..	4834.86
48	अली मोहसिन पुत्र मदत अली	..	..	6360.51
49	इसमदार पुत्र रेहमदीन	..	..	5304.00
50	इद्रीश पुत्र मुजफ्फर शाह	..	..	44 8.89
51	भिखारी पुत्र गजपत	..	..	5827.24
52	चौथी पुत्र भुल्लन	..	..	14032.87
53	लुदुर पुत्र बृज	..	..	4198.36
54	फलई पुत्र भुल्लेरन	..	..	14927.43
55	सुखारी पुत्र रामभरोसे	..	..	212.87
56	पूर्णमासी पुत्र भुल्लन	..	..	4835.37
57	राजकरन पुत्र राम भरोसे	..	..	1378.74
58	सुखारी राम पुत्र राम भरोसे	..	..	1378.74
59	सत्तार पुत्र जालिक	..	..	5116.47

विधान सभा सचिवालय

पी0एस0 यू0पी0—एल097 विधान सभा (136)—1985—813।